द्वादश माला, खंड 4, अंक 27

बुधवार, 22 जुलाई, 1998
31 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 59
Date 25.8.99

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 22 जुलाई, 1998/31 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
25	13-14 के बीच से "प्रश्नों के" का लोप कीजिए ।		
28	9	भूलगोभी	फूलगोभी
90	नीचे से 7	(क) और (घ)	(क) से (घ)
97	नीचे से 10 "(क)" का लोप कीजिए ।		
211	1	अपराह्न 2·02 बजे	अपराह्न 12·02 बजे
212	16	श्री ए·सी·जोश	श्री ए·सी· जोस
229	8	अपराह्न 2·48 बजे	अपराह्न 12·48 बजे
249	25	श्री श्याम बिहार मिश्र	श्री श्याम बिहारी मिश्र
266	22	श्री मुलायम सिंह	श्री मुलायम सिंह यादव

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे०एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 27, बुधवार, 22 जुलाई, 1998/31 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	502 से 504	8-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	505 से 521	24-46
अतारांकित प्रश्न संख्या	5058 से 5197	47-205
सभा पटल पर रखे गये पत्र		206-210
राज्य सभा से संदेश		211
कार्यमंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		211-212
साधारण नमक पर से प्रतिबन्ध हटाए जाने के बारे में		216-222
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्रियों को हिंसा की धमकियों और कथित धमकी भरे फोन कॉल		
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		229-230
(दो) युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्तियां		
डा० मुरली मनोहर जोशी		258-260
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में एक भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता		
श्री हरिभाई चौधरी		252
(दो) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते		252-253
(तीन) कुछ देशों द्वारा प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को वीसा देने से इन्कार किए जाने के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता		
श्री अमर पाल सिंह		253
(चार) भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल और बीरगंज के बीच किए जाने वाले टेलीफोन कालों को स्थानीय काल माने जाने की आवश्यकता		
डा० मदन प्रसाद जायसवाल		253
(पांच) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के लिए पर्याप्त नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
श्री मनोरंजन भक्त		253-254

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(छह) पूरे देश में बीड़ी-सिगार कामगारों के लिए एक समान मजदूरी और भत्तों की आवश्यकता

श्री प्रसाद जावूराव तनपुरे 254

(सात) कर्नाटक में रायचूर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने/ मार्ग परिवर्तित किए जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० वेंकटेश नायक 255

(आठ) बी.ओ.जी.एल. को पुनः चालू किये जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 255-256

(नौ) ग्रामीण और शहरी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त अधिनियम 23/97 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डा० सरोजा वी० 256

(दस) एक भारतीय, स्वर्गीय मोहम्मद मोहसिन द्वारा 1923 में जनरल बैंक आफ नीदरलैंड्स में जमा कराई गई धनराशि को वापस लाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री शकुनी चौधरी 257

(ग्यारह) संसद के चालू सत्र में अलग बोडोलैंड राज्य बनाने के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 257-258

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० सरोजा वी० 261-262

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 263-264

श्री वीरेन्द्र सिंह 264-267

प्रो० अजित कुमार मेहता 267-271

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़

श्री मोहन सिंह 271-276

श्री राम नगीना मिश्र 276-281

श्री पवन सिंह घाटोवार 281-285

श्री राजनारायण पासी 285-286

श्री सुव्रत मुखर्जी 286-289

श्री इंद्रजीत मिश्र 289-290

श्री शैलेन्द्र कुमार 290-292

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 292-293

श्री मोती लाल वोरा 293-294

श्री हरि केवल प्रसाद 295-296

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादवे (झंझारपुर) 299-300

विषय	कॉलम

श्री रामपाल सिंह 300-301

श्री वी०वी० राघवन 301-302

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 302-303

श्री राजो सिंह 303-305

श्री बीरेन्द्र सिंह 305-307

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन 307-309

श्री रामदास आठवले 309-310

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 310-312

श्री सानख़ुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 312-313

श्री प्रभुनाथ सिंह 313-315

श्री ओमप्रकाश 315-316

श्री अनूप लाल यादव 316-318

श्री भुवनेश्वर कालिता 318-319

श्री सुशील कुमार सिंह 319-320

श्री पारसनाथ यादव 320-321

श्री शकुनी चौधरी 321

डा० शकील अहमद 321-322

श्री एच०पी० सिंह 322-323

श्री के० बापीराजू 323-324

श्री वारकला राधाकृष्णन 323

श्री सोमपाल 324-340

लोक सभा

बुधवार, 22 जुलाई, 1998/31 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 502, डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में पूछिएगा।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगा। आप कृपया समझने की कोशिश करें। मैं आपको जीरो आवर में बोलने का अवसर दूंगा लेकिन अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रश्न काल को स्थगित करके माननीय सदस्यों की बात को सुना जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आपको प्रश्न काल में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सवाल लाना चाहता हूं। *(व्यवधान)* आज स्टेट्समैन के प्रथम पृष्ठ पर जो खबर है मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं *(व्यवधान)* मैंने नोटिस दिया है कि प्रश्न काल को स्थगित करें और प्रश्न काल को निलंबित कर सदस्यों को सुनने की परंपरा भी रही है। इसलिए आप हमारी बात सुनें *(व्यवधान)* खबर छपी है कि लालू और मुलायम सिंह ने 200 से अधिक अपराधियों को यहां भेजा है। यह हमारे दो बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश है। *(व्यवधान)* दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री इतनी गंभीर बात कहते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी मेरी आपसे अपील है कि आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप इस सवाल को जीरो आवर में उठाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा। ऐसे सवालों को उठाने का एक समय होता है। आप समझने का प्रयास कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी आपने नोटिस दिया है और वह शून्य काल के लिए सूचीबद्ध है। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री ने यह गंभीर आरोप लगाया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह प्रश्न काल है। मैं आपको जीरो आवर में बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कैसे हम लोग चुप बैठेंगे? हमको अपराधी कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगा अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा। यह प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नोटिस भी स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, स्टेट्समैन में यह बयान छपा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यह क्या हो रहा है? यह शून्य काल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। आप इसमें कैसे बाधा डाल सकते हैं? मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा रही है क्वश्चन आवर को स्थगित करके हमारी बात सुनी जाए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया समझने की कोशिश कीजिए। कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : प्रश्न काल की कार्यवाही को चलने दीजिए। तब तक सरकार यह जानकारी एकत्र कर लेगी कि मुख्य मंत्री महोदय ने वास्तव में यह बात कही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट जी मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस मामले को जीरो आवर में उठाएंगे। यह क्या हो रहा है?

श्री राजेश पायलट : सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है अथवा नहीं। यह बात अखबार में छपी है। प्रधान मंत्री जी इस बात का पता लगा सकते हैं। प्रश्न काल को चलने देना चाहिए। प्रश्न काल के पश्चात् वे इस मामले को उठा सकते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह मुख्य मंत्री ने खुद कहा है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : इस संबंध में प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी यह हमारी हत्या कराने का सवाल है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद : हम अध्यक्षपीठ की ओर से न्याय चाहते हैं।

[हिन्दी]

मुख्यमंत्री जी ने यह बयान खुद दिया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू जी यह क्या है? यह अच्छी बात नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी हम आपसे न्याय चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों को उठाने का एक अलग समय है। मैं आपको शून्य काल में इस मामले को उठाने की अनुमति दूंगा। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू जी आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको शून्य काल में बोलने की अनुमति दूंगा। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इससे बड़ा मामला और क्या हो सकता है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात समझिए और अपने सदस्यों से कहिए की वे भी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो हद हो चुकी है। अब आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपका कर्त्तव्य है कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। कृपया आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। जाइए कृपया अपनी-अपनी सीटों पर वापस बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : क्या प्रधान मंत्री जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस पर प्रधान मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे वह दिल्ली सरकार से पता करके बताएं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमारे लिए इससे गंभीर मामला और कोई नहीं हो सकता। एक चीफ मिनिस्टर ने हमें क्रिमिनल कहा है। *(व्यवधान)* कैपिटल में अपराध कराने वाली बात कही है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें कार्यवाही से क्या मतलब, सदन से क्या मतलब है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं आपको जीरो आवर में बोलने का अवसर दूंगा। मुझे आपका नोटिस पहले ही मिल चुका है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा सवाल यह है कि हमें न्याय चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह प्रश्न काल में बाधा नहीं पहुंचा सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारे बैठने का क्या सवाल है, क्या मतलब है, हम किसी की क्यों सुनेंगे। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप इसको पढ़िए और देखिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 502, डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस मामले में थोड़ा-सा कुछ बोलें। अपने माननीय सदस्यों को एक चीफ मिनिस्टर ऐसा कहे, यह अच्छी बात नहीं है। आप बात करके बताइए कि आप इसका समाधान करेंगे। ऐसा कुछ कहिएगा। *(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 502

(व्यवधान)

श्री आर० मुथैया : यह प्रश्न काल है। यह कैसे संभव है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों को भी स्थिति को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप कावेरी-कावेरी करते रहते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : वे हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 502, डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*•

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*•

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लालू जी कृपया स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह सब क्या है? आप हमेशा सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते रहते हो। आप सभा की कार्यवाही

•अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

में इस प्रकार से व्यवधान नहीं डाल सकते। इस सभा को आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय सदन में विघ्न डालते हैं। अन्य सदस्य भी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आप हमेशा सभा की कार्यवाही को डिस्टर्ब नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही सभा की कार्यवाही में कैसे बाधा डाल सकते हैं? अन्य सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। आप स्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही के कुछ कायदे कानून हैं। आपको उस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर वापिस चले जाइए। यह एक अच्छी प्रथा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापिस चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अपनी बात कहने का यह सही तरीका है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अपनी बात कहने का यह सही तरीका है? कृपया आप अपने स्थान पर वापिस चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अपनी बात कहने का यह सही तरीका है? कृपया पहले आप अपने स्थान पर वापिस चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि यह तरीका सही है? क्या आप समझते हैं कि अपनी बात कहने का यह तरीका सही है?

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.12 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।•

(व्यवधान)

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, यह एक जिम्मेदार माननीय सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री का यह दायित्व है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या तथ्य सही है और तत्पश्चात् उन्हें सभा को इस बारे में बताना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले भी स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ था, किन्तु आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। आपकी उत्तेजना मैं समझ सकता हूं। अंग्रेजी के एक अखबार में जो कुछ छपा है, वह मैंने भी पढ़ा है। मुख्यमंत्री से पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या छपा है। उन्होंने जो बात कही, अगर वह सच है तो यह बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। दिल्ली में बाहर से अपराधी आएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिल्ली में पहले से ही अपराधी बहुत हैं।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अमरीकी राष्ट्रपति की चीन की यात्रा

+

•502. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
प्रो० पी०जे० कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका के राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बाद चीन के घटनाक्रम पर नजर रखी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है;

(ग) अमरीका तथा चीन के बीच सहयोग का चीन तथा पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की यात्रा के बाद उत्पन्न हुई चुनौती से निबटने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अमरीकी राष्ट्रपति विलियम जेफरसन क्लिंटन ने 25 जून से 3 जुलाई, 1998 तक चीन की यह यात्रा 26 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 1997 तक राष्ट्रपति झियांग जेमिन की अमरीकी यात्रा के अनुसरण में हुई थी।

दिनांक 27 जून, 1998 को बीजिंग में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में, राष्ट्रपति झियांग जेमिन ने कहा, चीन और अमरीकी राज्याध्यक्षों के बीच यात्राओं के सफल आदान-प्रदान से चीन-अमरीकी संबंधों में एक नई प्रगति परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में चीन और अमरीका के बीच सहयोग में आदान-प्रदानों को और सवर्धित करने पर सहमति हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों का मानना है कि उन्हें सभी प्रकार के तनावों को कम करने और समाप्त करने, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने, पर्यावरण के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विश्व में विशेष रूप से एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा को सवर्धित करने के लिए मिलकर काम करते रहना चाहिए। राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि अमरीका के लिए यह शुभ संकेत है कि एक स्थायी, मुक्त, समृद्धशाली चीन सुरक्षित विश्व के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। अमरीका और चीन एशिया महाद्वीप, कोरियाई प्रायद्वीप और भारतीय उप-महाद्वीप में स्थायित्व के लिए सहायता करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने (क्लिंटन) दक्षिण एशिया में बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने के विरुद्ध संयुक्त वचनबद्धता का स्वागत किया। राष्ट्रपति झियांग जेमिन द्वारा गिनाए गए सहयोग के क्षेत्रों में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने वैज्ञानिक सहयोग, स्वास्थ्य, विधिसम्मत शासन कार्यक्रम, वकीलों और न्यायधीशों का प्रशिक्षण शामिल किया। विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश जैसे अन्य मसलों और मानवाधिकार पर दोनों पक्षों ने कहा है कि वे विचारों का आदान-प्रदान जारी रखेंगे। अमरीका और चीन ने तीन संयुक्त वक्तव्य जारी किए यथा : दक्षिणी एशिया, जैविकीय हथियार अभिसमय तथा कार्मिक रोधी भू-सुरंग पर वे एक-दूसरे के विरुद्ध नाभिकीय मिसाइलों को तैनात न करने पर सहमत हुए हैं।

दो संप्रभु राष्ट्रों के रूप में, अमरीका और चीन को यह देखना है कि वे किस प्रकार अपने संबंधों को निर्धारित करते हैं तथा द्विपक्षीय सहयोग को किस सीमा तक विकसित करने के इच्छुक हैं। तथापि, दक्षिण एशिया में शान्ति, स्थायित्व और सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायित्व का झूठा दावा करने के किसी देश/देशों के कोई भी प्रयास अस्वीकार्य हैं। द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय, सहयोग जो भारत के जायज सुरक्षा हितों को ध्यान में नहीं रखता है अथवा हमारे पड़ोस में सामूहिक विनाश के हथियारों के गुप्त प्रसार तथा आपूर्ति व्यवस्था के रिकार्ड को नहीं देखता है शान्ति, स्थायित्व अथवा सुरक्षा में कोई योगदान नहीं कर सकता है। हम चीन के साथ ऐसे संबंध कायम करने के इच्छुक हैं जिनमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति संवेदनशील रहें, यहां तक हम आपसी बातचीत के जरिए अनसुलझे मसलों का समाधान करने के प्रति वचनबद्ध रहे हैं।

दक्षिण एशिया का रुझान क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण की ओर अधिक है। हमने दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ परम्परागत रूप से निकट और सौहार्दपूर्ण संबंधों का लाभ उठाया है। पाकिस्तान के साथ, हम मैत्री, शान्ति और सहयोगी संबंध विकसित करने के प्रति वचनबद्ध हैं। शिमला समझौता बातचीत और सभी अनसुलझे मसलों के समाधान के लिए आधार प्रदान करता है। भारत-पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हम अस्वीकार करते हैं।

सरकार भारत के हितों को संरक्षित करने के लिए सजग रहती है और सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि जून में अमरीका के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया और चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की थी। वे सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम अमरीका का सम्मान करते हैं और वह भी हमारे देश की संप्रभुता को मान्यता देते हैं। चीन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण देश है। विश्व शान्ति के हित में इन तीनों देशों भारत, चीन और अमरीका के बीच आपसी सूझ-बूझ होनी चाहिए। परन्तु जब अमरीका और चीन में बातचीत हो रही थी तो विश्व के लोगों में ऐसा आभास दिया गया कि अमरीका चीन को अपने पड़ोसी देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी शह दे रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार गलत है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री और विदेश मंत्रालय ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह वक्तव्य उपयुक्त नहीं है। यहां तक की पूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता है। अमरीका के उप विदेश मंत्री यहां आए थे।

अध्यक्ष महोदय : डॉ० सुब्बारामी रेड्डी हम पहले ही प्रश्न काल के 15 मिनट गंवा चुके हैं। कृपया आप अपना प्रश्न सीधे ही पूछिए।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या आपने श्री टालबोट को भारत के लोगों की भावनाओं और अपनी सरकार की इच्छा से अवगत करा दिया है कि भारत और अमरीका के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए? क्या आपने उन्हें इस बात से अवगत करा दिया है कि अमरीका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संयुक्त वक्तव्य पर हमें घोर आपत्ति है? क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इसके लिए क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम रहे?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जहां तक अमरीका-चीन के वक्तव्य का संबंध है पिछले सप्ताह संसद में प्रधान मंत्री ने इस संबंध में बताया था। हमने इसकी कड़ी आलोचना की थी। हम आपसे इस संबंध में पूरी तरह सहमत हैं।

जहां तक जिम्मेदारी सौंपने का सवाल है हम किसी भी देश को इस प्रकार की जिम्मेदारी सौंपने के विचार को अस्वीकार करते हैं। इस

क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी देश को अकेले या संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपने को हम अस्वीकार करते हैं। ऐसा प्रभाव जमाने वाला दृष्टिकोण हमें पूर्णतया अस्वीकार्य है और हम इस संबंध में आपसे सहमत हैं।

जहां तक बातचीत का संबंध है श्री टालबोट कल इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। परमाणु परीक्षणों के पश्चात् अमरीका ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उसने पी-5 और जी-8 के देशों की बैठक बुलाई। उसके पश्चात् वातारवरण में सुधार हुआ है। हम व्यापक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह बात सबको समझाई जाए कि हमारा परमाणु परीक्षण करने का निर्णय हमारे सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं और हितों पर आधारित था।

भारत की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे और विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर चर्चा हुई थी। इस बातचीत के परिणामस्वरूप एक-दूसरे की चिन्ताओं और उनका समाधान करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में काफी कुछ स्पष्ट होकर सामने आया। बातचीत अभी भी चल रही है और अगली बातचीत अगस्त में वाशिंगटन में होगी।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : इस प्रश्न के संबंध में मेरा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इसका उत्तर दें। इस माह की 29 तारीख को एक ऐतिहासिक 'सार्क' सम्मेलन होने जा रहा है। यद्यपि मेरा प्रश्न चीन के विकास के संबंध में नहीं है, भारत के लोग और यह सम्माननीय सभा यह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री अपनी प्रतिभा दिखाएं और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के अच्छे परिणाम प्राप्त करें। हमें खुशी होगी यदि माननीय प्रधान मंत्री ऐसा भावनापूर्ण वक्तव्य दें कि वह अवश्य अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर निर्भर करती है। वास्तव में, भारत और पाकिस्तान के लोग हमेशा भाइयों और मित्रों के रूप में रहे हैं, उनके बीच स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं। लेकिन राजनीतिक, तार्किक, व्यवहारिक और कलात्मक रूप से दोनों में सदैव अन्तर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। अब मैं प्रो० कुरियन को बुला रहा हूं। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं माननीय प्रधान मंत्री से अपने प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूं कि प्रधान मंत्री 29 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ होने वाली बैठक के लिए वह क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है बल्कि यह उनकी बात का समर्थन करना है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० सत्यामूर्ति : महोदय, माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न अंग्रेजी में पूछा है इसलिए हम अंग्रेजी में ही उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री सत्यामूर्ति।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सार्क का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें मुझे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। हम आशा करते हैं कि जो सिलसिला रुक गया था, वह चालू हो जाएगा और दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे और मजबूत होंगे।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, यह बात सर्वविदित है कि चीन पाकिस्तान को छुपाकर परमाणु तकनीक की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। हालांकि इसके प्रमाण उपलब्ध हैं फिर भी अमरीका इसकी उपेक्षा कर रहा है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाल ही में चीन के राजदूत ने एक वक्तव्य दिया था कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि अमरीका का पाकिस्तान के प्रति उदार रवैया है और कल के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि वह पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की स्वीकृति दे रहा है। यह सब देखते हुए, ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमरीका चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ को बढ़ावा दे रहा है।

मेरे इस प्रश्न का पहला भाग यह है कि अमरीकी सहयोग से चीन और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार की सांठगांठ के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? यदि यह सच है तो पाकिस्तान और चीन के बीच अमरीका की सहायता से हो रही इस सांठगांठ के बढ़ते खतरे के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि सरकार सी.टी.बी.टी. के संबंध में सर्वसम्मत दृष्टिकोण बनाने के बारे में सहमत हो गई है; यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो कतिपय शर्तों के अध्यधीन मुझे सही कर सकते हैं। यदि आप इस सी.टी.बी.टी. पर सर्वसम्मत दृष्टिकोण को लचीला करने पर सहमत हो गए हैं तो कृपया पहले इस सदन को विश्वास में लें। यदि यहां कुछ शर्तें हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ये शर्तें क्या हैं। इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा हाल ही में हुई थी, और जिसे अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री टालबोट छोड़कर चले गए थे। इसलिए इस प्रश्न का मेरा दूसरा भाग यह है कि क्या आप सी.टी.बी.टी. पर सर्वसम्मत दृष्टिकोण को लचीला करने पर सहमत हो गए हैं, यदि हां, तो उनसे सम्बद्ध शर्तें क्या हैं?

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि कोई बात जो मेरे मन को विचलित कर रही है और मैं अन्य माननीय सदस्यों के बारे में भी सोच रहा हूं। हमारे अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक डॉ० चिदम्बरम को वीजा देने से मना कर दिया गया था। क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है? हमने अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भव्य स्वागत

किया था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को वीजा देने से इंकार कर दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे ही स्वीकार कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं।

मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं। मैं अपने प्रश्न के सभी तीनों भागों का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक में तीन प्रश्न हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जहां तक पहले प्रश्न, जो परमाणु और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों के लिए पाकिस्तान को चीन की सहायता से संबंधित है, का सवाल है हम पाकिस्तान को चीन की सहायता और पाकिस्तान के अस्त्र और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। हमने अपनी चिंता के बारे में उच्च स्तर पर चीन को अवगत करा दिया है। चीन ने कहा है कि वह न तो इसका समर्थन करता है और न ही अन्य देशों को परमाणु शस्त्रों का विकास करने से रोकेगा। चीन ने प्रक्षेपास्त्रों का विकास करने में पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में भी इंकार किया है। हम हथियारों की खरीद-फरोख्त और अस्त्र प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित पाकिस्तान के साथ चीन के सैनिक सहयोग में अत्यधिक पारदर्शिता देखना चाहते हैं।

दूसरा प्रश्न नई दिल्ली में चीन के राजदूत द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के बारे में है। हमने इसके बारे में स्पष्ट रूप से अपनी चिंता व्यक्त कर दी है और इसके बारे में चीन को अनेक स्तरों पर अवगत करा दिया है। सरकार की नीति चीन के साथ दोस्ताना संबंध, अच्छे पड़ोसी और परस्पर संबंध विकसित करने की है। वे हमारे सबसे बड़े पड़ोसी हैं। हम चीन के साथ अपने ऐसे संबंध चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगे और हम सभी बकाया मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से वार्ता प्रक्रिया बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।

जहां तक सी.टी.बी.टी. का संबंध है, भूमिगत परमाणु परीक्षणों के तत्काल पश्चात् सरकार ने आगे और परमाणु परीक्षण न करने के लिए स्वैच्छिक इकतरफा रोक लगाने की घोषणा की है। हमने इस घोषणा को विधिवत रूप देने की भी घोषणा कर दी है और इससे सी.टी.बी.टी. की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है। सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत सी.टी.बी.टी. की कुछ शर्तों का पालन करने पर विचार कर सकता है। तथापि, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूं ही हवा में यह कार्य नहीं किया जा सकता है और यह पारस्परिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसके आधार पर संभाषी चर्चाएं भी शुरू की गई हैं और ये अभी जारी हैं। हमने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हम सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे।

जहां तक डॉ० चिदम्बरम को वीजा देने से इंकार करने का संबंध है, यह संबंधित देशों के सम्प्रभू अधिकार का मामला है। सरकार वीजा देने से इंकार करने, विशेष रूप से जो वैज्ञानिक आदान-प्रदान और पारस्परिक प्रभाव के मार्ग में आते हैं, से संबंधी किसी लक्षित नीति से सहमत नहीं हैं, यह बात अमरीकी प्रतिनिधिमंडल को बता दी गई है। डॉ० चिदम्बरम अन्तर्राष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान संघ के उपाध्यक्ष हैं और वह उस संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जा रहे थे। हमें पता चला है कि इस क्रिस्टल-विज्ञान संघ ने भी डॉ० चिदम्बरम को वीजा देने से इंकार करने पर अपनी चिंता जताई है।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार जानती है कि क्या कुछ दिन पहले भारत में चीन के राजदूत ने एक साक्षात्कार के समय यह कहा था अक्साईचिन तार्किक रूप से चीन संबंधित है? मैं इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : वे इसका लम्बे समय से दावा करते रहे हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री वैको : अमरीका ने चीन द्वारा किए गए लोपनार परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा की है और उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीका ने चीन द्वारा थेनआनमन चौक कांड की मानवाधिकारों की हत्या के रूप में निंदा की है और चीन को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिए जाने को हास्यास्पद बताया है।

श्री क्लिंटन और श्री जियांग दोनों ने वक्तव्य देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देश दक्षिण एशिया अर्थात् कोरिया प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के पक्ष में हैं तथा दोनों देश दक्षिण एशिया में स्थायित्व लाने के लिए भी सहमत हैं। इसी आधार पर, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने, स्थायित्व और सुरक्षा रखने के लिए संयुक्त रूप से या अकेले दावे किए हैं। क्या यह लागू नहीं हुआ है और इससे पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमरीका और चीन दोनों दक्षिण एशिया में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने की योजना बना रहे हैं? मैं इस सरकार के संयुक्त वक्तव्य पर तत्काल प्रतिक्रिया करने तथा इसे पुरानी मानसिकता वाली और अधिनायकवादी बताने की प्रशंसा के रूप में, करता हूं। प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्यों पर हमारी नाराजगी प्रकट करने के लिए ताजा राजनयिक पहल और करारा कूटनीतिक जवाब देगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने अभी-अभी इस पर चर्चा की थी। यह हमें पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। मैंने अपने द्वारा की गई पहल का खुलासा कर दिया कि हमारे लिए चीन भी अमरीका जैसा ही है *(व्यवधान)*

श्री टी० गोविन्दन : महोदय, सबसे पहले तो मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं जानता कि सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेरे अनुपूरक प्रश्न का समर्थन किया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि भारत को चीन से धमकी के कारण पोखरण-II परमाणु विस्फोट करना पड़ा था।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इस पत्र को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके बारे में सभी को मालूम है। अब हम इस चरण से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारी अमरीका तथा चीन के साथ बहुत रचनात्मक वार्ता चल रही है *(व्यवधान)*

श्री तरित बरन तोपदार : ऐसा क्यों किया गया? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने डॉ० चिदम्बरम को वीजा देने से मना कर दिया, दूसरी तरफ आपने और आपकी पार्टी ने स्वदेशी आंदोलन बहुत चलाया है, मुझे इसकी खुशी है, क्योंकि हमारा यह शुरू से ही आंदोलन रहा है। अमरीका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और वह हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तहस नहस करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। वहां के डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत वाला नेता हमारे यहां आया है और भारत के बहुत बड़े नेता जसवंत सिंह जी से उसकी बातचीत हो रही है। अमरीका स्वदेशी आंदोलन को परेशान कर रहा है। आप हर चीज का मुकाबला करने का बयान भी दे चुके हैं। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनीज भारत में बिस्कुट बेच रही हैं, चिप्स बेच रही हैं और ठंडा पेय बेच रही हैं, क्या आप उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व रक्षा मंत्री से यह आशा करता था कि वे ऐसा सवाल पूछेंगे जो मुख्य सवाल से संबंधित होगा। अमरीका ने प्रतिबंध लगाए हैं और हम उन प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है, क्षमता-सम्पन्न देश है और किसी के दबाव में आकर अपनी नीतियां बदलने वाला नहीं है।

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना

+

•503. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को रोजगार देने की कोई नीति अपनाई है जिनकी जमीन तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के लिए अधिगृहित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने प्रभावित परिवारों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) प्रभावित परिवारों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पी ए नी) को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) में ''ग'' और ''घ'' वर्गों के पदों पर नई भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते कि वे चयन के मानदण्डों को पूरा करते हों। यदि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों में से पर्याप्त संख्या में व्यक्ति अपेक्षित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, तो इन श्रेणियों पर स्थानीय क्षेत्र से और जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की जाती है। इन सभी चैनलों के समाप्त होने के बाद ही खुले विज्ञापन द्वारा भर्ती करने का सहारा लिया जाता है। इस तरह की भर्ती के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण आदि के बारे में भारत सरकार की नीतियों का पालन किया जाता है। संविदा संबंधी सभी दस्तावेजों में एक खण्ड जोड़ दिया जाता है कि टी ए पी पी-3 और 4 के लिए तैनात किए गए और काम कर रहे ठेकदार रोजगार के लिए परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। सामान्यत: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और पुनर्वास पैकेजों का पालन किया जाता है।

(ग) ऐसे पांच प्रभावित परिवार हैं जिन्हें आज की तारीख तक रोजगार नहीं दिए गए हैं।

(घ) अभी हाल तक टी ए पी पी-3 और 4 परियोजना के लिए भर्ती किए जाने पर रोक थी। मुख्य संयंत्र पर कार्य शुरू हो जाने पर नई भर्ती की जाने की संभावना है। ऊपर उल्लिखित नीति में प्रभावित परिवारों के मामले को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किसी परियोजना के लिए जब जमीन का अधिग्रहण करती है, तब यह आश्वासन दिया जाता है कि हम जमीन के बदले जमीन देंगे या नौकरी देंगे। लेकिन जब जमीन ली जाती है, तो कहा जाता है कि ऐसे मापदंड हैं और हम नौकरी नहीं दे सकते। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संबंधित कानून या शर्तों में बदलाव करेगी कि जहां प्रकल्प बन रहा है, वहां प्रभावित परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दे सके? मेरा दूसरा सवाल है, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना में अब तक कितने परिवारों के व्यक्तियों को नौकरी दे दी गई है और कितने लोगों को नौकरी देना बाकी है तथा ये नौकरियां कब तक देंगे? आपने अपने उत्तर में लिखा है कि अगर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, तो ठेकेदारों के द्वारा नौकरी देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ठेकेदारों के बगैर प्रकल्प में नौकरी देने की आप क्या सुविधा देंगे?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न तीन बिन्दुओं पर केन्द्रित है—पहला, सरकार की पालिसी एम्पलायमेंट के बारे में क्या है, जिनकी जमीन तारापुर एटोमिक पावर प्रोजैक्ट में ली गई है; दूसरा, जिनको नौकरी दी गई है, उन अफैक्टेड पर्सन्स की संख्या क्या है और तीसरा, शेष लोगों को नौकरी कब तक दी जाएगी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एम्पलायमेंट शेड्यूल के अनुसार कैटेगरीज सी और डी की पोस्ट्स के लिए जो सिलैक्शन क्राइटेरिया है। इस बारे में उत्तर में विस्तृत जानकारी दी गई है, अगर अफैक्टेड पर्सन्स उस हिसाब से चलते हैं और ऐसे लोगों को तुरन्त रिक्रूट कर लिया

जाता है। आज के दिन 1.6 हैक्टेयर जमीन अभी ली गई है। सात फेमिलीज अफैक्टेड हैं और इनमें से दो को आलरेडी एम्पलायमेंट दे दिया गया है। नार्म्स के अनुसार एक फैमिली में से एक आदमी लिया जाएगा, जो कम्पलीट कर दिया है। जब पूरी जमीन ले ली जाएगी, तो सातों आदमियों को नौकरी दे दी जाएगी। जब पूरी जमीन ले ली जाएगी, तो जो फाइनली अफैक्टेड पर्सन्स करीब 1160 आदमी इन्वाल्व होंगे। सिलैक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं। एटोमिक पावर प्रोजैक्ट के आजू-बाजू 1.6 किलोमीटर रेडियस की जो जमीन है, वह एक्सक्लयुजिव जोन कहलाती है और यहां लोग बस नहीं सकते। इसके अलावा पांच किलोमीटर स्टर्लाइजेशन जोन होता है, उसमें भी लोग नहीं रह सकते। इस वजह से करीब 206 हैक्टेयर जमीन आखिर में ली जाएगी। अभी फर्स्ट फेज में 65 हैक्टेयर एडिशनल लैंड लेने की जरूरत है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग के यहां भूमि अधिग्रहण से संबंधित आवेदन जमा करा दिया गया है। अभी वे प्रोसैस हो रही है।

[हिन्दी]

जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, जो कैंडिडेट्स रिक्विजिट नार्म्स मीट करते हैं, पीएपी के, उन लोकल एरिया के लोगों को एम्पलायमेंट एजेंसी के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद ओपन एडवर्टिजमेंट के द्वारा लिया जाता है। जो क्लाज इन्सर्ट की गई है, वह मैंने आपको अभी बताई है कि कान्ट्रैक्टर्स भी पीएपी की फैमिलीज को प्रिफरैंस देंगे। इसके बाद मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार महाराष्ट्र सरकार को रिहैबिलिटेशन पैकेज में पूरी मदद करना चाहती है और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जहां तक पैसे का सवाल है, यह पहले ही एनपीसीआईएल के द्वारा सरकार के पास मौजूद है।

श्री विट्ठल तुपे : महोदय, मेरी मांग यह है कि किसी परियोजना के लिए जब जमीन ली जाए तो जो प्रभावित परिवार हैं हर परिवार से एक व्यक्ति को उसी परियोजना में नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वह मापदंड पूरा करे या न करे, आप इस बारे में क्या सुविधा कर सकते हैं? जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनकी जमीन आप ले रहे हैं, उनको आप कांट्रेक्टर के पास भेज रहे हैं। आपको पता है कि कांट्रेक्टर जब चाहे उन्हें निकाल देगा। उस समय उनके पास नौकरी नहीं रहेगी। आप ऐसे लोगों को परियोजना में शामिल करने के लिए क्या कर रहे हैं?

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, इस बात को सिद्धान्त रूप में सभी स्वीकार करेंगे कि परियोजना के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं उनके पुनर्वास का प्रबंध किया जाए, उन्हें उसी परियोजना में काम दिया जाए, सरकार की ऐसी नीति है, लेकिन कभी-कभी व्यावहारिक कारणों से ऐसा करना संभव नहीं होता। विशेषकर जो मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए उपयुक्त तरह का काम ढूंढना पड़ता है। ठेकेदारों से शर्त लगाई गई है कि आप परियोजना से हटाए गए लोगों को काम देंगे। ठेकेदारों से काम कराना पड़ता है, उसमें आप उनको बीच में निकाल नहीं सकते। उन्हें ठेकेदारों की दया पर नहीं छोड़ा जाएगा, प्रोजैक्ट उनकी पूरी चिन्ता करेगा और सबको कोई न कोई रोजगार या आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिनकी जमीन ले ली है उसके बदले में क्या सरकार उनको जमीन देने के लिए विचार करेगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह राज्य सरकार की परिसीमा में आ जाता है। एनपीसीआईएल की तरफ से उनको जो पैसा देने की जरूरत है वह हमने आलरेडी दे दिया है तथा उसको और पैसा भी देने की तैयारी में हैं। जिस तरीके से भी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, उस परियोजना को और रिहैबिलिटेशन पैकेज को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी।

श्री रामदास आठवले : महोदय, ऐसी परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीनें सरकार द्वारा ली जाती है, मगर आज रेट काफी कम है। मेरा यह पूछना है कि सरकार की तरफ क्या मार्केट रेट के मुताबिक उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार है या नहीं? इस संबंध में सरकार को निर्णय लेने की काफी आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार इस संबंध में समुचित कदम उठाएगी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त की बात है। यह एक योजना की बात नहीं है बल्कि बहुत सारी योजनाओं की बात है। जो लोग विस्थापित होते हैं उनके भविष्य का सवाल है और मैं समझता हूं कि वे लोग भी वैसे ही स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। वह अपनी जगह छोड़कर, अपने घर छोड़कर नई जगह जाते हैं, विस्थापित होते हैं, इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे नर्मदा की बात आ रही है वहां गड़बड़ होती है। राजस्थान में सूरतगढ़ के पास आपने थर्मल प्लांट लगाया लेकिन उन लोगों को जमीन नहीं मिली। मेरा कहना यह है कि अगर आप जमीन लेते हैं तो उसके बदले उससे अच्छी जमीन दें तब तो ठीक है, हम उनका मान करते हैं। आप इस प्रकार का सिद्धान्त बनाएं कि जिनकी जमीन आप लेंगे, जो विस्थापित होंगे, उनके लिए घरों का भी प्रबंध करेंगे और उनके जीवनयापन का भी प्रबंध करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो बहुत पीड़ा देती है। मैंने जहां भी देखा है यह बात बड़ी मर्माहत करने वाली बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसे सिद्धान्त तौर पर, एक पालिसी बनाकर करिए और जिन लोगों को आज तक जमीन नहीं दी गई उनको जमीन दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त रूप में तो यह बात पहले से ही स्वीकार की गई है कि जो लोग परियोजनाओं के कारण, विकास योजनाओं के कारण उजड़ते हैं, उन्हें फिर से बसाया

जाए। जमीन के बदले में उन्हें जमीन दी जाए, इस बात का भी प्रयत्न होता है और जाखड़ साहब स्वयं परिस्थितियों से परिचित हैं। कभी-कभी जमीन के बदले में जमीन देना संभव नहीं होता है, फिर वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर हम सभी मामलों में जमीन की जगह जमीन दे सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन व्यवहार में कठिनाई आती है और राज्य सरकारों को व्यवहार करना पड़ता है। मोटे तौर पर यह बात सही है कि जो लोग उजाड़े जाते हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष जी, जमीन दे भी देते हैं लेकिन उसका पट्टा नहीं देते हैं, उनको लटकाए रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : दिल्ली के अन्दर आपके समय में जाखड़ साहब 16 लाख रुपया एक आना गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। अब दिल्ली में 16 लाख रुपया एकड़ दिया जा रहा है।

श्री मोहन सिंह : आज तो उसका मार्किट रेट 3 करोड़ है।

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष जी, किसानों की जमीन जिन परियोजनाओं या उद्योगों के हेतु ली जाती है वे परियोजनाएं या उद्योग समय-सीमा में शुरू नहीं होते। गुजरात में कई परियोजनाएं या उद्योग शुरू करने के लिए किसानों की कीमती जमीनें ली गईं लेकिन जिस हेतु जमीनें ली गईं उस हेतु को बदल कर और उद्योग समय-सीमा में शुरू न होने के कारण बाद में वे जमीनें लोगों को ऊंचे दामों पर बेच दी गयीं। मेरा आग्रह है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनमें ठेकेदार कम समय के लिए नौकरी देते हैं। खैर, प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ठेकेदार शॉर्ट-टाइम के लिए नौकरी देते हैं और फिर ठेकेदार उनको नौकरी से निकाल भी देते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ठेकेदारों के बिना कम्पनी अपनी योजनाओं में डायरेक्ट नौकरी दे, इस विषय में क्या सारे देश की राज्य सरकारों को मंत्री जी कोई मार्गदर्शन देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने अभी-अभी इस मामले को सपष्ट कर दिया है। यह एक ऐसा मामला है जिसका राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध है। मुझे आशा है कि उन्हें इसकी सूचना भेज दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 504 प्रो० सैफुद्दीन सोज।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : यह परियोजना मेरे जिले से संबंधित है। मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली बार आपको अनुमति दूंगा।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : वह मेरे जिले से संबंधित नहीं होगा, तब उसका क्या लाभ होगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया स्थिति को समझें।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : इसका मेरे जिले के लोगों से सीधा संबंध है। आपको उस व्यक्ति को जिसका इस परियोजना से सीधा संबंध है, अनुमति देनी चाहिए। *(व्यवधान)*

जल प्रबन्धन

•504. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में जल संसाधनों को बढ़ाने तथा इसके उपयोग के लिए पूरे भारत में कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक कराया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में औसतन कुल जल संसाधन उपलब्धता सामान्य बनी रहती है। तथापि, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण ताजे जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एक राष्ट्र के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखें। वर्तमान पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। लेकिन इस संबंध में क्या हो रहा है? भारत में अत्यधिक जैव-विविधता की स्थिति है। इस संबंध में कोई कानून नहीं है। इस व्यापक प्रश्न को उठाने का अवसर नहीं आया है क्योंकि अभी अनेक लोग पर्यावरण और भारतीय समाज की भावी आवश्यकता से संबंधित प्रश्नों में रुचि नहीं दिखाते हैं।

जल संसाधनों के संबंध में मैंने प्रश्न पूछा है। उक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) मैंने यह पूछा है कि क्या जल संसाधन कम हो रहे हैं और उसके क्या कारण हैं।

प्रधान मंत्री ने मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बड़ी चतुराई से यह कहा है, "जी, हां। स्वच्छ जलीय संसाधनों में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण कमी हो रही है।" लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था "इसका अन्त:सम्बन्ध क्या है? कितना स्वच्छ जल कम हो रहा है और कम हो रहे स्वच्छ जल और जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के बीच अन्त:सम्बन्ध क्या है?"

मैंने पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में निजी तौर पर अपनी जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण किया था। मैं उस जानकारी को सभा के सामने

प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एक दशक के बाद, दिल्ली में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि यहां पीने के लिए पानी नहीं होगा और लोगों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। मुझे इस बात का पता नहीं है कि प्रवासी लोग दिल्ली से बाहर जाएंगे अथवा यहां पर मूल रूप से रह रहे लोग जाएंगे।

मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है : स्वच्छ जल और जनसंख्या वृद्धि व औद्योगिकीकरण के बीच क्या अन्तःसम्बन्ध है?

श्री सोमपाल : महोदय, माननीय सदस्य पर्यावरण और वन मंत्री रह चुके हैं और उनका प्रश्न स्वच्छ जल की उपलब्धता के बारे में है और जल संसाधनों में हुई कमी के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है। उन्होंने स्वयं भी इस संबंध में सर्वेक्षण किया है। जिस अन्तः- संबंध की वे बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य एक दृष्टि से सही हैं। सभी जल संसाधनों के संबंध में कोई राष्ट्रीय जल नीति तैयार नहीं की गई है। जल संसाधन मंत्रालय की जल नीति नदियों के प्रवाह तक ही सीमित है; घनधारा प्रबन्धन का मामला दो-तीन मंत्रालयों से संबंधित है; और जल को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संसाधित करने के लिए एक व्यापक जल नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

जहां तक स्वच्छ जल की उपलब्धता का प्रश्न है, वे सही कह रहे हैं। सन् 1955 में, भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5300 घन मीटर प्रति वर्ष थी, सन् 1997 में यह घटकर 2200 घन मीटर रह गई है और सन् 2025 तक इसके और घटकर 1500 घन मीटर रह जाने की संभावना है और जब हम जल की कमी की बात करते हैं तो 1500 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होने पर इसे इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। कुछ नदी तट क्षेत्रों, उनमें से कम से कम 6 नदी तट क्षेत्रों को कमी वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके लिए जल की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखते हुए एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

स्वच्छ जल के संसाधनों की कमी और शहरीकरण व औद्योगिकीकरण के बीच अन्तःसंबंध स्थापित करने के लिए अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री सोमपाल के रूप में माननीय प्रधान मंत्री को योग्य सहायक मिला है। अतः मैं अपने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के संबंध में उनसे एक अच्छे उत्तर की आशा करता था। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि इन जल संसाधनों में कैसे कमी हो रही है, अखिल भारत स्तर पर कोई सर्वेक्षण किया गया है। इसका उत्तर 'नहीं' दिया गया है। यह सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

क्या वजीरेआजम अपनी खूबसूरत हिन्दी में इसका जवाब देंगे? क्या वह भविष्य में भारत में हर जगह इसका सर्वे कराएंगे? यह हुकूमत पूरे भारत की हुकूमत है। दूसरे प्रान्तों में भी पीने के पानी की किल्लत है। वजीरेआजम अपनी खूबसूरत हिन्दी जुबान में इस देश को विश्वास दिलाएं कि वह इस बारे में क्या करने वाले हैं? इसका ऑल इंडिया सर्वे क्यों नहीं हो सकता? आपको यह देखना है कि भविष्य में कितनी आबादी बढ़ेगी, कितने कारखाने खुलेंगे, कितना अरबनाइजेशन होगा और कितनी फ्रैश वाटर की कमी होगी? वजीरेआजम इसका ऑल इंडिया सर्वे कराएंगे या नहीं?

کیا وزیر اعظم اپنی خوبصورت ہندی میں اس کا جواب دیں گے؟ وہ مستقبل میں بھارت میں ہر جگہ اس کا سروے کرائیں گے۔ یہ حکومت پورے بھارت کی حکومت ہے۔ دوسرے پرانتوں میں بھی پینے کے پانی کی قلت ہے۔ وزیر اعظم اپنی خوبصورت ہندی زبان میں اس دیش کو بھروسہ دلائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرنے والے ہیں؟ اس کا آل انڈیا سروے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کتنی آبادی بڑھے گی، کتنے کارخانے کھلیں گے، کتنا اربنائزیشن ہوگا اور کتنی فریش واٹر کی کمی ہوگی؟ وزیر اعظم اسکا آل انڈیا سروے کرائیں گے یا نہیں؟

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, सोज साहब ने हमारे प्रिय माननीय प्रधान मंत्री जी की सुन्दर हिन्दी सुनने की अभिलाषा प्रकट की है लेकिन मैं उतनी अच्छी हिन्दी बोल नहीं पाऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह बहुत मायूस हो गए हैं। आप इनकी बात पर गौर कीजिए।

श्री सोमपाल : मैं उतनी अच्छी हिन्दी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने हिन्दी में उत्तर सुनने की इच्छा प्रकट की है तो मैं हिन्दी में ही उत्तर देना चाहूंगा। यह बात सही है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया, परन्तु यह बात नहीं है *(व्यवधान)*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्यों नहीं किया गया? वजीरेआजम इसका विश्वास दिला सकते हैं। यह जरूरी बात है।

[**پروفیسر سیف الدین سوز** (بارہ مولا) : کیوں نہیں کیا گیا؟ وزیر اعظم اس کا بھروسہ دلا سکتے ہیں۔ یہ ضروری بات ہے۔]

श्री सोमपाल : मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र में जल कहां-कहां और किस रूप में उपलब्ध है, उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है और उसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी सतत् जल संसाधन मंत्रालय रख रहा है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस तरह की एक शृंखला स्थापित की गई है जिसमें जल से संबंधित आंकड़ों का अनुश्रवण निरंतर किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग देश में विभिन्न अन्तःराज्य नदियों के लगभग 570 प्रमुख जलीय परीक्षण केन्द्रों जिनमें 245 अवसाद परीक्षण केन्द्र शामिल हैं, इकट्ठे किए गए जल संबंधी आंकड़ों पर निगरानी रखता है। जल वर्ष 1992 के अन्त तक 215 स्थलों के संबंध में गेज और विसर्जन संबंधी आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसलिए हमारे पास सूचना उपलब्ध है। मैंने अनुमानित मांग तथा प्रति व्यक्ति अनुमानित जल उपलब्धता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और जल संसाधनों की कमी के बारे में जानकारी दी है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सके हैं और जिसे हम सन् 2025 तक भी प्राप्त न करने की स्थिति में हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नए सिरे से सर्वेक्षण कराने में क्या नुकसान है?

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अभी जो सतत् हो रहा है, उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन का संबंध कुछ लोगों का खाली बाथरूम तक और मुम्बई, दिल्ली तथा मद्रास तक लगता है लेकिन जल संसाधन का संबंध इस देश के गांव के किसानों की सिंचाई से भी है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन का सर्वेक्षण पूरे हिन्दुस्तान में भले ही न हो पाया हो कि कहां जल की सीमा नीचे जा रही है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है जो कि गंगा-यमुना का मैदान है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में आज सबसे कम उपज होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसी कोई योजना बनाई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान सबसे कम उपज दे रहा है जो उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से बिहार तक फैला हुआ है *(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने असिंचित जमीन को सिंचित करने की कोई योजना बनाई है, यदि बनाई हो तो वह योजना कब तक क्रियान्वित होगी?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, सिंचाई के लिए तीन विधाओं—वृहद् आकार की परियोजना, मध्यम आकार की परियोजना और लघु सिंचाई का विकास करने की योजना का प्रयोग किया गया है। जहां तक संभावना का प्रश्न है, भारत में जितने जल स्रोत उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से 113.5 मिलियन हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का प्रबंध किया जा सका है। जो वृहद् और मध्यम आकार की परियोजनाएं हैं, उनके माध्यम से 58.5 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न से संबंधित उत्तर नहीं है।

श्री सोमपाल : मैं बता रहा हूं कि जितनी परियोजनाएं अभी तक बनी हैं, वे सभी इन से संबंधित हैं। कुल 366 परियोजनाएं बनी हैं। जहां तक उत्तरी मैदान का सवाल है अर्थात् गंगा-यमुना के मैदान में सिंचाई दूसरे प्रान्तों की अपेक्षाकृत बेहतर है तथा यहां पर सिंचाई का विकास नहरों द्वारा, लघु सिंचाई विकास द्वारा और राष्ट्रीय जल पन-धारा विकास के द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय जल नीति अभी तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : कितनी आधे घण्टे की चर्चा कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव : जबकि एक ओर देश के कुछ भागों में जल की कमी है, वहां दूसरी ओर जल को बर्बाद भी किया जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जल की भी कमी है। उदाहरण के तौर पर गोदावरी नदी का 70 प्रतिशत जल बर्बाद हो रहा है। वस्तुतः पूर्व सरकारों ने नदियों को जोड़ने के बारे में विचार किया था। क्या सरकार का विचार गोदावरी को कृष्णा के साथ और गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने का है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, अंत:थाला जल अंतरण योजना तैयार की गई थी *(व्यवधान)* बता रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमपाल : दक्षिणी प्रायद्वीप में 17 नदियों और उत्तर प्रायद्वीप की 14 नदियों के संबंध में प्रारम्भिक तकनीकी संभाव्यता रिपोर्टें पहले ही तैयार कर ली गई हैं और उत्तर प्रायद्वीप की 6 और दक्षिणी प्रायद्वीप की 5 नदियों के संबंध में रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि संस्थान

***505. डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय ने अपने प्रयास से अनुसंधान के क्षेत्र में किसी विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त करने का श्रेय हासिल किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय का नाम क्या है और अनुसंधान के क्षेत्र में उसे मिली उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत में 28 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और चार मान्य (डीम्ड) विश्वविद्यालय हैं।

(ख) और (ग) हरित क्रांति का प्रवेश मुख्य रूप से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए योगदान के कारण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 1997-98 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 51 मिलियन टन से बढ़कर 193 मिलियन टन हो गया तथा फलों के उत्पादन के मामले में हम विश्व में प्रथम स्थान पर तथा सब्जी

के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का श्वेत और नील क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक राज्य कृषि विश्वविद्यालय देश की विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास, मूल्यांकन, परिष्कार और प्रसार के कार्य में शामिल रहा है। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रभाव संबंधी रिपोर्टों के आधार पर यह देखने में आया है कि लगभग इन सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, दालों, सब्जियों आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में क्षेत्रीय अनुसंधान की सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। काफी संख्या में फसलों की किस्में जारी की गई हैं तथा वर्तमान सस्य विज्ञान पद्धतियों में सुधार किया गया है। ऐसे संकेत हैं कि इन सिफारिशों में से अधिकांश को स्थानीय किसानों द्वारा अधिकाधिक अपनाया जा रहा है। बारानी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, पशु पोषण के लिए धान के पुआल, चारे और चरी की फसलों के उपयोग, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले नए उपकरणों का डिजाइन तैयार करने तथा मौजूदा उपकरणों में सुधार, चावल में जल प्रबंध तथा नदी कमान क्षेत्रों में जल के उचित वितरण, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और मूल्य-वर्धन, जैव प्रौद्योगिकी आदि संबंधित अनेक लाभदायक जांच-परिणाम प्राप्त हुए हैं।

प्रश्नों के

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान उपलब्धियों के कुछ उदाहरण

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने मोठ की आर एम ओ-40, ग्वार फली की एम-83 (सब्जी वाली), उड़द की आर बी यू-38, लोबिया की आर सी बी-7-(सब्जी वाली), कंगनी की एस आर-16, बाजरा की आर एच बी-90, कपास की आर बी 423 किस्में विकसित की हैं तथा जारी की हैं।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा देर से बुआई वाली बारानी खेती हेतु गेहूं की के-88, के-9107 (देवा), के-8962 (इन्द्र), धान की यूजर-1 तथा अश्वनी, ज्वार की वर्षा, तोरिया की भवानी, मूंगफली की चित्रा, कौशल तथा अम्बर, अलसी की नीलम तथा गौरव, मटर की रचना तथा शिखा, अरहर की टी-21 तथा टी-17, टमाटर की आजाद टी-3 तथा टी-1, तथा सब्जी वाली मटर की आजाद पी-1, पी-2 एवं पी-3 किस्में विकसित की गई हैं।

कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली ने अनाजों, दलहनों, तिलहनों, मसालों की अधिक उपज देने वाली कई किस्मों के साथ-साथ आम की पहली पार्थेनोकार्पिक संकर किस्म 'सिन्धु' तथा नियमित रूप से अच्छी क्वालिटी के फल देने वाली स्पंजी ऊतक से मुक्त आम की संकर किस्म 'रत्ना' विकसित की है। इसने काजू की अधिक उपज देने वाली तीन किस्मों अर्थात् वेनगुरला-4, वेनगुरला-5 तथा वेनगुरला-6 का विकास करके उन्हें जारी किया है। इसने व्यावसायिक पैमाने पर रोपण के उत्पादन कार्य में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अरहर की जे ए-3, सोयाबीन की जे एस 90-41 तथा जे एस 335, चने की जे जी-315 (डबल्यू आर) और कपास की जे के एच-1 तथा जे के एच-2 जारी की हैं।

इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने चावल की 'क्रांति', रुचि, अभय, श्यामला, महामाया, पूर्णिमा, माधुरी-9 तथा माधुरी-11, अलसी की आर-552, किरण तथा शीतल किस्में, मूंग की आर यू एम-1 तथा खेसरी दाल की आर एल एस-1, किस्में विकसित की हैं।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल ने चावल की सी ए यू राइस-1 तथा सी ए यू राइस-2 किस्मों का विकास किया है तथा सिगदा जल संभर में किसानों की सहभागिता के साथ एक मॉडल जल संभर प्रबंध प्रायोजना चलायी है।

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर ने देश में कपास की पहली अन्तःविशिष्ट वर लक्ष्मी संकर किस्म तथा सूरजमुखी की पहली संकर किस्म (बी एच एम-10) विकसित की है। इसने ब्रायलर पक्षी यू आर बी ओ-1 तथा 2 एवं आई बी बी-83 तथा तत्पश्चात द्वि-उद्देशीय गिरिराज पक्षी की नस्ल को विकसित तथा जारी किया है। इसके द्वारा औषधीय पौधों पर किए गए कार्य को भी व्यापक मान्यता मिली है।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आकस्मिक तौर पर फसल की रोपाई हेतु चावल की 'गौतम' तथा 'प्रभात' एवं 'तुरन्त' किस्मों की शुरूआत की है। इस विश्वविद्यालय ने आलू की पिछेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्में 'राजेन्द्र-1' तथा 'राजेन्द्र-2' विकसित की हैं तथा हल्दी की राजेन्द्र सोनिया किस्म भी निकाली है। इसके द्वारा अरहर, मक्का तथा फलों पर किया गया कार्य भी प्रभावशाली रहा है।

केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई ने भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ रोग के नियंत्रण के लिए उपायों के साथ-साथ झींगा पालन हेतु तकनीकों तथा समुद्री मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है।

डॉ० वाई० एस० परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन ने हिमाचल प्रदेश में कीवी पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इसने सेब, आड़ू तथा खूबानी के अधिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां भी विकसित की हैं। मधुमक्खी पालन से संबंधित कार्य से शहद के निर्यात की संभावनाओं का पता चला है।

सी० सी० एस० हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने गेहूं, चावल, तिलहन, चारे, कपास तथा दलहनों की कई किस्में विकसित की हैं। भैंसों में तन्तुपटीय हर्निया के मामलों के उपचार के लिए सर्जिकल तकनीकें विकसित की गई हैं। इसके द्वारा खजूर ताड़ पर ऊतक संवर्धन के बारे में किया गया कार्य काफी महत्वपूर्ण है।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने चावल, गेहूं, दलहन तथा गन्ने की कई किस्में विकसित की हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा पारिस्थितिकी के अनुकूल और पारिस्थितिकी की रक्षा करने वाली प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं जिससे निर्वाह के लिए कृषि के स्थान पर कृषि व्यावसायिक कृषि में परिवर्तित आम की गहन रोपाई के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं तथा चावल-गेहूं सस्य पद्धति के लिए जीरो टिलेज सीड ड्रिल का विकास किया गया है।

उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने पहली बार उड़ीसा में काजू उगाने की तकनीक विकसित की है तथा किसान इस प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। जल प्रबंध के लिए विकसित तकनीकों से जल के संरक्षण तथा जल उपयोग कुशलता को अधिकाधिक बढ़ाने में सहायता मिली है। इसके द्वारा सब्जियों तथा फलों पर किए गए कार्य को भी बहुत मान्यता मिली है।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर ने खुरपका तथा मुंहपका रोग तथा अन्य रोगों के लिए टीके विकसित किए हैं। पशु उत्पादन की बढ़ोत्तरी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान, करनाल ने दूध तथा दूध-उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। डेरी जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य को भी विकसित किया गया है। मवेशियों की नई नस्लें भी विकसित की गई हैं।

तमिलनाडु पशु-चिकित्सा तथा पशु विश्वविद्यालय, चेन्नई ने उभरने वाले सूक्ष्म जैविक प्रोटोजोन तथा परजीवी रोगों का पता लगाने के लिए नैदानिक किट विकसित किए हैं। इसने मछली के रोगों के नियंत्रण के लिए भी प्रौद्योगिकी विकसित की है। जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में संश्लेषित टीकों का विकास करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर ने पोक्काली कृषि स्थिति के लिए लवणीय स्थितियों के लिए उपयुक्त वाईटिला-3 (कल्चर 4-4) चावल किस्म तथा कुट्टानद कृषि दशाओं के लिए पावीझाम और कार्तिका किस्में जारी की हैं। इसके अतिरिक्त बागानी फसलों तथा मछली एवं मुर्गी पालन और सुअर पालन के लिए भी प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर ने बारानी दशाओं के लिए टमाटर की पाइयूर-1 संकर (पूसा रुबी × को-3) तथा बारानी दशाओं के तहत उच्च सघन रोपण के लिए उपयुक्त पेनीयार-1, छोटी सघन कैनोपी से भरपूर आम की पाइयूर-1 बौनी किस्म जारी की है। इसके द्वारा कपास, गौण मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियों पर किए गए कार्य को भी किसानों द्वारा सराहा गया है। फलों तथा बागानी फसलों पर किए गए कार्य को भी व्यापक मान्यता दी गई है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने गेहूं, चावल, मक्का, तिलहन तथा दलहनों की कई उच्च उपज देने वाली किस्में जारी की हैं। इसने सामान्य खेती के लिए लाल गलन रोग प्रतिरोधी गन्ने की उन्नत किस्में को-जे-84 तथा को पी-211 भी जारी की हैं। शरद ऋतु में गन्ने की रोपाई, राया/आलू/सर्दी के मौसम की मक्का/गेहूं के साथ अन्त:फसल तथा चीनी उद्योग के अपशिष्ट उत्पाद 'खोई' का उपयोग जैसी उन्नत विधियों की शुरूआत की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने गेहूं की अधिक उपज देने वाली 50 से ज्यादा किस्में विकसित की हैं। इनमें मुख्य किस्में कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका तथा एच डी-2329 हैं। इस समय एच डी-2329 किस्म सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगायी जाती है। हरित क्रांति लाने में इस संस्थान द्वारा प्रमुख भूमिका निभायी गई है। इसके मूल कार्य के फलस्वरूप नीम से जैवनाशी-जीवनाशी औषधी का विकास हुआ है। इसने सरसों, ब्रासिका जुनेसिया में 'पूसा जय किशन' के रूप में व्यावसायिक कृषि के लिए एक सोमाक्लोन बायो-902 जारी किया है। कीट प्रतिरोधिता के लिए बंदगोभी, भूलगोभी, टमाटर तथा बैंगन में बी टी जीन की शुरूआत की गई है।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषी नगर ने उन्नत बाजरा, मक्का, चारा, कपास, मूंगफली तथा बीड़ी के तम्बाकू की उन्नत किस्में जारी की हैं। इसने दीसा अनुसंधान केन्द्र में आलू के वास्तविक बीज (टी पी एस) को उगाने के लिए भी तकनीक विकसित की है। विश्वविद्यालय ने कृषि वानिकी तथा औषधीय पौधों पर भी कार्य किया है।

आचार्य एन० जी० रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने रबी के मौसम के लिए अधिक उपज देने वाली चमकीली हलके काले रंग की उड़द की चूर्णी फफूंदी प्रतिरोधी किस्म एल बी जी-17 का विकास किया है। इसने चावल की मौजूदा महसूरी किस्म के बेहतर विकल्प के रूप में स्वर्ण (एम टी यू-7029) किस्म भी जारी की है।

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट ने पंकज तथा स्थानीय फ्लेटिंग राइस नेधेरीबाओं के संकरण द्वारा डीप वाटर राइस के तीन अधिक उपज वंशक्रम (एल पी आर 96-10, एल पी आर 95-2 तथा एल पी आर 56-49) विकसित किए हैं। बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए दो अल्पावधि किस्में लुइट तथा कापिली विकसित की गई हैं। यह संस्थान चाय अनुसंधान तथा प्रसंस्करण पर तथा फलों एवं सब्जियों पर भी अच्छा कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां

***506. श्री महेश कनोडिया :**
डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष इनका वार्षिक कारोबार कितना रहा;

(ग) क्या सरकार इन कंपनियों को शीतागारों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मंजूर किए गए (i) विदेशी तकनीकी सहयोगों तथा (ii) विदेशी निवेश सह-तकनीकी सहयोगों (इक्विटी के स्तर का ध्यान रखे बिना) की कुल संख्या 689 है। ऐसे अनुमोदन का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लेकिन, ऐसी कंपनियों के वार्षिक कारोबार से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) और (घ) मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु प्रशीतन पूर्व कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतीत ढुलाई आदि जैसी फसलोत्तर कोल्डचेन बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और सहकारिताओं को सहायता उपलब्ध है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मंजूर किए गए (i) विदेशी तकनीकी सहयोगों तथा (ii) विदेशी निवेश सह-तकनीकी सहयोगों (इक्विटी के स्तर का ध्यान रखे बिना) का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	संख्या
1991-92	7
1992-93	53
1993-94	136
1994-95	148
1995-96	127
1996-97	129
1997-98	79
कुल	689

[अनुवाद]

छोटे और सीमांत कृषक

*507. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे और सीमांत किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए छोटे और सीमांत किसानों की विशिष्ट समस्याएं किस सीमा तक हल हुई हैं; और

(ग) इन छोटे और सीमांत किसानों की दशा सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नवीनतम कृषि संगणना (1990-91) के अनुसार, छोटी और सीमांत जोतों की संख्या क्रमशः 20.1 तथा 63.4 मिलियन है।

(ख) और (ग) सरकार छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान देते हुए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ करके, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए कृषि में चहुंमुखी विकास हासिल करने के लिए प्रयास करती रही है।

इस समय, बहुत-सी ऐसी स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष घटकों पर विशेष रियायतें/राजसहायता दी जा रही हैं। इनमें छिड़काव और टपका सिंचाई प्रणालियों, उन्नत कृषि उपकरणों, फसल बीमा, ऋण, भूमि समतलन तथा भू-जल विकास के संबंध में राजसहायता/रियायतें देने की स्कीमें शामिल हैं। छोटे किसान कृषि व्यापार परिसंघ की स्थापना से भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय और रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

*508. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो 'मास्टर प्लान' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या 'मास्टर प्लान' के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च को अद्यतन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधन के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल संसाधनों का एकीकृत विकास करना शामिल है।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने तीन भागों में मास्टर योजनाएं तैयार की हैं अर्थात् ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा के लिए मास्टर योजना भाग-I बराक नदी और इसकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजना भाग-II और ब्रह्मपुत्र की 39 सहायक नदियों और त्रिपुरा की आठ नदियों के लिए मास्टर योजना भाग-III, मास्टर योजना भाग-I और भाग-II केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं और उन्हें अपनाने के लिए राज्यों को भेजा गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा भाग-III के लिए उप-बेसिन मास्टर योजना का मसौदा संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

(ग) और (घ) मास्टर योजनाएं भाग (I) और (II) के कार्यान्वयन में होने वाला व्यय वर्ष 1994 तक अद्यतन किया गया है और यह क्रमशः 91,000 करोड़ रुपये और 4,230 करोड़ रुपये है।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा इन मास्टर योजनाओं के अल्पकालीन घटकों का चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना आयोग द्वारा उन्हें आवंटित योजना निधियों में से किया जा रहा है।

तिलहनों संबंधी अनुसंधान

•509. **श्री अमरपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहनों के अनुसंधान तथा विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस समय देश के विभिन्न तिलहन संस्थानों में अनुसंधान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इनके परिणामों का ब्यौरः क्या है;

(घ) क्या तिलहनों के अनुसंधान तथा विकास के संबंध में कोई दीर्घकालिक नीति बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली, तोरिया-सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, अलसी, तिल, रामतिल और अरंडी जैसी 9 तिलहनी फसलों पर अनुसंधान के लिए योजनागत बजट के तहत 2376.44 लाख और गैर-योजनागत बजट के तहत 853.17 लाख रुपए की राशि उपलब्ध की गई थी। विस्तृत ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

इसके अलावा प्रजनक बीज उत्पादन और अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों के लिए देश के भिन्न-भिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जरिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा 1750 लाख रुपए की राशि उपलब्ध की गई।

महत्वपूर्ण निवेशों की खरीद के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादक कार्यक्रम के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 26788 लाख रुपए की राशि उपलब्ध की गई है। यह राशि लागत को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के आधार पर दी गई (विवरण-II)।

(ख) जी, हां। तिलहनी फसलों में सुधार करने के लिए जिन केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं वे हैं—तिलहन, अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद; राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधाान केन्द्र, जूनागढ़; राष्ट्र सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर और राष्ट्रीय तोरिया-सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर। इसके अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक केन्द्रों में काम कर रही भिन्न-भिन्न तिलहनी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं में भी अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है।

(ग) भिन्न-भिन्न तिलहनी फसलों में किए गए गहन अनुसंधान के परिणामस्वरूप अनेक समुन्नत किस्मों और संकरों का विकास किया गया है और उन्हें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में बोने के लिए जारी किया गया है।

उन्नत किस्मों की अधिक-से-अधिक उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त फसल उतपादन और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया गया है।

गत एक दशक के दौरान इन अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप तिलहन का कुल उत्पादन दुगने से भी ज्यादा हो गया है अर्थात् 1986-87 में जो उत्पादन 11.27 मिलियन टन था वह 1996-97 में बढ़कर 24.96 मिलियन टन हो गया है (विवरण-III)।

(घ) और (ङ) दीर्घकालीन लक्ष्य हैं—उन्नत उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के जरिए से तिलहनों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विपणन एवं भंडारण सुविधाएं स्थापित करना। नौ परंपरागत तिलहनी फसलों के अलावा चावल की भूसी, बिनौले, वृक्ष मूल के तिलहनों और तेल-ताड़ जैसे अपरंपरागत तिलहनों को उगाकर उनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

बदल रही फसल प्रणाली, बढ़ रहे रोगों और नाशीजीवों के काम्पलैक्सों, गुणवत्ता के प्रति चिंता, कटाई के बाद की समस्याओं, विश्व बाजार में प्रतियोगिता इत्यादि के मामले में तिलहन उत्पादन में नई और उभर रही प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सभी तिलहनी फसलों के लिए वर्ष 2020 तक की दीर्घकालीन भावी योजनाएं तैयार की गई हैं।

आगामी 20-25 वर्षों में संभावित भावी विश्व परिवेश को ध्यान में रखते हुए भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधान के प्रबलित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

ऐसा समझा जाता है कि बढ़ी हुई फसल तीव्र के कारण नाशीकीट, नाशीजीव कैम्पलैक्स के भविष्य में और अधिक गंभीर होने की संभावना है। इसलिए जैव नियंत्रण विधियों, जैव नाशीजीवनाशियों के उपयोग और उपयुक्त फसल प्रणाली विधियों को अपनाकर प्रभावी समेकित नाशीजीव प्रबंध विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भविष्य में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। इसलिए सूरजमुखी, तिल, अरंडी और कुसुम जैसी फसलों में श्रेष्ठ संकरों के विकास को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

किस्मों को गंभीर रोगों और नाशीजीवों के प्रति उच्च स्तर की प्रतिरोधिता के साथ सुरक्षित करने के लिए तिलहनी अनुसंधान पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाता रहेगा।

श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पादों और मूल्यसंवर्धित उप-उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। तिलहनी फसलों के तेल और तेलमिल की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से विशेष नेटवर्क प्रायोजना तैयार की गई है। देश में तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मध्य से दीर्घकालीन, तेलताड़ जैसी वार्षिक तिलहनी फसलों की क्षमता की पहचान की गई है ताकि इसे प्रोत्साहित किया जा सके। तेलताड़ पर मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान को तेज करने के लिए आठवीं योजना के दौरान इलुरु, आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए सन् 1983 में राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड तिलहनी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नए क्षेत्रों के विकास में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन के अग्रज के रूप में कार्य करता है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन अनुसंधान के लिए उपलब्ध धन (रुपए लाखों में)

संस्थान/अ०भा०स०अ०प्रा०	1995-96		1996-97		1997-98		कुल	
	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत
तिलहन अनुसंधान निदेशालय और तिलहन पर अ०भा०स०अ०प्रा०	141.16	101.99	161.58	134.99	469.56	190.00	772.30	426.98
राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	79.99	66.08	91.87	71.34	92.37	99.11	264.23	236.53
मूंगफली पर अ०भा०स०अ०प्रा०	57.22	–	53.20	–	57.17	–	167.59	–
राष्ट्रीय तोरिया और सरसों अनुसंधान केन्द्र	74.06	–	69.44	–	92.00	82.61	235.50	82.61
तोरिया और सरसों पर अ०भा० स०अ०प्रा०	57.62	–	58.19	–	58.97	–	174.78	–
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	91.79	28.38	99.44	37.98	49.54	40.69	240.77	107.05
सोयाबीन पर अ०भा०स०अ०प्रा०	28.35	–	27.49	–	55.00	–	110.84	–
तिलहन पर संकर अनुसंधान	56.18	–	59.41	–	55.12	–	171.35	–
ए०पी० सेस फंड	22.88	–	65.08	–	151.12	–	239.08	–
कुल	609.25	196.45	685.70	244.37	1080.85	412.41	2376.44	853.17

विवरण-II

विकास प्रक्रियाओं के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध धन (रुपए लाखों में)

उद्देश्य	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
प्रजनक बीज उत्पादन और अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शनों के लिए भा०कृ०अ०प० को दिया गया धन	920	330	500	1750
तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को	9400	8469	8919	26788
कुल	10320	8799	9419	28538

विवरण-III

तिलहनी फसलों का अखिल भारतीय क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

वर्ष	क्षेत्र (मि०है०)	उत्पादन (मि०टन)	उपज (कि०ग्रा०/है०)
1	2	3	4
1985-86	19.02	10.83	570
1986-87	18.63	11.27	605
1987-88	20.13	12.65	629
1988-89	21.90	18.03	824
1989-90	22.80	16.92	742
1990-91	24.15	18.61	771
1991-92	25.89	18.60	719
1992-93	25.24	20.11	797
1993-94	26.90	21.50	799
1994-95	25.30	21.34	843
1995-96	26.35	22.43	851
1996-97	26.81	24.96	931

एम० वी० करामात

*510. **श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुबई से इराक जाते हुए दुबई स्थित नौवहन कंपनी का 'एम० वी० करामात' नामक एक जहाज, चालक दल के पांच सदस्यों सहित जिनमें कुछ केरलवासी भी थे, गायब हो गया था;

(ख) क्या सरकार ने चालक दल के भारतीय सदस्यों के गायब होने के पीछे रहस्य का पता करने के लिए कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त जांच का कार्य अभी किस स्थिति में है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार, जांच कार्य 'इंटरपोल' को सौंपने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) सरकार को मई, 1997 में 'एम० वी० करामात' नामक जहाज के कुछ माह पूर्व खाड़ी क्षेत्र में लापता हो जाने की खबर मिली थी जिसमें कथित रूप से भारतीय कर्मीदल के 5 सदस्य सवार थे। तब से लेकर सरकार ने लापता जहाज तथा इसके भारतीय कर्मीदल दोनों को खोजने के हर संभव प्रयास किए हैं। इस मामले को खाड़ी देशों की सरकारों, अमरीकी सरकार तथा बहरीन आस्थानी बहुराष्ट्रीय अवरोधन बल के साथ उठाया जाता रहा है। जहाजरानी कंपनी के वे प्रतिनिधि भी इन प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो इस जहाज और इसके कर्मीदल को खोजने का स्वयं प्रयास कर रहे हैं।

अब तक की जांच से पता चला है कि 5 भारतीय तथा एक ईरानी कर्मीदल के सदस्यों को ले जाने वाला एक एम० वी० 'थानी-1' जहाज, जो एम वी करामात के नाम से भी जाना जाता है, 16 नवंबर, 1996 को संयुक्त अमीरात के अजमन बंदरगाह पर ईरान से पहुंचा था और यह जहाज 28 दिसंबर, 1996 को कार्गो के साथ प्रकट रूप से अजमन बंदरगाह से इराक के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद न तो उस जहाज और न उसके कर्मीदल के सदस्यों को देखा गया है।

लापता जहाज और उसके कर्मीदल के सदस्यों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए खाड़ी देशों की सरकारों और बहरीन आस्थानी बहुराष्ट्रीय अवरोधन बल से सहायता मांगी जा रही है।

भूमि की उर्वरा शक्ति

***511. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के किसानों द्वारा भूमि में उर्वरकों का अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग किए जाने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षरण से बचाने हेतु कोई विशिष्ट कार्यवाही की है; और

(ख) देश के पूर्वी क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर कम उपज के क्या विशिष्ट कारण देखे गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में उर्वरकों का अत्यधिक उपभोग हो रहा है। चूंकि भारत में उर्वरकों का उपभोग आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी एवं उत्पादकता में वृद्धि के अनुकूल है, अत: कृषि वैज्ञानिक उर्वरक पोषकों को अधिक मात्रा के उपयोग की सिफारिश करते हैं।

भारत में 1997-98 के दौरान नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाशियम के संदर्भ में औसत उर्वरक उपभोग 87.45 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। अन्य देशों से तुलना करने पर पता चलता है कि उर्वरक का उपभोग पाकिस्तान (113 कि०ग्रा०), बांग्लादेश (135 कि०ग्रा०), नीदरलैंड (543 कि०ग्रा०) एवं चीन (371 कि०ग्रा०) में काफी अधिक है।

सरकार ने समेकित पोषण प्रणाली को प्रोत्साहन दिया है एवं फॉसफेट तथा पोटाश उर्वरकों को बड़ी मात्रा में रियायतें दी हैं जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के उपयोग में संतुलन बेहतर हुआ है।

देश के कुछ पूर्वी राज्यों में कम उत्पादकता के कई कारण हैं जो निम्नवत् हैं–

(1) फसलों की मानसून पर निर्भरता एवं अधिक आर्द्रता की स्थिति में क्षति।

(2) निम्नवर्ती क्षेत्रों में अपवाह समस्या जिससे फसलों का चुनाव सीमित हो जाता है एवं उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने से बाधा आती है।

(3) विशेषत: समस्याग्रस्त क्षेत्रों जैसे वर्षा सिंचित उच्चभूमि, निम्नभूमि, लवणीय-क्षारीय भूमि एवं तटीय लवणीय भूमि में फसल की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का धीमी गति से लोकप्रिय हो पाना।

(4) अधिक खतरे वाले बाढ़ एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों में उर्वरक उपभोग का कम होना।

(5) विशेषकर निम्नभूमि, जलप्लावित एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में प्रायोगिक पोषकों की निम्न उपभोग दक्षता।

(6) विशेषकर खरीफ मौसम फसलों, यानि चावल एवं अन्य खाद्यान्नों को कीटकृमि आक्रमण एवं अन्य रोगों के कारण भारी क्षति होना।

दालों का उत्पादन

***512. श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री डी० एस० अहिरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संबंध में दालों के उत्पादन रुझानों तथा घरेलू आवश्यकता की मात्रा, किया गया वास्तविक आयात तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान किए जाने वाले संभावित उत्पादन एवं आयात की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने हेतु कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) विशेष पैकेज को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई/विचाराधीन नई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) हमारी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उत्पादन के संबंध में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। योजना आयोग द्वारा गठित 9वीं योजना संबंधी कार्यदल के अनुसार, आठवीं योजना के अंत में अर्थात् 1996-97 के दौरान घरेलू आवश्यकता 15.50 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात इस प्रकार रहा–

वर्ष	दालों का आयात (लाख मी०टन में)
1995-96	4.91
1996-97	6.54
1997-98	6.59

नौवीं योजना संबंधी कार्यदल ने भी नौवीं योजना के अंत अर्थात् 2001-02 के लिए उत्पादन 19.5 मिलियन मीटरी टन होने का पूर्वानुमान लगाया है। आयात के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाए गए हैं जो मांग और पूर्ति पर निर्भर करेंगे।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष उपाय किए गए हैं अर्थात् उन्नत बीजों का उत्पादन और वितरण, राइजोबियम कल्चर तथा फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया का उपयोग, समेकित कृमि प्रबंध, उन्नत कृषि उपकरण तथा सिंचाई के लिए छिड़काव यंत्रों का उपयोग। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उत्पादन 1992-93 के 12.82 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1996-97 में 14.46 मिलियन मीटरी टन हो गया।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दालों के लिए अनुसंधान और विकास के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया निवेश 2022 लाख रुपये था।

(ङ) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दालों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने तथा पैदावार के वर्तमान स्तर को इष्टतम बनाने के लिए दोहरी कार्यनीति तैयार की गई है। क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत, शुद्ध फसल उगाने के अतिरिक्त, अन्य फसलों के साथ दालों की संयुक्त और अंतर-फसल, नये और गैर-परंपरागत क्षेत्रों में कवरेज, ग्रीष्म मौसम में सिंचित स्थितियों में दालों की खेती की जा रही है। पैदावार को अधिकतम बनाने के लिए, उन्नत बीजों का उपयोग, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए अधिक निवेश, राइजोबियम कल्चर/पी.एस.बी. का उपयोग, सल्फर का उपयोग, एन०पी०बी० के उपयोग के जरिए अरहर और चने में 'पाड-बोरर' पर नियंत्रण तथा छिड़काव यंत्रों के जरिए रबी दलहनों में फसल रक्षक सिंचाई आरंभ की गई है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(च) दलहन फसलों में वैज्ञानिक अनुसंधान में उन्नति, वैज्ञानिकों एवं साहित्य का आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण के लिए अर्ध-शुष्क ट्रापिक्स के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र, सीरिया और अन्तरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए आस्ट्रेलियन केन्द्र, आस्ट्रेलिया जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा जाता है। इस समय आस्ट्रेलिया के सहयोग से एक मसूर तन्त्र परियोजना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में चल रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहनों के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7.50	7.71	7.80	7.68	7.50	5.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	–
3.	असम	0.80	0.57	0.65	0.68	0.60	0.73
4.	बिहार	9.00	5.61	8.37	6.13	8.40	6.66
5.	गोवा	0.05	0.05	0.05	0.08	0.10	–
6.	गुजरात	7.00	4.57	6.95	6.63	6.20	7.81
7.	हरियाणा	7.00	4.12	5.35	3.43	5.05	4.40
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0.10	0.15	0.11	0.14	0.33
9.	जम्मू व कश्मीर	0.30	0.16	0.25	0.17	0.24	0.22
10.	कर्नाटक	6.40	6.88	6.95	6.69	7.80	4.85
11.	केरल	0.30	0.15	0.40	0.15	0.30	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	31.00	30.98	34.95	37.15	35.00	33.76
13.	महाराष्ट्र	20.00	16.39	22.49	20.37	22.00	13.81
14.	मणिपुर	0.12	—	0.12	—	0.12	—
15.	मेघालय	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	—
16.	नागालैंड	0.03	0.12	0.04	0.11	0.13	—
17.	उड़ीसा	11.30	4.31	5.20	2.99	7.00	3.84
18.	पंजाब	1.50	0.84	0.95	0.81	0.95	0.97
19.	राजस्थान	16.50	14.56	16.50	18.76	17.50	19.08
20.	सिक्किम	0.10	0.06	0.13	0.06	0.10	—
21.	तमिलनाडु	50.00	2.33	6.06	4.10	3.55	3.91
22.	त्रिपुरा	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	—
23.	उत्तर प्रदेश	28.70	21.89	24.90	26.64	25.25	22.31
24.	पश्चिम बंगाल	2.00	1.41	1.50	1.56	1.70	1.73
25.	अ०न० द्वीप समूह	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	—
26.	दिल्ली	—	0.03	0.02	0.01	0.01	—
27.	अन्य	—	0.14	0.08	0.14	0.18	0.53
	कुल	155.00	123.09	150.00	144.59	150.00	130.75

विखंडनीय सामग्री का उत्पादन बंद करने संबंधी संधि

*513. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने विखंडनाय सामग्री के उत्पादन को बंद करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए वार्ताओं में भाग लेने के भारत के निर्णय का स्वागत किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संधि पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तब से और क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) विखंडनीय पदार्थ कटौती संबंधी संधि पर बातचीत शुरू करने संबंधी करार करने के उद्देश्य से निरस्त्रीकरण पर 61 सदस्यीय सम्मेलन में परामर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

*514. **श्री थावर चंद गेहलोत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा तथा बायोगैस संबंधी अनुसंधान तथा विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा तथा बायोगैस के क्षेत्र में सरकार की विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के संवर्धन के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सरकार द्वारा कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और उद्योगों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है। अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों और डिजाइनों का विकास करना और सौर ऊर्जा उत्पादों की लागत में कमी लाना है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कई सौर ऊर्जा उपकरणों का विकास और वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ है।

बायोगैस प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों में, देश की सात संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं :

(i) निम्न और उच्च तापमान पर बायोगैस का कुशलता से उत्पादन।

(ii) पत्तीदार बायोमास आधारित बायोगैस संयंत्रों पर क्षेत्र-परीक्षण।

(iii) विष्ठा आधारित संयंत्रों में पैथाजींस की उपस्थिति।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के आर्थिक राज सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1995-96 से 1997-98

की अवधि के दौरान 1.42 लाख सौर लालटेन, 40,000 घरेलू रोशनी प्रणालियां, 195 कि०वा० समग्र क्षमता के लघु विद्युत संयंत्र और 1876 सौर पंप लगाए गए हैं। सौर जल तापक और सौर कुकर खरीदने के लिए उदार ऋण योजना आरंभ की गई है। सौर तापीय प्रणालियों के संस्थागत उपयोगकर्त्ताओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से एक अन्य योजना आरंभ की गई है। विभिन्न शहरों में दस सौर दुकानें खोली गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1,30,000 वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक और लगभग 87,000 सौर कुकर लगाए गए हैं। पांच राज्यों में 610 कि०वा० क्षमता की नौ ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना—राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 5.24 लाख से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए गए। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान देश में लगभग 970 सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र लगाए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से बायोगैस प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों की खास बातें हैं :

(i) पत्तीदार बायोमास को प्रोसस करने के लिए प्लग फ्लो टाइप डाइजेस्टर का विकास;

(ii) फैरो-सीमेंट के बने हुए कम लागत के स्थिर डोम बायोगैस संयंत्र को डिजाइन करना; और

(iii) वर्मी-कम्पोस्टिंग में पाचित स्लरी के इस्तेमाल के लिए प्रक्रिया का विकास।

(ग) देश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चुनिंदा ब्लॉकों में कार्यान्वित किए जा रहे एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य आई आर ई पी ब्लॉकों में अक्षय ऊर्जा विकल्पों पर विशेष बल देते हुए विभिन्न ऊर्जा विकल्पों के सर्वाधिक लागत प्रभावी मिश्रण के माध्यम से जीवन-निर्वाह एवं विकास हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। देश के 860 ब्लॉकों तक आई आर ई पी का विस्तार किया गया है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*515. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :**
श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाली उन विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो भारत के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन कंपनियों के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि देश में विदेशी मत्स्यन जहाज/मत्स्यन पोतों द्वारा अतिक्रमण बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विशेषकर गोवा में ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारतीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में कोई भी विदेशी कंपनी काम नहीं कर रही है। तथापि, नौ भारतीय कंपनियों को पट्टे पर गहरे समुद्र में 37 विदेशी मत्स्यन जलयान चलाने की अनुमति दी गई है जिसमें से 19 मौजूदा समय में कार्यरत हैं। इन कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पट्टाधारी जलयानों का संचालन भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) अधिनियम, 1981, उसके अधीन नियमों/आदेशों तथा परमिटों के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होता है।

(घ) और (ङ) गोवा सरकार तथा तटरक्षक संगठन दोनों ने सूचित किया है कि विदेशी मत्स्यन जलयानों/ट्रावलरों द्वारा अतिक्रमण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तटरक्षक जहाज तथा वायुयान विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित गश्त लगाते हैं। चेन्नई, मुम्बई तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय तटरक्षक मुख्यालय भी ई०ई०जैड० में मछली मारने/अनधिकृत मत्स्यन को रोकने के लिए कस्टम तथा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के समन्वय से विशिष्ट ऑपरेशन चलाते हैं।

विवरण

18-7-1998 की स्थिति के अनुसार पट्टे के अधीन संचालित वैध परमिटों तथा जलयानों की संख्या

क्रम सं०	कंपनी	वैध अनुमोदन (जलयानों की संख्या)	कार्यरत जलयान
1.	मैसर्स पोर्ट ब्लेयर मनीष-ए-ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	10	3
2.	मैसर्स श्रीकुमारन फिशरीज, चेन्नई	4	शून्य
3.	मैसर्स सोविन सी फूड्स प्रा०लि०, नई दिल्ली	2	2
4.	मैसर्स अंडमान मैरीन प्रोडक्ट्स डिवलपमेंट कंपनी, पोर्ट ब्लेयर	3	3
5.	मैसर्स बालाजी सी फूड्स, विशाखापत्तनम	2	शून्य
6.	मैसर्स अंडमान फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	3	3
7.	मैसर्स शिमला मैरीन, नई दिल्ली	1	शून्य
8.	मैसर्स ए०के० इंटरनेशनल, नई दिल्ली	5	1
9.	मैसर्स मून मैरीन इंडिया, चेन्नई	7	7
	कुल :	37	19

[हिन्दी]

सहकारी दुग्ध समितियां

*516. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एक लाख नई ग्रामीण सहकारी दुग्ध समितियां खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सहकारी समितियां गठित की गई हैं; और

(ग) कितनी सहकारी समितियों का अभी गठन किया जाना है तथा शेष समितियां कब तक गठित कर ली जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ग) सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) अब तक कुल 82,384 समितियां बनाई गई हैं।

[अनुवाद]

जलाशय

*517. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से जलाशय योजनाओं के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों (4/95 से 30-6-98 तक) के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग में 23 जलाशय स्कीमें प्राप्त हुई थीं। इनमें से तीन परियोजनाएं अर्थात् वेलीगोंडा परियोजना (आंध्र प्रदेश), मेवात नहर परियोजना (हरियाणा) और सीना कोलेंगाव (महाराष्ट्र) यह अनुरोध करते हुए राज्य सरकारों को लौटा दी गई थीं कि वे केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिपोर्टें तैयार करें। शेष रिपोर्ट जांच के विभिन्न चरणों में हैं जिसमें तीन परियोजनाएं अर्थात् कार परियोजना (महाराष्ट्र), धनरागोथ परियोजना (उड़ीसा) और गरारदा परियोजना (राजस्थान) भी शामिल हैं जो जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार करने योग्य पाई गई हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा की गई टिप्पणियों की अनुपालना के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए समय पर निर्भर करती है।

अमरीकी सीनेटरों का भारत का दौरा

*518. **श्री मोहन रावले** :
डॉ० सरोजा बी० :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी सीनेट के दो सदस्यीय दल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके भारत के दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या अमेरिका के उन सीनेटरों को यह बता दिया गया है कि अमेरिका के प्रशासन की चीन संबंधी नीति में भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। निकटस्थ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से संबद्ध सीनेट विदेश संबंध उप-समिति के अध्यक्ष अमरीकी सीनेटर साम ब्राउनबैक तथा रैंकिंग सदस्य चार्ल्स राब 28 से 30 जून, 1998 तक भारत की यात्रा पर आए। सीनेटरों ने प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्रालय में विचार-विमर्श किया।

(ख) सीनेटरों ने बताया कि उनकी इस यात्रा का प्रयोजन भारत सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करना और स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने यह भी बताया कि अमरीकी कांग्रेस ग्लेन संशोधन के तहत प्रतिबंधों के मामले को उठाना तथा अमरीकी कानून में और अधिक लचीलापन लाना चाहती है।

(ग) सीनेटरों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई जिनमें भारत-अमरीकी द्विपक्षीय संबंध और भारत की सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं। उस संदर्भ में उनका ध्यान पाकिस्तान तथा चीन के बीच लगातार चल रहे नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र सहयोग की ओर आकर्षित कराया गया। उनका ध्यान अमरीका-चीन के 'दक्षिण एशिया से संबद्ध संयुक्त वक्तव्य' के प्रत्युत्तर में सरकार की प्रतिक्रिया की ओर भी आकर्षित कराया गया। सरकारी प्रवक्ता के वक्तव्य में संयुक्त वक्तव्य के प्रस्ताव को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अस्वीकार्य बताते हुए स्पष्ट रूप से अस्वीकृत किया है।

(घ) भारत से लौटने पर दोनों सीनेटरों ने इस यात्रा के दौरान अपनी बैठकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाद में 16 जुलाई, 1998 को दोनों सीनेटरों ने अन्य के साथ अमरीकी सीनेट में एक संशोधन रखा जो अमरीका के राष्ट्रपति को ग्लेन संशोधन के कुछ उपबंधों को एक वर्ष की अवधि के लिए टालने का प्राधिकार प्रदान करता है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

*519. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है जो सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब करते हैं और उन्हें लंबित रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की अनुमानित लागत बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर बिहार में ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित न किए जाने के कारण लंबित हैं;

(घ) क्या इन सबके बावजूद इन राज्यों की नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनके अपने संसाधनों से किया जाता है।

परियोजना के पूर्ण होने की अवधि, उसके आकार, भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियां आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आवंटित निधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। बिहार सहित पूरे देश में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकांश परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) से (ङ) जी, हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान 13 वृहद तथा 13 मध्यम परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुग्ध योजनाएं

*520. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही दुग्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक गांव में इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बिहार में इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों में किन-किन स्थानों पर ये योजनाएं शुरू की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :

(1) ऑपरेशन फ्लड–1996 में पूरी हो चुकी है।

(2) गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

(3) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 77,000 से अधिक सहकारी समितियां गठित की गई हैं। ऑपरेशन फ्लड जिलों में जो गांव छूट गए थे, उन्हें नई प्राथमिक डेयरी सहकारिताएं नामक योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) बिहार में, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत पटना, नालंदा, बेगुसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, रोहताश, भोजपुर, गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगरिया, पूर्वी चंपारन, सीतामढ़ी, सरन, सिवान तथा गोपालगंज को शामिल किया गया था। इसके अलावा जमशेदपुर, बोकारो तथा रांची को दुग्ध विपणन के लिए शामिल किया गया था जहां प्रसंस्करण सुविधाएं सृजित की गई थीं।

एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चम्पारन, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरिरिया, देवगढ़, गोड्डा, गिरिडीह, दुमका तथा मधुबनी जिले तथा कैमूर शमिल हैं।

डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत पटना तथा रांची में हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार का डेयरी विकास के लिए निम्नलिखित तीन नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :

(1) सहकारिताओं को सहायता

(2) नई प्राथमिक डेयरी सहकारिताएं

(3) विद्या डेयरियां।

जिन स्थानों पर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा उन्हें तथा अन्य ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आरक्षण का प्रतिशत

*521. **प्रो० जोगेन्द्र कवाडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 2 जुलाई, 1997 को सभी मंत्रालयों/विभागों को अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आरक्षण के प्रतिशत को कम करने के लिए आदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

शीतल पेय

5058. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शीतल पेय उद्योग के संबंध में कोई गहन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्पादित शीतल पेयों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां शीतल पेय का उत्पादन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित शीतल पेयों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ङ) क्या शीतल पेय उत्पादक इकाइयों में रोजगार क्षमता के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान शीतल पेयों का अनुमानित उत्पादन निम्न अनुसार है :

1996-97	–	4450 मिलियन बोतल
1997-98	–	4920 मिलियन बोतल

(ग) जी, हां।

(घ) तीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में शीतल पेयों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। केवल दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही सीधे शीतल पेयों का उत्पादन कर रही हैं। इन कंपनियों द्वारा तैयार किए गए शीतल पेयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

विवरण

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार शीतल पेयों के ब्यौरे

1. ब्रिटको फूड्स कंपनी लिमिटेड (कोका कोला की एक पूर्ण स्वामित वाली अनुषंगी कंपनी)	1996-97 716222 (केन के केस) 2693680 (पेट् बोतलों के केस	1997-98 2301433 (केन के केस) 6235692 (पेट् बोतलों के केस)
2. पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लि०	1996 38663000 (केस)	1996 45222000 (केस)
3. केड्वरी स्विप्स	ये शीतल पेय सीधे तैयार नहीं कर रहे हैं।	

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादक

5059. **श्री रामशकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इन किसानों के लिए सरकार ने किन-किन शीर्षों के अंतर्गत सहायता प्रदान की थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार 1995-96 से गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के सतत् विकास से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम के तहत होने वाला व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकांशतया 75 : 25 के आधार पर वहन किया जाता है।

इस स्कीम के अंतर्गत किसानों के प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, बीज उत्पादन, फार्म उपकरणों/ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आपूर्ति, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं की स्थापना, ऊष्मा उपचार संयंत्रों आदि के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

5060. **श्री अजय कुमार एस० सरनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितनी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को पूरा किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया था तथा वास्तव में इसे कितना प्राप्त किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सिंचाई क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने के लिए प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं (*) तथा पूरी की गई सिंचाई परियोजनाएं

क्र० सं०	मद	इकाई	वृहद	मध्यम	ईआर एम**	कुल
(1)	आठवीं योजना में पूरा किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं	संख्या	38	100	45	183
(2)	आठवीं योजना में पूरी की गई परियोजनाएं (अनंतिम)	संख्या	10	30	9	49

(*) लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के कार्यों के ब्यौरों का रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा न किए जाने के कारण ऊपर उल्लिखित सिंचाई परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

(**) ईआरएम = विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई स्कीमों द्वारा सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(1)	आठवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य	15.80 मिलि० हेक्टे०
(2)	आठवीं योजना के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (अनंतिम)	8.35 मिलि० हेक्टे०
(3)	आठवीं योजना के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग (अनंतिम)	7.84 मिलि० हेक्टे०
(4)	आठवीं योजना के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता के संबंध में उपयोग का प्रतिशत	93.8 प्रतिशत

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

5061. **श्री चन्द्रशेखर साहू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) द्वारा विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने हेतु क्या मौजूदा मानदंड अपनाए गए हैं।

(ख) क्या अनुदान भौगोलिक अथवा अन्य आधार पर प्रदान किया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि विश्वविद्यालयों को राज्यवार प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विकास संबंधी अनुदान के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं :

(i) शैक्षणिक कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता पर आधारित बुनियादी सहायता।

(ii) विद्यार्थियों के दाखिले की क्षमता।

(iii) प्रस्तावित कार्यक्रमों की संख्या।

(iv) राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। अकेले राज्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

(v) संबंधित राज्य सरकारों से अनुपातिक सहायता।

(vi) शैक्षणिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा शैक्षणिक कैलेंडर का नियमन।

(vii) शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण।

(viii) गठित समितियों द्वारा मांगों का मूल्यांकन।

(ix) प्रत्यायन मंडल से मिलने वाला मार्गदर्शन।

(ख) जी, नहीं। उपरोक्त (क) में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार 33 कृषि विश्वविद्यालयों (राज्य कृषि विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय) को प्रदान/जारी किया गया अनुदान

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	राज्य तथा विश्वविद्यालय का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**				
	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)-500030	—	146.00	85.00	231.00
2.	**असम**				
	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, (असम)-785013	88.76	—	270.00	358.76

1	2	3	4	5	6
3.	**बिहार**				
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार)-848125	20.24	30.00	70.00	
4.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (बिहार)-834006	—	146.74	95.00	361.98
5.	**गुजरात**				
	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, बनासकंठा (गुजरात)-385506	128.86	56.04	85.00	269.90
6.	**हिमाचल प्रदेश**				
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)-176062	80.00	64.00	62.00	
7.	डॉ० वाई० एस० परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश)-173230	81.00	77.26	99.00	463.26
8.	**हरियाणा**				
	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)-125004	73.00	35.00	71.00	179.00
9.	**जम्मू एवं कश्मीर**				
	सर्दी के मौसम के दौरान (नव० से अप्रैल)				
	शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, जम्मू तवी (जम्मू एवं कश्मीर)-180004	10.00	108.78	80.00	198.78
	गर्मी के मौसम के दौरान (मई से अक्तूबर)				
	शेरे-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शालीमार परिसर, पोस्ट बॉक्स-262, श्रीनगर-191001				
10.	**केरल**				
	केरल कृषि विश्वविद्यालय वेल्लानिकारा, त्रिशूर (केरल)-680654	57.83	15.24	70.00	143.07
11.	**कर्नाटक**				
	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पो०वै० सं०-2477 बंगलौर (कर्नाटक)-560065	17.93	49.31	80.00	337.60
12.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक-580005	24.99	105.37	60.00	

1	2	3	4	5	6
13.	**महाराष्ट्र**				
	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली (महाराष्ट्र)-415712	18.61	56.71	75.00	
14.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी (महाराष्ट्र)-431722	66.45	49.80	72.00	
15.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी, महाराष्ट्र-413722	55.00	30.53	68.00	668.35
16.	डॉ० पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला (महाराष्ट्र)-431402	85.25	33.95	57.00	
17.	**मध्य प्रदेश**				
	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)-482004	90.00	115.36	108.00	
18.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, रायपुर (मध्य प्रदेश)-492012	43.67	36.28	69.00	462.31
19.	**उड़ीसा**				
	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)-751003	221.00	—	70.00	291.00
20.	**पंजाब**				
	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना-141004	—	57.00	70.00	127.00
21.	**राजस्थान**				
	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002	39.25	51.00	150.00	240.25
22.	**तमिलनाडु**				
	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)-641003	17.93	57.69	55.00	
23.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास (तमिलनाडु)-600007	15.00	61.00	60.00	266.62
24.	**उत्तर प्रदेश**				
	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)-208002	78.22	—	63.00	
25.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर (उत्तर प्रदेश)-263145	62.00	49.70	95.00	460.92
26.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)-224001	—	58.00	55.00	

1	2	3	4	5	6
27.	**पश्चिम बंगाल**				
	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पो०आ० कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नादिया (प०बं०)-741252	45.10	153.55	61.00	344.65
28.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगाछिया, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)-37	—	25.00	60.00	
29.	**मानद विश्वविद्यालय**				
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001	80.00	25.00	48.00	
30.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012	8.00	25.00	32.00	
31.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122	25.00	25.00	30.00	381.90
32.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, सात बंगला, वरसोवा, मुम्बई-400062	20.90	25.00	38.00	
33.	**केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय**				
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर)-795001	300.00	360.00	500.00	1160.00
	कुल योग :				**6946.30**

[अनुवाद]

तितलागढ़ सिंचाई परियोजना

5062. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उड़ीसा की तितलागढ़ सिंचाई परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए 31 मार्च, 1998 तक कितनी धनराशि जारी की गई तथा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए दी गई धनराशि का प्रयोग राज्य में अन्य परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) तितलागढ़ सिंचाई परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 6.03 करोड़ रुपये है।

(ख) मार्च, 98 तक इस परियोजना पर प्रत्याशित व्यय 4.47 करोड़ रुपये है।

(ग) केन्द्र को उड़ीसा सरकार द्वारा निधियों को किसी अन्य परियोजना में लगाने के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम

5063. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान बिहार में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम का कोई आकलन किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से राज्यवार कितनी अतिरिक्त सहायता मांगी गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 की अवधि के दौरान बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण संलग्न है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम को सन् 1975 में प्रारंभ किया गया था और तब से इसका दो बार पुनर्निर्धारण हो चुका है—पहली बार 1982 में एवं उसके पश्चात् वर्ष 1986 में। तथापि जब भी आवश्यकता होती है, इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आवंटन अलग से नहीं किया जाता है, क्योंकि बीस सूत्री कार्यक्रम राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना एवं गैर योजना दोनों स्कीमों की मदों से संबंधित है।

विवरण

1996-97 और 1997-98 के दौरान बिहार में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति

मद सं.	मद नाम	इकाई	1996-97			1997-98		
			लक्ष्य	उप०	उप०	लक्ष्य	उप०	उप०
01ख	जवाहर रोजगार योजना	संख्या	48925000	46002000	94	54664000	53304000	98
05क	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड़	3300	1841	56	3720	1087	29
07क	पेयजल समस्या (गांव/मोहल्ले)	संख्या	17621	12673	72	16487	13714	83
08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी)	संख्या	40	0	0	40	0	0
08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी एच सी)	संख्या	150	0	0	150	0	0
08घ	बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो एवं बीसीजी)	संख्या	3018000	1371047	45	3025100	1077158	36
09ग	ए०बा०वि०सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	323	323	100	323	323	100
09घ	आंगनवाड़ी (संचयी)	संख्या	31164	21980	71	31164	21980	71
11क	अनु०जा० के परिवारों को सहायता	संख्या	240000	165584	69	240000	113654	47
11ख	अनु०ज०जा० के परिवारों को सहायता	संख्या	126000	78768	63	126000	93797	74
14ग	इंदिरा आवास योजना	संख्या	151453	133125	88	109982	103506	94
14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास	संख्या	4200	0	0	4200	2542	61
14ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	2100	0	0	2100	220	10
15	गंदी बस्तियों का सुधार	संख्या	11000	1295	12	16000	2350	15
16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	50000000	7850000	16	50000000	11033000	22
16ख	शामिल क्षेत्र-सार्व० एवं वन भूमि	हेक्टेयर	40000	9296	23	4000	5315	13
19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	325	38	12	330	7	2
19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	1300	1065	82	1700	746	44
19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	60000	20294	34	20000	2878	14
19घ	बायो-गैस संयंत्र	संख्या	2815	682	24	1500	930	62

[अनुवाद]

केरल में सूखा

5064. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल के अनेक जिले हाल ही में सूखे से प्रभावित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केरल राज्य को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 537.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार से कुछ और सूचना देने का अनुरोध किया गया है ताकि उनके अनुरोध पर विचार किया जा सके। इस सूचना की अभी भी प्रतीक्षा है।

वर्ष 1998-99 के लिए आपदा राहत कोष के अधीन राज्य को 61.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्य को तत्काल स्वरूप के राहत कार्य करने के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 23.04 करोड़ रुपये पहले ही निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

बंगला देश के साथ व्यापार

5065. श्री बाबू बन रियान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने बंगला देश के साथ सीमा व्यापार शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर बंगला देश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्च, 1997 में संपन्न भारत-बंगला देश संयुक्त आर्थिक आयोग (जे ई सी) की 5वीं बैठक में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमा के निकट चुने हुए स्थानों से भारत और बंगला देश के क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों के व्यापार के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया तथा दोनों पक्ष सीमा व्यापार की रूपात्मकताओं की जांच करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ दल गठित करने के लिए सहमत हुए।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं

5066. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक श्रेणी 'घ' परीक्षा, 1996 में बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति जाली हस्ताक्षर के तर्क पर रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उम्मीदवारों के हस्ताक्षर की जांच करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी सफल उम्मीदवारों को जल्द-से-जल्द नियुक्ति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा कब तक यह कार्य कर लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) जी, नहीं। मात्र तीन संदिग्ध अभ्यर्थियों के मामले उपयुक्त सरकारी एजेंसी को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं।

(ङ) सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव, प्रयोक्ता कार्यालयों द्वारा नियुक्ति-पूर्व आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जारी किया जाता है।

लघु/छोटी जल-विद्युत परियोजनाएं

5067. श्री गिरिधर गमांग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने लघु और छोटी जल-विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच आरंभ की है और इस परियोजना को मंत्रालय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और यह कहां-कहां स्थित हैं और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के अनुमोदन और वित्त के लिए और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम को अनुमति है;

(ङ) अभी तक अनुमोदित परियोजनाओं की सूची क्या है; और

(च) शेष परियोजनाओं को कब तक अनुमति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने 109 लघु पन बिजली (3 मेवा० क्षमता तक के) संभावित स्थलों की पहचान की है जिनकी समग्र क्षमता 67.95 मेगावाट है। उन्होंने इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल की है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अब तक पूंजी आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार से प्राप्त 8 परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) राज्य सरकार ने 15 मई, 1998 को माइको, मिनी एवं लघु पन बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए अपनी नीतियों की घोषणा की है। नीति के अनुसार, राज्य में लघु पन बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र को अनुमति दी जाती है।

राज्य सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से निजी/संयुक्त क्षेत्र को लघु पन बिजली स्थलों का विकास करने के लिए पेशकश की है। पेशकश प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं का आवंटन/अनुमोदन किया जाएगा।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की पूंजी आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत उड़ीसा में परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता, किवा०	अनुमानित लागत लाख रु० में
1.	अंधारीभांगी	सुबर्णापुर	1 × 325	97.51
2.	बडानाला	रायगढ़	2 × 325	208.77
3.	हराभांगी	गाजापटी	2 × 1000	526.56
4.	बिरीबटी	कटक	2 × 325	266.12
5.	केन्दुपतना	केन्द्रापाडा	2 × 250	285.16
6.	बारबोरिया	कटक	2 × 325	353.92
7.	पोटेरू-I	कोरापुट	1 × 3000	407.09
8.	पोटेरू-II	कोरापुट	1 × 3000	410.09

इराक पर हमला

5068. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा हाल ही में इराक के कतिपय स्थानों पर किए गए हमलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बसरा के निकट इराक के गैर उड़ान दक्षिणी क्षेत्र में गश्त लगाते समय अमरीकी एफ-16 विमान के साथ ब्रिटिश टोरनाडो विमान ने अपनी कॉकपिट इंसट्रूमेंटशन पेनल से यह देखा था कि उन्हें इराक के राडार ने रोशनी से भ्रामित किया था और जमीन से हवा में मार करने वाले एफ० एस० ए०-3 प्रक्षेपास्त्र ने उनका पीछा किया था। साथ में चल रहे एफ-16 विमान ने, जिसने उसका पीछा किया था, राडार स्थल पर एक उच्च गतिशील राडार-रोधी प्रक्षेपास्त्र दागा था। यू०के० अमरीका के सभी विमान अपने अड्डे पर लौट आए थे और गैर उड़ान क्षेत्र के ऊपर और गश्त लगाने का काम सामान्य रूप से जारी रहा।

(ग) और (घ) भारत का मानना यह है कि इराक को सामूहिक विनाश के हथियारों का पता लगाए और उन्हें समाप्त करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के संगत प्रस्ताव का अनुपालन करना चाहिए और मतभेदों को दूर करने के लिए बल प्रयोग का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से संबद्ध देशों के प्रमुख नेताओं को अवगत करा दिया गया है और इसे सभी उपयुक्त मंचों पर दोहराया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की लंबित योजना

5069. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु उत्तर प्रदेश की लंबित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग के पास उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर आई० ए० एस० अधिकारी

5070. डॉ० असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में आई०ए०एस० अधिकारियों को गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से केन्द्रीय मंत्रालयों के बाहर विभिन्न सरकारी संस्थानों/संगठनों में प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उनके वहां रुकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों की सेवाओं को उन कार्यालयों में नियमित भी किया जा सकता है, जहां इस समय वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी, सरकार के स्वामित्व के अधीन विभिन्न संस्थानों/संगठनों में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। ये नियुक्तियां, प्रत्येक पद के संबंध में निर्धारित भर्ती-नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। यदि नियम, किसी पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान करते हों अथवा ऐसी नियुक्ति किए जाने की इजाजत देते हों और यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का नियुक्त किया जाना समीचीन और लोक-हित में समझा जाए तो ऐसी नियुक्ति

कर दी जाती है। किसी संगठन में, ऐसे पद पर नियुक्त किए गए भा०प्र०से० के किसी अधिकारी के कार्यकाल और उक्त संगठन में उक्त अधिकारी के स्थायी तौर पर अमेलन-संविलयन की संभावना सहित अन्य सेवा शर्तें, संबंधित पद को विनियमित करने वाले भर्ती-नियमों में विहित प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती हैं।

नेफेड में प्रबंधन चुनाव

5071. श्री माधव राव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ के प्रबंधन के चुनाव स्थगित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नेफेड के चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के निदेशक बोर्ड के कुछ सदस्यों ने अभ्यावेदन दिया था कि दिनांक 24-5-1998 को होने वाला बोर्ड का चुनाव अवैध था क्योंकि इसमें नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

इन अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद चुनाव को स्थगित कर देने का फैसला लेना पड़ा ताकि नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जा सके।

(ग) अब नेफेड के निदेशक बोर्ड का चुनाव 22-8-1998 को होगा।

विदर्भ क्षेत्र के लिए पैकेज

5072. श्री मुकुल वासनिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ कपास उत्पादक संघर्ष समिति ने सरकार से इस क्षेत्र के किसानों की फसल नष्ट होने तथा भारी कर्ज के कारण विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विदर्भ कपास उत्पादक आंदोलन समिति ने माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित अपने पत्र में, बार-बार ओलावृष्टि होने और लंबे समय तक बेमौसमी वर्षा होने के परिणामस्वरूप लगातार दो फसलें लगभग पूरी तरह नष्ट होने के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का उल्लेख किया तथा पुरानी बकाया रकम पर ब्याज माफ करने और नए ऋण देने आदि के बारे में अनुरोध किया था।

आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर फसल की क्षति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए बहुत से उपायों का एक पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं--

(1) बैंक ऋणों का पुनर्निधारण।

(2) दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि ऋण के मूलधन या उस पर ब्याज की वसूली न करना तथा इन दो वर्षों के दौरान एकत्रित न हुई धनराशियों को सात वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

(3) हाल ही में जिला स्तरीय समिति द्वारा संशोधित वर्धित वित्तीय पैमानों पर नई फसलों के लिए बैंकों द्वारा ऋण का तत्काल वितरण।

(4) जो छोटे और सीमांत किसान ब्याज की विभेदक दरों की योजना के तहत पात्र हैं उनके लिए ब्याज दर घटाकर चार प्रतिशत करना।

(5) पुनर्निर्धारित ऋणों के संबंध में कोई चक्रवर्ती ब्याज न लगाना, दाण्डिक ब्याज न लगाना तथा यदि कोई दाण्डिक ब्याज लगाया गया हो तो उसे माफ करना।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से अन्य राज्यों में जहां ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं, इसी प्रकार की राहत/रियायत देने का अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने की सूचना दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना

5073. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 35 परियोजनाओं के भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए बिमल जालान की अध्यक्षता में कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल को जो परियोजनाएं दी गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या इस पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अंतिम रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 35 परियोजनाओं के भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए डॉ० बिमल जालान की अध्यक्षता में कोई पैनल गठित नहीं किया है। तथापि, सरकार ने सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है जो निम्नलिखित मदों के संदर्भ में परियोजनाओं की नियमित रूप से जांच करती है--

(1) केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी परियोजनाएं जो प्रगति करने में अक्षम हैं, को छोड़ देना/बंद करना या निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के प्रस्तावों पर विचार।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र की 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं जो कि 8वीं योजना अवधि में पूरी की जानी थीं परंतु जिनका कार्यकाल 9वीं योजना तक बढ़ गया है उनकी प्राथमिकता पुन: निर्धारित करना।

[हिन्दी]

हिन्दी का ज्ञान

5074. श्री रामचन्द्र बैंदा :
डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को हिन्दी का मूल ज्ञान है;

(ग) इनमें से कितने कर्मचारी मूलरूप से कम-से-कम 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करते हैं;

(घ) यदि उपरोक्त 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विदेश मंत्रालय के मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों में 4438 अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय के सभी अधिकारियों को हिन्दी का आधारभूत ज्ञान प्राप्त है क्योंकि उनको परिवीक्षा की अवधि में मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान में हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है। विदेशों में भेजे जाने वाले कर्मचारियों को भी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारीगण, विशेष तौर पर मुख्यालय में काम करने वाले अधिकारी अपनी टिप्पण तथा आलेखन में प्राय: हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

(घ) और (ङ) विदेश मंत्रालय विदेशों में विदेश नीति का क्रियान्वयन करता है। मंत्रालय प्रमुखत: और दूसरे देशों तथा उनके कर्मचारियों के साथ कार्य करता है अत: मंत्रालय का बहुत-सा कार्य अंग्रेजी में ही होता है। विदेश मंत्रालय सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। मंत्रालय तथा मिशन/केन्द्र विदेशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने तथा उसके प्रगामी प्रयोग के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्रालय विदेश स्थित हमारे मिशनों को हिन्दी पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और श्रृव्य-दृश्य कैसेट उपलब्ध कराकर हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रहा है। मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता को बढ़ाने के लिए द्विभाषी सुविधायुक्त कम्प्यूटरों की उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतनवृद्धि, नकद पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करता है। राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी सीखने के लिए दस कर्मचारियों को भेजा गया है। मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए भी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5075. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे अनेक मामले आए हैं कि कुछ अधिकारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं में जान-बूझकर विलंब करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में देरी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में कार्यान्वयन में देरी के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, जब भी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर देरी करने पर उनके विरुद्ध समुचित कदम उठाने हेतु मामले को संबंधित प्रशासन/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

मीठा जहर

5076. श्री के० पी० नायडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कृत्रिम दूध उत्पादित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसका पोषक-मूल्य क्या है; और

(ग) इसकी शुद्धता तथा पोषक तत्वों की विद्यमानता सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध आपूर्तिकर्त्ताओं की बिना पूर्व सूचना जांच के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) 1998 के दौरान दूध में बाहरी पदार्थों के मिलावट का कोई विशिष्ट मामला संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) मिलावटी दूध की बिक्री निषेध है तथा पी एफ ए नियमावली, 1955 के उपबंधों के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे दुग्ध गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक निगरानी उपाय करें।

निजी क्षेत्र में परमाणु विद्युत केन्द्र

5077. **श्री कमलनाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र में एक नया परमाणु विद्युत केन्द्र स्थापित करने की संभावना की जांच का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार परमाणु विद्युत के क्षेत्र में निजी फर्मों, भारतीय अथवा विदेशी, द्वारा सहभागिता किए जाने के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों के लिए तैयार है। तथापि, देश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर तकनीकी दृष्टि से उनके उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से आकर्षक होने, हमारे देश की नियामक आवश्यकताओं और इन पेशकशों से जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

5078. **श्रीमती जयंती पटनायक :**
श्री सत्यपाल जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोखरण में हाल में किए गए परमाणु परीक्षण में कितने वैज्ञानिक शामिल थे;

(ख) क्या उन वैज्ञानिकों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल पर 'पोस्ट-शार्ट ड्रिलिंग' करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) पोखरण में हुए हाल ही के परमाणु परीक्षणों में भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के कार्मिकों के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विभाग के कई वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निभाई गई अलग-अलग तरह की भूमिकाओं को देखते हुए उनकी सही संख्या का पता लगाना और, इसलिए उन सभी को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना मुश्किल है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) भू-वेधन कार्य हाल ही में शुरू किए गए हैं और आवश्यक सूचना प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक पुष्प विकास योजना

5079. **श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्रीय वाणिज्यिक पुष्प विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए आवंटित धनराशि में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना से मध्य प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक पुष्पकृषि की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश को 5.20 लाख रुपये निर्मुक्त किए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान अतिरिक्त धन के आवंटन के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है। लेकिन, पुष्पकृषि विकास के लिए इस राज्य की क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश हेतु एक मॉडल पुष्पकृषि केन्द्र स्वीकृत किया है जो 1998-99 के दौरान 52.50 लाख रुपये की लागत से इन्दौर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान वर्ष के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 61.50 लाख रुपये का कुल आवंटन प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

प्रोन्नति नीति

5080. **श्री अनिल बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोन्नति, संवर्गीकरण, छुटपुट पदों, इत्यादि सेवा मामलों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन अन्य सभी विभागों पर बाध्यकारी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पांचवें वेतन आयोग ने प्रोन्नति नीति से संबंधित अध्याय (पैरा 22.41 और अनुबंध 22.1) में छुट-पुट पदों पर कार्यरत

अधिकारियों के लिए 'डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन' की सिफारिश की है;

(घ) क्या सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित बहुत से विषयों पर नीतिगत अनुदेश जारी करता है। ये अनुदेश विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने अपेक्षित हैं/इस क्रम में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा है कि वे अपने कार्य-संचालन में इन अनुदेशों का पूरा अनुपालन करें। यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी है कि वे इन अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(ग) जी, हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अलग-अलग पदों पर कार्यरत अधिकारियों के मामले में गत्यात्मक सुनिश्चित कैरियर-उन्नयन (डायनेमिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) योजना की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विदेशों में प्रचार

5081. श्री के० एस० राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में प्रचार करने के बारे में इस आशय की रिपोर्ट और सूचना प्राप्त हुई है कि भारत द्वारा मई, 1998 में किए परमाणु परीक्षण के परिणामस्वरूप अमरीका, जापान आदि द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और विश्व बैंक व एशियन विकास बैंक प्राधिकरण द्वारा दिए गए वक्तव्य के कारण विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में यह डर पैदा हो गया है कि इससे भारत के आर्थिक विकास और चालू परियोजनाओं और निर्माणधीन परियोजनाओं का कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रचार को रोकने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कतिपय देशों द्वारा प्रतिबंधित आर्थिक उपाय लागू कर देने के फलस्वरूप विदेशों में भारतीय मिशनों में डर फैल गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेश मंत्रालय ने विदेश स्थित अपने मिशनों और केन्द्रों के साथ मिलकर भारतीय दृष्टिकोण के बारे में विदेशों में मत और निर्णय निर्धारकों को संक्षिप्त जानकारी दे दी है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और सार्वभौमिक शांति और सुरक्षा की दिशा में पूर्ण योगदान करने की अपनी इच्छा के संदर्भ में बातचीत में प्रमुख वार्ताकारों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भारतीय मिशनों ने लाखों स्थानीय लोगों के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा है और अपने प्रयास यथा लागू निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित किया है--

(1) सरकारी अधिकारी

(2) संसद सदस्य

(3) मुद्रण और नृत्य-दृश्य मीडिया

(4) व्यवसाय और उद्योग

(5) शिक्षाविद् और विचारक

(6) भारतीय समुदाय

(7) सांस्कृतिक व्यक्तित्व

(8) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और

(9) राजनयिक समुदाय

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय और उसके मिशनों ने इंटरनेट पर संगत जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रवक्ता ने नाभिकीय मसले पर प्रेस विज्ञप्तियां और वक्तव्य जारी किए हैं और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भारतीय संदर्शों और नीतियों पर जानकारी दी गई। मई, 1998 के बाद से विदेश प्रचार प्रभाग ने भारत में 29 विदेशी पत्रकारों को सुसाध्य किया है और प्रधान मंत्री ने इसी अवधि के दौरान मीडिया को 23 साक्षात्कार दिए हैं। इन प्रयासों का परिणाम सकारात्मक रहा है और भारत की नाभिकीय नीति के पीछे की संगतता को देश और विदेशों में बेहतर ढंग से समझा जाता है।

जम्मू और कश्मीर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

5082. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर राज्य में संभाव्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य सहित देश-भर में बायोगैस, उन्नत चूल्हा, बायोमास गैसीकरण तथा ब्रिकेटिंग, एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम, सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी, जल पंपन तथा ग्रामीण स्तरीय विद्युत संयंत्र, लघु पन विद्युत, पवन विद्युत, भू-तापीय ऊर्जा और शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा जैसे काफी सारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत 31 मार्च, 1998 तक जम्मू और कश्मीर

राज्य में संभाव्यता और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संभाव्यता तथा उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	संभाव्यता	उपलब्धि (31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (सं०)	1,28,000	1493
2.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (सं०)	11,75,000	3,29,000
3.	बायोमास गैसीफायर (कि०वा०)	—	120
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (शामिल ब्लॉकों की सं०)	—	28
5.	लघु पन बिजली (मे०वा०)	111.52	(स्थापित) 8.37 (स्थापनाधीन) 13.31
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
	(i) सौर रोशनी प्रणालियां (सं०)	—	919
	(ii) घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं०)	—	6430
	(iii) सौर लालटेन (सं०)	—	4525
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन (सं०)	—	16
8.	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र)	—	1834
9.	सौर कुकर (सं०)	—	345

एम डब्लू = मेगावट
के डब्लू = किलोवाट

परमाणु विज्ञान क्षेत्र में निवेश

5083. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु विज्ञान क्षेत्र में निवेश बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह के निवेश के लिए भारत को सहायता प्रदान कर रहे देशों/एजेंसियों का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। परमाणु ऊर्जा विभाग की कुल बजटीय सहायता जो आठवीं योजना में 2161 करोड़ रुपए थी, को बढ़ाकर नौवीं योजना में 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ग) किसी भी क्षेत्र में निवेश का विशेषाधिकार चूंकि सरकार का है, अत: यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विद्या भवन

5084. **श्री सुव्रत मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको स्थित भारतीय विद्या भवन को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) भारतीय विद्या भवन द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) भारतीय विद्या भवन का मैक्सिको में क्या क्रियाकलाप है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) मैक्सिको में भारतीय विद्या भवन (ला कासा द ला कल्टुरा द ला इंडिया के नाम से ज्ञात) की स्थापना मुंबई भारतीय विद्या भवन की एक शाखा के रूप में 1993 में हुई थी। भारतीय विद्या भवन का मैक्सीकन केन्द्र एक निजी गैर-सरकारी संगठन है जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने और भारत और मैक्सिको के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में क्रियाशील है। इसका वित्त-पोषण अंशत: भारत सरकार के सहायता अनुदान से किया जाता है। सहायता अनुदान के रूप में पिछले तीन वर्षों में दी गई धनराशि निम्नानुसार है–

1994-95	3,00,000 रुपये
1995-96	3,00,000 रुपये
1996-97	3,00,000 रुपये .

(ख) सहायता अनुदान के रूप में दिए गए धन का उपयोग वास्तव में भारतीय विद्या भवन द्वारा मैक्सिको में किया गया।

(ग) मैक्सिको में भारतीय विद्या भवन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम, भारतीय शास्त्रीय संगीत गोष्ठियां, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर कार्यशालाएं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर कार्यशालाएं, ओडिसी नृत्य के पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा के कार्यक्रम, संगोष्ठियां और भारत के बारे में सम्मेलन आयोजित करता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भू-जल स्तर

5085. **श्री प्रदीप कुमार यादव**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह योजना देश के दूसरे राज्यों में भी कार्यान्वित की जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की है; और

(ङ) इस योजना को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संबंधी अन्वेषणात्मक प्रायोगिक अध्ययन करने के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 30-1-93 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव की जांच करने के बाद 7-4-94 को राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके तहत प्रस्तावित अध्ययनों को वित्तपोषित किया जा सके, अत: इस स्कीम का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सरकार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड तकनीकी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराता रहेगा।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण ऐसी स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से प्रक्षेपास्त्र का खतरा

5086. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1998 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान रेडी टू टेस्ट फायर गौरी-II तारमुक: सी०आई०ए० शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम सहित सभी घटनाओं पर निकट दृष्टि रखे हुए है। भारत-पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम तथा उससे इस क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों से चिंतित है। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति चुनौतियों के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।

शीतल पेय

5087. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने शीतल पेय उत्पादों के विपणन से घरेलू शीतल पेय उद्योग लगभग समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शीतल पेय क्षेत्र में आ गई हैं। उन्होंने सान्द्रण निर्माण यूनिटें स्थापित की हैं और अपने ब्रांडों की बोतलबंदी के लिए काफी बड़ी संख्या में भारतीय बॉटलरों से विशेषाधिकार अनुबंध किए हैं। ये बोतलबंदी यूनिटें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बाटलिंग संयंत्रों के मालिकों के बीच हुए अनुबंध के अनुसार काम कर रही हैं।

पवन चालित टरबाइनों का निर्यात

5088. श्री सी० पी० एम० गिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने पवन चालित टरबाइनों का निर्यात किया गया;

(ख) पवन चालित टरबाइनों को किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ग) इनके निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या इन पवन चालित टरबाइनों की अनेक देशों में काफी मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) मार्च, 1998 में एक भारतीय निर्माण कंपनी द्वारा आस्ट्रेलिया को 230 किवा० का एक पवन टरबाइन निर्यात किया गया था। निर्यात आदेश का कुल मूल्य लगभग 450,000 डी एम था जो 90 लाख रुपए के बराबर है।

(घ) और (ङ) भारतीय पवन टरबाइन कंपनियों द्वारा पड़ोसी तथा अन्य विकासशील देशों को पवन टरबाइन निर्यात करने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों का पता लगाया जा रहा है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बोलीविया और अर्जेन्टीना से प्रारंभिक संपर्क किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1997-98 के दौरान यूरोप को पवन टरबाइन घटकों के निर्यात करने से 12 करोड़ रुपए का अर्जित विदेशी विनिमय किया गया था।

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

5089. श्री रामनारायण मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए पावटी नदी पर बांध का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, यह राजस्थान सरकार का कार्य है कि वह अपने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए पावटी नदी पर बांध का निर्माण करे।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी बाजार

5090. श्री एम० राजैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में विकास दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धीमी विकास दर के क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि हुई है, जो नीचे दिए अनुसार है :

	1995-96	1996-97	1997-98
विकास दर	28%	40%	41%

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय सूचना नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बाधाओं और सामान्य संवर्धनात्मक उपायों के बारे में चर्चा की गई है, जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी संस्तुतियों में दूरसंचार, वित्त, बैंकिंग, राजस्व, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिकी, मानव संसाधन विकास, प्रतिरक्षा एवं ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दे व्यापक रूप से शामिल हैं। ये सूचना मूलसंरचना, इंटरनेट उपलब्धता, सॉफ्टवेयर विकास एवं निर्यात, हार्डवेयर विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कार्य दल की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 15 जुलाई, 1998 को संसद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए कर संबंधी कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है।

रिमोट सेंसिंग एजेंसी

5091. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिमोट सेंसिंग एजेंसी के कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस एजेंसी की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इस एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के उपयोग में कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन०आर०एस०ए०) के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं : (1) उपग्रह आंकड़ा अभिग्रहण, संसाधन और प्रकीर्णन; (2) प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए उपयोगी सेवाएं; (3) हवाई सर्वेक्षण संबंधी सेवाएं; (4) सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी०आई०एस०) उपयोग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना; और (5) इससे संबद्ध प्रौद्योगिकी का विकास और निजी उद्योग को हस्तांतरण करना।

(ख) इस एजेंसी की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं : (1) अंत्य-प्रयोक्ताओं को उपग्रह आंकड़ा उत्पादों का नियमित उत्पादन और प्रकीर्णन (पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 150,000 आंकड़ा उत्पादों की सप्लाई की गई); (2) लगभग 300 नगरों की हवाई फोटोग्राफी तथा देश के लगभग 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण; (3) लगभग 5400 कार्मिकों को प्रशिक्षण; (4) कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भूविज्ञान, समेकित भूमि और जल संसाधन विकास, शहरी आयोजना, समुद्री संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, आपदा मानीटरन, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक प्रमुख सुदूर संवदेन उपयोग परियोजनाओं को आयोजित करना।

(ग) इस एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के उपयोग में अर्जित प्रमुख सफलता इस प्रकार है : (1) 1 : 250,000 के पैमाने पर देश के वन क्षेत्र का द्विवार्षिक मानीटरन; (2) कृषि जलवायवी जोन आधारित क्षेत्रीय आयोजना के लिए 1 : 250,000 के पैमाने पर, जिलावार, भूमि उपयोग/भू-आवरण का राष्ट्रव्यापी मानचित्रण; (3) परती भूमि के अंतर्गत 5 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र सहित 241 जिलों के लिए 1 : 50,000 के पैमाने पर परती भूमि की किस्म और मात्रा का मानचित्रण; (4) देश की लवणता/क्षारीयता वाली भूमि का, उनके प्रबंध/पुन: उपयोगी बनाने की योजना की दिशा में, 1 : 250,000 के पैमाने पर मानचित्रण; (5) चुने हुए बृहत सिंचाई वाले कमांड क्षेत्रों में संवर्धित जल उपयोग कुशलता सहित कमांड क्षेत्र का प्रबंध; (6) चुने हुए जलविभाजक क्षेत्रों का दीर्घकालीन विकास (दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई०एम०एस०डी०) के अंतर्गत जनित स्थान-विशिष्ट भूमि और जल संसाधन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से); (7) प्रमुख फसलों के लिए कटाई से पूर्व फसल के एकड़वार क्षेत्रफल और पैदावार का आकलन (केप); (8) बाढ़ और सूखे की घटनाओं के दौरान राहत कार्यों की योजना बनाना; (9) संभावित भूमि जल क्षेत्रों का निर्धारण (राष्ट्रीय पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लगभग 1.6 लाख समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल स्रोतों का पता लगाने के लिए); (10) मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और बेंगलूर के महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना बनाना; (11) संभावित मत्स्य भंडार क्षेत्रों (पी०एफ०जेड०) का जनन और देश में लगभग

287 समुद्रवर्ती मत्स्य पालन केन्द्रों को इनके पूर्वानुमानों की सूचना प्रदान करना; इत्यादि।

इनके अलावा, एन०आर०एस०ए० ने 23 सुदूर संवेदन आंकड़ा विश्लेषण उपकरणों को विकसित किया है और नियमित उत्पादन के लिए इनकी प्रौद्योगिकी निजी उद्योग को हस्तांतरित की है।

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र

5092. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं हेतु जोधपुर और देश के अन्य भागों में परीक्षा केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाई गई है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम

5093. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान सरकारी कृषि फार्मों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र और बिहार राज्य सरकारों को कितनी सहायता दिए जाने का विचार है; और

(ग) महाराष्ट्र और बिहार में घाटे में चल रहे सरकारी कृषि फार्मों की कुल संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) :

(क)

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1996-97	30.00
1997-98	21.00

(ख) महाराष्ट्र एवं बिहार सरकारों से 1998-99 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग)

राज्य	हानि में चल रहे किसानों की संख्या
महाराष्ट्र	50
बिहार	220

[हिन्दी]

नहरों के ऊपर पुलों का निर्माण

5094. **श्री दत्ता मेघे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र का सिंचाई विभाग राज्य में अनेक नहरों के ऊपर क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इन क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि व्यय की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई संरचानाओं का रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों से अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीज अधिनियम और कीटनाशी अधिनियम

5095. **श्री के० सी० कोंडय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नकली बीजों और उर्वरकों की बिक्री द्वारा गरीब किसानों का शोषण करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु बीज अधिनियम और कीटनाशी अधिनियम में कतिपय संशोधन किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों को दंडित करने हेतु इन दो अधिनियमों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) बीज अधिनियम और कीटनाशी अधिनियमों में संशोधन किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में कुछ संशोधन करने जो कि अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित हैं और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में जिप्सम और सल्फर को शामिल करने के बारे में सुझाव दिया है। विधि विरुद्ध कार्य करने वालों को दंड देने का प्रावधान दोनों अधिनियमों में पहले से ही है।

शुष्क भूमि पर कृषि के लिए जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

5096. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने शुष्क भूमि पर कृषि के लिए जैव प्रौद्योगिकी शुरू करने हेतु नालगोंडा और महबूब नगर के किसानों को सहायता प्रदान करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का सकल उद्देश्य बायोटेक्नालाजी के माध्यम से गरीबी के निवारण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। इसके मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- आंध्र प्रदेश में लघु कृषि उत्पादकों और संसाधकों के लिए उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी का इस प्रकार उपयोग करना जिससे कि सतत कृषि उत्पादन में योगदान दिया जा सके और लक्षित ग्रुपों विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- अनुसंधान के माध्यम से ऐसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना जिससे कि अभिज्ञात प्राथमिकता वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सके।
- जैव प्रौद्योगिकी के विकास को और उसको अंगीकार किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समर्थनकारी क्रियाकलापों का संचालन करना जिसमें प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकीय गतिविधियों का अंतरण, कार्यशालाएं और जानकारियों का प्रचार-प्रसार शामिल हैं;
- अनुसंधानपरक गतिविधियों के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के विकास और अंतरण के लिए आंध्र प्रदेश में स्थानीय संगठनों की क्षमता में सुधार लाना और प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के क्षेत्र में विश्लेषण कराना; और
- जहां भी उचित हो जैव सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श कराना और बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर होने वाले विचार-विमर्श में योगदान देना। इस कार्यक्रम का बजट 8 मिलियन नीदरलैंड गिल्डर्स का है जो कि लगभग 8.00 करोड़ रुपए के बराबर है।

(ग) यह कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए है जो कि 1996 से लेकर 2000 ई० तक चलेगा।

[हिन्दी]

बरगी बांध

5097. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरगी बांध की महत्वाकांक्षी दाएं तट नहर पर काफी धीमी गति से काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना के बाएं तट नहर का काम 'नाबार्ड' की ऋण सहायता से किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता देने के कारण बारगी बांध परियोजना के अंतर्गत दायां तट नहर के कार्यान्वयन में देरी हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। नाबार्ड ने बायां तट नहर प्रणाली जिसमें खजूरी वितरणी, कन्वरपुर वितरणी और हरेरी शाखा नहर शामिल है के भाग के लिए 42.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) इस परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान को भेजा गया है लेकिन दाता अभिकरण ने इसे उपयुक्त नहीं पाया है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

5098. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार पर्वतीय/आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य की निगरानी करने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी क्षेत्र का नियोजन और विकास तथा इसके लिए निधियों का आवंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, योजना आयोग राज्यों में विभिन्न स्कीमों की प्रगति का योजना चर्चाओं के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में विकाय कार्य को मॉनीटर करने के लिए समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गन्ने की संकर किस्म

5099. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री विक्रम देव कैसरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने की संकर किस्म के लिए अनुसंधान करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुसंधान कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में काफी लंबे अरसे से गन्ने की संकर किस्मों के उत्पादन पर अनुसंधान कार्य किया जाता रहा है। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में स्थित राष्ट्रीय संकरण उद्यान में उत्पादित संकर फ्लक (शुद्ध बीज) को गन्ने की संकर किस्मों के स्वस्थाने चयन के लिए देश के विभिन्न स्थानों में सप्लाई किया गया। गन्ना प्रजनन संस्थान अनुसंधान केन्द्र कन्नानूर में रखे जा रहे जननद्रव्य संग्रहों का संकरण कार्यक्रम में क्रमबद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इन संकर किस्मों से गन्ने की पैदावार में वृद्धि करने में सहायता मिली है जो 1949-50 में 33.7 टन/हैक्टेयर से बढ़कर 1996-97 में 66.5 टन/हैक्टेयर हो गई। गन्ने के 2500 से अधिक संकरों का चयन, मूल्यांकन और व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया है। यह कार्य गन्ने की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत 20 केन्द्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दो अनुसंधान संस्थानों में किया जा रहा है।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान प्रायोजना के 19 अनुसंधान केन्द्रों, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में गन्ने पर अनुसंधान कार्य करने के लिए 1998-99 के दौरान योजना के तहत 345 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5100. **श्री नरेश पुगलीया :**
श्री विजय गोयल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन में अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना के कियान्वयन की कमियों को दूर करने और नए दिशा-निर्देश जारी करने आदि का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने विभिन्न जिलों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में हुई कुछ अनियमितताओं की ओर प्रकाश डाला है। इनमें संसद सदस्यों की अनुशंसा के बिना जिलाधिकारियों द्वारा निष्पादित किए गए कार्य, संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों के अनुशंसा पर निष्पादित किए गए कार्य एवं इस योजना के अंतर्गत कवर न हो रहे निर्माण कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्य एवं संघ क्षेत्र के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे मामले की जांच करें। इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने एवं कारगर अनुवर्ती कदम उठाने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में असंतुलन

5101. **श्री रंजीव बिस्वाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में बढ़ते हुए असंतुलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यवार स्थिति क्या है तथा बढ़ते हुए असंतुलन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। यूनिटों की संख्या या उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सांख्यिकी विभाग के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 29,407 फैक्टरियां स्थित हैं। फैक्टरियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से फल एवं सब्जी क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जनवरी 1998 तक फल उत्पाद आदेश के तहत 4932 फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। उनका राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

किसी भी अन्य उद्योग की तरह प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों की वृद्धि अनेक कारणों जैसे कच्चे माल, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, परियोजना की व्यवहार्यता आदि पर निर्भर करती है।

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

इसके अलावा मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप समूह और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों की दुर्गम क्षेत्रों के रूप में पहचान की है।

विवरण-I

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार फैक्ट्री क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10183
2.	असम	734
3.	बिहार	433
4.	गोवा	34
5.	गुजरात	1270
6.	हरियाणा	600
7.	हिमाचल	46
8.	जम्मू एवं कश्मीर	69
9.	कर्नाटक	1221
10.	केरल	1170
11.	मध्य प्रदेश	1302
12.	महाराष्ट्र	2420
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	3
15.	नागालैंड	5
16.	उड़ीसा	425
17.	पंजाब	1196
18.	राजस्थान	515
19.	तमिलनाडु	3792
20.	त्रिपुरा	22
21.	उत्तर प्रदेश	2652
22.	पश्चिम बंगाल	1089
23.	चंडीगढ़	36
24.	दमन एवं दीव	5
25.	दिल्ली	125
26.	पांडिचेरी	42
27.	अन्य	9
	कुल	29407

विवरण-II

1-1-98 की स्थिति के अनुसार फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंससुदा और सब्जी यूनिटों का राज्यवार वितरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	फल और सब्जी यूनिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	300
2.	असम	25
3.	बिहार	58
4.	गुजरात	260
5.	हरियाणा	151
6.	हिमाचल प्रदेश	90
7.	जम्मू एवं कश्मीर	83
8.	कर्नाटक	253
9.	केरल	387
10.	मध्य प्रदेश	104
11.	महाराष्ट्र	934
12.	मेघालय	14
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	43
16.	पंजाब	309
17.	राजस्थान	110
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	452
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	494
22.	पश्चिम बंगाल	298
23.	अंडमान एवं निकोबार	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	3
25.	चंडीगढ़	54
26.	दादर एवं नगर हवेली	7
27.	दिल्ली	302
28.	गोवा व दमन-दीव	160
29.	मिजोरम	3
30	पांडिचेरी	14
	कुल	4932

विवरण-III

सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा

(1) अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना।

(2) अल्कोहल युक्त पेयों के किण्वन और आसवन एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।

(3) घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देना।

(4) कई खाद्य उत्पादों में उत्पाद शुल्क को समाप्त करके या कम करके राजकोषीय राहतें प्रदान करना।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में शुल्क राहतें प्रदान करना।

(6) योजना स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा घोषित नोडल एजेंसियों को सहायता प्रदान करना और राज्य सरकारों द्वारा नेटवर्क कायम करना।

(7) बैकवर्ड लिंकेज की अवधारणा को बढ़ावा देना।

(8) फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, कोल्डचेन आदि को बढ़ावा देने के लिए सहायता का विस्तार।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता का विस्तार अब दी गई सहायता में ऐसे 245 केन्द्र कवर होते हैं।

(10) समग्र योजनागत विकास हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत प्रयास एवं निजी प्रयत्नों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजना स्कीमें चलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

5102. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पलवल के निकट यमुना नदी पर बांध का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानित कितना व्यय होगा तथा केन्द्र सरकार इस व्यय में से कितने प्रतिशत वहन करेगी; और

(ग) इस परियोजना पर काम कब से शुरू होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

5103. **श्री के० येरननायडू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिंचाई विकास कार्यक्रम के लिए परियोजनावार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं।

मृदा की लवणता

5104. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-सा क्षेत्र मृदा की लवणता के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा इस खतरे पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त अनुमान के अनुसार लगभग 50.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लवणता से प्रभावित है।

(ख) मृदा सुधार लवणता नियंत्रण के लिए इस विभाग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई स्कीम प्रस्तावित है। इस स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित कार्यकलाप हैं—सतही और सतह से नीचे निकास तंत्र की व्यवस्था के साथ लवणों को घोलकर निकालना तथा इसके पूरक के रूप में नमक रोधी फसलों की खेती करना तथा बांध का निर्माण करना, विशेषकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में। राज्य सरकारें भी भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत सुधारक उपाय करती हैं।

[हिन्दी]

दूतावास और उच्चायोग

5105. **श्री विजय गोयल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के किन-किन देशों में हमारे देश के उच्चायोग और दूतावास कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन उच्चायोगों और दूतावासों में अपेक्षित संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है;

(ग) ऐसे उच्चायोगों और दूतावासों की संख्या कितनी है जहां गत दो वर्षों से कोई प्रमुख/प्रभारी नियुक्त नहीं है; और

(घ) भारत के उच्चायोगों और दूतावासों में कितने गैर-भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी तैनात हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस समय कार्य कर रहे भारतीय उच्चायोगों तथा राजदूतावासों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आर्मीनिया और अजरबेजान में मिशन खोलने तथा फिजी में मिशन पुन: खोलने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनुमोदन कर दिया है। इन उच्चायोगों और राजदूतावासों में अपेक्षित संख्या में पदाधिकारियों को तैनात किया गया है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) विदेशों में भारतीय उच्चायोगों और राजदूतावासों में इस समय 123 भारतीय विदेश सेवा से इतर पदाधिकारी कार्यरत हैं।

विवरण

राजदूतावास

क्रम सं०	देश का नाम
1	2
1.	अफगानिस्तान
2.	अल्जीरिया
3.	अंगोला
4.	अर्जेंटीना
5.	आस्ट्रिया
6.	बहरीन
7.	बेलारूस
8.	बेल्जियम
9.	भूटान
10.	ब्राजील
11.	बुल्गारिया
12.	बुर्कीनाफासो
13.	कम्बोडिया
14.	चिली
15.	चीन
16.	कोलंबिया
17.	क्रोएशिया
18.	क्यूबा
19.	चैक गणराज्य
20.	डेनमार्क
21.	मिस्र
22.	इथोपिया
23.	फिनलैंड
24.	फ्रांस
25.	जर्मनी
26.	ग्रीस
27.	हंगरी
28.	इंडोनेशिया
29.	ईरान
30.	इराक
31.	आयरलैंड
32.	इजरायल
33.	इटली
34.	आइवरी कोस्ट
35.	जापान
36.	जार्डन
37.	कजाकिस्तान
38.	कोरिया (डीपीआर)
39.	कोरिया (गणराज्य)
40.	कुवैत
41.	किग्रिस्तान
42.	लागोस
43.	लेबनान
44.	लीबिया
45.	मैडागास्कर
46.	मैक्सिको
47.	मंगोलिया
48.	मोरक्को
49.	म्यामांर
50.	नेपाल
51.	नीदरलैंड
52.	नार्वे
53.	ओमान
54.	पनामा
55.	पेरू
56.	फिलीपिन्स
57.	पोलैंड
58.	पुर्तगाल
59.	कतर
60.	रोमानिया
61.	रूसी परिसंघ
62.	सउदी अरब
63.	सेनेगल
64.	स्लोवाक गणराज्य

1	2
65.	स्पेन
66.	सूडान
67.	सूरीनाम
68.	स्वीडन
69.	स्विटजरलैंड
70.	सीरिया
71.	ताजिकिस्तान
72.	थाइलैंड
73.	ट्यूनिशिया
74.	टर्की
75.	तुर्कमेनिस्तान
76.	संयुक्त अरब अमीरात
77.	उक्रेन
78.	संयुक्त राज्य अमरीका
79.	उजबेकिस्तान
80.	बेनेजुएला
81.	वियतनाम
82.	यमन
83.	युगोस्लाविया

उच्चायोग

क्रम सं०	देश का नाम
1	2
1.	आस्ट्रेलिया
2.	बंगलादेश
3.	बोत्स्वाना
4.	ब्रूनी दारेस्सलाम
5.	कनाडा
6.	साइप्रस
7.	घाना
8.	ग्याना
9.	जमैका
10.	केन्या
11.	मलेशिया
12.	मालदीव
13.	मारीशस
14.	मोजाम्बिक
15.	नामीबिया
16.	न्यूजीलैंड
17.	नाइजीरिया
18.	पाकिस्तान
19.	पापुआ न्यूगिनी
20.	सेशेल्स
21.	सिंगापुर
22.	दक्षिण अफ्रीका
23.	श्रीलंका
24.	तंजानिया
25.	त्रिनिडाड और टुबैगो
26.	उगाण्डा
27.	यू० के०
28.	जाम्बिया
29.	जिम्बाब्वे

पुराने बांधों का पुनर्निर्माण

5106. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में पुराने बांधों के पुनर्निर्माण से संबंधित कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीर्ण-शीर्ण बांधों के जीर्णोद्धार करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगने के वास्ते एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से विश्व बैंक को भेज दिया गया था। तथापि, विश्व बैंक उत्तर प्रदेश राज्य को निर्माणाधीन बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए सहमत नहीं हुआ।

बाणसागर बांध

5107. **श्री रामानंद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक अलग-अलग मध्य प्रदेश में बाणसागर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध नहरों के निर्माण, विद्युत उत्पादन और प्रशासनिक खर्चे को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 1997-98 के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित के निर्माण पर आवंटित निधियां एवं खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

संरचना का प्रकार	आवंटित निधियां	किया गया व्यय
(i) बांध	339.00	168.28
(ii) नहर	40.00	34.07
(iii) बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के लिए प्रशासनिक व्यय	0.36	0.15

विद्युत उत्पादन से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1997-98 में इस कार्य हेतु बजट में से आवंटित निधियां इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

(i) बांध	85.00
(ii) नहर	14.00
(iii) बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के लिए प्रशासनिक व्यय	0.10

(ग) बांध के पूरा होने की संभावित तिथि जून, 2001 है एवं नहर की 2012 है।

पुष्प कृषि हेतु वित्तीय सहायता

5108. **श्री मोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड ने नवंबर 1997 से पुष्प कृषि एककों को वित्तीय सहायता के अनुमोदन पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997 के पश्चात् कितने निर्यातकों ने पुष्प निर्यात हेतु राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त बोर्ड और कृषि विभाग द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई तथा फलों एवं पुष्पों के निर्यात में कितनी इकाईयां शामिल थीं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने 2-1-1998 को हुई अपनी बैठक में पुष्पकृषि एककों का वित्तीय सहायता का अनुमोदन अस्थायी तौर पर तब तक के लिए निलंबित कर दिया था जब तक पुष्पकृषि परियोजनाओं से संबंधित एक समिति भविष्य में मूल्यांकन के लिए प्रतीकात्मक लागत तथा तकनीकी पैरामीटरों के निर्धारण के लिए एक विधि का निरूपण नहीं कर लेती है।

(ग) चार।

(घ) उन परियोजनाओं में जिनके लिए नवंबर, 1997 के पहले आवेदन प्राप्त हुए थे, एक पुष्पकृषि परियोजना जिसके लिए 100 लाख रुपए का उदार ऋण घटक था, बोर्ड द्वारा 18-3-98 को परियोजना की व्यवहार्यता तथा वित्तीय रिकार्ड के आधार पर अनुमोदित की गई थी।

अपेडा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फलों व सब्जियों (संयुक्त रूप से) के निर्यातकों की संख्या 123 तथा फूलों के लिए 78 आकलित की गई थी।

[अनुवाद]

झींगा मछली के मूल्यों में गिरावट

5109. **श्री चन्दू लाल अजमीरा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय क्षेत्र के मछुआरे झींगा मछली के मूल्यों में अचानक गिरावट के कारण विरोध स्वरूप मछली नहीं पकड़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंधों से प्रभावित झींगा मछली उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रॉन के मूल्य में गिरावट आ जाने की वजह से तमिलनाडु के मंडापम और रामेश्वरम क्षेत्र में कार्यरत यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाएं दिनांक 25-5-1998 से 5-6-1998 तक कुल बारह दिनों के लिए मछली पकड़ने नहीं गईं। जिला कलेक्टर रामानाथपुरम ने रामेश्वरम, मंडापम और रामानाथपुरम के यंत्रीकृत नौका मालिकों, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा प्रॉन लेने वाली प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधियों की दिनांक 2 जून, 1998 को एक बैठक बुलाई थी। प्रॉन लेने वाली कंपनियों द्वारा प्रॉन अधिप्राप्ति दरों में हुई वृद्धि को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त बैठक में इस मुद्दे को हल कर लिया गया। बाद में यंत्रीकृत नौका मालिक हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए।

इसके अलावा, प्रॉन उद्योग प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं हुआ है।

मशरूम का उत्पादन

5110. **श्री विक्रम केशरी देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मशरूम की खेती प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय किन-किन राज्यों में मशरूम की खेती हो रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पहली बार आठवीं योजना में 15.68 करोड़ रुपये के आवंटन से खुम्बी की खेती की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम आरंभ की है। इस योजना के घटक थे—(i) बीज उत्पादक यूनिटों की स्थापना, (ii) पाश्च्युरिकृत कम्पोस्ट एककों की स्थापना, तथा (iii) किसानों को खुम्बी उत्पादन तकनीकों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान।

(ग) और (घ) यद्यपि खुम्बी लगभग सभी राज्यों में उगाई जा रही है तथापि यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। पिछले तीन वर्षों में राज्यों को दिए गए धन का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1995-96, 1996-97 तथा 1997-98) के दौरान वाणिज्यिक पुष्पकृषि स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	20.50	20.00	10.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.00	1.50
असम	0.50	2.00	3.00
बिहार	0.00	2.00	0.00
गोवा	8.00	3.00	0.00
गुजरात	7.50	2.00	0.00
हरियाणा	18.00	8.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	18.00	20.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	0.00	39.69	14.50
कर्नाटक	10.00	10.00	19.50
केरल	17.00	15.39	0.00
मध्य प्रदेश	2.00	6.00	5.20
महाराष्ट्र	0.00	25.00	0.00
मणिपुर	0.00	5.00	3.00
मेघालय	0.50	2.00	0.00
मिजोरम	0.00	14.20	6.00
नागालैंड	1.00	10.60	12.00
उड़ीसा	0.00	4.00	12.00
पंजाब	20.00	12.00	22.50
राजस्थान	23.00	8.00	9.00
तमिलनाडु	35.00	12.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	4.88	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	4.35	0.00
सिक्किम	7.00	18.20	13.50
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	6.00	0.00
दादर व नागर हवेली	0.00	1.00	0.00
दमन व दीव	0.00	1.00	0.00
दिल्ली	5.00	6.00	12.00
लक्षद्वीप	0.00	0.64	0.00
पांडिचेरी	0.50	2.00	3.00
योग	193.50	266.95	146.70

आयोग का गठन

5111. **श्री एस०एस० ओवेसी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 के दौरान जल संसाधनों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने हेतु गठित आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आयोग द्वारा सरकार को कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आयोग को इसके गठन के समय निर्धारित किए गए मुद्दों के अलावा जांच के लिए कोई अन्य मुद्दा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन सितंबर, 1996 में किया गया था। तथापि विभिन्न कारणों की वजह से वास्तविक कार्य वर्ष 1997 में ही शुरू किया जा सका। आशा है कि आयोग लगभग दो वर्ष में अपना कार्य पूरा कर लेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य की लंबित परियोजनाएं

5112. **डॉ० सरोजा वी०** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य सरकार की उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग के पास उड़ीसा सरकार से प्राप्त कोई भी स्कीम स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

धान, मसूर और मटर उत्पादक क्षेत्रों में गेहूं की खेती

5113. **श्री राजो सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में धान, मसूर और मटर उत्पादक क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बिहार में विशेष रूप से धान, मसूर तथा मटर उत्पादन वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी गेहूं सहित अनाज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिहार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से गेहूं, धान तथा कदन्न के बीजों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों, उन्नत फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सिंचाई सेटों तथा विद्युत चालित जुताई के यंत्रों के उपयोग पर किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी अंतरण करने के लिए इस योजना के तहत क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हज यात्रा

5114. **श्री एच० जी० रामुलू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर हज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने 25,000 हज बीजा जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हज कोटे को 80,000 से बढ़ाकर एक लाख करने और कुल कोटे का 30 प्रतिशत कोटा निजी हज यात्रा आयोजकों के लिए आरक्षित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ग) 1998 के दौरान अब तक कितने हज यात्रियों ने हज यात्रा की है और उनमें से कर्नाटक के कितने यात्री थे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ग) 1998 में 94,602 भारतीय हाजियों ने हज यात्रा की। इनमें से 63,574 तीर्थयात्री हज समिति द्वारा जारी किए गए हज यात्रा पास पर गए जबकि 31,028 हाजियों ने अपने नियमित भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की थी। कर्नाटक से 5821 हज यात्री हज समिति के माध्यम से भेजे गए, राज्य से उन हाजियों की सही संख्या का पता नहीं चला है जिन्होंने निजी तौर पर हज यात्रा की थी।

(ख) हज यात्रा पर भेजने के लिए प्रत्येक देश के हज यात्रियों का कोटा सऊदी अरब सरकार द्वारा कुछ मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष, भारत का कोटा और उसका विवरण सऊदी प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने के पश्चात बाद में निर्धारित किया जाएगा।

दुग्ध डेयरियों को हानि

5115. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही दुग्ध डेयरियों को हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन्हें बंद करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधन में आनंद पद्धति (अमूल डेयरी) सहकारिता आंदोलन को सौंपने का है; और

(ग) सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, जो इन दुग्ध योजनाओं को चलाती है, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

धनराशि का उपयोग

5116. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धनराशि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नेताओं की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक के क्या परिणाम रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास एवं पंचायती राज के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 13 मई, 1998 को पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण आवास के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम

5117. **श्री प्रभाव चन्द्र तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 की अवधि के दौरान, प्रत्येक राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के मासिक आधार पर प्रबोधित किए जाने वाले मदों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में विवरण 20 सूत्री कार्यक्रम की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में उपलब्ध है। इन प्रकाशित दस्तावेजों को नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5118. **डॉ० राम विलास वेदान्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न कृषि परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से अपने राज्य में कृषि परियोजनाओं के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की मांग के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हालांकि राज्य सरकार ने कृषक महिला प्रशिक्षण परियोजना के लिए इस सहायता की मांग की है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कोशी बांध

5119. **श्री अनूप लाल यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोशी बांध की ऊंचाई बढ़ाने और बिहार में कोटार में बांध का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) नेपाल में बरहाकक्षेत्र के 1.6 कि०मी० प्रतिप्रवाह पर कोसी नदी पर बांध के निर्माण के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए गए। विस्तृत जांच करने के लिए भारत सरकार तथा नेपाल की महामहिम सरकार के बीच बातचीत जारी है। बरहाकक्षेत्र के अनुप्रवाह में स्थित कोठार को क्षमता स्थल के रूप में पहचाना गया था जिसे तकनीकी कारणों के अनुकूल नहीं पाया गया। बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है इसकी जानकारी विस्तृत अन्वेषण पूरे होने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही मिलेगी।

तटबंधों का निर्माण

5120. **डॉ० शकील अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अधवारा नदी और उसकी सहायक नदियों के दोनों तरफ तटबंधों के निर्माण से संबंधित कोई योजना राष्ट्रीय जल आयोग के समक्ष लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान एक तटबंध के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बावजूद अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तीनों फेजों में, फेज-I के लिए 1986 और फेज-II व फेज-III के लिए 1990 में अधवारा समूह की नदियों के सामांतर तटबंधों के निर्माण की योजनाओं की जांच की गई थी तथा बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जानी थी इसका उत्तर राज्य सरकार द्वारा अभी नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन कार्यों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। बिहार सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करके संशोधित योजना प्रस्तुत करने के बाद ही इस योजना का कार्यान्वयन संभव होगा।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर आवास

5121. **श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा'** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा में अनुकंपा के आधार पर रोजगार के संबंध में सरकार की नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी आवास को रखने की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में मौजूदा योजना, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक जून 30, 1987 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 14014/6/86-स्था०(घ) में विहित है। उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) किसी अधिकारी का देहांत हो जाने के बाद भी उक्त अधिकारी पर आश्रित किसी पात्र व्यक्ति के, किसी पात्र कार्यालय में रोजगार पा लेने की स्थिति में, दिवंगत अधिकारी को आवंटित आवास को ही उसके नाम से नियमित किए जाने/उसे वैकल्पिक आवास आवंटित किए जाने के बारे में किए गए उसके अनुरोध पर विचार किया जाता है बशर्ते कि आश्रित की ऐसी नियुक्ति, दिवंगत अधिकारी का देहांत हो जाने के 12 माह की अवधि के भीतर हो गई हो। सामान्यत:, दिवंगत अधिकारी जिस सरकारी आवास में रहता रहा हो उस आवास के संबंध में सारी बकाया धनराशि का भुगतान कर दिए जाने पर, आवेदक जिस टाइप के आवास के आवंटन का पात्र हो, उससे एक टाइप नीचे का आवास उसे आवंटित कर दिया जाता है। तथापि, रोजगार पाने में, माता-पिता का देहांत हो जाने की तारीख से, 12 माह से परे (अधिक) एक माह तक का विलंब प्रभारी मंत्री के स्पष्ट अनुमोदन से माफ किया जा सकता है। दिवंगत अधिकारी को आवंटित आवास के अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उसके आश्रित के नाम नियमित किए जाने/उसे वैकल्पिक आवास आवंटित किए जाने की उक्त रियायत उन मामलों में अनुमत्य नहीं है जिनमें अपनी तैनाती के स्थान पर दिवंगत अधिकारी अथवा उसके आश्रित का अपना निजी मकान/भूखंड हो।

विवरण

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी योजना

दिनांक 09-12-93 का का०ज्ञा०, दिनांक 22-06-95 का का० ज्ञा०, दिनांक 22-12-95 का लोक सभा प्र०सं० 3586, दिनांक 28-09-92 तथा 25-01-93 के का०ज्ञा०

केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी योजना, इस विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित, दिनांक 30-06-1987 के का०ज्ञा० में विहित है। इसमें यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कर्मचारी के कार्यालय में ही उसका देहांत हो जाने अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियम, 1972 के नियम 38 के तहत, डॉक्टरी आधार पर अथवा सिविल सेवा-विनियमों के तद्नुरूपी प्रावधान के तहत, उसके 55 वर्ष (समूह 'घ' के संबंध में 57 वर्ष) का हो जाने से पहले ही उसे सेवा-निवृत्त कर दिए जाने पर, परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी से राहत दिलाने की दृष्टि से, उसकी विधवा/उसके विधुर पुत्र/उसकी पुत्री/उसके दत्तक पुत्र/उसकी दत्तक पुत्री, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के प्रयोजन से विचार किए जाने के पात्र हैं। इसके अलावा, यदि सरकारी कर्मचारी, अपने कार्यकाल के दौरान अपना देहांत हो जाने डॉक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्त कर दिए जाने के समय अविवाहित रहा हो और उसके अन्य आश्रित हों, तो उस पर आश्रित भाइयों/बहनों में से कोई एक आश्रित, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के प्रयोजन से विचार किए जाने का/की पात्र होगा/होगी, यदि वह उक्त सरकारी कर्मचारी पर आश्रित रहे परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करने का वचन दे। किसी कर्मचारी की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु का हो जाना ही, उसके परिवार को जीविकोपार्जन के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बना देता। सरकार अथवा लोक-प्राधिकारी को दिवंगत कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल करनी होती है और उसे यह संतुष्टि हो जाने पर उक्त परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी की पेशकश की जाती है कि यदि उक्त परिवार के किसी पात्र सदस्य को नौकरी नहीं दी गई तो परिवार आर्थिक संकट से उभर नहीं पाएगा। सरकार का यह मत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04-05-1994 को श्री उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य और श्री अनिल मलिक बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए अपने निर्णय में पुष्ट किया गया है। अत: ऐसी नियुक्ति किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। केवल इस आधार पर ही उक्त परिवार को विभिन्न कल्याण-योजनाओं के तहत आर्थिक लाभ मिला है अथवा विभाग का पुनर्गठन

किए जाने के आधार पर ही ऐसा अनुरोध अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

दिनांक 26-09-95 का का०ज्ञा०

2. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, किसी समूह 'ग' अथवा 'घ' पद में सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत आने वाली अधिकतम 5 प्रतिशत रिक्तियों तक की जा सकती है और इस प्रकार नियुक्त किया गया कर्मचारी, वह जिस श्रेणी मे संबंधित हो उसके आधार पर, भर्ती रोस्टर में उपयुक्त श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी के मद्दे समायोजित किया जाएगा। ऐसी नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है, जब उसके लिए रिक्त पद हों और सरकार का यह मत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-05-1996 (जे०टी० 1996 (5) एस सी 319) के हिमाचल पथ, परिवहन निगम बनाम श्री दिनेश कुमार के मामले और दिनांक 09-10-1996 (जे०टी० 1996 (9) एस०सी० 196) के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम श्रीमती ए-राधिका थिरुमलै (इ) के मामले में दिए गए निर्णय से पुष्ट किया गया है।

दिनांक 23-12-96 का का० ज्ञा०

दिनांक 30-06-87 का का० ज्ञा०

3. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से आवेदक केवल संगत भर्ती नियमों के अनुसार ही पात्र नहीं होने चाहिए बल्कि वे उक्त पद के लिए हर लिहाज से उपयुक्त भी पाए जाने चाहिए। तथापि, निम्नतम अर्थात् समूह 'घ' अथवा अवर श्रेणी-लिपिक (एल डी सी) के स्तर पर नियुक्ति किए जाने के क्रम में, आपवादिक परिस्थितियों में, शैक्षिक अर्हता के संबंध में, अस्थायी तौर पर 2 वर्ष की ढील दी जा सकती है। समूह 'घ' पदों पर, अनुकंपा के आधार पर किसी विधवा को नियुक्त किए जाने की स्थिति में, उसे शैक्षिक अर्हता संबंधी अपेक्षा से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन उक्त अर्हता के बिना भी बखूबी किया जा सकता हो। अनुकंपा के आधार पर, नियुक्ति की गई विधवा को उसकी शादी दोबारा हो जाने के बाद भी सेवा में बने रहने दिया जाएगा।

दिनांक 30-6-87 का का. ज्ञा. दिनांक 17-02-88 का का०ज्ञा०

4. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य भर्ती-प्रक्रिया में ढील देकर अर्थात् कर्मचारी-चयन-आयोग/रोजगार-कार्यालय के सहयोजन के बिना अथवा अधिशेष कर्मचारी-प्रकोष्ठ/रोजगार एवं प्रशिक्षण-महानिदेशालय से अनुमति लिए बिना ही की जाती है। ऐसे मामलों में अधिकतम आयु-सीमा में ढील दी जा सकती है परन्तु निम्नतम आयु सीमा में ढील देकर 18 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता।

5. देर से प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर अर्थात् जिन मामलों में सरकारी कर्मचारी का देहांत काफी अरसा पहले, 5 वर्ष पहले अथवा उससे कुछ कम या ज्यादा अरसा पहले हो गया हो, उनमें भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले पर, यह तथ्य ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है कि अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्ति अधिकांशत:, दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तुरंत सहायता मुहैया कराने संबंधी अपेक्षा से जुड़ी है। केवल यही एक तथ्य कि दिवंगत कर्मचारी का परिवार इतने वर्ष तक किसी तरह निर्वाह-गुजर-बसर करने में सफल रहा है, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए कि उक्त परिवार के पास आजीविका के कुछ भरोसेमंद साधन थे और इसलिए ऐसे मामले बड़ी चौकसी से निबटाए जाने चाहिए और उनके संबंध में निर्णय केवल सचिव के स्तर पर ही लिया जाना चाहिए।

दिनांक 30-06-87 का का० ज्ञा०

6. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिवंगत कर्मचारी के आश्रित के सुपात्र होने के उन वाजिब मामलों में भी जिनमें पहले ही परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य हो, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तभी की जा सकती है जब संबंधित विभाग के सचिव की यह संतुष्टि हो जाए कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पीछे छोड़े गए आश्रितों की संख्या, उसकी परिसंपत्तियों और देयताओं और कमाने वाले सदस्य की आय एवं उसकी देयताओं और इस तथ्य पर गौर करते हुए कि कमाने वाला सदस्य दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ ही रह रहा है और क्या वह परिवार के अन्य सदस्यों के आर्थिक सहारे का निमित्त हो पाएगा या नहीं ऐसा किया जाना उचित है।

7. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने से संबंधित शक्ति विकेन्द्रीकृत कर दी गई है और उक्त शक्ति संबंधित मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में निहित है। अत: इस संबंध में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

दिनांक 20-09-79 का का० ज्ञा०

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी योजना सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों की विधवा/उनके पुत्र/उनकी पुत्री के संबंध में भी लागू है जिनका सेवाकाल में देहांत हो जाए अथवा जो युद्ध में मारे जाएं अथवा डॉक्टरी आधार पर सेवा से निकाल दिए जाएं और सिविल रोजगार के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाएं।

दिनांक 30-10-97 का का० ज्ञा०

9. इस योजना का कार्यक्षेत्र उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में शामिल किए जाने के प्रयोजन से और अधिक बढ़ा दिया गया है, जो लापता हो गए हों और जिनके परिवार के सदस्य आर्थिक संकट का सामना कर रहे हों। ऐसे मामलों में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने पर ही की जा सकती है--

(i) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिए जाने के अनुरोध पर, सरकारी कर्मचारी के लापता हो जाने की तारीख से कम-से-कम दो वर्ष बीत जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है बशर्ते कि इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई/करवाई

गई हो और लापता व्यक्ति का कहीं भी पता नहीं लग रहा हो, तथा सक्षम प्राधिकारी यह महसूस करते हों कि उपर्युक्त मामला यथार्थ है।

(ii) यह लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में नहीं *किया जाएगा*–

(क) जिसके लापता हो जाने की तारीख को, सेवानिवृत्त होने में दो वर्ष से कम समय रह गया हो; या

(ख) जिसके द्वारा धोखाधड़ी किए हुए होने का संदेह हो, या जिसके किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाने या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(iii) लापता सरकारी कर्मचारी के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का किसी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और ऐसी नियुक्ति, इस बारे में मौजूदा योजना में निर्धारित की गई सभी शर्तें पूरी किए जाने पर तथा रिक्त पद की उपलब्धता की स्थिति में ही की जा सकेगी।

(iv) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय, पुलिस की जांच-पड़ताल के निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(v) ऐसे मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के किसी अनुरोध पर निर्णय, संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए।

10. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, उस संबंधित मंत्रालय/विभाग में ही किए जाने तक ही सीमित नहीं है, जिसमें दिवंगत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु हो जाने के समय कार्य कर रहा था। ऐसी नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के, समय-समय पर यथा संशोधित, दिनांक 30-06-1987 के कार्यालय-ज्ञापन सं० 14014/6/86-स्था(घ) में उल्लिखित शर्तें पूरी किए जाने पर भारत सरकार के अधीन कहीं भी की जा सकती है।

दिनांक 30-6-87 का का० ज्ञा०

घटिया कीटनाशक

5122. **श्री वीरेन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कीटनाशक विनिर्माताओं की पहचान कर ली है जिनके उत्पादों के कारण अनेक राज्यों में सैकड़ों किसानों ने उनके घटिया कीटनाशकों के निष्प्रभावी उपयोग के कारण आत्महत्या की थी;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे विनिर्माताओं को किसानों की फसल को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए निर्देश देने का है;

(ङ) क्या सरकार का कीटनाशकों की बिक्री के लिए 'प्राइस-इन-बिल्ट-इंश्योरेंश' योजना आरंभ करने का विचार है ताकि भविष्य में फसल खराब होने पर उसके मूल्य का भुगतान किया जा सके; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) 1968 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण और घटिया कीटनाशी तथा कृमि नाशी के प्रयोग की रोकथाम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की है। इन प्रावधानों के अनुसार, कीटनाशी निरीक्षक विनिर्माताओं के प्रांगणों से, वितरण, बिक्री आदि केन्द्रों से नमूने लेते हैं और उनका राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करते हैं। जब भी कोई कीटनाशी घटिया किस्म का पाया जाता है संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्राधिकारी ऐसे घटिया किस्म कीटनाशियों के विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं के खिलाफ अभियोजनात्मक कार्रवाई करते हैं।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

घटिया किस्म के कीटनाशक

5123. **श्री बासवराज पाटील सेडांम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार में घटिया किस्म के कीटनाशकों के कारोबार को रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार बाजार में कीटनाशकों की गुणवत्ता को बनाए रखने में कहां तक सफल हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कीटनाशक निरीक्षक विनिर्माण परिसरों, वितरण/बिक्री केन्द्रों से नमूना प्राप्त करते हैं तथा राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं में उसका विश्लेषण कराते हैं। जब कभी कीटनाशक घटिया दर्जे के पाए जाते हैं, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उस घटिया कीटनाशक के विनिर्माता/आपूर्तिकर्त्ता के खिलाफ अभियोजनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है।

(ग) समूचे देश में राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए नमूनों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि औसत रूप से 3.0 प्रतिशत कीटनाशक नमूने घटिया पाए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्लेषित नमूनों, घटिया पाए गए नमूनों, निलंबित/निरस्त किए गए लाइसेंस की संख्या तथा शुरू की गई कार्यवाही प्राप्त निर्णयों आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परीक्षण किए गए कीटनाशक नमूनों की संख्या तथा शुरू की गई अभियोजनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	नमूनों की संख्या		लाइसेंस		अभियोग		
		विश्लेषित	घटिया	निलंबित	निरस्त	शुरू किया गया	निर्णय प्राप्त	अपराधी घोषित
1.	1995-96	46,700	1214	9	142	404	20	12
2.	1996-97	45,061	1673	72	142	324	77	42
3.	1997-98	35,606	1052	76	542	162	56	36

पवन ऊर्जा जनरेटर

5124. श्री सी० पी० राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिष्ठापित पवन ऊर्जा जनरेटरों की राज्यवार कुल क्षमता (मेगावाट) कितनी है;

(ख) इसमें निजी क्षेत्र के निवेशकों का कितना हिस्सा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए वृद्धि दर क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पवन ऊर्जा जनरेटरों के निर्माण में लगे अनेक एकक धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें चालू करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(च) इन एककों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) देश में 31-3-1998 तक लगभग 970 मेगावट की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। इसमें से निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की भागीदारी 917 मेगावट की है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमताएं थीं : 382 मेगावाट (1995-96), 169 मेगावाट (1996-97) और 67 मेगावाट (1997-98)।

(घ) से (च) आम आर्थिक मंदी के कारण मांग में कमी होने से पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ निर्माण यूनिटों में पवन विद्युत जनरेटरों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। मांग बढ़ाने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। राज्यों से वाणिज्यिक परियोजनाओं हेतु अनुकूल नीतियों की घोषणा करने और भूमि का आवंटन करने, पवन विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित करने में तेजी लाने तथा विद्युत निकासी सुविधाओं का सृजन करने आदि के लिए आग्रह किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), जो ऐसी परियोजनाओं हेतु उदार ऋण उपलब्ध कराती है, के वित्त पोषण के नियमों को और भी आकर्षक बनाया गया है। उदार ऋण, निर्माण यूनिटों के लिए भी उपलब्ध है। कई राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे मुक्त/रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि भी उपलब्ध हैं। पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम का पवन विद्युत परियोजाओं हेतु संभाव्यता स्थलों की पहचान करने के उद्देश्य से कई और राज्यों और नए क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए बार-बार व्यवसायिक बैठकें और प्रचार अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

राज्यवार पवन विद्युत स्थापित क्षमता (31.3.98 के अनुसार)

(मे०वा०)

राज्य	प्रदर्शन परियोजनाएं	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	कुल क्षमता
तमिलनाडु	19.355	687.940	707.295
गुजरात	17.345	149.565	166.910
आंध्र प्रदेश	3.050	52.740	55.790
कर्नाटक	2.575	14.435	17.010
मध्य प्रदेश	0.590	11.700	12.290
महाराष्ट्र	4.600	0.995	5.595
केरल	2.025	—	2.025
उड़ीसा	1.100	—	1.100
अन्य	0.465	—	0.465
कुल	51.105	917.375	968.480

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि

5125. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :
डॉ० विजय सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़ी निधियों की कुल धनराशि कितनी है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि के अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं और विकास संबंधी क्रियाकलाप पर उसका क्या असर पड़ा है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निधियों का उपयोग न करने के मामलों की जांच करने और उनका उपयोग शीघ्र करने हेतु कोई कदम उठाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1993-94 से 1997-98 तक सांसदों (लोक सभा और राज्य सभा) को 2835.3 करोड़ रुपये की राशि का निर्मोचन किया गया है। उसमें से 1286.3 करोड़ की राशि जिलों में अप्रयुक्त पड़ी है। निर्मोचित निधियों, किए गए व्यय, अप्रयुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्षवार ब्यौरा नहीं रखा जाता क्योंकि निधियां अव्यपगत हैं तथा एक वर्ष की अप्रयुक्त निधियां अनुवर्ती वर्षों में भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं।

(ग) निधियों के उपयोग में कमी के कुछ कारण हैं: संसद, राज्य विधान मंडलों एवं पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होना, सांसदों से अनुशंसाएं देरी से प्राप्त होना, सांसदों द्वारा अनुशंसाओं में रद्दोबदल, जिलाधिकारी कार्यालय में लालफीताशाही, भूमि की अनुपलब्धता इत्यादि। इसके परिणामत: लागत में वृद्धि तथा विकास-कार्य विलंबित हो सकते हैं।

(घ) जब भी कोई मामला विभाग के सामने लाया जाता है उसे सुधारात्मक उपायों के लिए राज्य प्रशासन के साथ उठाया जाता है।

विवरण

लोक सभा और राज्य सभा सांसदों के लिए (दिनांक 31-03-98 तक) निर्मोचित/व्यय की गयी राशि का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	1993-98			
		भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रुपए में)	व्यय की गई राशि (लाख रुपए में)	जारी की गई राशि के उपयोग का प्रति०	अवशेष राशि जो खर्च नहीं की गई (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	21795.0	11430.4	52.4	10364.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1065.0	620.6	58.3	444.4
3.	असम	7555.0	3911.2	51.8	3643.2
4.	बिहार	27210.0	17115.3	62.9	10094.7
5.	गोवा	1015.0	361.1	35.6	653.9
6.	गुजरात	13435.0	5453.7	40.6	7981.3
7.	हरियाणा	5425.0	3262.0	60.1	2163.0
8.	हिमाचल प्रदेश	2635.0	1186.0	45.0	1449.0
9.	जम्मू और कश्मीर	1350.0	312.2	23.1	1037.8
10.	कर्नाटक	15650.0	8130.9	52.0	7519.2
11.	केरल	10495.0	4852.9	46.2	5642.1
12.	मध्य प्रदेश	20875.0	12189.4	58.4	8685.6
13.	महाराष्ट्र	25925.0	13792.3	53.2	12132.7
14.	मणिपुर	1215.0	792.4	65.2	422.6
15.	मेघालय	1165.0	493.8	42.4	671.2
16.	मिजोरम	760.0	638.0	84.0	122.0
17.	नागालैंड	810.0	555.9	68.6	254.1
18.	उड़ीसा	11350.0	5353.5	47.2	5996.5
19.	पंजाब	7305.0	3551.9	48.6	3753.1

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	12525.0	6238.6	49.8	6286.4
21.	सिक्किम	710.0	510.0	71.8	200.0
22.	तमिलनाडु	21585.0	11844.4	54.9	9740.6
23.	त्रिपुरा	915.0	399.2	43.6	515.8
24.	उत्तर प्रदेश	45095.0	29104.1	64.5	15990.9
25.	पश्चिम बंगाल	19685.0	10301.6	52.3	9383.4
26.	अंडमान और निकोबार	305.0	132.7	43.5	172.3
27.	चंडीगढ़	355.0	144.3	40.6	210.7
28.	दादरा नगर हवेली	355.0	164.6	46.4	190.4
29.	दमन और दीव	405.0	216.9	53.5	188.1
30.	दिल्ली	3645.0	1798.0	49.3	1847.0
31.	लक्षद्वीप	305.0	22.3	7.3	282.7
32.	पांडिचेरी	610.0	22.1	3.6	587.9
	कुल योग	283530.0	154902.3	54.6	128627.7

नारियल की खेती

5126. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कायमकुलम नारियल अनुसंधान केन्द्र को कितना बजट आवंटन किया गया;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नारियल की 'रुटविल्ट' बीमारी से निबटने की दिशा में कोई सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केरल राज्य में नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(छ) अन्य राज्यों की तुलना में केरल में नारियल की खेती की उत्पादकता क्या है तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल अनुसंधान केन्द्र कायमकुलम के लिए बजट आवंटन (लाख रुपए में) का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	गैर योजना	योजना
1995-96	84.60	22.50
1996-97	88.75	10.00
1997-98	104.13	16.00

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) अभी नहीं।, फिर भी, गंभीर रूप से संक्रमित बागों में नारियल पाम के वृक्षों के उन्मूलन की सिफारिश की गई है। सामान्य रूप से संक्रमित बागों में प्रबंध क्रियाओं जैसे संतुलित पोषण और कीटनाशकों की पत्तियों पर छिड़काव की वकालत की गई है। रोग सहिष्णु प्रजातियों को विकसित करने के लिए भी प्रजनन कार्य शुरू किया गया है जिसके लिए जल्द संक्रमित होने वाले क्षेत्रों से क्षेत्र प्रतिरोधी जनकों की पहचान कर ली गई है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में नारियल का कुल उत्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

वर्ष		उत्पादन (मिलियन गिरी)
1994-95	–	5335
1995-96	–	5908
1996-97	–	5759

(छ) केरल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तुलना में नारियल की उत्पादकता कम है लेकिन अनेक राज्यों की अपेक्षा अधिक है। नारियल

विकास बोर्ड उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है–

(i) श्रेष्ठ रोपण सामग्री का उत्पादन व वितरण।

(ii) क्षेत्र में विस्तार।

(iii) उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल के बागों की चकबंदी।

(iv) पत्ती खाने वाली सूंडी का समेकित नियंत्रण।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क

5127. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मल्लापुरम जिले में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए केरल राज्य सरकार को कोई अनुदान मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क राज्यवार कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(घ) मल्लापुरम में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल के मल्लापुरम जिले में कक्कनचेरी स्थित खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव का कार्यान्वयन केरल औद्योगिक संरचना विकास निगम, (किनफेरा) जो कि केरल सरकार की स्वायत्त इकाई है, के द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 9 करोड़ रुपये है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी योजना स्कीमों के तहत 2 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने वाले कुल भाग में से (वर्ष 1996-97 और 1997-98 में) 1.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) मोडूलर औद्योगिक संरचना लि०, कलकत्ता से 70 करोड़ रुपये की लागत से प० बंगाल में धनकुई में एक खाद्य पार्क की स्थापना के वास्ते एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीमों के तहत प० बंगाल सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग के माध्यम से वर्ष 1995-96 में इस परियोजना हेतु 75 लाख रुपए का सहायता अनुदान जारी किया है।

(घ) आशा है कि यह परियोजना वर्ष 1999 की द्वितीय तिमाही में पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

मदर डेयरी बिक्री केन्द्र

5128. श्री रामसेठ ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मदर डेयरी ने फलों और सब्जियों के बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) फल तथा सब्जी परियोजना दिल्ली ने दिल्ली तथा नोएडा में बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) फल तथा सब्जी बिक्री केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बूथ सं०	स्थान
1	2
101	कियोस्क-ए०आई०आई०एम०एस०
102	कियोस्क-अरुणगढ़
1002	ग्रेटर कैलाश-I
1004	कालकाजी
1006	लाजपत नगर
1007	लाजपत नगर
1009	डिफेंस कालोनी
1012	आई०आई०टी० कैम्पस
1014	हौजखास
1015	सर्वोदय एनक्लेव
1016	एंड्रूसगंज
1017	कृष्णा मार्किट
1018	मालवीय नगर
1019	पंचशील पार्क
1021	गोविन्द पुरी
1022	ईस्ट ऑफ कैलाश
1023	माऊंट कैलाश
1024	नवजीवन विहार
1026	गुलमोहर पार्क
1031	जंगपुरा एक्सटेंशन-I
1034	मस्जिद मोठ
1036	साउथ एक्स. पार्ट-2
1037	पंचशील एनक्लेव
1038	फ्रैंडस कालोनी
1040	साकेत
1042	दक्षिणपुरी
1043	दक्षिणपुरी एक्सटेंशन
1044	गिरी नगर

1	2
1045	एम०बी० रोड
1050	सादिक नगर
1053	ग्रेटर कैलाश-2
1054	सनलाईट कालोनी
1059	शेख सराय
1060	शेख सराय
1063	एम०बी० रोड-3
1064	मदनगिर
1065	अलकनंदा
1066	सुखेदव विहार
1067	सिद्धार्थ एक्सटेंशन
1068	सरिता विहार
1069	सरिता विहार
1070	साकेत
1071	खेल गांव
1072	कालकाजी एक्सटेंशन
1073	सरिता विहार
1077	अलकनंदा
1079	टीगरी एडजासेंट
1104	आर०के० पुरम, सैक्टर-4
1106	आर०के० पुरम, सैक्टर-8
1107	आर०के० पुरम-12
1109	मुनीरका
1112	बसंत विहार
1113	सफदरजंग एनक्लेव
1117	सफदरजंग
1118	ब्लाक 'सी' वसंत-6
1119	नानकपुरा
1120	दिल्ली कैंट
1121	दिल्ली कैंट
1122	सुब्रतो पार्क
1124	आर०के० पुरम, सैक्टर-1
1126	साऊथ मोती बाग
1127	आर०के० पुरम, सैक्टर-9
1129	वसंत कुंज
1130	मुनिरका विहार
1131	सी-1, वसंत कुंज
1132	वसंत कुंज, सी-8
1133	डी. 3, डी. 4, वसंत कुंज
1134	कटवारिया सराय
1135	सैक्टर बी, पाकेट 10, वसंत कुंज
1138	जे०एन०यू० कैम्पस
1143	आई०ए०ए० कालोनी
1201	लोधी कालोनी
1202	किदवई नगर
1205	मोती बाग
1210	पंडारा रोड
1211	बाबा खड़ग सिंह मार्ग
1215	जोर बाग
1217	बंगाली मार्किट
1218	साऊथ एवेन्यू
1220	लक्ष्मीबाई नगर
1221	काकानगर
1222	गोल मार्किट
1223	बापू धाम, दिल्ली
1224	चाणक्य पुरी
1226	कर्जन रोड
1228	नेताजी नगर
1229	सरोजिनी नगर मार्किट
1232	लोधी कालोनी
1233	काली बालोनी
1301	नारायणा विहार
1303	रणजीत नगर
1304	न्यू राजेन्द्र नगर
1305	पश्चिमी पटेल नगर
1308	साऊथ पटेल नगर
1309	ओल्ड राजेन्द्र नगर
1319	रामजस रोड
1320	इन्द्रलोक
1323	सुभद्रा कालोनी
1332	इन्द्रपुरी
1410	राम नगर

1	2
1412	मिंटो रोड
1501	अशोक विहार
1504	अशोक विहार
1505	वजीरपुर-2
1506	बी-2, लारेंस रोड
1510	किशनगंज
1513	कमला नगर
1515	मुकर्जी नगर
1516	मॉडल टाऊन
1517	गुजरांवाला टाऊन
1518	राणा प्रताप बाग
1520	तीमारपुर
1521	ढक्का कालोनी
1527	जहांगीरपुरी
1528	लारेंस रोड
1536	अशोक विहार
1537	शालीमार बाग
1538	गुलाबी बाग-2
1541	बी०एन० ब्लाक, शालीमार बाग
1543	शालीमार बाग
1544	एस०यू० ब्लाक, पीतमपुरा
1545	पीतमपुरा दक्षिणी
1546	पीतमपुरा उत्तरी
1547	प्रशांत विहार
1548	पीतमुपरा, वी०पी० ब्लाक
1549	राजस्थली, पीतमपुरा
1560	अशोक विहार, फेस-4
1601	राजौरी गार्डन
1602	एम०आई०जी० फ्लैट, हरिनगर
1603	एम० ब्लाक, हरिनगर
1604	जनकपुरी
1605	जनकपुरी
1607	कीर्तिनगर
1611	टैगोर गार्डन
1614	मादीपुर
1616	राजौरी गार्डन
1617	जनकपुरी सी-4-ई
1622	सुभाष नगर
1627	विकासपुरी
1628	डी० ब्लाक, विकासपुरी
1629	एल०एस०सी० जूपिटर अपार्ट० विकासपुरी
1630	जी० ब्लाक, विकासपुरी
1632	सी 2 सी, जनकपुरी
1633	एल०एस०सी० ब्लाक ए, पंखा रोड
1634	ए० 3, जनकपुरी
1636	शकूरपुर
1637	मंगोलपुरी, डी० ब्लाक
1638	मंगोलपुरी
1639	मंगोलपुरी
1640	सुल्तानपुरी
1643	रानी बाग
1644	पंजाबी बाग
1645	पश्चिमपुरी, सी० ब्लाक
1646	जनकपुरी
1647	नांगल राय
1648	रघुवीर नगर
1651	राजौरी गार्डन, जे० ब्लाक
1652	पश्चिम बिहार
1653	सरस्वती विहार
1654	पश्चिम विहार
1655	आर०बी०आई० कालोनी
1656	पुष्पांजलि एनक्लेव
1657	लोक विहार
1658	रोहिणी सेक्टर-8
1659	रोहिणी सैक्टर-7
1660	रोहिणी, सैक्टर-2
1661	अवन्तिका, रोहिणी
1662	रोहिणी, सैक्टर-3
1663	विकासपुरी
1664	कस्तूरबा अपार्टमेंट
1665	रोहिणी सैक्टर-3, दिल्ली
1666	सैक्टर-4, रोहिणी

1	2
1667	रोहिणी, सैक्टर-5
1668	रोहिणी, सैक्टर-8
1669	रोहिणी, सैक्टर-7
1670	सैक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली
1671	विकासपुरी, ए ब्लाक
1672	जी०एच०-13, पश्चिमपुरी
1673	जी०एच० 5/7, पश्चिमपुरी
1674	सीएससी, सीसीआईई, पश्चिमपुरी
1675	मंगोलपुरी 'एक्स' ब्लाक
1676	सुल्तानपुरी
1677	सुंदर विहार
1678	इंदिरा एनक्लेव
1679	गुरु हरकिशन नगर
1680	जी०एच० पश्चिम विहार
1686	बी ब्लाक, सैक्टर-14, रोहिणी
1687	सी०एस०सी० 2, सैक्टर 13, रोहिणी
1688	रोहिणी सैक्टर 15, एफ-2 एफ-3 ब्लाक
1689	पाकेट 1/2, सैक्टर 16, रोहिणी
1690	सी०एस०सी० 2, सैक्टर-9, रोहिणी
1692	सैक्टर-11, रोहिणी
1696	सी०एस०सी०, रोहिणी, सैक्टर 15
1697	रोहिणी, सैक्टर 15, जी० ब्लाक
1699	रोहिणी, सैक्टर 18
1702	गीता कालोनी
1706	विवेक विहार
1710	बी० ब्लाक, नंद नगरी
1711	नंदनगरी
1712	खिचड़ीपुर
1715	कृष्णा नगर
1723	प्रीत विहार
1725	मयूर विहार, फेज-2
1726	दिलशाद गार्डन
1727	निर्वाणा अपार्टमैंट, मंडावली
1728	सी०एस०सी० बालको अपार्टमैंट-मांड
1927	सी०एस०सी० 4, मंडवाली फाजा

1	2
1730	गगन विहार
1731	एजीसीआर एनक्लेव
1732	यमुना विहार
1733	मयूर विहार, फेज-1
1734	आनंद विहार
1735	सी०एस०सी०, मानसरोवर पार्क
1736	डी०डी०ए० मार्किट लोनी रोड, शाहदरा
1737	सी०एस०सी०, सूरजमल विहार
1738	पांडव नगर
1739	मयूर विहार
1740	मयूर विहार, पाकेट-2, पी०
1741	सी०एस०सी०, समाचार अपार्टमैंट
1742	सी०एस०सी०, मयूर विहार, एक्सटेंशन, फेज-2
1743	स्वास्थ्य विहार
1744	आनंद विहार, डी० ब्लाक
1749	मयूर विहार-3, सी०एस०सी०-1, पाकेट-ए
1754	पीएससी वसुंधरा
	नौएडा (उ०प्र०) में बिक्री केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा
1801	नौएडा, सैक्टर-12
1802	नौएडा, सैक्टर-15
1803	नौएडा, सैक्टर-20
1804	नौएडा, सैक्टर-19
1805	नौएडा, सैक्टर-27
1806	नौएडा, सैक्टर-37
1807	नौएडा, सैक्टर-21
1808	नौएडा, सैक्टर-22
1809	नौएडा, सैक्टर-26
1810	नौएडा, सैक्टर-29
1811	नौएडा, सैक्टर-55
1812	नौएडा, सैक्टर-15ए
1813	नौएडा, सैक्टर-40
1814	नौएडा, ब्लाक सी, सैक्टर-22
1815	नौएडा, सैक्टर-34
1818	नौएडा, सैक्टर-30

[अनुवाद]

मुल्लापेरियार बांध

5129. श्री टी० गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल और तमिलनाडु के बीच 'मुल्लापेरियार बांध' के जल बंटवारे के संबंध में तमिलनाडु/केरल सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

5130. श्री महेश कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं की थी।

(ग) से (ङ) गुजरात सरकार ने हाल में आए तूफान के कारण राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनएफसीआर) से 600.65 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। एक अंतर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने राज्य में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दी है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर अंतर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर आईएमजी की सिफारिशों को, एनएफसीआर से राज्य को दी जाने वाली सहायता की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए, राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एनसीआरसी) द्वारा जल्द ही विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

जासूसी करने वाले उपग्रह का छोड़ा जाना

5131. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा हाल ही में छोड़ा गया एक उपग्रह भारत और पाकिस्तान की जासूसी करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ओरियन कूट नाम से 6 टन वाले एक उपग्रह को केप कार्निवाल से छोड़े जाने संबंधी कोई समाचार है;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत ने अमरीका के इस कदम तथा इसके द्वारा भारत की जासूसी किए जाने का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका के पास संचार के साथ-साथ प्रतिरूपी और जासूसी प्रयोजनों के लिए बड़ी संख्या में उपग्रह मौजूद हैं।

ओरियोन नामक एक उपग्रह 8 मई, 1998 को केप कानावरल से छोड़ा गया था। इसके पद-चिह्न अथवा इसका क्षेत्र चीन, भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और दोनों कोरियाई देश हैं।

(ग) भारत सहित अन्य देशों की तरह अमरीका को अन्तरिक्ष में अपने उपग्रह छोड़ने का अधिकार है।

इस समय ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय नहीं है, जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को अपने क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष से सूचना एकत्र करने से रोक सके। बाह्य अंतरिक्ष से दूर संवेदी से संबद्ध सिद्धांत भी, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1986 में पारित किया था, किसी देश को दूसरे देश के ऊपर अंतरिक्ष से अवलोकन करने से प्रतिबंधित नहीं करते।

(घ) और (ङ) अत: ऐसी गतिविधि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा विरोध करने का कोई अवसर नहीं है।

गैर-संवर्ग (राजपत्रित) कर्मचारी

5132. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में गैर-संवर्ग (राजपत्रित) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के प्रावधानों/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वरीयता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति का प्रावधान न होने के कारण गैर-संवर्ग राजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए हर बार संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से गुजराना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो वरीयता के आधार पर उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वरीयता के आधार पर कितने विभागीय उम्मीदवार पदोन्नत हुए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग में सलाहाकर स्तर के पद प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित)/सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। अपर सलाहकार, संयुक्त सलाहकार, उप-सलाहकार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी स्तर के पद मिश्रित प्रक्रिया अर्थात् प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) से भरे जाते हैं, जिसके कार्यरूप में परिणत न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारियों के मामले में, कुछ प्रतिशत सीधी भर्ती आधार पर भरे जाते हैं। सलाहकार/अपर सलाहकार का चयन योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति द्वारा और अन्यों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हां। विभागीय प्रत्याशियों को प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग/योजना आयोग की चयन समिति के माध्यम से आना होता है। चूंकि ये पद विलगित प्रकृति के हैं, अतएव केवल वरिष्ठता आधार पर प्रोन्नति देने के लिए कोई कार्रवाई अवेक्षित नहीं होती। चूंकि गैर-संवर्ग (राजपत्रित) के प्राय: सभी पद विलगित प्रकृति के हैं और उसमें इस प्रकार विचारार्थ कोई फीडर ग्रेड नहीं हैं, अतएव केवल वरिष्ठता आधार पर प्रोन्नति देने के लिए कोई कार्रवाई अवेक्षित नहीं होती।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

5133. **श्री रामशकल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उर्वरकों पर राजसहायता के लाभ प्रयोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सरकार का कोई कार्य-योजना बनाने का विचार है; और

(ग) उक्त कार्य-योजना को कब तक तैयार और लागू किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री के लिए उर्वरक निर्माताओं एवं आयातकों को राजसहायता देती है। यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत एकमात्र उर्वरक है। बिक्री एवं अन्य स्थानीय करों के अतिरिक्त यूरिया का अधिकतम बिक्री मूल्य 3660/- रुपये प्रति मी० टन है। विनियंत्रित फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरकों जैसे डाइअमोनियम फॉस्फेट, पोटाश काम्पूरिएट, सिंगल एवं पोटाश सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं मिश्रणों के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार निर्दिष्ट करती है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर उर्वरकों के बेचे जाने की सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

5134. **श्री मुकुल वासनिक :**
डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री भीम दाह्याल :
श्री गुरुदास कामत :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1998 को साप्ताहिक समाचार पत्रिका 'आउटलुक' में 'मिलवॉरम बाइट्स बी०ए०आर०सी०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का कम्प्यूटर प्रणालियों में सेंध लगाने वाले हैकर्स के खिलाफ नीति बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कम्प्यूटरों की हैकिंग के बारे में समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों के प्राप्त होते ही तुरन्त एक समिति को इस मामले की जांच हेतु नियुक्त कर दिया गया था। समिति ने सभी संदेशों की जांच करने के बाद पुष्टि की कि केवल ई-मेल कम्प्यूटर नेटवर्क तक ही पैठ की गई और इन हैकर्स के कोई संवदेनशील सूचना हाथ नहीं लग सकी। इन हैकर्स द्वारा प्राप्त की गई सूचना में कुछ सरल ई-मेल संदेश और कुछ मूलभूत अनुसंधान संबंधी परिणाम हैं जो बहरहाल किसी वैज्ञानिक जर्नल में छपेंगे ही। अभिकलन और अन्य इन-हाउस सूचना संसाधन के लिए काम में लाए जाने वाले कम्प्यूटरों में से कोई संवदेनशील सूचना प्राप्त कर लेने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है क्योंकि इन कम्प्यूटरों का इंटरनेट अथवा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से बाहर के किसी अन्य नेटवर्क से भौतिक रूप से कोई संबंध नहीं है।

(ग) और (घ) यह सर्वविदित है कि इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटरों तक सिद्धांतत: चतुर हैकर्स सुरक्षा पाशों को तोड़कर पहुंच सकते हैं, भले ही विभिन्न साफ्टवेयर पैकेजों द्वारा साफ्टवेयर के लिए कितने भी स्तरों के बचाव की व्यवस्था की गई हो। तथापि, परमाणु ऊर्जा विभाग ई-मेल कम्प्यूटरों की सुरक्षा को और अधिक कड़ी करने तथा न केवल भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बल्कि परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी यूनिटों में भी ई-मेल पर उपलब्ध जन-सामान्य के अधिकार क्षेत्र की सूचना को भी अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने के संयोग को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

पोलिमेटेलिक नोड्यूल्स का उत्खनन

5135. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्र तलहटी से पोलिमेटेलिक नोड्यूल्स उत्खनन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महासागर विकास विभाग (मविवि) के तकनीकी स्कंध राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०ओ०टी०) चेन्नई ने, बहुधात्विक पिण्डिकाओं के गहरा समुद्र संस्तर खनन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास हेतु सहयोग के लिए जर्मनी के सीगन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है।

जनवरी, 1998 में हुए समझौते में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) हिन्द महासागर के खुले सागर में 500 मीटर की गहराई तक उथला संस्तर खनन प्रदर्शन के लिए विद्यमान क्रालर को आवश्यक उपप्रणालियों, नियंत्रण एवं उत्थापन तथा अन्य पुर्जों से सुसज्जित एवं संशोधित करना।

(ii) मध्य हिन्द महासागर बेसिन के संभाव्य खान स्थल से बहुधात्विक पिण्डिकाओं की 25,000 टन/वर्ष क्षमता वाली गहरा समुद्र संस्तर खनन प्रणाली स्थापित करने के लिए विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार करके समुद्र संस्तर खनन से संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण।

इस परियोजना की अवधि दो वर्ष है एवं इसकी अनुमानित लागत 16.09 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग

5136. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पहले से कार्य कर रही यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी तथा अमेरिका मैक्सिको तथा कनाडा के सहयोग से बनी नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा एशिया पेसिफिक इकानामिक को आपरेशन नामक नए व्यापारिक ब्लाक के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत तथा इसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश इन सभी समूहों से अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पड़ोसी देशों विशेष रूप से दक्षेस देशों के बीच व्यावहारिक आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि यूरोपीय संघ और उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार से भिन्न एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (मुक्त व्यापार करार) नहीं है और (अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र) के आधार पर मुक्त क्षेत्रवाद और उदारीकरण इसके आधारभूत सिद्धांत हैं।

(ग) भारत ने 1991 के बाद से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के क्रियाकलापों में भागीदारी के प्रति अपनी इच्छा का औपचारिक रूप से संकेत दिया है और हाल ही में इसके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग कार्यकारी दल में एक अतिथि के रूप में भाग लिया है।

नवम्बर, 1997 में वैंकूवर में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के नेताओं की पांचवीं बैठक में 'एकजुटता की दस वर्षीय अवधि' पर निर्णय हुआ था जिसके बाद सदस्यता के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। चूंकि इस निर्णय ने दस वर्ष की अवधि तक नये सदस्यों के प्रवेश पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है इसलिए इस संबंध में कोई तात्कालिक उपाय विचाराधीन नहीं है। तथापि हमने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को इस विषय में अपनी इच्छा से ठीक तरह से अवगत करा दिया है क्योंकि हमारा यह पक्का विश्वास है कि हम इसमें भाग लेने से अपने को लाभ पहुंचाते हुए इस समूहीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब यह बात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्यों के लिए सोचने की है कि वे भारत की भागीदारी की क्षमता को कितनी मान्यता देते हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय और उत्तरी अमरीकी मुक्त व्यापार करार के संबंध में भारत इनमें से किसी भी समूह का सदस्य नहीं हो सकता क्योंकि भारत इन संगठनों की सदस्यता के लिए निर्धारित मौजूदा भौगोलिक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

तथापि सरकार इन समूहों के सदस्यों के साथ घनिष्ठ और मजबूत व्यापार और निवेश संबंध और आर्थिक सहयोग का अनुसरण कर रही है।

(घ) सरकार ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों, दूरस्थ पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार्य आर्थिक साझेदारियां बनाने के लिए संभावित कदम उठाए हैं। सार्क और साप्टा दोनों के परिप्रेक्ष्य में तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ वार्ताकार साझेदारी के रूप में भी सरकार व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए पहल करने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। बी बी एन आई जी क्यू (बंगलादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया चहुंमुखी प्रगति) बी आई एम एस टी ई सी (बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड आर्थिक सहयोग) और आई ओ आर ए आर सी (क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रीम संघ) के तत्वाधान में संपर्क स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

अमरीकी सरकारी प्रवक्ता द्वारा उग्र भाषा का प्रयोग

5137. श्री के० एस० राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमरीकी सरकार के विदेश विभाग के प्रवक्ता जेम्स रूबीन के 20 मई, 1998 को वाशिंगटन में दिए गए उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने भारत और भारत के गृह मंत्री के विरुद्ध उग्र भाषा का प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा पता की गई वस्तु स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को उपयुक्त स्तर पर अमरीकी सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार ने 21 मई, 1998 को जारी आधिकाधिक प्रवक्ता के वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विदेश विभाग के प्रवक्ता श्री जेम्स रूबिन की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

अपने वक्तव्य में कहा गया था कि "किसी देश के वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं के प्रति संकेतों में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता।" यह भी कहा गया था कि भारत को आशा है कि भारत के प्रति ऐसा शिष्टाचार बरता जाएगा।

नेपाल से लगी सीमा

5138. श्री डी० एस० अहिरे :
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1998 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'इंडिया, नेपाल टू स्टेप अप विजिल अगेन्स्ट अल्ट्रास' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत सरकार ने नेपाल के साथ लगी सीमा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। दोनों देशों के बीच 16 से 18 जून, 1998 के बीच सीमा प्रबंध से संबंधित संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक और गृह सचिव स्तर पर बातचीत नई दिल्ली में हुई थी।

सीमा प्रबन्ध से संबंधित संयुक्त कार्यकारी दल इस समय एक-दूसरे की जमीन को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयोग में लड़ने और अवांछनीय तत्वों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने में लगा हुआ है। इसकी अब तक काठमांडु और नई दिल्ली में दो बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में दोनों पक्षों ने अवांछनीय तत्वों द्वारा भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से अनेक निर्णय लिए। संयुक्त कार्यकारी दल के निर्णयों की समीक्षा करने और आगे कार्यवाही करने के लिए 18 जून, 1998 को नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर पर बातचीत हुई थी। नेपाल ने बार-बार अपनी इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की है कि वह भारत की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा पूर्वाग्रहग्रस्त क्रियाकलापों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

1991 में भारत और नेपाल ने अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण से संबंधित एक द्विपक्षीय सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें प्रभावी ढंग से सीमा नियंत्रण, दोनों पक्षों के बीच सूचना का आदान-प्रदान और आवधिक परमार्श के प्रावधान शामिल हैं ताकि भारत-नेपाल की खुली सीमा के आर-पार नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और प्रभावी ढंग से उनका मुकाबला किया जा सके।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

5139. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटी किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष खरीफ के मौसम में कृषि मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित धान के प्रति क्विंटल मूल्य के अतिरिक्त देश के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार बोनस भी देती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में हताशा में की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यप्रणाली तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ-साथ अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर प्रत्येक मौसम में धान सहित (सामान्य एवं श्रेणी 'क' किस्म) मुख्य कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ने चालू खरीफ विपणन वर्ष 1997-98 के लिए धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस नहीं दिया है।

(ग) राज्य सरकारों एवं उनके खरीद अभिकरणों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की खरीद करता है। संपूर्ण देश में खरीद केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क है जो किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ देता है एवं मजबूरन बिक्री की संभावना को दूर करता है। उड़ीसा से निर्दिष्ट विशेष किस्म के धान की किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

यूरिया का असंतुलित प्रयोग

5140. श्री माधवराव पाटील :
डॉ० रवि मल्लू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग अत्यधिक गति से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 में अलग-अलग विभिन्न उर्वरकों की कितनी-कितनी मात्रा में खपत हुई है;

(ग) इस विसंगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1998 के 'दैनिक जागरण' में 'मंहगी पड़ने वाली है सस्ती यूरिया' के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न उर्वरकों की खपत के अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग करने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और उन्हें शिक्षित करने में इलेक्ट्रानिक मीडिया की क्या भूमिका है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। यूरिया और अन्य उर्वरकों के प्रयोग से असंतुलन बढ़ा नहीं है। बल्कि इसके विपरीत उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की दिशा में सुधार हुआ है। एन० पी० तथा के० युक्त उर्वरकों की खपत पोषक तत्वों की दृष्टि से इस प्रकार है :

(लाख मी० टन)

वर्ष	एन०	पी०	के०
(i) 1996-97 (अनु०)	103.02	29.77	11.29
(ii) 1997-98 (अनु०)	111.12	39.31	13.71

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत सरकार किसानों को पी० तथा के० युक्त उर्वरकों को रिआयती दर पर उपलब्ध कराती है ताकि उनके प्रयोग में और अधिक सुधार लाया जा सके।

(च) फास्फोरस तथा पोटाश युक्त (पी० तथा के०) उर्वरकों की रिआयती दर पर उपलब्ध कराने के अलावा, भारत सरकार उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिससे मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत जैविक खादों के उत्पादन और प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पूरक संसाधनों से पौध पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता हासिल की जा सके। संतुलित उर्वरक की अवधारणा का कृषि दर्शन/कृषि चर्चा के रूप में इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा

5141. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रगति की गई और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सौर ऊर्जा चालित हैंड पंप और लैंप इतने महंगे हैं कि राज सहायता देने के बावजूद लोग इसका लाभ उठाने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो सौर चालित इन हैंड पंपों और लैंपों की कीमत को कम करने और उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पहुंच के अंदर लाना सुनिश्चित करने तथा अतिरिक्त राज सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) भारत सरकार प्रकाशवोल्टीय और तापीय पद्धति के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

सौर प्रकाशवोल्टीय (एस पी वी) कार्यक्रम के अंतर्गत, सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, जल पंपन प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों पर आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों, राज्य विद्युत बोर्डों, आदित्य सौर दुकानों तथा चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से कुछ मदों के लिए उदार ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए देश में लगभग 32 मेगावाट कुल क्षमता की सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना की गई है।

सौर तापीय कार्यक्रम के अंतर्गत सौर कुकर, घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए जल तापन प्रणालियों, वायु तापन प्रणालियों तथा निथरन प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) तथा पांच कमर्शियल बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे *।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत, 30-6-1998 तक देश में निम्नलिखित सौर तापीय उपकरणों तथा प्रणालियों को स्थापित किया गया है :

उपकरण/प्रणाली	स्थापित
सौर कुकर (सं०)	4,56,902
सौर जल तापक (वर्ग मीटर)	4,20,000
सौर लालटेन (सं०)	1,82,045
घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं०)	73,616
सड़क रोशनी प्रणालियां (सं०)	32,707
सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (सं०)	2,519
गैर ग्रिड संबद्ध एस० पी०वी० विद्युत संयंत्र/ पैक्स (किवा० पी० में समग्र क्षमता)	1,000
ग्रिड संबद्ध एस० पी० वी० विद्युत संयंत्र (समग्र क्षमता किवा० पी०)	810

(ख) और (ग) पारंपरिक उत्पादों की तुलना में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की प्रारंभिक लागत अधिक है। सौर पंपों के मामले में, उपयोगकर्त्ताओं के लिए उदार ऋण भी उपलब्ध है। वित्तीय दलाल, सौर उत्पादों के लिए उपलब्ध 100 प्रतिशत अवमूल्यन लाभ उठाकर प्रणाली की अपेक्षाकृत कम दाम में पेशकश कर सकते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन भी इन उत्पादों की पेशकश किस्तों की अदायगी के आधार पर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं

5142. **श्री विट्ठल तुपे :**
श्री माधव राव पाटील :

श्री **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता युक्त न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने विभिन्न राज्यों को अपने राज्य में लोगों को उक्त बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा आज तक प्रयुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा धनराशि के उपयोग किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। जुलाई, 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए कुछ न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (बी एम एस) की पहचान की थी जिसे समयबद्ध तरीके से देश के सभी लोगों को मुहैया कराया जाना है। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम शुरू किया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए किए गए प्रावधानों तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निधियों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी थी। जहां वर्ष 1996-97 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए 2244 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी, वहीं 1997-98 के दौरान इसे बढ़ाकर 2970 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 1997-98 के दौरान न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) न्यूनतम बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम के लिए पहचान की गई सात मूलभूत सेवाएं हैं। सबके लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, आवासविहीन गरीबों को सार्वजनिक आवास सहायता, प्राथमिक स्कूली बच्चों तथा अन्य अलाभान्वित समुदायों को पौषणिक सहायता, असंबद्ध गांवों और रिहायशी स्थानों की सहबद्धता तथा गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना।

(ग) और (घ) न्यूनतम बुनियादी सेवाएं क्षेत्रक में निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस) हैं :

क्षेत्रक	सी एस एस
प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा	– परिवार कल्याण कार्यक्रम (विवरण-II)
स्वच्छ पेयजल	– त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (विवरण-III)
	– त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (विवरण-III)
सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा	– आपरेशन ब्लैकबोर्ड (विवरण-IV)
	– अनौपचारिक शिक्षा (विवरण-V)
पोषाहार	– प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता (मध्याह्न भोजन) (विवरण-VI)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	– चल वाहनों/ट्रकों की खरीद (विवरण-VII)
	– गोदामों का निर्माण (विवरण-VII)
	– आसूचना, प्रवर्तन, जनशक्ति और पी डी एस संबंधी प्रशिक्षण (विवरण-VII)
ग्रामीण आवास	– इंदिरा आवास योजना (विवरण-VIII)

1997-98 के लिए उपर्युक्त केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आवंटन और अथवा जारी निधियां और प्रत्याशित व्यय संबंधी उपलब्ध सूचनाएं संलग्न हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निधियों के शीघ्र उपयोग किए जाने पर जोर देती है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियों का जारी किया जाना पहले स्वीकृत निधियों के संतोषप्रद उपयोग की शर्तों पर आधारित है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1997-98 के संबंध में न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन

करोड़ रुपये

(क)	गैर विशेष श्रेणी राज्य	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1997-98
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	170.59
2.	बिहार	364.07
3.	गोवा	1.55
4.	गुजरात	72.58
5.	हरियाणा	19.08
6.	कर्नाटक	99.42
7.	केरल	78.69
8.	मध्य प्रदेश	210.00
9.	महाराष्ट्र	132.23
10.	उड़ीसा	147.45
11.	पंजाब	25.59
12.	राजस्थान	132.98
13.	तमिलनाडु	119.80
14.	उत्तर प्रदेश	456.84
15.	पश्चिम बंगाल	203.57
	उप जोड़	2234.44
(ख)	विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	62.18
2.	असम	163.80
3.	हिमाचल प्रदेश	64.41
4.	जम्मू व कश्मीर	156.52
5.	मणिपुर	44.30
6.	मेघालय	37.03
7.	मिजोरम	36.87
8.	नागालैंड	37.53
9.	सिक्किम	25.65
10.	त्रिपुरा	46.37
	उप जोड़	674.66
(ग)	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	14.20
2.	पांडिचेरी	6.13
3.	अ० और नि० द्वीपसमूह	13.19
4.	चंडीगढ़	5.87
5.	दादरा व नगर हवेली	1.71
6.	लक्षद्वीप	2.27
7.	दमन और दीव	1.36
	उप जोड़	44.73
	कुल योग	2953.83

1997-98 में बी एम एस हेतु कुल 2970/- करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी। उपरोक्त के अनुसार 2953.83 करोड़ रुपये राज्यों में आवंटित किए गए थे। शेष राशि में से 10 करोड़ रुपये जालंधर जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए अतिरिक्त रूप से पंजाब को आवंटित किए गए थे।

विवरण-II

परिवार कल्याण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु राज्यों को नकद एवं सामग्री के रूप में जारी की गई निधियां

क्रम सं०	राज्य	1997-98		
		नकद रूप में	सामग्री रूप में	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8838.71	2387.25	11225.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.73	89.65	237.38
3.	असम	3284.70	1165.61	4450.31
4.	बिहार	9894.51	2727.31	12621.82
5.	गोवा	168.13	38.70	206.83
6.	गुजरात	9446.00	1877.12	11323.12
7.	हरियाणा	3521.84	722.46	4244.30

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1123.72	307.30	1431.02
9.	जम्मू और कश्मीर	1873.62	264.16	2137.78
10.	कर्नाटक	5185.49	1275.84	6461.33
11.	केरल	2981.46	937.70	3919.16
12.	मध्य प्रदेश	6765.52	3227.78	9993.30
13.	महाराष्ट्र	8289.64	2388.04	10677.68
14.	मणिपुर	452.95	132.90	585.85
15.	मेघालय	300.91	96.13	397.04
16.	मिजोरम	221.36	74.68	296.04
17.	नागालैंड	209.05	59.19	268.24
18.	उड़ीसा	4821.63	1337.46	6159.09
19.	पंजाब	2451.93	1117.79	3569.72
20.	राजस्थान	7299.73	2176.96	9476.69
21.	सिक्किम	218.87	46.00	264.87
22.	तमिलनाडु	10835.89	1924.08	12759.97
23.	त्रिपुरा	411.50	161.28	572.78
24.	उत्तर प्रदेश	19276.48	5797.10	25073.58
25.	पश्चिम बंगाल	5201.99	2505.16	7707.15
	जोड़ :	113223.36	32837.65	146061.01

परिवार कल्याण विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को चलाने में लगी आधारसंरचना एवं जनशक्ति की लागत तथा कार्यक्रम के प्रचालनीकरण हेतु नकद एवं सामग्री रूप में सहायता की पूर्ति के लिए परिवार कल्याण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम (100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा निधि पोषित) हेतु प्रत्येक राज्य को निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति परिवार कल्याण विभाग द्वारा, बाद के वर्ष में, राज्य को सौंपे गए लेखा परिक्षित लेखा विवरण के आधार पर, बकायों के रूप में की जाती है। पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित लेखा विवरण उपलब्ध नहीं है तथा राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है। अत: इस तालिका में राज्यों को नकद एवं सामग्री के रूप में जारी की गयी निधियों की ही जानकारी दी गई है।

विवरण-III

1997-98 में तीव्रीकृत ग्रामीण जल-आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) एवं तीव्रीकृत शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आवंटन, दी गई राशि एवं व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एआरडब्ल्यूएसपी			एयूडब्ल्यूएसपी*	
		आवंटन	जारी राशि	व्यय	आवंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	7964.00	8806.80	8782.10	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1444.60	2476.00	1959.20	21.16	21.16
3.	असम	2438.00	2376.50	1001.80	140.00	140.00
4.	बिहार	9380.00	0.00	45.40	139.85	0.00
5.	गोवा	227.00	196.50	328.30	17.42	0.00
6.	गुजरात	4987.00	5886.60	4441.80	149.35	0.00
7.	हरियाणा	2736.00	3259.20	3408.10	58.05	87.03
8.	हिमाचल प्रदेश	1596.00	1709.00	1157.70	21.90	44.95
9.	जम्मू और कश्मीर	4431.00	4694.00	2350.00	13.46	41.61
10.	कर्नाटक	7325.00	9937.70	9146.60	179.96	179.96
11.	केरल	3724.00	3564.70	2773.70	64.39	64.39
12.	मध्य प्रदेश	8817.00	8345.70	5112.80	417.98	417.98
13.	महाराष्ट्र	10602.00	12087.20	10465.00	176.80	271.80

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	529.00	907.00	224.70	44.18	90.99
15.	मेघालय	568.00	743.20	730.90	8.09	38.92
16.	मिजोरम	406.00	583.60	490.10	23.02	51.68
17.	नागालैंड	422.00	211.00	211.00	11.20	34.36
18.	उड़ीसा	4173.00	5038.40	3468.90	111.62	156.62
19.	पंजाब	1330.00	1714.00	1784.30	60.95	0.00
20.	राजस्थान	11863.00	13783.20	10980.70	171.52	171.52
21.	सिक्किम	372.00	435.60	435.60	3.11	0.00
22.	तमिलनाडु	6314.00	5834.40	7947.00	170.46	205.46
23.	त्रिपुरा	503.00	762.00	994.60	29.24	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	15182.70	7403.10	676.57	776.57
25.	पश्चिम बंगाल	5704.00	4411.50	4422.40	89.72	0.00
26.	अंड० और नि० द्वीप समूह	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दमन और दीव	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	रा० राज० क्षेत्र दिल्ली	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	5.00	10.00	1.80	0.00	0.00
	कुल	112690.00	112956.30	90867.60	2800.00	2795.00

*एयूडब्ल्यूएसपी 20,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिए है। (1991 की जनगणना के अनुसार)

राज्यों ने केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्रकों के लिए सम्मिलित व्यय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अत: केन्द्रीय योजना-व्यय हेतु अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-IV

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

बजट अनुमान 1997-98 : 304.00

संशोधित अनुमान 1997-98 : 301.00

1997-98 के दौरान जारी की गई निधियां

(31-3-98 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वेतन	टीएलई	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	913.61	122.40	1036.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.20	62.75	64.95
3.	असम	2441.64	1076.00	3517.64
4.	बिहार	—	1547.20	1547.20
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	3564.52	3564.52
7.	हरियाणा	7.79	21.60	29.39
8.	हिमाचल प्रदेश	392.75	617.60	1010.35
9.	जम्मू और कश्मीर	1952.00	—	1952.00
10.	कर्नाटक	250.00	3282.00	3532.00
11.	केरल	—	310.84	310.84
12.	मध्य प्रदेश	—	3000.00	3000.00

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	2447.79	2299.05	4746.84
14.	मणिपुर	—	180.20	180.20
15.	मेघालय	175.92	—	175.92
16.	मिजोरम	—	39.52	39.52
17.	नागालैंड	3.61	—	3.61
18.	उड़ीसा	—	548.83	548.83
19.	पंजाब	199.95	133.60	333.55
20.	राजस्थान	—	400.00	400.00
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	725.00	—	725.00
23.	त्रिपुरा	112.15	175.00	287.15
24.	उत्तर प्रदेश	156.66	2124.00	2280.66
25.	पश्चिम बंगाल	—	203.82	203.82
26.	अं० और नि० द्वीप समूह	—	18.00	18.00
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दा० व न० हवेली	—	18.50	18.50
29.	दमन और दीव	—	20.25	20.25
30.	दिल्ली	113.60	96.40	210.00
31.	लक्षद्वीप	—	2.00	2.00
32.	पांडिचेरी	—	10.00	10.00
*हुडको लि०		—	—	1.25
एनआईईपीए		—	—	100.00
कार्यालय खर्च		—	—	30.00
	कुल :	9894.67	19873.48	29900.00

मानो 299.00 करोड़ रुपये

*आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अंतर्गत राज्य को कोई उचित आवंटन नहीं किए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत किए गए आवंटन प्रत्याशित व्यय के अनुरूप हैं।

विवरण-V

अनौपचारिक शिक्षा (एनएफई) कार्यक्रम 1997-98 के दौरान जारी किए गए अनुमोदन

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी अनुदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3128.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	528.53
4.	बिहार	3793.24
5.	गुजरात	66.04
6.	जम्मू व कश्मीर	75.35
7.	मध्य प्रदेश	2554.21
8.	मणिपुर	311.26
9.	मेघालय	17.35
10.	मिजोरम	8.70
11.	उड़ीसा	1205.48
12.	राजस्थान	1544.01
13.	तमिलनाडु	254.94
14.	त्रिपुरा	13.49
15.	उत्तर प्रदेश	4252.50
16.	चंडीगढ़	0.14
17.	दादरा व नगर हवेली	5.06
18.	हरियाणा	54.69
19.	हिमाचल प्रदेश	22.16
20.	कर्नाटक	33.76
21.	महाराष्ट्र	153.84
22.	पश्चिम बंगाल	103.36
23.	दिल्ली	23.38
	कुल :	18150.45

एनएफई स्कीम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई उपयुक्त आवंटन नहीं दिए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां प्रत्याशित व्यय के अनुरूप हैं।

विवरण-VI

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए देय, दावा की गई और प्रतिपूर्ति की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठाई गई मात्रा	देय ढुलाई प्रभार	राशि* दावा की गई और प्रतिपूर्ति की गई
		मीट्रिक टन	लाख रुपये	लाख रुपये
		1997-98	1997-98	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	188652	943.26	369.76

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	489	2.45	1.17
3.	असम	27801	139.00	36.98
4.	बिहार	76443	382.21	14.07
5.	गोवा	1470	7.35	0
6.	गुजरात	24356	121.78	56.80
7.	हरियाणा	38622	193.11	87.46
8.	हिमाचल प्रदेश	17098	85.49	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	135767	678.83	55.29
11.	केरल	53795	268.97	0
12.	मध्य प्रदेश	161140	805.70	233.61
13.	महाराष्ट्र	215278	1076.34	45.41
14.	मणिपुर	5650	28.25	6.99
15.	मेघालय	6218	31.09	1.88
16.	मिजोरम	2900	14.50	0
17.	नागालैंड	2608	13.04	0
18.	उड़ीसा	77049	385.24	7.67
19.	पंजाब	15416	77.08	.18
20.	राजस्थान	92585	462.92	82.07
21.	सिक्किम	1077	5.38	5.41
22.	तमिलनाडु	108225	541.12	65.93
23.	त्रिपुरा	11728	58.64	14.87
24.	उत्तर प्रदेश	367483	1837.41	420.58
25.	पश्चिम बंगाल	64028	820.14	84.54
26.	अं० और नि० द्वीपसमूह	0	0	0
27.	चंडीगढ़	145	.72	0
28.	दा० व न० हवेली	474	2.42	0
29.	दमन और दीव	265	1.32	.37
30.	दिल्ली	12055	60.27	18.25
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	719	0	0
	कुल	536016	9044.13	1609.38

*प्रतिपूर्ति की गई राशि प्रत्याशित व्यय पर आधारित है।

विवरण-VII

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीमें

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चल वैनों की खरीद के लिए सीएसएस के अंतर्गत 1997-98 में जारी की गई राशि (लाख रुपये)	गोदामों के निर्माण के लिए सीएसएस के अंतर्गत 1997-98 में जारी की धनराशि (लाख रुपये)	आसूचना प्रवर्तन और जनशक्ति प्रशिक्षण स्कीम के सीएसएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता (हजार रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	8.20	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	97.66	168.66	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	75.00
5.	गोवा	0.00	0.00	7.91
6.	गुजरात	0.00	183.30	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	77.76	47.75
9.	जम्मू और कश्मीर	200.00	26.72	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	8.75
11.	केरल	0.00	0.00	179.24
12.	मध्य प्रदेश	160.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	203.09	0.00	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	112.44	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	256.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	67.40	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	30.00
22.	तमिलनाडु	33.24	0.00	57.50
23.	त्रिपुरा	0.00	83.02	24.00

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	480.50	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	50
26.	अंड० और नि० द्वीप समूह	0.00	0.00	1.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दा० व न० हवेली	0.00	0.00	0.00
29.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल :	949.99	1188.00	521.74*

टिप्पणी : जारी की गई धनराशि प्रत्याशित व्यय के अनुरूप है।

*इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) के अन्तर्गत जारी की गई कुल धनराशि में अध्ययनों के लिए 1436.8 हजार रु०, 2558.14 हजार रु०, अन्य प्रशासनिक व्यय की मद और एन डी ए (आई ए एस के लिए विशेष पाठ्यक्रम) के लिए 150 हजार रु० शामिल हैं, जिनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं है, चूंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

विवरण-VIII

इन्दिरा आवास योजना

वर्ष 1997-98 के दौरान वित्तीय निष्पादन

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य का नाम	अथ शेष 1-4-97** की स्थिति	आवंटन			केन्द्रीय जारी राशि	राज्य समनुरूपी अंश	उपलब्धता		व्यय*
			केन्द्रीय	राज्य	जोड़			जोड़	का० (2+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6424.43	8970.34	2242.59	11212.93	9603.38	2400.85	12004.23	18428.66	14792.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	201.74	80.71	20.18	100.89	103.21	25.80	129.01	330.75	210.49
3.	असम	1366.52	2952.83	738.21	3691.04	2931.07	732.77	3663.84	5030.36	4174.96
4.	बिहार	3441.83	17597.09	4399.27	21996.36	15130.72	3782.68	18913.40	22355.23	21755.84
5.	गोवा	100.59	87.63	21.91	109.54	51.46	12.87	61.33	164.91	85.67
6.	गुजरात	0.00	3292.97	823.24	4116.21	3424.02	856.01	4280.03	4280.03	4354.57
7.	हरियाणा	0.00	790.96	197.74	988.70	758.55	189.64	948.19	918.19	976.51
8.	हिमाचल प्रदेश	19.67	276.72	69.18	345.90	467.78	116.95	584.73	604.40	452.00
9.	जम्मू और कश्मीर	721.97	562.66	140.67	703.33	607.12	151.78	758.90	1480.87	968.16
10.	कर्नाटक	2072.92	6024.43	1506.11	7530.54	5820.36	1455.09	7275.45	9348.37	9206.40
11.	केरल	322.89	2191.85	547.96	2739.81	2148.56	537.14	2685.70	3008.59	2975.78
12.	मध्य प्रदेश	5536.51	11368.58	2842.15	14210.73	11695.62	2923.91	14619.53	20156.04	17020.99
13.	महाराष्ट्र	0.00	9779.75	2444.94	12224.69	9968.74	2492.19	12460.93	12460.93	16856.95
14.	मणिपुर	285.78	103.77	25.94	129.71	56.69	14.17	70.86	356.64	229.78
15.	मेघालय	0.00	121.07	30.27	151.34	46.73	11.68	58.40	58.41	58.88
16.	मिजोरम	0.00	50.73	12.68	63.41	54.47	13.62	68.09	68.09	66.54
17.	नागालैंड	344.14	129.14	32.29	161.43	435.83	108.96	544.79	888.93	1933.00
18.	उड़ीसा	2373.47	7277.74	1819.44	9097.18	7443.57	1860.89	9304.46	11677.93	8844.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	पंजाब	377.75	562.65	140.66	703.31	478.32	119.58	597.90	975.65	829.90
20.	राजस्थान	2129.72	4723.84	1180.96	5904.80	3888.40	972.10	4860.50	6990.22	5874.66
21.	सिक्किम	0.00	47.27	11.82	59.09	41.21	10.30	51.51	51.54	86.52
22.	तमिलनाडु	1012.60	8110.20	2027.55	10137.75	8708.09	2177.02	10885.11	11897.71	20881.44
23.	त्रिपुरा	0.00	134.90	33.73	168.63	144.84	36.21	181.05	181.05	266.55
24.	उत्तर प्रदेश	4900.16	21863.19	5465.80	27328.99	22995.15	5748.79	28743.94	33644.10	19859.83
25.	पश्चिम बंगाल	5458.65	8039.87	3009.97	10049.34	4547.01	1136.75	5683.76	11142.12	7832.57
26.	अं० और नि० द्वीपसमूह	0.00	47.27	11.82	59.09	47.27	0.00	47.27	47.27	20.28
27.	दा० व न० हवेली	19.54	25.37	6.34	31.71	11.63	0.00	11.63	57.17	14.18
28.	दमन और दीव	8.27	14.99	3.75	18.74	7.49	0.00	3.49	15.76	6.86
29.	लक्षद्वीप	28.05	24.21	6.05	30.26	0.00	0.00	0.00	28.05	12.52
30.	पांडिचेरी	76.29	47.27	11.82	59.09	93.85	0.00	93.85	160.14	125.96
	कुल :	37223.48	115300.00	28825.00	144125.00	111711.14	27887.73	139598.87	176822.34	159806.42

*अनंतिम

**अधशेष अनंतिम है

संकर बीज

5143. डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संकर बीजों का उत्पादन कहां-कहां किया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में विदेशी संस्थाओं से कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में कितनी अवधि के लिए उक्त सहयोग मांगा जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश के उन राज्यों का ब्यौरा, जहां बीज उत्पादित किए जा रहे हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में संकर बीजों के उत्पादक राज्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	फसल	राज्य
1	2	3
1.	संकर बाजरा	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु
2.	संकर ज्वार	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
3.	संकर मक्का	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
4.	संकर धान	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
5.	संकर अरण्डी	आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान
6.	संकर सूरजमुखी	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
7.	संकर कपास	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु
8.	संकर सब्जियां	आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब।

मुल्लापेरियार बांध

5144. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन :
श्री ए० सी० जोस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने तमिलनाडु सरकार को मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई 136 फीट से बढ़ाकर 152 फीट करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल के हितों को ध्यान में रखे बिना तमिलनाडु के हित की एकतरफा रक्षा करने का है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने मुल्लापेरियार बांध के अधिप्लव मार्ग के सामने से मिट्टी हटा दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में केरल के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र को तमिलनाडु द्वारा मुल्लापेरियार बांध के स्पिलवे के सामने की मिट्टी हटाने की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, हाल में 26-5-1998 को जल संसाधन मंत्रालय में हुई बैठक में, केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ताकि आपसी समझौते के जरिए मुद्दे को हल किया जा सके।

कपास का उत्पादन

5145. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1998 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में 'चैंजेज सॉट इन कॉटन क्राप फोरकास्टिंग मैथड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं और इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्तमान पद्धति में क्या खामियां हैं तथा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित नए तरीके से क्या विशेष लाभ होंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, हां। 'बिजनेस स्टैंडर्ड' के 5 मई, 1998 के अंक में 'चैंजेस सॉट इन कॉटन क्रॉप फोरकास्टिंग मैथड्स' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। उक्त समाचार के अनुसार 1997-98 फसल (अक्टूबर से सितम्बर) के अनुमानों में, मौसम की शुरुआत में 17.2 मिलियन गांठों में संशोधन के उपरांत उन्हें कम करके 14.8 गांठें कर दिया गया था, जिन्हें अभी और संशोधित किया जा सकता है।

उपर्युक्त टिप्पणी वस्त्रोद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अग्रिम अनुमानों के आधार पर की गई है। कपास सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 19-12-97 को, कपास की 16.9 मिलियन गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया था जिसे दिनांक 6-3-98 को संशोधित करके 14.8 मिलियन गांठें कर दिया गया। कपास सलाहकार बोर्ड की दिनांक 10 जुलाई, 1998 को आयोजित बैठक में इस संख्या में संशोधन करके इसे 15.3 मिलियन गांठें कर दिया गया। कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा अग्रिम अनुमानों में संशोधन परिवर्तित कृषि मौसमीय स्थितियों आदि पर आधारित नवीनतम जानकारी के अनुसार अपने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर किए हैं।

कपास उत्पादन के अनुमान की विधि में कोई परिवर्तन कपास सलाहकार बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5146. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संस्तुत की गई योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के क्रियान्वयन में हुई धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति पर निगरानी रखने और उनका शीघ्रता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष कक्ष स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सां०स्था०क्षे०वि० योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां तक हो सके निर्माण कार्यों की स्वीकृति संबंधित सांसद से प्रस्ताव के प्राप्त होने की तिथि के 45 दिनों के अंदर प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, परियोजना के पूरे होने की समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि योजना के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्य शुरू किए जाते हैं जिनकी समाप्त होने की अवधि अलग-अलग होती है।

(ग) और (घ) सां०स्था०क्षे०वि० योजना के कार्यों की धीमी प्रगति के विभिन्न कारण हैं जैसे विभिन्न चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता का लागू होना, सांसदों से अनुशंसाएं देरी से प्राप्त होना, सांसदों द्वारा अनुशंसाओं में रद्दोबदल करना, जिलाधिकारी कार्यालय में लाल फीताशाही, भूमि की अनुपलब्धता इत्यादि।

(ङ) और (च) सां०स्था०क्षे०वि० योजना के प्रबोधन हेतु जिला स्तर पर एक विशेष सेल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन का प्रबोधन जिलाधिकारी तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी तथा कार्यकारी अभिकरणों को नियमित रूप से कार्य स्थलों का दौरा करके करना होता है।

द्विपक्षीय संबंध

5147. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा के पश्चात् भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा व्यापार को सुधारने संबंधी कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके परिणामस्वरूप किसी समझौते या प्रोटोकॉल, यदि कोई हुआ है, पर हस्ताक्षार किए गए हैं;

(ग) इसके मद्देनजर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इन दो देशों के बीच नदी जल तथा विद्युत के बंटवारे पर कोई विवाद है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी क्या स्थिति है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा के बाद सीमा प्रबन्ध से संबंधित संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक 16-17 जून, 1998 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक में दोनों पक्षों ने अवांछनीय तत्वों द्वारा भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से अनेक निर्णय लिए थे। इस बैठक के बाद 18 जून, 1998 को गृह सचिव स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त कार्यकारी दल के निर्णयों की समीक्षा की गई थी।

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के आर-पार तस्करी क्रिया-कलापों पर निगरानी रखने और प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला करने के लिए किसी व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए सीमा-शुल्क सहयोग पर महानिदेशक स्तर पर पहली बातचीत 15-16 जून, 1998 को नई दिल्ली में हुई थी।

उपरोक्त बैठकों के उपरान्त कोई औपचारिक करार अथवा प्रोटोकॉल संपन्न नहीं हुआ। पारगमन संधि के नवीनीकरण के लिए बातचीत आगामी महीनों में शुरू होने की संभावना है क्योंकि इसकी वैधता दिसंबर, 1998 में समाप्त हो रही है। नेपाल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने बंगलादेश के लिए फुलबारी पारगमन मार्ग का सप्ताह के सातों दिन उपयोग करने के नेपाल के प्रस्ताव पर हमारी सहमति का निर्णय उन्हें सम्प्रेषित कर दिया था। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) 'भारत और नेपाल के बीच फरवरी, 1996 में शारदा बांध, टनकपुर बांध और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबद्ध संधि' पर हस्ताक्षर हुए थे। महाकाली संधि में महाकाली नदी के जल-संसाधनों में सहयोग की संरचना का प्रावधान है और उसमें दोनों देशों के बीच नदी जल और बिजली के बंटवारे में ऐसे सहयोग के विस्तृत पैरामीटर निर्धारित है। पंचेश्वर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है और इस पर बातचीत जारी है।

कश्मीर संबंधी संयुक्त कार्यदल

5148. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर के मसले पर भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यदल गठित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई उक्त मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कश्मीर के विशेष रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मसले को कार्यदल स्थापित करके इस समस्या का किस हद तक हल निकाला जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ग) भारत-पाकिस्तान के 23 जून, 1997 के संयुक्त वक्तव्य के संदर्भ में अथवा अन्यथा भी जम्मू और कश्मीर के संबंध में संयुक्त कार्यकारी दल के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण

5149. **श्री रंजीब बिस्वाल :**
श्री मोहन रावले :
डॉ० रामविलास वेदान्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) देश में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गईं; और

(घ) देश में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार की भविष्य में क्या योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश के अधिकांश भाग बाढ़ से प्रभावित होते हैं जिसमें से कुछ भाग गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले तीन वर्षों में बाढ़ों से प्रभावित हुए राज्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है :

राशि (करोड़ रु० में)

क्रम सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	बिहार	11.0	2.36	3.26

1	2	3	4	5
2.	असम	25.6	10.49	18.55
3.	पश्चिम बंगाल	0.5	—	0.95
4.	पंजाब	1.9	20.0*	4.56*

*इनमें रावी और सतलुज नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निर्माण के वास्ते क्रमश: वर्ष 1996-97 और 1997-98 में गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब को जारी की गई 18 करोड़ रु० तथा 3.06 करोड़ रु० की राशि शामिल है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में तटबंधों, जल निकास चैनलों, नगर सुरक्षा कार्यों, गांवों को ऊंचा करने और कटाव रोधी स्कीमों जैसे विभिन्न बाढ़ प्रबंध उपाय तैयार किए गए और कार्यान्वयन किए गए हैं। देश के 40 मिलि० हेक्टे० बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 14.374 मिलियन हेक्टे० क्षेत्र को पर्याप्त सीमा तक सुरक्षा प्रदान करते हुए अभी तक 16,200 कि०मी० के तटबंधों, 32,003 कि०मी० के जल निकास चैनलों, 906 नगर सुरक्षा कार्यों और 4721 गांवों को ऊंचा करने के कार्यों को कार्यान्वित किया गया है।

(घ) नौवीं योजना के लिए बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्यदल ने बाढ़ों से होने वाली क्षतियों को कम करने की कार्यनीति के रूप में संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक उपाय न्यायसंगत ढंग से करने का सुझाव दिया है। संरचनात्मक उपायों में भंडारण जलाशय, जल अवरोधन (डिटेंशन) बेसिन, बाढ़ तटबंध, जल निकास चैनल और नगर सुरक्षा सकीमें आती हैं तथा गैर-संरचनात्मक उपायों में बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ प्लेन जोनिंग, विपत्ति से निपटने की तैयारी और बाढ़ प्रूफिंग शामिल है।

विवरण

वर्ष 1995, 1996 और 1997 में बाढ़ों से प्रभावित राज्यों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. हिमाचल प्रदेश
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. मेघालय
14. उड़ीसा
15. पंजाब
16. राजस्थान
17. सिक्किम
18. तमिलनाडु
19. त्रिपुरा
20. उत्तर प्रदेश
21. पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

परमाणु शिक्षा

5150. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्यों, शोध तथा उच्च शिक्षा में कार्यरत उन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा उन्हें कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन हेतु कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं तथा छात्रवृत्ति की राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता की छात्रवृत्ति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति आयु

5151. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष बढ़ाने से कितने आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारी लाभान्वित हुए; और

(ख) यदि हां, तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय संवर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) मई 01, 1998 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त तारीख को अपने सेवाकाल के विस्तार पर चल रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के सिवाय उपर्युक्त सेवा के अन्य सभी सेवारत अधिकारी, सेवा-निवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी किए जाने से लाभान्वित हुए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4931 और भारतीय पुलिस सेवा के 3092 अधिकारियों ने मई 01, 1998 तक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं की थी।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण

5152. **श्री विजय गोयल :**
श्री सुरेश कुरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के ऐसे नेताओं, संसद सदस्यों और कूटनीतिज्ञों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षणों को उचित बताया है;

(ख) इसका अमरीकी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या भारत अपनी कूटनीति के तहत इन अमरीकी समर्थकों के मत का फायदा उठाते हुए अपना पक्ष स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा के कई सदस्यों ने भारत के नाभिकीय परीक्षणों के प्रति सहमति व्यक्त की और विपरीत घटनाओं के बावजूद भारत-अमरीका संबंधों को सामान्य बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनमें अन्यों के साथ-साथ सदन अध्यक्ष किंगरिच, सीनेटर माक, सीनेटर मोयनिहान, श्री जोसेफ बिडेन, श्री फ्रेंक फलोने और प्रतिनिधि सभा के अन्य सदस्य शामिल हैं। अन्य राजनेताओं में, जिन्होंने सहमति व्यक्त की है, पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजिजंस्की हैं।

(ख) अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी रही है किन्तु बाद में भारत के दृष्टिकोण के प्रति व्यापक सहमति बनी है।

(ग) और (घ) सरकार अपने वार्ताकारों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को समझाने का सतत् प्रयास कर रही है। सरकार सभी महत्वपूर्ण देशों से संपर्क बनाए हुए है। इस समय अमरीका की सरकार के साथ एक गहन वार्ता चल रही है। भारत और अमरीका दोनों ने इस वार्ता को एक सकारात्मक और रचनात्मक, माना है।

उत्तर प्रदेश में ए०आई०बी०पी०

5153. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई निधि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को दूसरा प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की छः सिंचाई परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 में 43.50 करोड़ रुपये और वर्ष 1997-98 में 78.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) के रूप में जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 155.00 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत पहले से शामिल अपनी पांच सिंचाई परियोजनाओं के लिए 73.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता देने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

भारत द्वारा हाइड्रोजन बम का विस्फोट

5154. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1998 के 'आफ्टरनून डिस्पेच एंड कुरियर', मुंबई अंक में प्रकाशित हमारे परमाणु परीक्षणों के संबंध में डॉ० सुब्बाराव वैज्ञानिक द्वारा दिए गए भाषण की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे दुष्प्रचार का मुकाबला करने और सही तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने उल्लिखित रिपोर्ट देखी है। इसमें डॉ० बी० के० सुब्बा राव, भूतपूर्व नौसेना अधिकारी, नाभिकीय वैज्ञानिक और उच्चतम न्यायालय के वकील ने यह दावा किया है कि 11 और 13 मई को पोखरण में किए गए भारतीय परीक्षणों में केवल निम्न उत्पाद वाली विखंडन डिवाइसें शामिल थीं और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस (हाइड्रोजन बम) नहीं। डॉ० सुब्बा राव ने यह दावा भारत और विदेशी भूकंप केन्द्रों द्वारा जारी भूकंपीय आंकड़ों के संबंध में अपनी व्याख्याओं के आधार पर किया है और वे मानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए दावे भ्रामक हैं।

(ग) और (घ) डॉ० सुब्बा राव द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भ्रांतिपूर्ण हैं। भूकंपीय आंकड़ों को देखकर किसी विस्फोटक डिवाइस की प्रकृति का निर्धारण करना संभव नहीं है। उत्पाद के निर्धारण के संबंध में भूकंपीय आंकड़ों के विश्लेषण से दो या उससे अधिक गुणक की

अनिश्चितता रहती है, यदि परीक्षण ऐसे स्थलों पर किए गए हों जिनका अभिलक्षण ठीक से नहीं किया हुआ है। यद्यपि 11 मई को किए गए पोखरण परीक्षणों के संयुक्त उत्पाद–15 किलोटन विखंडन जमा 45 किलोटन थर्मोन्यूक्लियर–का पश्चिम के भूकम्पविदों ने शुरू में कम आकलन किया था, सी टी बी टी के विश्व स्तर के भूकंपीय नेटवर्क के 125 स्टेशनों से मिले अधिक विश्वसनीय भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों में दी संख्या हमारे अनुमान के करीब है। उदाहरणार्थ, 13 जून, 1998 के **न्यू साइंटिस्ट** में निम्नलिखित विवरण है :

"यद्यपि भारत ने कहा है कि उसने अपने पहले परीक्षण में 60 किलोटन का विस्फोट किया है, तथापि भूकंपीय केन्द्रों ने केवल 25 किलोटन रिकार्ड किया है। बहरहाल, रोजन क्लार्क, लीड्स विश्वविद्यालय में भूकंपविद, ने पाया है कि जब 125 स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों–संधि (सीटीबीटी) द्वारा अपेक्षित संख्याओं के निकट–को ध्यान में लिया जाए तो यह अनुमान 60 के निकट है।"

दुग्ध पाउडर का आयात

5155. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध पाउडर का अन्य देशों से आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान किन-किन देशों से दुग्ध पाउडर का आयात किया गया और प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा में दुग्ध पाउडर का आयात किया गया; और

(ग) इस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देशों, आयातित मात्रा तथा विदेशी मुद्रा के समतुल्य भारतीय रुपए का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1995-96, 1996-97, 1997-98 (अगस्त, 1997 तक) के दौरान आयातित दूध तथा क्रीम, सांद्रित अथवा निहित अतिरिक्त चीनी अथवा अन्य सुस्वादु पदार्थों को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : किलोग्राम
कीमत : लाख रुपए

मद/देश	1995-96		1996-97		1997-98	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7
दूध तथा क्रीम सांद्रित अथवा निहित अतिरिक्त चीनी अथवा अन्य सुस्वादु पदार्थ। पाउडर दाने अथवा वसा की कोई अन्य ठोस किस्म 1.5 प्रतिशत से अधिक भार वाली नहीं होंगी।						
स्किम्ड दुग्ध						
जर्मन एफ आर ई पी	445645	337.65	–	–	–	–
नीदरलैंड	62000	46.48	–	–	–	–
पोलैंड	579950	401.06	–	–	–	–
यू०एस०ए०	15393	22.45	–	–	–	–
लैटविया	–	–	16000	9.22	–	–
न्यूजीलैंड	–	–	220975	158.61	–	–
सिंगापुर	–	–	15725	11.35	157500	88.68
यू०के०	–	–	30000	17.22	–	–
बेल्जियम	–	–	–	–	399000	247.67
फ्रांस	–	–	–	–	67000	46.24

1	2	3	4	5	6	7
शिशुओं के लिए दुग्ध आहार						
अन्य						
आस्ट्रेलिया	5608	4.47	—	—	—	—
यू०एस०ए०	22000	28.03	—	—	—	—
फ्रांस	—	—	—	—	2000	1.89
जर्मन जनवादी गणराज्य	—	—	—	—	500	0.21
पाउडर दाने अथवा वसा की अन्य ठोस किस्म 1.5 प्रतिशत से अधिक भार वाली न हों। अतिरिक्त चीनी अथवा अन्य सुस्वादु पदार्थ निहित नहीं हैं	—	—	—	—	—	—
बेल्जियम	254000	183.63	—	—	—	—
फिनलैंड	500000	180.16	—	—	—	—
जर्मन जनवादी गणराज्य	2050000	1435.03	—	—	—	—
यू०के०	704020	514.21	1000	0.84	—	—
अन्य						
सम्पूर्ण दूध						
शिशुओं के लिए दूध						
बेल्जियम	6266	20.29	—	—	—	—
डेनमार्क	—	—	103104	22.48	—	—
नीदरलैंड	—	—	8266	20.17	—	—
बेल्जियम	—	—	—	—	11000	20.19
अन्य (अर्थात् मिल्कक्रीम)						
जर्मन जनवादी गणराज्य	308000	241.84	—	—	—	—
यू०एस०ए०	15962	18.36	—	—	—	—
	4970844 कि०ग्रा०	3633.56 या 90.839 लाख डालर लगभग	395070 कि०ग्रा०	239.89 या 5.99 लाख डालर लगभग	637000 कि०ग्रा०	404.88 या 10.122 लाख डालर लगभग

विदेशों के साथ समझौते

5156. श्री एस० एस० ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान विभिन्न देशों के साथ किए गए समझौतों की देशवार मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ख) ये समझौते किन-किन क्षेत्रों में किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) 01 जनवरी, 1998 से अब तक विभिन्न देशों के साथ संपन्न समझौतों का विवरण निम्नलिखित है :

न्यूजीलैंड

1. 1 मार्च, 1998 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा न्यूजीलैंड के एक सर्वोच्च अनुसंधान संस्थान, न्यूजीलैंड बागवानी तथा खाद्य अनुसंधान

संस्थान लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इस करार में पादप विज्ञान तथा उन्नत पौध एवं फसल उत्पादन तकनीकों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में सहयोग की व्यवस्था है। वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञानियों और साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर भी ध्यान दिया गया है। समझौते की शर्त के अंतर्गत बनायी गयी एक संयुक्त समिति प्रत्येक दो वर्ष में बारी-बारी से भारत और न्यूजीलैंड में अपनी बैठक करेगी ताकि दोनों संस्थाओं के बीच विशिष्ट सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए एक अनुकूल कार्य योजना तैयार की जा सके।

अजरबैजान

2. 23-29 जून, 1998 को विदेश राज्य मंत्री की अजरबैजान यात्रा के दौरान भारत और अजरबैजान के विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्शों पर प्रोटोकोल संपन्न किया गया।

3. विदेश राज्य मंत्री की अजरबैजान यात्रा के दौरान अपने-अपने शिक्षा मंत्रालयों के द्वारा आइटेक कार्यक्रम के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विधाओं में छात्रवृत्तियों के आदान-प्रदान सहित अजरबैजान के साथ आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता संपन्न किया गया।

म्यांमार

4. 29 मार्च, 1998 को भारत गणराज्य की सरकार तथा म्यांमार गणराज्य की सरकार के बीच साख समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के अंतर्गत भारत की सरकार म्यांमा संघ की सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुई है ताकि म्यांमार भारत से भारत में निर्मित माल और सेवाओं का आयात कर सके। म्यांमार गणराज्य की सरकार करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लंदन इंटर बैंक ऑडीनरी रेट (लिबोर) में छह महीने से चल रही निश्चित दर पर भारत को ब्याज देगी।

5. 25 अप्रैल, 1998 को भारत गणराज्य की सरकार तथा म्यांमार संघ की सरकार के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारत और म्यांमार कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हो गए हैं ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य पूरा किया जा सके। दोनों देश फसल विज्ञान, अनुसंधान, कृषि विस्तार, रेशम उत्पादन, बागवानी, जूट, ईख, शुष्क क्षेत्र कृषि, सहकारी कृषि, कृषि यंत्रीकरण, कृषि सांख्यिकी, भौगोलिक सूचना व्यवस्था (जी०आई०एस०) उर्वरक एवं कीटनाशक उपयोग तथा कृषि संयुक्त उद्यम, चीनी, जूट, कॉटन, चाय प्रसंस्करण उद्योग जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, वैज्ञानिक सूचना का आदान-प्रदान तथा जनन द्रव्य वर्षा कृषि, जलसंभर विकास तथा सिंचाई सहित जल संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियां जारी रखने के लिए सहमत हुए हैं।

फ्रांस

6. जनवरी, 1998 में आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहयोग पर समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता दोनों देशों को अपराध पर नियंत्रण पाने तथा भगोड़े अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ बनाता है। यह अपराध के सार्वभौमिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रति दोनों देशों की साझी चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है।

7. जनवरी, 1998 में सिविल मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में कागजात भेजने एवं प्रदान करने, प्रमाण प्राप्त करने तथा दोनों देशों के बीच वास्तविक वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को मान्यता प्रदान करने तथा इसे लागू करने के लिए एक न्यायिक संरचना की व्यवस्था है।

8. जनवरी, 1998 में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए आशयपत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था है।

यूनान

9. जनवरी, 1998 में पर्यटन पर समझौता संपन्न किया गया। यह समझौता पर्यटन औपचारिकताओं को सरल बनाकर पर्यटन मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाकर इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाकर तथा पर्यटन व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों के आदान-प्रदान के जरिए पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।

इटली

10. जनवरी, 1998 में आतंकवाद, संगठित अपराध तथा स्वापक दवाओं एवं मन:प्रभावी पदार्थों के गैर कानूनी व्यापार को समाप्त करने से संबंधित करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता आतंकवाद, संगठित अपराध नशीली दवाओं के गैरकानूनी व्यापार तथा प्रत्यार्पण के क्षेत्र में सहयोग के लिए आधार की व्यवस्था करता है ताकि आतंकवाद के बढ़ते खतरे का सामना किया जा सके।

11. जनवरी, 1998 में लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। यह समझौता ज्ञापन इटली पक्ष की ओर से बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की संभावनाओं के साथ इटली सरकार की सहायता से भारत में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास की व्यवस्था करता है।

12. जनवरी, 1998 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान संपन्न किया गया। नया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम दोनों पक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय तथा इटालियन विद्यार्थियों को निश्चित संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के अतिरिक्त कला और संस्कृति, शिक्षा, रेडियो/टी०वी० मास मीडिया इत्यादि की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इटली के उत्कृष्ट संस्थानों के साथ संबंधों के विकास के क्षेत्रों का पता लगाता है।

मोरक्को

13. 25 जून, 1998 को भारत और मोरक्को के बीच विदेश कार्यालय परामर्श पर समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा मोरक्को राज्य के विदेश एवं सहयोग मंत्रालय के बीच वार्षिक परामर्श की व्यवस्था करता है ताकि द्विपक्षीय संबंधों के

सभी पहलुओं की समीक्षा की जा सके तथा आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके।

मिस्र

14. 7 जनवरी, 1998 को भारत और मिस्र के बीच व्यापार संवर्द्धन पर समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। यह सूचना के आदान-प्रदान, व्यापार प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के आयोजन के लिए पारस्परिक सहयोग तथा व्यापार शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान सहित मिस्र निर्यात विकास केन्द्र (ई ई सी डी) तथा भारत व्यापार विकास संवर्द्धन (आई टी पी ओ) के बीच सहयोग की व्यवस्था करता है।

15. भारत और मिस्र के बीच मिस्र में लघु उद्यम क्षेत्र के विकास में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन 9 मई, 1998 को संपन्न हुआ। इसमें मिस्र में लघु उद्यम के विकास से संबंधित संस्थाओं को तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। सहयोग में अन्य उपायों सहित उपयुक्त नीतिगत और नियामक वातावरण की स्थापना करना तथा मिस्र में लघु उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन और विकास के लिए एक शीर्ष निकाय की स्थापना करना शामिल है।

फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन

16. फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के लाभ के लिए भारत और फिलीस्तीन मुक्ति संगठन के बीच 15 जून, 1998 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इसमें भारतीय मदद और सहायता कार्यक्रम के तहत 400,000 अमरीकी डालर की राशि का भारत की वित्तीय सहायता से गाजापट्टी के डीर-अल-बलाह में फिलीस्तीनी तकनीकी महाविद्यालय के लिए एक पुस्तकालय तथा कार्यालय भवन के निर्माण की व्यवस्था है।

17. फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के लाभ के लिए भारत और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच 15 जून, 1998 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इसमें भारतीय मदद और सहायता कार्यक्रम के तहत 4,00,000 अमरीकी डालर की राशि तक भारत की वित्तीय सहायता से गाजा में अल अजहर विश्वविद्यालय के लिए एक पुस्तकालय भवन के निर्माण की व्यवस्था है।

रूस

18. भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच वर्ष 1998-99 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम समझौते पर 16 जनवरी, 1998 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। इसके आधार पर भारत और रूप के बीच दो वर्षों की अवधि के लिए व्यापक सांस्कृतिक आदान-प्रदान जारी रखने का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा सकेगा जिसमें विज्ञान और शिक्षा, सांस्कृतिक और कला, जन संपर्क, खेल तथा युवा आदान-प्रदानों इत्यादि के विस्तृत क्षेत्र शामिल होंगे। इसके पश्चात् दोनों पक्ष 1998 में दिल्ली में 'डेज ऑफ मास्को' तथा 1999 में मास्को में 'डेज ऑफ दिल्ली' नामक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

19. भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच भारत में एक नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण में सहयोग से संबद्ध दिनांक 20 नवंबर, 1998 के करार का संपूरक करार 21 जून, 1998 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह भारत-सोवियत अंतर-सरकारी करार ऊपर वर्णित 1998 के करार का संपूरक है, और इसमें तमिलनाडु राज्य के कुडानकुलम में एक 2 × 1000 एम डब्ल्यू नाभिकीय विद्युत केन्द्र के निर्माण में भारत और रूस के बीच सहयोग का प्रावधान है।

अर्जेंटीना

20. भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य की सरकार के बीच अंटार्कटिका सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन 21 जनवरी, 1998 को संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन में वैज्ञानिक और ग्रंथ-विज्ञान आसूचना के आदान-प्रदान, वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, राष्ट्रीय अंटार्कटिका कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों की सहभागिता, संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलनों और कार्यशाला, संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशन, वैज्ञानिक कार्मिकों का प्रशिक्षण, सहयोगी वैज्ञानिक परियोजनाओं की व्यवस्था है।

ब्राजील

21. ब्राजील के ट्रिब्यूलन डी कोंटास दा यूनियाओं और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यलय के बीच तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार 6 अप्रैल, 1998 को संपन्न हुआ। इसमें नियमित अध्ययनों, व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना और सुधार पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आदान-प्रदान दोनों के एस ए आई द्वारा प्रकाशित कृतियों का चयन, तकनीकी महत्व की सूचना के प्रसार और विचारों तथा नवीन परिवर्तनों के आदान-प्रदान को संबंधित करने के संयुक्त प्रयासों की व्यवस्था है।

22. भारत गणराज्य की सरकार और संघीय गणराज्य ब्राजील की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध करार के तहत स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में कार्यान्वयन व्यवस्था करार 5 मई, 1998 को संपन्न हुआ। इसमें जैव प्रौद्योगिकी, रोग विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, जन स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबंधन, परंपरागत दवाएं, औषधशास्त्र और भेषजों, संक्रामक रोगों और अर्ध आहार विज्ञान, प्रसव और बाल स्वास्थ्य देख-भाल तथा परिवार नियोजन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और उष्णकटिबंधीय दवाई, सूचना और शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, कार्यशाला आयोजन, प्रौद्योगिकी अंतरण और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सूचना के प्रकाशन में सहयोग की व्यवस्था है।

23. भारत गणराज्य की सरकार की और ब्राजील की संघीय गणराज्य की सरकार की राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन 5 मई, 1998 को संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन में एक सक्रिय सूचना आदान-प्रदान कार्यक्रम की स्थापना, छात्रों, प्रोफेसरों, सम्मेलन वक्ताओं, विशेषज्ञों और अनुसंधान विद्वानों के आदान-प्रदान, प्रकाशनों और जनहित की सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

पेरू

24. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और पेरू (कोनिडा) के बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास से संबद्ध राष्ट्रीय आयोग के बीच 30 अप्रैल, 1998 को समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इसमें सहकारी कार्यक्रम अध्ययन, उपग्रह संचार से संबद्ध अध्ययन, उपग्रह आधार केन्द्रों का प्रचालन तथा उपग्रह मिशन प्रबंधन, प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्यक्रम आयोजित करने तथा तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

25. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पेरू के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीच 30 अप्रैल, 1998 को 1998-2002 तक की अवधि के लिए 'कार्ययोजना' संपन्न हुई। इसमें कृषि के क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, डेयरी, कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम, पशुधन चारा व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली विज्ञान, जनन-द्रव्य इत्यादि के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। विशेषज्ञ दल की प्रतिनियुक्ति, वैज्ञानिक आदान-प्रदान, वैज्ञानिक उपकरण और सूचना के आदान-प्रदान सहित अल्पावधिक और दीर्घावधिक कार्यक्रम शामिल हैं।

[हिन्दी]

मक्का और मटर का उत्पादन

5157. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में मक्का और मटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार को मक्का और मटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक दल

5158. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलेंडर वर्ष 1998 के दौरान काफी संख्या में सांस्कृतिक दल विदेशों में भेजने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सांस्कृतिक दलों को किन-किन देशों में भेजने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) 1. जनवरी से जुलाई 1998 तक विदेशों में भेजी गई सांस्कृतिक मंडलियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

2. अगस्त से दिसम्बर 1998 के दौरान विदेशों में भेजे जाने वाली प्रस्तावित सांस्कृतिक मंडलियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल

क्रम सं०	देश का नाम	मंडली का नाम	अवधि	यात्रा का विवरण
1	2	3	4	5
1.	फ्रांस	केरल कला मंडलम केरल की 16 सदस्यीय कुटीअट्टम मंडल	10 जनरवरी से 10 फरवरी 98	मंचीय कला प्रस्तुत करने के लिए।
2.	पाकिस्तान	पंडित जसराज (गायन)	23-26 जनवरी, 1998	हाई कमीशन में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह आदि पर मंचीय कला प्रस्तुत करने के लिए।
3.	यू०के०	श्रीमती कुमुदिनी लखिया, निदेशक 'कदम्ब' अहमदाबाद	11 फरवरी से 23 मार्च, 1998	सम्पद (दक्षिण एशियाई कला विकास) यू०के० के आमंत्रण पर व्याख्यान देने के लिए।
4.	मैडागास्कर, तंजानिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, दक्षिण अफ्रीका	श्रीमती सूर्या मुखर्जी तथा गीतांजलि मंडली के सदस्य और श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी तथा (कत्थक नृत्यांगना) के 6 सदस्य	12 फरवरी से 03 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुत करने के लिए।
5.	संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान	सुश्री सरला कुमारी तथा (कुचिपुड़ी) के 6 सदस्य	17 फरवरी से 10 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
6.	मारीशस	सुश्री सुमित्रा गुहा तथा (गायन) के 7 सदस्य	20 फरवरी से 03 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
7.	आस्ट्रेलिया	करीकुडीमणि और चेन्नई के सामूहिक तालबादकों के 4 सदस्य	24 फरवरी से 20 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
8.	स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, बोत्स्वाना, तंजानिया	सुश्री स्वाति सोमनाथ की कुचिपुड़ी मंडली और 6 सदस्य	26 फरवरी से 10 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।

1	2	3	4	5
9.	नेपाल	पंडित रविशंकर और (सितार के 7 सदस्य)	28 फरवरी से 01 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
10.	फ्रांस	पंडित शिवुतशलघाडी और उसके तबला वादक को यात्रा अनुदान (चेन्नई)	01 मार्च से 5 जून, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
11.	मैक्सिको, पनामा, सूरीनाम, बारबाडोस, ग्याना, तंजानिया	सुश्री पीनाज मसानी मंडली के साथ 9 सदस्य	2 मार्च से 6 अप्रैल, 1998	भारतीय व्यापार संवर्द्धन प्रदर्शनी में मंचीय कला प्रस्तुति और उस क्षेत्र में शृंखला यात्रा के लिए।
12.	मैक्सिको, एल सल्वाडोर, पनामा, बेनेजुएला, सूरीनाम	सुश्री आदिदी मंगलादास के साथ (कत्थक मंडली) के 6 सदस्य	2-29 मार्च, 1998	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में मंचीय कला प्रस्तुति और उस क्षेत्र में शृंखला यात्रा के लिए।
13.	बंगलादेश	सुश्री सोवा सेन के नेतृत्व में 'यात्रा' पीपुल्स लिटिल थिपेटर मंडली	8-13 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
14.	श्रीलंका	सुश्री जया बिस्वास के साथ (सितार) 4 सदस्य	12 मार्च से 7 अप्रैल, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
15.	मारीशस	श्रीराम भारतीय कला केन्द्र की रामलीला मंडली	13-20 मार्च, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
16.	फ्रांस	श्री पवन दास बुलबुल के साथ गायकों के 4 सदस्य (पश्चिम बंगाल)	18 मार्च से 18 अप्रैल, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
17.	मोरक्को, मिस्र	पश्चिम बंगाल से श्री गणेश महतो पुरुलिया छउ मंडली	20 मार्च से 4 अप्रैल, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
18.	रिमूनियन प्रायद्वीप	श्री वी० पी० धनंजयन के नेतृत्व में भारत कालांजलि मंडली के 15 सदस्य	22 मार्च से 17 अप्रैल, 1998	हमारे मिशन के अनुरोध पर सेंट डेनिस में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
19	इजरायल, सीरिया, साइप्रस, इटली, रोमानिया	सुश्री अलरमल बल्ली के साथ (भरत-नाट्यम) के 6 सदस्य	23 मार्च से 17 अप्रैल, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
20.	संयुक्त राज्य अमरीका	श्री एम० एस० शशांक के साथ कर्नाटक बांसुरी वादन) के 6 सदस्य	23 मार्च से 14 अप्रैल, 1998	लास एंजल्स में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और गैंटी हाल में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
21.	कोलम्बिया	श्री बंसी कौल के नेतृत्व में थियेटर मंडली के 16 सदस्य	30 मार्च से 9 अप्रैल, 1998	छठे इब्रो-अमरीकी थियेटर उत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
22.	उत्तरी कोरिया	सुश्री पदमिनी राम के साथ (पॉप मंडली) के 9 सदस्य	10-18 अप्रैल, 1998	प्योंगयांग में अप्रैल बसंत उत्सव में भाग लेने और शृंखला यात्रा के लिए।
23.	ब्राजील	सांस्कृतिक मंडलियां 1. पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और (बांसुरी वादक) के 5 सदस्य 2. सुश्री मालविका सरूक्की के साथ (भरतनाट्यम) के 6 सदस्य 3. सुश्री लखिया के साथ कत्थक मंडली और नृत्यलेखन के 16 सदस्य	1-20 मई, 1998	भारत के राष्ट्रपति की ब्राजील यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों में भारत के उत्सव।
24.	संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी	श्री अतुल देसाई (हिन्दुस्तानी गायन) के साथ 3 सदस्य	1 मई से 30 अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
25.	जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात	गुंडेचा बंधू (ध्रुपद गायन) के 4 सदस्य	8 मई से 30 जून, 1998	भारत-जर्मन सोसायटियों के आमंत्रण पर मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
26.	यूनान	गुजरात के लोक गायक श्री हेमन्त चौहान के साथ 6 सदस्य	14-26 मई, 1998	इंडिया विजन 1998 में भाग लेने के लिए।
27.	जापान, फिलिपीन्स, हांगकांग, सिंगापुर	सुश्री मालविका सरूक्की के साथ भरतनाट्यम के 6 सदस्य और मुम्बई के सितार वादक उस्ताद शमीम अहमद खान के साथ 3 सदस्य	15 मई से 2 जून, 1998	जापान में मिन आन कन्सर्टस द्वारा आयोजित मंचीय कला प्रस्तुति और उस क्षेत्र में शृंखला यात्रा के लिए।

1	2	3	4	5
28.	बारबाडोस, सूरीनाम, त्रिनिडाड एवं टोबेगो	भोजपुरी की लोक गायिका श्रीमती दीप माला मोहन के साथ 5 सदस्य	15 मई से 14 जून, 1998	त्रिनिडाड एवं टोबागो और क्षेत्र के अन्य देशों में 'भारतीय आगमन दिवस' समारोहों में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
29.	मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, हंगरी, फ्रांस	सितार वादक प्रो० देबू चौधरी के साथ 4 सदस्य	23 मई से 15 जून, 1998	फेस शहर में सेकरड म्यूजिक फेस्टिवल में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
30.	सिंगापुर	10 सदस्यीय सामूहिक ताल, पंचवाद्यम और थयम्बका मंडली	30 मई से 4 जून 1998	सिंगापुर कला उत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
31.	फ्रांस	हिन्दुस्तानी गायन की श्री गंगूबाई हंगल के साथ 5 सदस्य	1-12 जून, 1998	यूनेस्को, पेरिस के आमंत्रण पर मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
32.	संयुक्त राज्य अमरीका	कुचिपुड़ी कला अकादमी के श्री बेमपती चाइना सत्यम के साथ 10 सदस्य	3 जून से 29 सितंबर, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
33.	यू०के०	फिरोजखान का थियेटर महात्मा बनाम गांधी	8 जून, 1998	ब्लूमबैरी थियेटर में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
34-36.	बंगलादेश	1. कत्थक की सुश्री कुमकुम धर के साथ 5 सदस्य	9-16 जून, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
		2. पंडित विश्व मोहन भट्ट (मोहन बीणा) के साथ 4 सदस्य	15-21 जून, 1998	
		3. हिन्दुस्तानी गायन की सुश्री मालिनी राजुरकर के साथ 5 सदस्य	21-27 जून, 1998	
37.	सिंगापुर	कर्नाटक गायन के श्री ओ० एस० अरुण के साथ 5 सदस्य	9-22 जून, 1998	सिंगापुर कला उत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
38.	यू०के०	कलकत्ता के श्री आनंद शंकर और श्री गोपाल मिश्रा	18 जून/जुलाई	भारत-ब्रिटिश संगीत परियोजना में भाग लेने के लिए।
39.	संयुक्त राज्य अमरीका	श्री निजामुद्दीन लांगा की 7 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत मंडली तथा एक शिल्पकार श्री जाफर अली (जरी बुनकर)	25-28 जून, 1998	इडाहो स्टेट में बॉमस रिजर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए मंडली वर्ल्ड एक्सपो 1998 के लिए पुर्तगाल की यात्रा कर रही है।
40.	फ्रांस	उदयपुर से भारतीय लोक कला मंडल की 5 सदस्यीय मंडली	28 जून से 5 जुलाई, 1998	द फेस्टिवल मूर आई एन डि इन्डे पेरिस में थियेटर एन टेटे के आमंत्रण पर मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
41.	संयुक्त राज्य अमरीका	श्रीमती बेंकेटचलम सितार वादक/गायन के साथ 3 सदस्य	28 जून से 10 अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
42-45.	पुर्तगाल, हंगरी, डेनमार्क पुर्तगाल, इटली पुर्तगाल, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, हंगरी, जर्मनी	मंजु श्री चाकी सरकार के नेतृत्व में कलकत्ता के नर्तक संघ के 16 सदस्य 2. श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ 3 सदस्य (सरोद) 3. पुंग चोलम और ढोल चोलम के साथ 6 सदस्य (मणिपुर के) 4. गुजरात से रंगबहार और 14 सदस्यों की लोक नृत्य मंडली	5-9 जुलाई, 1998	वर्ल्ड एक्सपो 1998 में भाग लेने के लिए और इसके पश्चात् उस क्षेत्र में यात्रा के लिए।
46.	जिम्बाब्वे	तबला अध्यापक श्री प्रोबीर मिश्रा, और नृत्य (कत्थक) अध्यापक पंडित ओमप्रकाश महाराज	8-15 जुलाई, 1998	हमारे मिशन के अनुरोध पर हरारे में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
47.	दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्स्वाना, तंजानिया	हरविन्दर सिंह बाजवा भंगडा और गिद्धा मंडली	10 जुलाई से 10 अगस्त, 1998	डरबन में हैरिटेज फेस्टिवल में भाग लेने के लिए।

1	2	3	4	5
48.	विएतनाम, लाओस, कम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया	सुश्री लीला सैमसन (भरतनाट्यम) के साथ 5 सदस्य	14 जुलाई से 10 अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
49.	सूडान, जोर्डन, सउदी अरब, उगांडा, कीनिया, तंजानिया	श्री जाफर हुसैन कव्वाली मंडली	14 जुलाई से 10 अगस्त 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
50.	संयुक्त राज्य अमरीका	कलकत्ता के प्रो० रुद्रप्रसाद सेनगुप्त के नेतृत्व में 9 सदस्यीय नंदीकर मंडली	29 जुलाई से 25 अगस्त 1998	मंचीय कला और न्यूयार्क में एपिक द्वारा न्यूयार्क इंटरनेशनल फ्रिबर्ग फेस्टिवल में गोत्रहीन नाटक की संयुक्त प्रस्तुति के लिए।
51.	स्विटजरलैंड	आर्य वैधशाला कोट्टिकलमापुरम (कथकली) जिला केरल के साथ 10 सदस्य	10-15 जुलाई, 1998	फ्रिबर्ग में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
52.	इथोपिया जिबूती	सुश्री वैजयन्ती काशी (कुचिपुड़ी) के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंडली और श्री जौहर अली (हिन्दुस्तानी वायलिन) के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मंडली की मिली-जुली 8 सदस्यीय मंडली	13-19 जुलाई, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
53.	बंगलादेश	थियेटर कलकत्ता की सुश्री उषा गांगुली के नेतृत्व में 25 सदस्य	20-30 जुलाई, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
54.	संयुक्त राज्य अमरीका	श्रीमती पुष्पा भूयान सत्रिया नृत्यांगना, गुवाहाटी	जुलाई, 1998	इंडियन फोरम उठा (आई एफ यू) साल्टलेक के आमंत्रण पर मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।

विवरण-II

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद : विदेशों में भेजे जाने वाले सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

अगस्त, 1998 से दिसंबर, 1998 के दौरान यात्रा के लिए प्रस्तावित मंडलियां

क्रम सं.	देश	मंडली का नाम	अवधि	यात्रा का विवरण
1	2	3	4	5
1.	बहरीन एवं शृखला यात्रा	नीना एवं राजेन्द्र मेहता, सुगम शास्त्रीय संगीत	अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुतियों के लिए।
2.	इजराइल, यूनान, साइप्रस	सुश्री उमा शर्मा कत्थक मंडली के 6 सदस्यों के साथ	अगस्त, 1998	वही
3.	भूटान	सुश्री उषा उथुप, पॉप गायिका	अगस्त, 1998	भारत की स्वाधीनता की 50वीं जयंती के समारोहों के समापन समारोह के संबंध में।
4.	श्रीलंका	20 सदस्यीय मुंबई चेंबर आरकेस्ट्रा	अगस्त, 1998	भारत की स्वाधीनता की 50वीं जयंती के स्मरणोत्सव के लिए श्रीलंका के सिम्फनी आरकेस्ट्रा के साथ संयुक्त प्रतुति के लिए।
5.	इराक, सीरिया, तुर्की, अजरबेजान	लुधियाना से रंगला भांगड़ा तथा गिद्धा मंडली	अगस्त, 1998	इराक में बेबीलोन अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, सीरिया में बसरामहोत्सव, तथा तुर्की में इजमिर लोक-नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए।
6.	नार्वे और क्षत्र	सुश्री कला रामनाथ, हिन्दुस्तानी वायलिन के साथ 3 सदस्य	अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
7.	सेंट डेनिस, माहे, दक्षिण अफ्रीका	आसाम के बिहू मंडली के 14 सदस्य	अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
8.	कतर, संयुक्त अरब अमरीरात, सीरिया, तुर्की, ईरान, कुवैत, ओमान	सुश्री श्रीकला भरत, भरत नाट्यम के साथ 5 सदस्यों तथा सुश्री रीना जैना ओडिसी के साथ 5 सदस्य	अगस्त, 1998	वही

1	2	3	4	5
9.	पोलैंड	कर्नाटक से रंगपुतली नामक कठपुतली मंडली	अगस्त, 1998	भारत की स्वाधीनता की 50वीं जयंती के स्मरणोत्सव में मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
10.	कुवैत	भरतनाट्यम नृत्य	अगस्त, 1998	कालिदास की कृतियों पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के लिए।
11.	मेडागास्कर, रीयूनियन प्रायद्वीप	सितार वादक श्री पार्थो बांस मेडागास्कर के श्री राजेरी के जुगलबंदी प्रस्तुति के लिए	अगस्त, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
12-13.	नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, केमरून	सुश्री अरुणा मोहन्ती ओडिसी तथा श्री एम० एन० राव सितार	अगस्त, 1998	वही
14.	आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया	सुश्री स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी के साथ 6 सदस्य	अगस्त, 1998	वही
15.	मलेशिया	भांगड़ा और गिद्धा मंडली के 20 सदस्य	सितंबर, 1998	राष्ट्रमंडल खेल महोत्सव के०एल० 1998 में भाग लेने के लिए।
16.	दक्षिण कोरिया	मोहिनी अट्टम मंडली	सितंबर, 1998	कियेंगु विश्व संस्कृति प्रदर्शन में मंचीय कला प्रस्तुतियों के लिए।
17.	अमरीका	श्री जे० येसुदास के साथ 6 साथी	सितंबर, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
18.	अमरीका	श्री बैजयन्ती माला बाली, भरत नाट्यम के साथ 6 साथी	सितंबर, 1998	वही
19.	मलेशिया और क्षेत्र	सुश्री शोभना नारायण के साथ 8 साथी	अगस्त, 1998	वही
20.	नीदरलैंडस एवं स्कैंडेनेविया के देश	सुश्री हिन्दुस्तानी गायन की सुश्री अनुराधा पौडवाल और 6 साथी	सितंबर, 1998	ओम् टी. वी. के आमंत्रण पर मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
21.	बेल्जियम	सुगम शास्त्रीय संगीत की सुश्री शोभना राव और 8 साथी	सितंबर, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
22.	मलेशिया	श्री सचिन शंकर समसामयिक नृत्य मंडली	अक्तूबर, 1998	संगीत-नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए।
23.	मैक्सिको, पेरू, वेनेजुएला, अर्जेन्टीना	उस्ताद देबू की नृत्य संगीत मंडली के 8 सदस्य	अक्तूबर, 1998	सेरीवान्टीनो महोत्सव में भाग लेने और क्षेत्र का दौरा करने के लिए।
24.	जर्मनी, स्वीडन	स्वर्गीय श्री शिवराम कारंथ की 14 सदस्यीय यक्षगान मंडली	अक्तूबर, 1998	भारत-जर्मन सोसायटी के निमंत्रण पर मंचीय प्रस्तुतियों के लिए।
25.	इटली एवं यूरोप	विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियां	अक्तूबर, 1998	इटली में भारत महोत्सव तथा तत्पश्चात् क्षेत्र के अन्य देशों में मंचीय कला प्रस्तुतियों के लिए।
26.	अमरीका	हिन्दुस्तानी गायन की श्रीमती शन्नो खुराना के साथ 5 सदस्य	अक्तूबर, 1998	अमरीका में अली अकबर संगीत महाविद्यालय में मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए।
27.	उक्रेन, जार्जिया, अर्मेनिया	उत्तर प्रदेश से चारकुला नृत्य एवं बृज लोकगीत मंच	अक्तूबर, 1998	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए।
28.	अमरीका	श्री उल्हास कलशलकर गायन, श्री पार्थसारथि सरोद, श्री शुभेन्द्रराव सितार,	अक्तूबर/नवंबर, 1998	भारत के मंचीय कला केन्द्र के अनुरोध पर मंचीय प्रस्तुति के लिए।
29.	आस्ट्रिया, फ्रांस	संजय बंदोपाध्याय, सितार एवं तीन साथी	अक्तूबर/नवंबर, 1998	वियाना, आस्ट्रिया स्थित आस्ट्रिया भारत संघ के अनुरोध पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए।
30.	सीरिया, तुर्की, साइप्रस, यूनान	सुश्री विजयलक्ष्मी मोहिनी अट्टम तथा वन्दना कौल कत्थक श्री लुई बैंक्स	अक्तूबर/नवंबर, 1998	मंचीय कला प्रस्तुति के लिए।
31.	चीन, हांगकांग	श्री लुई बैंक्स फ्यूजन बैंड	नवंबर, 1998	बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय जाज महोत्सव में भाग लेने के लिए।
32.	फ्रांस, नीदरलैंड	सुश्री गीतांजली कत्थक और उनके 5 साथी	अक्तूबर/नवंबर, 1998	पेरिस में मंडप के निमंत्रण पर मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए।
33.	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड	सुश्री चित्रा विश्वेश्वरन भरत नाट्यम और उनके 6 साथी	अक्तूबर/नवंबर, 1998	मंचीय कला की प्रस्तुति के लिए।

सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

5159. **श्री एच० जी० रामुलू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने अब तक केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष कितनी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं;

(ख) इसमें से कितनी परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अभी तक स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) शेष योजनाएं जिन्हें अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने केन्द्र को अनुमोदन के लिए 76 परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। इनमें से 54 परियोजनाओं को अब योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) शेष 22 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
	(क) लम्बित वृहद परियोजनाएं
1.	अपर तुंगा परियोजना
2.	अपर कृष्णा चरण-II एम०पी० परियोजना
3.	मार्केन्डेय जलाशय परियोजना
4.	सिंगतालूर लिफ्ट सिंचाई स्कीम
	(ख) लौटाई गई वृहद परियोजनाएं
1.	तुंगभद्रा का आधुनिकीकरण
2.	यागची
3.	हासपटना लिफ्ट सिंचाई
4.	हरंगी
5.	के०आर० सागर दायां तट नहर चरण-I
6.	हेमवती
7.	भीमा फ्लो सिंचाई
8.	भीमा लिफ्ट सिंचाई
9.	वाराही
10.	रामथल लिफ्ट सिंचाई
11.	हिप्पारगी सिंचाई
	(ग) लम्बित मध्यम परियोजनाएं
1.	बासापुर में लिफ्ट सिंचाई स्कीम

1	2
	(घ) लौटाई गई मध्यम परियोजनाएं
1.	अकरावथी
2.	स्वर्णवथी
3.	कुदूरेगुन्डीहाला जलाशय
4.	उदूनथोरा हाल जलाशय
5.	इगलूर
6.	चंगावती जलाशय

कश्मीर मुद्दा

5160. **श्री मोहन रावले :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वह कश्मीर मुद्दे के समाधान हेतु कोई भूमिका निभाए;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के दौरे पर एक दल भेजा है;

(ग) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में किसी तीसरे पक्ष का किसी भी तरह का सरोकार नहीं है और भारत और पाकिस्तान के मुद्दे स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय हैं और उनका समाधान द्विपक्षीय बातचीत से ही संभव है; और

(घ) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव श्री अल्वरी द सोतो ने जून, 1998 के अंतिम सप्ताह में बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की यात्रा की थी।

(ग) और (घ) सरकार ने इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में तीसरे पक्ष की किसी भी प्रकार की भागीदारी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ सीधे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध बनाने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने हाल में सुरक्षा परिषद् को भेजे अपने पत्र में कहा है कि भारत और पाकिस्तान की ओर से बातचीत में शामिल होने की उनकी तत्परता के संकेत प्राप्त होने से उत्साहवर्धन हुआ है।

योजना आयोग का पुनर्गठन

5161. **श्री आर० साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग के तकनीकी आधार को मजबूत बनाने के लिए सरकार को सलाह देने हेतु किसी पूर्णकालिक सदस्य को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना आयोग के सुव्यवस्थित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के संदर्भ में योजना आयोग की कार्यप्रणाली में कार्यात्मक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है ताकि आयोग नये उभरते हुए क्षेत्रों/प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सके।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। योजना आयोग का भारत सरकार के 15 मार्च, 1950 के संकल्प के अनुसार गठन किया गया है तथा यह इसे सौंपे गए कार्य पूरे कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

5162. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई नीतिगत पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने उस पहल के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है; और

(ङ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात से संबंधित अद्यतन स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) एक संतुलित, तेजी से विकास करने वाले और आत्मनिर्भर प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के निर्माण संबंधी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण खाद्य हेतु उपयुक्त व्यापार वातावरण तैयार करने में नीतिगत सहायता देता है। इसमें राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के द्वारा सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र कंपनियों—इनमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं—सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों को प्रसंस्कृत खाद्य संयंत्रों की स्थापना, खेल से लेकर गांव, अर्ध-शहरी और शहरी उपभोक्ताओं तक कोल्ड चेन समेत प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के वास्ते विशेषीकृत तकनीकी बुनियादी सुविधाओं, विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा और और प्रौद्योगिकी विकास प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन विकास, आई एस ओ-9000 और अन्य गुणवत्ता आश्वासन तथा नियंत्रण उपायों समेत पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन और विपणन समर्थन के लिए औद्योगिक निवेश हेतु वित्तीय सहायता देता है।

(ग) अगस्त, 1991 से मार्च, 1998 तक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते 52000 करोड़ रु० के निवेश वाले करीब 4500 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम/शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के वास्ते करीब 9000 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत 18600 करोड़ रु० के निवेश वाले 1071 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निम्नलिखित हैं—अचार और चटनी, डबलरोटी, पेस्ट्री, कंफेक्शनरी (चाकलेट, टॉफी और च्यूइंगम को छोड़कर), मूंगफली का तेल (सालवेंट एक्सट्रेक्टिड को छोड़कर), काजू की मीठी वस्तुएं, सुगंधित तेल और (ओलयोरेजिन मसालों को छोड़कर अन्य प्रसंस्कृत मसाले), टेपियोका सागो, टेपियोका आटा ओर सेक्रिन।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात निम्नलिखित है :

1995-96	—	10415.33 करोड़
1996-97	—	10407.00 करोड़
1997-98	—	11000.93 करोड़ (अनंतिम)

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों का पता लगाना

5163. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पिछड़े राज्यों का पता लगाने के लिए कतिपय नए मार्गनिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए मार्गनिर्देशों के कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) भारत सरकार ने पिछड़े राज्यों की पहचान के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार नहीं किए हैं। तथापि, मौजूदा मार्गनिर्देशों में केन्द्रीय सहायता के आवंटन के संबंध में विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए विशेष विचार किए जाने की अनुमति है।

[अनुवाद]

बीयर उत्पादन इकाइयां

5164. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त बीयर उत्पादक इकाइयां कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ इकाइयां किसी विदेशी कंपनी द्वारा चलाई जा रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों का प्रतिवर्ष अनुमानित उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इन इकाइयों में रोजगार की संभावना के संबंध में कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निकट भविष्य में कुछ कंपनियों को बीयर उत्पादक इकाइयां स्थापित करते हेतु लाइसेंस देने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) कोई बीयर यूनिट अकेले किसी विदेशी कंपनी द्वारा नहीं चलाई जा रही है। वैसे सरकार द्वारा विदेशी और भारतीय कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के लिए 9 विदेशी कंपनियों और 11 अनिवासी भारतीयों के पक्ष में विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई है।

(ग) वार्षिक उत्पादन 425 मिलियन लीटर है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

'बीयर' उत्पादक इकाइयों के स्थान को दर्शाने वाला विवरण

1.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
3.	दमन	दमन
4.	गोवा	सकेते, पौंडा
5.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
6.	हरियाणा	सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी
7.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
8.	कर्नाटक	बंगलौर
9.	केरल	अलेपी, पालघाट
10.	महाराष्ट्र	थाने; तलोना, कोलाबा, सतारा, औरंगाबाद
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल, इन्दौर
12.	उड़ीसा	कटक
13.	पंजाब	लुधियाना
14.	राजस्थान	अलवर
15.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ छावनी
16.	प० बंगाल	नडिया, 24 परगना

पैदल सेना के खिलाफ लगने वाली बारूदी सुरंग पर प्रतिबंध

5165. **डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैदल सेना के खिलाफ लगने वाली बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी संधि पर 125 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संधि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भारत ने इसका किस सीमा तक स्वागत किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। "सेना विरोधी सुरंगों, संचयन, उत्पादन और अंतरण निषेध और उनके विनाश से संबंधित अभिसमय" पर 2 दिसंबर, 1997 को ओटावा में एक संधि हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी। ओटावा अभिसमय के नाम से जाने जाने वाले इस अभिसमय पर 127 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) ओटावा अभिसमय में प्रत्येक पक्षकार राज्य से अनुरोध किया है कि वे (i) सेना विरोधी सुरंगों का प्रयोग, विकास, उत्पादन, अर्जन, संचयन अथवा अंतरण नहीं करेंगे, (ii) "यथाशीघ्र परन्तु अभिसमय के लागू होने के बाद चार वर्ष से कम समय के भीतर" अपने अधिकार में रखी सभी संचित सेना विरोधी सुरंगों को नष्ट करेंगे अथवा उनका नष्ट किया जाना सुनिश्चित करेंगे, और (iii) "यथाशीघ्र अथवा अभिसमय के लागू होने के बाद 10 वर्ष से कम समय के भीतर" अपने क्षेत्र में अथवा अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में लगाए गए सभी ए पी एल नष्ट करेंगे अथवा उनका नष्ट किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अभिसमय में अनुपालन और सत्यापन व्यवस्था अंतर्विष्ट है जिसमें अनुपालन के लिए किए जा रहे उपायों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सत्यापन के लिए तथ्य खोजी व्यवस्था शामिल है।

(घ) भारत ने ओटावा अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि यह अपनी सुरक्षा चिंताओं का उपयुक्त समाधान नहीं करता। तथापि, भारत अमानवीय शस्त्र अभिसमय के नयाचार-II का पक्षकार है जो ए पी एल से संबद्ध है और जिसे 1996 में हुए समीक्षा सम्मेलन में सशक्त बनाया गया है। ए पी एल के अंधाधुंध निर्यात और उपयोग से हुई मानवीय त्रासदी पर भारत गंभीर रूप से चिंतित है और ए पी एल को निर्यात न करने की सचेतन नीति का अनुपालन करता है। भारत विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में शुरू किए गए सुरंग-रोधी क्रिया-कलापों में सक्रिय रूप से संलग्न है।

[हिन्दी]

कृषि सहकारी बैंक

5166. **श्री रामशकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि सहकारी बैंकों के माध्यम से किन क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन बैंकों द्वारा किसानों का शोषण करने के संबंध में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले अब तक सरकार की जानकारी में लाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सहकारी बैंक निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार ऋण उपलब्ध कराते हैं :

(i) कृषि प्रचालनों अथवा फसल विपणन अथवा कृषि या ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक आदानों के विपणन एवं वितरण के लिए 18 माह तक की अवधि के लिए लघु अवधि ऋण तथा चीनी कारखानों/कताई मिलों/औद्योगिक सहकारी समितियों आदि को ऋण।

(ii) कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए निवेश ऋण के लिए भी मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण (क्रमश: 7 वर्ष/15 वर्ष तक) भी दिए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य जिनके लिए ऋण दिए जाते हैं, वे हैं : छोटी सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी बागवानी आदि।

(ग) से (ङ) सहकारी बैंकों का प्रबंध निदेशक मंडल करता है, जो सामान्यत: अंशधारकों (किसानों) द्वारा निर्वाचित होते हैं। यद्यपि अधिकांश बैंकों में निर्वाचित निदेशक मंडल है, तथापि कुछ बैंक प्रशासकों द्वारा प्रबंधित होते हैं। इनका ग्राहक वर्ग बहुत विस्तृत है। इन बैंकों के प्रबंधकों के कार्य से संबंधित शिकायतों का निपटान उनके सहकारी कानून में निहित शर्तों के तहत संबंधित राज्य सरकारें करती हैं।

[अनुवाद]

असम में मत्स्य पालन

5167. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा असम में मत्स्य पालन के विस्तार हेतु उत्तम बीज खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति और इसके भंडारण, परिवहन विपणन, ऋण इत्यादि हेतु उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : असम में मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के माध्यम से 'ताजा जल जलकृषि विकास' नामक चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत ताजे जल में जलकृषि कार्य को शुरू करने के लिए सरकार लाभार्थियों को पहले वर्ष में बीज, आहार, उर्वरक, खाद आदि जैसे आदान-प्रदान कर रही है। ये एजेंसियां मत्स्य कृषिकों को जलकृषि के लिए तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता प्रदान करती है। 'अतंर्देशीय मात्स्यिकी विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण' नामक अन्य चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत शीतागारों, बर्फ संयंत्रों, मछली के रख-रखाव के लिए शैडों, खुदरा बिक्री केन्द्रों, मछली को लाने ले जाने के लिए इन्सुलेटिड वैनों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। तथापि, इस योजना के तहत असम सरकार ने केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन

5168. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान संमद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के भाद्रक संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक भाग का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भाद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1994-95 की कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। विवरण निम्नलिखित है :

क्र०सं०	विधानसभाई क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रु० में)	टिप्पण
1	2	3	4	5
1.	भाद्रक	अस्थल गांव में जल निकास व्यवस्था का निर्माण	0.50	कार्यस्थल विवादास्पद होने के कारण क्रियान्वयन नहीं हो पाया तथा पथांतरण की आवश्यकता।
2.	भाद्रक	जिला मुख्यालय अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाना	1.67	हाल ही में निधि स्वीकृत की गई है।
3.	चांबली	गलगंदपुर के पास सलंदी पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण	0.50	खंड विकास अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार अपर्याप्त निधि के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका।
4.	बासुदेवपुर	केरासही, बिदईपुर में एस०एन०एम०ई० विद्यालय के भवन का निर्माण	0.10	भूमि संबंधी विवादों के कारण कार्यान्वयन नहीं हुआ।

1	2	3	4	5
5.	बासुदेवपुर	बिदईपुर के सात सितारा क्लब के भवन का निर्माण	0.10	भूमि संबंधी विवादों के कारण कार्यान्वयन नहीं हुआ।
6.	भंडारी पोखरी	बालीपोखरी में एस०डी०जे० हाई स्कूल के भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाना	0.90	हाल ही में निधियां स्वीकृत होने के कारण कार्यान्वयन नहीं हो सका।
		कुल योग	3.77	

पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना

5169. **श्री डी० एस० अहिरे :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किसी योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र का नियोजन और विकास तथा इसके लिए निधियों का आवंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए गए फार्मूले में महत्व के आधार पर तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना, पूर्वोत्तर परिषद् आदि के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है। योजना आयोग ने स्वत: किसी पिछड़े क्षेत्र की पहचान नहीं की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप-योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों को आवंटित की गई/जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन राज्यवार आवंटित/जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	1995-96	19976-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2140.31	2287.52	2581.54
2.	असम	1546.19	1524.71	1460.00
3.	बिहार	274.22	3364.00	—
4.	गुजरात	3060.26	2642.95	2632.77
5.	हिमाचल प्रदेश	541.62	622.44	521.89
6.	जम्मू एवं कश्मीर	756.64	681.54	521.80
7.	कर्नाटक	659.99	569.50	500.00
8.	केरल	181.20	153.71	196.12
9.	मध्य प्रदेश	9579.66	7695.71	9207.83
10.	महाराष्ट्र	2930.82	3160.78	3400.89
11.	मणिपुर	574.53	653.22	950.00
12.	उड़ीसा	4958.10	4411.44	5576.27
13.	राजस्थान	2819.04	2467.32	2341.13
14.	सिक्किम	100.19	138.41	60.00
15.	तमिलनाडु	274.44	238.81	243.71
16.	त्रिपुरा	564.97	594.48	885.00
17.	उत्तर प्रदेश	104.08	90.39	112.91
18.	प० बंगाल	1763.21	1558.07	1600.39
19.	अंडमान एवं निकोबार	112.21	95.18	118.00
20.	दमन एवं दीव	59.31	49.82	50.75
	योग	33000.00	33000.00	32961.00

विशेष दूत की यात्रा

5170. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा इस वर्ष मई माह में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद प्रधान मंत्री के विशेष दूत, श्री जसवंत सिंह, जिन्होंने अमरीका की यात्रा की थी, ने अमरीका में भारतीय समुदाय से उनके संघ के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या संदेश दिया गया तथा इस पर उनकी लिखित ज्ञापनों के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी, हां। श्री जसवंत सिंह ने बुधवार 10 जून, 1993 को न्यूयार्क और उसके आसपास रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की थी।

(ख) लोगों को संबोधित करते हुए श्री जसवंत सिंह ने मई, 1998 में भारत द्वारा किए नाभिकीय परीक्षणों के पीछे की तर्क-संगत का उल्लेख किया और उनसे अनुरोध किया कि वे इस तर्क को अपने अमरीकी साथियों, कांग्रेसजनों और सीनेटरों के समक्ष रखें। उन्होंने वर्तमान समय को अपने राष्ट्र के इतिहास में 'निर्णायक समय' बताया और अनिवासी भारतीयों से कहा कि वे इस निर्णायक दौर में भारत का साथ दें और पूरे दिल से अपने देश का समर्थन करें।

300 से अधिक भारतीय समुदाय के लोगों और क्षेत्र में रह रहे विभिन्न समुदाय के नेताओं ने उनके भाषण को उत्साह के साथ सुना।

केले की खेती

5171. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केले की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में उठाए गए कदमों तथा आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा क्रियान्वयन की जा रही उष्ण शीतोष्ण एवं शुष्क क्षेत्रफलों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत, केला सहित फलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपायों से सहायता दी जा रही है। जिसमें क्षेत्र विस्तार के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति, पुराने बागानों का नवीकरण, किसानों को प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 74.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

(ग) उपर्युक्त केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान आवंटित धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1997-98 एवं 1998-99 के दौरान फल स्कीम के अंतर्गत परिव्यय

क्र०सं०	राज्य	परिव्यय 1997-98	परिव्यय 1998-99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	71.37	132.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.60	37.27
3.	असम	15.21	45.83
4.	बिहार	71.72	111.97
5.	गोवा	4.01	11.90
6.	गुजरात	76.26	115.61
7.	हरियाणा	34.80	84.81
8.	हिमाचल प्रदेश	41.34	84.00
9.	जम्मू व कश्मीर	135.50	143.81
10.	कर्नाटक	83.59	179.17
11.	केरल	53.64	94.16
12.	मध्य प्रदेश	108.23	133.46
13.	महाराष्ट्र	127.49	194.54
14.	मणिपुर	67.28	95.58
15.	मेघालय	10.53	21.58
16.	मिजोरम	7.62	22.13
17.	नागालैंड	53.60	73.55
18.	उड़ीसा	327.70	332.86
19.	पंजाब	30.00	49.08
20.	राजस्थान	40.70	80.22
21.	सिक्किम	10.30	16.79
22.	तमिलनाडु	80.06	133.03
23.	त्रिपुरा	15.35	31.90
24.	उत्तर प्रदेश	90.39	122.84
25.	पश्चिम बंगाल	83.96	93.10
26.	अ०नि० द्वीप समूह	11.30	14.69
27.	चंडीगढ़	11.00	1.00
28.	दा०न० हवेली	4.84	6.62
29.	दिल्ली	4.86	5.90
30.	दमन और दीव	4.87	8.20
31.	लक्ष्यद्वीप	10.90	14.09
32.	पांडिचेरी	3.00	8.01
	कुल	1718.02	2500.03

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

5172. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 1990-91 के दौरान उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने फ्रंटलाइन प्रदर्शन किए गए;

(ख) देश में इन प्रदर्शनों के प्रभाव का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई मूल्यांकन अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर प्रौद्योगिकी मिशन के तहत वर्ष 1990-91 के दौरान तिलहनों पर कुल 3348 प्रथम श्रेणी के प्रदर्शन किए गए।

(ख) देश में इन प्रदर्शनों के प्रभाव का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी, किसानों के खेतों में मौजूदा पैदावार के साथ प्रदर्शन के दौरान प्राप्त पैदावार की तुलना के आधार पर जो बढ़ोतरी पाई गई वह सरसों में 103.19 प्रतिशत, गोभी, सरसों में 33.33 प्रतिशत, अलसी में 166.22 प्रतिशत, मूंगफली में 36.55 प्रतिशत, सूरजमुखी में 44.79 प्रतिशत और तिल में 190.12 प्रतिशत है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों में किए गए तिलहनों के प्रथम श्रेणी के प्रदर्शनों की उपज क्षमता

सरसों

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं०/है०)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
पंजाब	56	53.20	11.92	7.62	56.43
हिमाचल प्रदेश	199	37.80	8.01	3.10	158.39
उत्तर प्रदेश	277	149.20	15.15	5.30	185.85
पश्चिम बंगाल	1005	130.60	12.44	8.51	46.18
बिहार	176	22.38	10.00	3.93	154.45
उड़ीसा	149	43.10	10.57	4.52	133.85
कुल/औसत	1862	436.28	12.61	6.21	103.19

गोभी सरसों

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं०/है०)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
पंजाब	106	103.00	13.07	9.82	33.10
हिमाचल प्रदेश	89	2.90	18.20	13.05	39.46
कुल/औसत	195	105.90	13.21	9.91	33.33

अलसी

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं./है.)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
बिहार	66	19.12	6.65	2.38	179.41
मध्य प्रदेश	21	20.00	11.68	4.50	159.56
कुल/औसत	87	39.12	9.22	3.46	166.22

मूंगफली

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं०/है०)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
आंध्र प्रदेश	344	143.00	21.89	15.73	39.16
उड़ीसा	270	67.00	18.67	14.43	29.38
कर्नाटक	112	91.60	17.10	13.80	23.91
तमिलनाडु	110	84.00	17.20	11.10	54.95
कुल/औसत	836	385.60	19.17	14.04	36.55

सूरजमुखी

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं०/है०)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
कर्नाटक	83	89.00	16.90	10.60	59.43
तमिलनाडु	17	15.00	15.10	10.60	42.45
हरियाणा	32	32.00	21.01	15.05	39.60
पंजाब	50	33.00	18.86	14.98	25.90
महाराष्ट्र	54	25.10	18.80	12.60	49.21
महाराष्ट्र	23	10.00	9.80	5.00	96.00
कुल/औसत	259	204.10	19.93	13.76	44.79

तिल

राज्य	किसानों की सं०	क्षेत्र (है०)	औसत पैदावार (क्विं०/है०)		पैदावार में बढ़ोत्तरी प्रतिशत
			प्रदर्शन	स्थानीय	
उड़ीसा	84	18.30	8.82	3.72	137.10
तमिलनाडु	25	15.71	8.10	2.00	305.00
कुल/औसत	109	34.01	8.49	2.93	190.12

[हिन्दी]

धान की पौध की सिंचाई

5173. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से धान की पौध की सिंचाई के लिए 27,50,000 लीटर डीजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 220 लाख रुपए का शत-प्रतिशत अनुदान मंजूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1.9 लाख हैक्टेयर धान नर्सरी के क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई राजसहायता देने का प्रस्ताव भेजा है। यह नर्सरी क्षेत्र डीजल प्रचालित नलकूप एवं पंपिंग सेट के अधीन हैं। राज्य सरकार ने, दो सिंचाई के लिए 25 ली० प्रति है० प्रति सिंचाई की दर से, कुल लागत की भरपाई के लिए 550 लाख रुपये की सहायता मांगी है।

(ख) राज्य को सिंचाई राजसहायता देना संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान "गेहूं एवं चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी-चावल एवं आई सी डी पी-गेहूं)" के अंतर्गत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

भू-संरक्षण

5174. **श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भू-संरक्षण के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1997 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों को जारी की जाने वाली धनराशि के लिए अपनाए गए मानदंड नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों के झूम खेती वाले क्षेत्रों तथा देश के अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भू अवक्रमण की तीव्रता तथा गहनता पर निर्भर होते हैं। राज्यों को धनराशि जारी करना अन्य बातों पर भी निर्भर करता है; जैसे (1) विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य का कार्यनिष्पादन (2) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता (3) राज्य की उपयोग क्षमता तथा (4) राज्य में संस्वीकृत पनधारा कार्यक्रमों की संख्या।

विवरण

देश में 1997-98 के दौरान मृदा संरक्षण हेतु जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शसित प्रदेश	जारी धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	1379.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	215.80
3.	असम	166.46
4.	बिहार	449.37
5.	गुजरात	966.00
6.	हरियाणा	191.78
7.	हिमाचल प्रदेश	783.30
8.	जम्मू और कश्मीर	571.70
9.	कर्नाटक	3057.60
10.	केरल	507.30
11.	मध्य प्रदेश	3249.65
12.	महाराष्ट्र	3330.58
13.	मणिपुर	613.67
14.	मेघालय	139.00
15.	मिजोरम	533.46
16.	नागालैंड	471.12
17.	उड़ीसा	1304.00
18.	पंजाब	246.90
19.	राजस्थान	4471.82
20.	सिक्किम	90.00
21.	तमिलनाडु	1509.55
22.	त्रिपुरा	268.40
23.	उत्तर प्रदेश	4730.80
24.	पश्चिम बंगाल	118.73
25.	गोवा	9.00
26.	अ०नि० द्वीप समूह	25.00
27.	दा०न० हवेली	7.22
28.	लक्ष्यद्वीप	4.78
29.	पांडिचेरी	4.00
30.	डी०टी०सी०	400.00
	कुल	29916.16

हज यात्री

5175. **श्री एस० एस० ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से आंध्र प्रदेश के हज यात्रियों के विभिन्न मुद्दों से संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1998 के दौरान आंध्र प्रदेश से कितने हज यात्रियों को अनुमति दी गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1998 के दौरान हज समिति के माध्यम से आंध्र प्रदेश के 1966 हज यात्रियों ने हज किया, आंध्र प्रदेश से जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हज पर गए थे, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

यू०के०पी० चरण-दो पर कार्य बंद होना

5176. **श्री एच० जी० रामुलू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई जा रही यू०के०पी० योजना के चरण-दो पर कार्य बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार किया है अथवा निरस्त; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) ऊपरी कृष्णा परियोजना (यू०के०पी०) चरण-II की परियोजना रिपोर्ट इसके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु अभी भी केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है और इस प्रकार इस परियोजना पर जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, योजना आयोग द्वारा परियोजना को अभी निवेश स्वीकृति दी जानी है। साथ ही इस परियोजना में अंत:राज्यीय मामले शामिल हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन हैं। तथापि, राज्य सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1997-98 के लिए इस परियोजना हेतु परिव्ययों का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति (अर्थात् अननुमोदित) पर विचार करते हुए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने वर्ष 1997-98 के दौरान इस परियोजना के लिए किसी वित्तीय परिव्यय की सिफारिश नहीं की। तथापि, इसने परियोजना के अनुमोदन और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की शर्त के अधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1921.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

विदेश सचिव स्तर पर वार्ता

5177. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच हाल ही में विदेश सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) ढाका में 28-29 जून, 1998 को भारत और बंगलादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसले और द्विपक्षीय संबंधों को शामिल किया गया था। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच जारी निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर संतोष प्रकट किया। इसमें सकारात्मक तथा परस्पर लाभकारी ढंग से आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सुरक्षा मसलों सहित द्विपक्षीय क्रियाकलाप के अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सहयोग और अधिक बढ़ाने के लिए सार्क को एक प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने के लिए कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी निवेश तथा सहयोग

5178. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इस समय उत्पादवार तथा राज्यवार विदेशी निवेश कितना है एवं कितना विदेशी सहयोग उपलब्ध है; और

(ख) रोज़गार सृजन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में इस निवेश/सहयोग का क्या प्रभाव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 8756 करोड़ रु० के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रवार और राज्यवार ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से आशा है कि कृषि उत्पाद का अच्छा उपयोग करने, रोजगार का सृजन करने, घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजार के विस्तार और मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी करने में सहायता मिलेगी।

विवरण-I

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मंजूर किए गए विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	क्षेत्र	विदेशी निवेश
1.	दाल मिलिंग एवं दाल आधारित उत्पाद	319
2.	फल एवं सब्जी उत्पाद	619
3.	मांस एवं पाल्ट्री उत्पाद	456
4.	गहन समुद्री मत्स्यन, मछली प्रसंस्करण एवं मछली पालन	553
5.	किण्वन उद्योग	615
6.	मृदुपेय, मिष्ठान/मिनरल वाटर आदि समेत उपभोक्ता उद्योग	5176
7.	दूध एवं दूध उत्पाद	367
8.	खाद्य योगजों, खाद्यरंगों, ओलियोरेसिन समेत अन्य	251
	कुल	8756

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मंजूर किए गए विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा (जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	क्षेत्र	विदेशी निवेश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	234
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	289
5.	हरियाणा	220
6.	हिमाचल प्रदेश	112
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8
8.	कर्नाटक	106
9.	केरल	25
10.	मध्य प्रदेश	140
11.	महाराष्ट्र	582
12.	उड़ीसा	3
13.	पंजाब	17
14.	राजस्थान	38
15.	तमिलनाडु	569
16.	त्रिपुरा	1
17.	उत्तर प्रदेश	451
18.	प० बंगाल	22
19.	दिल्ली	803
20.	पांडिचेरी	6
21.	गोवा	11
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
23.	चंडीगढ़	70
24.	लक्षद्वीप	1
25.	दमन एवं दीव	1
26.	कंपनियां जिनकी यूनिटें एक से अधिक राज्यों में हैं	5044
	कुल	8756

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बढ़ता निवेश

5179. **श्री आर० साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पांच वर्षों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बढ़ते निवेश के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुल निवेश वर्तमान स्तर से दुगुना करने की आशा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आगे निवेश में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने में किन-किन देशों ने गहन रुचि दिखाई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वर्षवार निवेश निम्नलिखित है :

वर्ष		करोड़ रु० में
1993-94	—	9518
1994-95	—	7774

वर्ष		करोड़ रु० में
1995-96	—	7496
1996-97	—	8365
1997-98	—	7263

(ग) और (घ) आशा है कि इस क्षेत्र में निवेश अगले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा परन्तु उसकी निश्चित मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता।

(ङ) मंत्रालय प्रसंस्कृत क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली अपनी विकासात्मक भूमिका द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नीति समर्थन देता है और अपनी योजना स्कीमों के द्वारा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, प्रसंस्करण क्षमता के सृजन, आई०एस०ओ० 9000 और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण उपायों समेत पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास तथा विपणन समर्थन हेतु वित्तीय सहायता देता है।

(च) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र हेतु अमेरिका, इटली, थाइलैंड, कनाडा और फ्रांस से प्राप्त अत्यधिक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

5180. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने दक्षिणी उड़ीसा में भंजानगर, सोरादा और घोदाहाडो सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के उत्पादन में गिरावट

5181. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में आई इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के उत्पादन जो कि 1991 में 3.60 लाख टन था और 1996 में बढ़कर 9.60 लाख टन हो गया, में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन वर्ष 1997 में उनका उत्पादन घटकर 9.10 लाख टन हो गया है।

(ख) उत्पादन की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ संभावित कारण कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतें, बाजार मांग और उत्पादनों की समग्र आर्थिक व्यवहार्यता हैं।

(ग) फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत बुनियादी सुविधाओं, प्रशीतन भंडारों, खाद्य पार्कों की स्थापना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं आदि की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नेपाल के साथ उदार व्यापार की शर्तें

5182. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत से उसके दक्षिणी पड़ोसी देश बंगलादेश तक नया मार्ग उपलब्ध कराने के साथ-साथ उदार व्यापार पारगमन शर्तें अपनाने के लिए कहा है;

(ख) क्या पूर्व प्रधान मंत्री ने विगत वर्ष चारों ओर भूमि से घिरे नेपाल को बंगलादेश के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए नये पारगमन मार्ग के रूप में अपने भू-भाग के 71 कि०मी० लंबे रास्ते का प्रयोग करने के संबंध में सहमति जताई थी;

(ग) भारत नेपाल की व्यापार संबंधी उदार शर्तों के आग्रह पर किस हद तक सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री की इन्द्र कुमार गुजराल की जून, 1997 की नेपाल यात्रा के दौरान फुलवारी होकर बंगलादेश जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग देने के नेपाल के चिरकालिक अनुरोध को मान लिया गया था। तदनुसार, काकरभित्ता-फुलवारी-बंगलादेश मार्ग पर आने-जाने के लिए प्रचालन संबंधी रूपरेख तैयार की गई थी और सितम्बर, 1997 से मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया था।

(ग) और (घ) दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की मार्च, 1998 में नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान नेपाल सरकार के अनुरोध पर प्रचालन संबंधी रूपरेखा में दोनों पक्षों की संतुष्टि हो जाने की सीमा तक अनेक शिथिलताएं लाई गई थीं।

ब्रह्मपुत्र बार्ड

5183. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना के बाद तैयार की गई बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर परियोजना-वार कितना व्यय किया गया है;

(ख) सुबनसिरी, देहंद, दिबांग और तिपाईमुख सहित इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबनसिरी स्थित एक बड़ी बांध परियोजना के स्थान पर तीन छोटे बांधों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने दिसंबर, 1981 के अपने प्रारंभ से (i) असम में पगलादिया, (ii) मणिपुर-मिजोरेम सीमा पर तिपाईमुख, (iii) अरुणाचल प्रदेश में विहंग और सुबनसिरी के लिए बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की हैं। उपर्युक्त योजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया व्यय लाख रुपये में हैं : (i) 239.23 (मार्च 1998 तक), (ii) 647.80 (मार्च, 1990 तक) और (iii) 804.52 और 897.64 (मार्च 1998 तक)।

(ख) पगलादिया परियोजना को सभी दृष्टियों से तकनीकी रूप से स्वीकृति मिल गई है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड के जरिए निवेश स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। वर्ष 1995 के दौरान तिपाईमुख परियोजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम एवं असम की राज्यों के बीच समझौता न होने से कार्यान्वयन रुका हुआ है। स्थलों विहंग और सुबनसिरी नदियों पर तीन नए वैकल्पिक बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिए अन्वेषण प्रगति पर है जो कि पहले किए गए एकल स्थलों के अलावा है और इन पर अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रमुख नगरों में जलमग्नता की संभावना के कारण आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। दिबंग परियोजना का अन्वेषण प्रगति पर है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश सरकार सुबनसिरी नदी पर तीन वैकल्पिक स्थलों में मध्यम ऊंचाई वाले बांधों के अन्वेषण में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ सहयोग कर रही है।

सिंचाई परियोजनाएं

5184. **श्री डी० एस० अहिरे :**
श्री माधवराव पाटील :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाकाल के शुरू होने से लेकर सरकार ने राज्यवार कुल कितनी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है;

(ख) उनमें से राज्यवार अब तक कुल कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं;

(ग) धीमी प्रगति यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) विलंब के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ङ) उन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी लागत और समय सीमा में वृद्धि हुई है; और

(च) शेष परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) योजनाकाल के शुरू होने के बाद से निर्माण के लिए शुरू की गई और पूर्ण की गई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों में से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। किसी वृदह परियोजना को पूरा करने की अवधि तथा उसकी अनुमानित लागत में वृद्धि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे—इसका आकार, भूमि की उपलब्धता, विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृतियां, भौगोलिक स्थितियां आदि। विभिन्न परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा आवंटित निधियां भी इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अधिकांश परियोजनाएं पूरे देश में पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विलंब के कारण वृहद परियोजनाओं की लागत में वृद्धि अधिकतम 64 गुना नोट की गई है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वृहद परियोजनाएं	
		शुरू की गई	पूर्ण
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	19	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	7	7
4.	बिहार	33	17
5.	गोवा	1	—
6.	गुजरात	19	10
7.	हरियाणा	10	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—
9.	जम्मू व कश्मीर	1	—
10.	कर्नाटक	15	3
11.	केरल	14	7
12.	मध्य प्रदेश	26	9
13.	महाराष्ट्र	57	18
14.	मणिपुर	3	1
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	13	6
19.	पंजाब	4	4

1	2	3	4
20.	राजस्थान	8	2
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	5	5
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	52	34
25.	पश्चिम बंगाल	4	1
	कुल (राज्य)	292	130
संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
2.	चंडीगढ़	—	—
3.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—
4.	दमन व दीव	—	—
5.	दिल्ली	—	—
6.	लक्षद्वीप	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	—	—
	पूर्वोत्तर परिषद	—	—
	केन्द्रीय क्षेत्र	—	—
	कुल (संपूर्ण भारत)	292	130

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

5185. **श्री एस० एस० ओवेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन स्रोतों से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) राज्य में सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी भूमि को सिंचित भूमि में शामिल किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में स्रोत-वार चरम सिंचाई क्षमता निम्नानुसार है :

चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)

स्रोत	वृहद और मध्यम	लघु	कुल
सतही जल	5000	2000	7000
भूजल	—	2200	2200
कुल	5000	4200	9200

(ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश में नौवीं योजना के दौरान 608.03 हजार हेक्टेयर (अनंतिम) सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

अमरीका-चीन का संयुक्त वक्तव्य

5186. **श्री मोहन रावले** :
श्री अजय कुमार एस० सरनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 27 जून, 1998 को बीजिंग में दक्षिण एशिया के बारे में जारी किए गए अमरीका-चीन के संयुक्त वक्तव्य से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति विलियम जेफरसन क्लिण्टन ने 25 जून से 3 जुलाई, 1998 तक चीन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति ने 29 जून, 1998 को दक्षिण एशिया पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- अमरीका और चीन दक्षिण एशिया में नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र शस्त्रों की होड़ की गति को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को मजबूत करने, और मेल-मिलाप बढ़ाने तथा भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पी-5 सुरक्षा परिषद् के भीतर तथा अन्य देशों के लिए एकजुट होकर कार्य करते रहेंगे,

- भारत और पाकिस्तान द्वारा हाल में किए नाभिकीय परीक्षण और फलस्वरूप उनके बीच बढ़ते हुए तनाव दोनों पक्षों के लिए गहन और स्थायी चिन्ता का स्रोत हैं,

- उन्होंने भारत और पाकिस्तान से मांग की कि वे भविष्य में और नाभिकीय परीक्षण न करें और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का तुरन्त और बिना शर्त पालन करें, नाभिकीय हथियारों से अपने को सुसज्जित करने अथवा उनकी तैनाती करने से तथा नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण अथवा उनकी तैनाती से बाज आएं, और इस बात का पक्का वचन दें कि वे नाभिकीय हथियारों अथवा उन्हें ले जाने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों से अपने को सुसज्जित नहीं करेंगे अथवा उनकी तैनाती नहीं करेंगे,

- उन्होंने नाभिकीय अप्रसार पर उसके अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में नाभिकीय अप्रसार संधि के साथ मजबूत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की,

– उनका लक्ष्य भारत और पाकिस्तान सहित सभी देशों से नाभिकीय अप्रसार सन्धि का उसके यथावत् रूप में बिना किसी परिशोधन के अनुपालन करवाना है,

– उनकी स्थिति यह है कि हाल में किए अपने नाभिकीय परीक्षणों के बावजूद नाभिकीय अप्रसार सन्धि के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान को नाभिकीय हथियार संपन्न राज्य का दर्जा न मिले,

– वे नाभिकीय अप्रसार संधि के अनुच्छेद-VI के अंतर्गत नाभिकीय निरस्त्रीकरण से संबद्ध अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने और यथासंभव भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे के साथ-साथ दुष्कर और अर्से से चले आ रहे अपने बीच के मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहायता देने की वचनबद्धता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं,

– उन्होंने दक्षिण एशिया को शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित बनाने में संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग योगदान देने में अपनी आशा की पुनः पुष्टि की,

– पी-5 सदस्यों और क्षेत्र के देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखने वाले राज्यों के रूप में वे इसे अपनी संयुक्त जिम्मेदारी समझते हैं कि वे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में सक्रिय रूप से योगदान दें, और तनावों के मूल कारणों को हल करने में वह सब करें जो वे कर सकते हैं,

– उन्होंने ऐसे उपकरणों, सामग्री अथवा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जिससे भारत अथवा पाकिस्तान में नाभिकीय हथियारों के लिए ऐसे हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों के कार्यक्रमों में किसी प्रकार की मदद मिल सकती हो,

(ग) सरकार ऐसे किसी देश/देशों की धारणा को स्पष्ट शब्दों में नामंजूर करती है जो दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को संरक्षित रखने के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग अपनी जिम्मेदारी का झूठा दावा करते हों। सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल नाभिकीय हथियारों अथवा प्रक्षेपास्त्र विकास के बारे में निर्णय करेगी।

दक्षिण एशिया में अधिक मात्रा में क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण की प्रवृत्ति है। दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम अपने संबंधों को मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण और सहयोगी बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी को स्वीकार नहीं करते।

हमारी कोशिश है कि अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ अपने संबंध पंचशील के आधार पर मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, अच्छे पड़ोसियों जैसे और परस्पर लाभप्रद हों। चीन के साथ अपने संबंधों को हम इस रूप में देखते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति सकारात्मक रहें। हम अनसुलझे मसलों को निपटाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध रहे हैं।

अमरीका के साथ अच्छे और स्थायी संबंधों की दिशा में काम करने की भारत की दीर्घकालिक नीति रही है। दोनों पक्ष अपने आपसी लाभप्रद संबंधों को और विस्तार देने तथा उन्हें गहन बनाने और सहयोग के क्षेत्र तैयार करने के लिए व्यापक वार्ता में लगे हैं।

बांधों का निर्माण

5187. **श्री रंजीव बिस्वाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय निर्माणाधीन बड़े और मध्यम श्रेणी के बांध/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनको शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम बांध परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। परियोजना के पूरा होने की अवधि विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे इसका आकार, भूमि की उपलब्धता, स्वीकृतियां, भौगोलिक स्थिति आदि। विभिन्न परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा आवंटित निधियां इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। देश भर में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बहुत-सी परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न स्तर पर हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	वृहद परियोजनाएं	मध्यम परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	4	9
4.	बिहार	16	29
5.	गोवा	2	1
6.	गुजरात	9	9
7.	हरियाणा	3	–

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—
9.	जम्मू और कश्मीर	1	9
10.	कर्नाटक	14	15
11.	केरल	7	5
12.	मध्य प्रदेश	25	32
13.	महाराष्ट्र	36	66
14.	मणिपुर	2	2
15.	मेघालय	—	1
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	1	—
18.	उड़ीसा	6	14
19.	पंजाब	1	1
20.	राजस्थान	—	6
21.	सिक्किम	8	—
22.	तमिलनाडु	—	2
23.	त्रिपुरा	—	3
24.	उत्तर प्रदेश	18	3
25.	पश्चिम बंगाल	4	17
	कुल	170	244

सुपर कम्प्यूटर की बिक्री

5188. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत को सुपर कम्प्यूटर बेचने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से भारत में कम्प्यूटर कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो भारत को सुपर कम्प्यूटर की बिक्री रोकने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी तदर्थ एवं एकपक्षीय निर्यात प्रतिबंधों का निरंतर विरोध किया है तथा इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों को बार-बार अवगत कराया है।

[अनुवाद]

असम में बुनियादी ढांचे का विकास

5189. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास सुविधा योजना के अंतर्गत बर्फ के संयंत्रों, शीतागार आदि की पूंजीगत लागत के संबंध में असम के विभिन्न संगठनों और निजी उद्यमियों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव हर लिहाज से पूर्ण नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि उक्त प्रस्ताव सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) असम एपेक्स सहकारिता मत्स्य विपणन तथा प्रसंस्करण संघ लि०, द्वारा असम में 6 शीत भंडारण संयंत्रों की स्थापना के संबंध में असम सरकार से अक्टूबर, 1996 में एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर असम सरकार से अपेक्षित सूचना समेत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। मंत्रालय द्वारा मामलों पर सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने के बावजूद फरवरी, 1998 में असम सरकार से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कुछ और स्पष्टीकरण अभी असम सरकार से प्राप्त होने बाकी हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के बारे में विस्तृत सूचना और मार्गदर्शन देने वाली एक पुस्तिका मात्स्यिकी सचिव, असम सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों को भेजी गई है।

[हिन्दी]

जाफना प्रायद्वीप को पुनः बसाना

5190. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप को पुनः बसाने के लिए सहायता हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जाफना को पुनः बसाने के लिए कोई अंशदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर अक्तूबर, 1996 में श्रीलंका को खाद्य सहायता के रूप में 1750 मीट्रिक टन चावल दिया। इसके अतिरिक्त अक्तूबर, 1997 में सरकार ने 741 टन जिंक रूफिंग शीटें और 4125 टन सीमेंट के रूप में निर्माण सामग्री भेजी तथा जनवरी, 1998 में जाफना पुस्तकालय में प्रयोग के लिए नई दिल्ली स्थित श्रीलंका के उच्चायोग को 2000 पुस्तकें प्रदान की गईं।

सी०बी०आई० को रिश्वत देना

5191. **श्री प्रदीप कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1998 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'रिश्वत मामले में अपने अफसर को छोड़ दिया, सी०बी०आई० ने' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार की विषय वस्तु, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामला सं० आर०सी० 23(ए)/95-डी०एल०आई० से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर, व्यापक जांच-पड़ताल की गई। जांच करने पर, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के किसी भी कार्मिक के इस मामले में संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अत: किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास मामले

5192. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र/राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/विभागीय कार्यवाही के मामले प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ग) वर्ष, 1996 और 1997 के दौरान दिल्ली सरकार से पृथक् रूप से प्राप्त मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले निटाए गए और शेष मामलों को कब तक निपटा लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) और (ख) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, केवल राजपत्रित अधिकारियों तथा उनसे उच्चतर स्तर के अधिकारियों के मामलों का ही सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को भेजा जाना अपेक्षित है। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामलों में निर्णय, प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपने संबंधित आंतरिक सतर्कता संगठनों के परामर्श से किया जाता है। तथापि, जिन मामलों में राजपत्रित अधिकारियों के साथ अराजपत्रित अधिकारी भी संलिप्त हों, उनमें ऐसे सभी संदिग्ध अधिकारियों के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से सलाह ली जाती है।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के संलिप्त होने से संबंधित 41 मामले वर्ष 1996 में तथा 52 मामले वर्ष, 1997 में प्राप्त हुए जिनकी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जांच की गई। इन मामलों में संलिप्त अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या वर्ष 1996 में 19 तथा वर्ष 1997 में 39 थी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित सभी मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निबटा दिए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र दल का भारत दौरा

5193. **श्री के०एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने उन्हें जून, 1998 के आखिरी हफ्ते में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव श्री अलवारो डी सोतो के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के एक दल के भारत दौरे के बारे में पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के दौरे के उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्युत्तर में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचित किया था कि भारत उक्त दल का भारत में स्वागत के लिए इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री अल्वरो द सोतो की यात्रा भारत और पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने के उद्देश्य से किए जा रहे महासचिव के प्रयासों के संदर्भ में थी जिसका सुरक्षा परिषद् संकल्प 1172 (1998) द्वारा स्वागत किया गया था। श्री अल्वरो द सोतो ने बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की यात्रा की थी। श्री सोतो भारत नहीं आए थे। सरकार ने अपनी इस बात को दोहराया था कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में तीसरे पक्ष की किसी भी प्रकार की भागीदारी के लिए कोई स्थान नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पद

5194. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 के विज्ञापन संख्या 1 की मद संख्या 9 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने 9 और 10 दिसंबर, 1996 तथा 26 मई, 1997 को चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद हेतु साक्षात्कार लिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने रिक्त पद भरे गए; और

(ग) प्रतीक्षा सूची पैनल में किन-किन उम्मीदवारों के नाम हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) 3 (तीन)।

(ग) आरक्षित (रिजर्व) सूची, सामान्यत: केवल प्रतिस्थापन-रिक्तियों के संबंध में तथा उन मामलों में व्यवहृत की जाती है जिनमें उम्मीदवार द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख के छ: महीने के अन्दर इस्तीफा दे देने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण पद रिक्त हो जाए। उस समय तक आरक्षित (रिजर्व) सूची गोपनीय रखी जाती है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लंबित मामले

5195. **श्री राजनारायण पासी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रत्येक खंडपीठ में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कितने मामले दायर किए गए तथा कितने मामल निपटाए गए; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन) : (क) 31-05-1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास न्यायपीठवार लंबित-अनिर्णीत मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर किए गए एवं उसके द्वारा निबटाए गए मामलों की संख्या नीचे दर्शाई गई है।

वर्ष	दायर किए गए मामलों की संख्या	निबटाए गए मामलों की संख्या
1995	25,789	23,668
1996	23,584	20,667
1997	23,098	21,981

(ग) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अधिकरण अपने समक्ष दायर प्रत्येक आवेदन के बारे में यथाशीघ्र ही निर्णय करे तथा साधारणत: प्रत्येक आवेदन के बारे में निर्णय दस्तावेजों तथा लिखित अभिवेदनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके और उसके बारे में किया जाने वाला मौखिक तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात् ही किया जाना अपेक्षित होता है। सभी मंत्रालयों/विभागों को अधिकरण में दायर मामलों में अपेक्षित कार्रवाई का अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई ताकि ऐसे मामलों का निबटारा शीघ्रता से किया जा सके। जब कभी अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के रिक्त हो जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, ये पद यथाशीघ्र भरने के प्रयास भी किए जाते हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में न्यायपीठ-वार लंबित अनिर्णित चल रहे मामले

(31-05-1998 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	न्यायपीठ	लंबित-अनिर्णीत चल रहे मामलों की संख्या
1.	प्रधान न्यायपीठ	6364
2.	इलाहाबाद न्यायपीठ	7135
3.	अहमदाबाद न्यायपीठ	2393
4.	लखनऊ न्यायपीठ	3234
5.	बंगलूर न्यायपीठ	589
6.	मुम्बई न्यायपीठ	3542
7.	कलकत्ता न्यायपीठ	5447
8.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	3178
9.	कटक न्यायपीठ	2825
10.	गुवाहाटी न्यायपीठ	432
11.	हैदराबाद न्यायपीठ	1710
12.	जबलपुर न्यायपीठ	2275
13.	जोधपुर न्यायपीठ	890
14.	जयपुर न्यायपीठ	1599
15.	चेन्नई न्यायपीठ	1861
16.	पटना न्यायपीठ	2208
17.	एरणाकुलम न्यायपीठ	1406
	कुल	47,088

हलाल मीट

5196. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हलाल मीट के अनुमोदन हेतु रोम की सी०ओ०डी०ई०एक्स० को अभ्यावेदन दिया है क्योंकि यह पशुवध

का एक क्रूर तरीका है जबकि सभी जीवधारियों के प्रति दया भाव रखने की एक नई धारणा पनप रही है तथा यूरोपीय संघ ने भी पशुओं की परिभाषा माल से बदलकर संवेदनशील प्राणियों के रूप में कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी देशों ने भारत के प्रस्ताव पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत ने इस संबंध में किसी प्रस्ताव की शुरुआत नहीं की थी।

(ग) कोडेक्स एलिमेन्टेरियल आयोग ने जिनेवा में 23 से 28 जून, 1997 के दौरान आयोजित अपने 22वें सत्र में 'हलाल' शब्द के उपयोग हेतु वही दिशानिर्देश अपनाएं हैं जो कि निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य लेषलिंग के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुस्लिम कानून के तहत परिभाषित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुपलब्धता

5197. **श्री डी० एस० अहिरे :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुपलब्धता के कारण फलों एवं सब्जियों को होने वाली क्षति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में फलों एवं सब्जियों का अधिकतम उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फल और सब्जियों को होने वाले नुकसान का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के खराब हो जाने के कारण गुणवत्ता और मूल्य में होने वाली कमी की मात्रा कुछ फल और सब्जियों के लगभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक होती है। इसका राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों आदि को बुनियादी सुविधाओं, प्रशीतन भंडारों, खाद्य पार्कों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं आदि को आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। ये कार्यकलाप अन्य बातों के साथ-साथ बागवानी उत्पादन को होने वाले फसलोत्तर नुकसानों को कम करेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन इत्यादि

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1314/98]

(2) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1315/98]

(3) भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1316/98]

(4) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1317/98]

उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1318/98]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1319/98]

(ग) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1320/98]

(घ) (एक) राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1321/98]

(ङ) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1322/98]

(च) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1323/98]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1998 जो 3 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 1998 जो 16 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 1998 जो 16 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौदहवां (दूसरा) संशोधन नियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेइस) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1324/98]

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं करने के कारणों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1325/98]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) सेमीकंडक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमीकंडक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1326/98]

(ख) (एक) सी.एम.सी. लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सी.एम.सी. लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1327/98]

अपराह्न 2.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 21 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव पारित किया और वह लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल हो। राज्य सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिए गए हैं।

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल हो और प्रस्ताव करती है कि उक्त संयुक्त समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाए :

1. श्री संघ प्रिय गौतम
2. श्री वेद प्रकाश गोयल
3. श्री अधिक शिरोडकर
4. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
5. श्री एम० शंकरलिंगम
6. श्री गुफरान आजम
7. कुमारी निर्मला देशपाण्डेय
8. श्री बरजिंदर सिंह हमदर्द
9. श्री अशोक मित्र
10. श्री गया सिंह।"

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदल लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 21 जुलाई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

समिति निम्नलिखित कार्य मदों के लिए उनके सामने दर्शाया गया समय आवंटित करने की सिफारिश करती है :

1. विद्युत कानून (संशोधन) विधेयक	:	चार घंटे
2. मादक पदार्थ विधेयक	:	तीन घंटे
3. नौसेना (संशोधन) विधेयक	:	दो घंटे

समिति ने यह भी सिफारिश की कि निम्न विषयों पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हो :

1. देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की स्थिति,
2. महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार।

अध्यक्ष महोदय : 'बाढ़ की स्थिति' कहिए 'खाद्यान्न की स्थिति' नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 जुलाई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' आरंभ होता है। श्री शैलेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोश (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैंने नोटिस दे रखा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। ऐसी प्रकिया नहीं है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। "शून्य काल" के दौरान माननीय सदस्य एक के बाद दूसरा मामला उठा सकते हैं इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सूची से सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दे रहा हूं जिनके नाम सूची में हैं। कृपया स्थिति को समझिए। श्री शैलेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी, मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, कृपया एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री शरद पवार।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, सभा में कल महाराष्ट्र के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिबद्धता की थी कि वह आज इस संबंध में वक्तव्य देंगे। अत: मैं जानना चाहता हूं कि वह वक्तव्य किस वक्त देंगे।

दूसरी बात यह है कि आज सुबह 11 बजे जब सभा समवेत हुई उस समय श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह यादव दोनों ने दिल्ली के मुख्य मंत्री द्वारा उन दोनों के विरुद्ध आरोप लगाए जाने के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था।

यद्यपि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारा सुझाव स्वीकार किया था और कहा था कि वह इस संबंध में जानकारी एकत्र करेंगे और वास्तविक स्थिति से सभा को अवगत कराएंगे। यह बात केवल दिल्ली से संबंधित है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पिछले एक घंटे में इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली होगी। अत: उन्हें इस संबंध में सभा को बताना चाहिए। उन्हें केवल दिल्ली से ही जानकारी एकत्र करनी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे महाराष्ट्र में क- की घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी से नोटिस मिला है। -होंने कहा है कि वह अपराह्न 12.45 बजे अपना वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैंने नोटिस दे रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा इस समय नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय जिसे पूरब का आक्सफोर्ड कहा जाता है, लगभग 111 वर्ष पूर्व 1887 में स्थापित हुआ था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, पहले बोलने के लिए सूची में दिए गए सदस्यों को बोलने दीजिए। मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरे सदस्यों को बोलते समय बाधा न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : पूर्व में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। तत्कालीन लैफ्टिनेंट गवर्नर, उत्तर प्रदेश, सर एल्फ्रेड कामिंस लायल ने यह स्थापित किया था। वह इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए थे। 23 सितंबर, 1987 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय अधिनियम पारित हुआ। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त छात्रों ने देश में शिक्षा, राजनीति और सामाजिक जीवन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वालों में सर्व श्री मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य नरेन्द्र देव, शहीद पद्मधर सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉ० शंकरदयाल शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, सूर्य बहादुर थापा, गोविंदवल्लभ पंत तथा और कई बड़े नेताओं ने अध्ययन किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी आपको 'शून्य काल' में सब कुछ पढ़ने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी और मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री माननीय मदनलाल खुराना जी तथा मानव संसाधन विकास मंत्री जी वहां अध्यापन कार्य कर चुके हैं। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री मदन लाल खुराना जी इस पर जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवा दीजिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रह चुके हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : खुराना जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में आप कोई वक्तव्य दें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय सरकार के अधीन किया जाए या केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाए, इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री जी विचार कर रहे हैं, मेरी उनसे जो बातचीत हुई थी, मुझे उनकी बातचीत से यह आभास हुआ।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, सरकार सभा में संविधान (84वां संशोधन) विधेयक कब पुर:स्थापित करने जा रही है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० प्रेमाजम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, कृपया बैठ जाइए। मैंने प्रो० प्रेमाजन को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, शून्यकाल के इस विषय को रिकार्ड में ले लिया जाए। *(व्यवधान)* साहिब सिंह को बर्खास्त किया जाए। *(व्यवधान)* उनकी जगह पर खुराना जी को वहां बैठाया जाए, पूरा हाउस इससे सहमत है। खुराना जी जब तक वहां थे, दिल्ली ठीक चल रही थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, जूनियर मैंबर्स को देखना भी जरूरी है। नए सदस्यों में भी निराशा है। आप कृपया इस बात को समझें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि इस लैटर को टेबल पर रखवा दिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० ए० के० प्रेमाजम (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केरल से संबंधित एक ज्वलंत मामले की ओर इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि इस सरकार ने नारियल के मामले में समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है फिर भी युक्तिसंगत आधारों जिन पर विचार किया जाना चाहिए था, पर विचार नहीं करके समर्थन मूल्य घोषित कर देने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस सरकार ने उत्पादन लागत पर विचार किए बिना ही समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। इसलिए, नारियल के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, इस सरकार की आयात नीति के कारण नारियल तथा नारियल तेल के मूल्य में कमी आ रही है तथा केरल में नारियल उत्पादकों की दशा अत्यंत ही खराब है। यह उन उत्पादों में से है जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु जैसे कुछ पड़ोसी राज्यों का अर्थव्यवस्था का आधार है।

मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में एक्जिम पॉलिसी के कारण माननीय कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि पाम ऑयल भी आयात किया जाएगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, अध्यक्षपीठ ने कृषि मंत्री को केरल के संसद सदस्यों के साथ नारियल गिरी के समर्थन मूल्य के संबंध में चर्चा करने का निदेश दिया था। *(व्यवधान)* ऐसा नहीं किया गया है। *(व्यवधान)* यह सभा का विशेषाधिकार है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रत्येक मामले पर मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन : अध्यक्षपीठ से निदेश दिया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो० ए० के० प्रेमाजम : महोदय, सरकार से इस मामले की तहकीकात करने का अनुरोध किया गया है। *(व्यवधान)*

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन : अध्यक्षपीठ से निदेश दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.13 बजे

साधारण नमक पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह इस देश में सादा, प्राकृतिक नमक की बिक्री के संबंध में है। आप जानते हैं कि इस देश में 12 से 14 लाख मजदूर नमक बनाने के काम में लगे हुए हैं और अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी का सत्याग्रह नमक के सवाल पर ही हुआ था। आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में सादा नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और नतीजा यह हो रहा है कि जो सादा प्राकृतिक नमक एक या सवा रुपए किलो बड़े आराम से सब जगह मिल जाता था वह मिलना अब बंद हो गया है और उसके स्थान पर आयोडाइज्ड नमक 12 से 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है।

महोदय, यह बात सही है कि कुछ अनुसंधान हुआ और उसमें यह कहा गया कि सादा प्राकृतिक नमक से घेंघा हो जाता है और यह भी सही है कि मंत्री जी जब जवाब देंगे, तो वे यह भी कहेंगे कि सादा नमक बेचने पर प्रतिबंध हमने नहीं लगाया है, बल्कि प्रीवियस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिसकी अधिसूचना मई मास में जारी हुई है जिसका नतीजा यह है कि मार्केट से सादा नमक बिलकुल गायब हो गया है। मेरा कहना है कि यदि प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई गलत निर्णय उस समय ले लिया जिसके कारण आम लोगों को तकलीफ हो, तो उस निर्णय को इस सरकार द्वारा बदल दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस देश में दो तरह के आदमी हैं—एक वे अमीर लोग जो चाहे जितना महंगा नमक हो, खरीदकर खा लेंगे और दूसरे वे आम गरीब और मजदूर लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आयोडीनयुक्त महंगा नमक खरीदकर नहीं खा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो सादा, प्राकृतिक नमक पर प्रतिबंध लगाया गया है और आयोडीनयुक्त नमक अनिवार्य रूप से बेचने और खाने का नियम लागू किया गया है, यह ठीक नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े माफिया का काम है। इस देश में हर आदमी नमक खाता है। यदि एक आदमी के एक महीने में 25 रुपए नमक पर खर्च होते हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए एक वर्ष में 250 से 300 करोड़ रुपए का यह घपला हो रहा है जिसे तुरंत रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, यदि विगत सरकार ने यह निर्णय लिया है और गलत निर्णय लिया है, तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे रैक्टीफाई किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। ऐसी बात नहीं है कि घेंघा अकेले सादा या प्राकृतिक नमक खाने से ही होता है। उसके और भी अनेक कारण हैं। उसके लिए अलग से अनुसंधान करने तथा इलाज कराने की जरूरत है। मेरा आग्रह है कि देश में दोनों प्रकार के नमक की बिक्री करने के आदेश दिए जाएं और सादा नमक को बेचने के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए ताकि दोनों नमक मार्केट में उपलब्ध हो सकें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, साधारण जनता को कठिनाई हो रही है।

महोदय, सादा नमक प्राप्त करना कठिन है। सरकार को इस स्थिति को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए जिससे कि साधारण जनता को कठिनाई नहीं हो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आपको क्या कहना है?

(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मेरा भी वही मुद्दा है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान ने जो बात कही है, मैं उसके समर्थन में कहना चाहता हूं। वर्षों से सादा नमक सारे हिन्दुस्तान के लोग खा रहे थे। श्री राम विलास पासवान जी की गवर्नमेंट के वक्त यह आदेश हुआ कि आयोडीनयुक्त नमक ही बेचा जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं, वे अब तक सादा नमक खा रहे थे। उनको आयोडीनयुक्त नमक खरीदने में मुश्किल हो रही है। उनके लिए जीना मुश्किल हो गया है। *(व्यवधान)* इतना ही नहीं गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा नमक बनता है। इस आदेश के कारण वहां के लोगों की रोजी-रोटी भी मुश्किल हो गई है। *(व्यवधान)* मेरा सरकार से निवेदन है कि *(व्यवधान)* सादे नमक पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए *(व्यवधान)* जिन गरीबों की रोजी-रोटी छिन गई है। *(व्यवधान)* उनको पुनः रोजगार देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, माननीय मंत्री नहीं सुन रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, श्री राधाकृष्णन नमक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, यह अत्यंत ही गंभीर मसला है। *(व्यवधान)* गुजरात में क्या हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, गुजरात में क्या हो रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस् (मुकुन्दपुरम) : महोदय, यह अत्यंत ही गंभीर मसला है। अहमदाबाद में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर सुन ही नहीं रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। *(व्यवधान)* मैं कब तक खड़ी रहूंगी? *(व्यवधान)* मैं ऐसे कैसे बोलूंगी? *(व्यवधान)* जब भी महिला बोलने के लिए खड़ी होती है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति जी, 70 प्रतिशत नमक का उत्पादन हमारे गुजरात में होता है और मेरी कांस्टीटूएंसी जिला सुरेन्द्रनगर में नमक का सबसे बड़ा उद्योग है। सादे नमक पर प्रतिबंध होने के कारण वहां हमें बहुत तकलीफ

[श्रीमती भावना कर्दम दवे]

हो रही है। आयोडाइज्ड नमक की जरूरत सबको नहीं है, यह सर्वेक्षण हुआ है। जिनको आयोडाइज्ड नमक की जरूरत नहीं है उन पर हम इस कानून के जरिए आयोडाइज्ड नमक खाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। *(व्यवधान)* यदि सादे नमक पर प्रतिबंध रहेगा तो नमक उद्योग में काम करने वाले मजदूर, जो अगरिया कहलाते हैं, वे सब बेरोजगार हो जाएंगे और नमक महंगा हो जाएगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आयोडाइज्ड नमक के लिए कानूनन हमें जो कहा गया है उसे हटाया जाए और सादे नमक पर लगी पाबंदी को जल्दी से उठाना चाहिए। हमारे पूरे देश को इसकी जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरविन्दर सिंह, कृपया बैठ जाइए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह से कैसे खड़े हो सकते हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.18 बजे

[श्री पी० एम० सईद *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : श्रीमती लक्ष्मी पनबाक।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक (नेल्लोर) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता नमक के उत्पादन पर निर्भर है। यह आम जनता की चिन्ता का विषय भी है। मैं सरकार से नमक पर प्रतिबंध उठाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं। मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हूं। मैं सरकार से इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करना चाहती हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नगिरि) : सभापति जी, अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने के लिए कहा था।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, पासवान जी ने अभी जो सवाल उठाया और कई माननीय सदस्यों ने उस पर चिंता व्यक्त की है। *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, हमें भी इसके ऊपर बोलना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, इस विषय पर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नमक के संबंध में श्री राम विलास पासवान ने जो बातें उठाई हैं उस पर माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री राधाकृष्णन एक अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सादा नमक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह एक गलत अधिसूचना है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : महोदय, माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने का मौका मत दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया चिल्लाइए नहीं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, वह चिल्ला नहीं रहे हैं। यह तो उनके बोलने का तरीका ही है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० : कोई तरीका होना चाहिए। आपको किसी तरीके का पालन करना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है कि सादा नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सादा नमक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिसूचना में यह कारण बताया गया है कि सादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। मैं कहूंगा कि यह सही नहीं है क्योंकि इस संबंध में अलग-अलग मत हैं।

मैं सोचता हूं कि सादा नमक स्वास्थ्य के लिए बिलकुल भी हानिप्रद नहीं है। हम लोग सदियों से सादा नमक प्रयोग कर रहे हैं और इससे कुछ भी नहीं हुआ है। इसने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं किया है। किसी ने हाल ही में यह पाया कि सादा नमक स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आयोडीनयुक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन-युक्त नमक 7 रुपये प्रति किलो उपलब्ध है, जबकि सादा नमक का मूल्य मात्र 1 रुपया प्रति किलो है। अतएव गरीब व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। सदस्य लंबा भाषण क्यों देते हैं, इस पर मुझे आश्चर्य है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं मंत्री जी से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, पासवान जी ने नमक के बारे में विचार व्यक्त किए हैं, उसके बारे में मैं बोलने के लिए

खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)* समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जो नमक की खेती करते हैं, हमारे यहां वैस्टर्न कोस्ट में ज्यादातर लोग नमक की खेती करते हैं। पिछली सरकार के समय में आयोडाइज्डयुक्त नमक इस्तेमाल करने के बारे में जो आर्डिनेंस निकाला गया, उससे उन किसानों की अपनी खेती खत्म हो गई है। वे किसान जो नमक की खेती करते थे, आज भुखमरी के कगार पर हैं। हम वर्षों से नमक खाते आए हैं, इसलिए नमक की वजह से बीमारी होती है यह कहना सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आयोडाइज्ड-युक्त नमक के बारे में जो आर्डिनेंस निकाला गया, उसके पुनर्विचार के बारे में सरकार कोई कदम उठाए।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : सभापति महोदय, सादे नमक पर प्रतिबंध के कारण हमारे देश के जानवरों को भी आयोडाइज्ड नमक खाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पासवान जी की सरकार ने जो गलती की है, उस गलती को खत्म करने के लिए उस आर्डिनेंस को वापिस लें और सादे नमक पर लगा प्रतिबंध हटाएं। *(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आप नमक के बारे में रीएक्ट कीजिए।

श्री मदनलाल खुराना : मैं वही तो कह रहा हूं, कोई मुझे बोलने तो दे। *(व्यवधान)* अब सबको एक-एक मिनट बोलना है। *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति जी, नमक की खेती पर सारे लोग चिंता प्रकट कर रहे थे लेकिन नमक की खेती में काम करने वाले कामगारों के बारे में चिंता प्रकट नहीं की गई। 14 लाख कामगार, अभी कांडला में बहुत से कामगार बेरोजगार हो गए हैं और मर भी गए हैं। उनके बारे में सरकार को चिंता होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, अभी आयोडीनयुक्त नमक के बारे में पासवान जी ने जो प्रश्न उठाया, उस पर सभी ओर से चिंता व्यक्त की गई। पासवान जी ने मेरा काम यह कहकर थोड़ा हल्का कर दिया कि इनकी सरकार ने निर्णय लिया था, अब यह कहने से कि कल हमारी बी०जे०पी० की पार्लियामेंटरी पार्टी की जो मीटिंग थी, उसमें लगभग सभी सदस्यों ने जिस प्रकार यहां चिंता प्रकट की गई है, उस मीटिंग के अंदर भी चिंता प्रकट की लेकिन यह कहा गया, जैसा आपने कहा कि निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब उस निर्णय को वापस लेने के लिए लीगल एडवाइस के लिए उसको भेज रहे हैं, ताकि लीगली उसको कैसे वापस लिया जाए। यह सरकार इसके बारे में चिंतित है, जो आपने चिंता प्रकट की है, उसके अंदर हम भी सहभागी हैं। उस पर विचार किया जा रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, यह विषय में आज नहीं उठाता, लेकिन दूसरे सदन में तीन जून को यह विषय ऑलरेडी उठ चुका है। सरकार में वहां यह एश्योरेंस दिया था कि हम इस पर तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज 15 दिन बीत गए हैं, इसलिए हमने चिंता जाहिर की है। आप इसमें कोई टाइम बाउंड कर सकते हैं कि इतने दिन में कर देंगे? *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैंने आपसे यही कहा कि जो निर्णय आपने लिया था, हम उस निर्णय पर लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि उसको वापस कैसे लिया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : निर्णय कब लिया जाएगा? मंत्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिए कि अध्यादेश को किस तारीख तक रद्द कर दिया जाएगा। *(व्यवधान)* हम समयबद्ध कार्यक्रम चाहते हैं।

श्री के० येरननायडू : अनादि काल से ही हम अपने दैनिक जीवन में साधारण नमक का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या कानूनी राय चाहिए? एक बार विधायक रह चुकने के रूप में और फिर संसद सदस्य के रूप में मैं यह जानता हूं कि ऐसा करने के लिए कोई कानूनी राय अपेक्षित नहीं है। करोड़ों लोग अनादि काल से साधारण नमक प्रयोग कर रहे हैं। इस अध्यादेश से आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस अध्यादेश के कारण लाखों लोगों और उद्योगों को परेशानी उठनी पड़ रही है और कई लोग बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। मैं सरकार से इस अध्यादेश को हफ्ते, दस दिन में वापस लेने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस हेतु सभा में इसी समय घोषणा कर दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : नोटिफिकेशन को वापस करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, वही तो मैंने कहा है न *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए० सी० जोस : महोदय, हमने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : श्री जोस मैं आपको अवसर देने वाला हूं। कल भी कई माननीय सदस्य 'शून्य काल' के दौरान अपने विषय उठाने का अवसर प्राप्त नहीं कर सके। आज हमने पहले ही सूची से आरंभ किया है। आज हम सूची के अनुसार चलेंगे। सभी को अवसर मिलेगा बशर्ते सभा की कार्यवाही के संचालन में माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर) : सभापति जी, हरिद्वार हिन्दुओं की बहुत बड़ी धर्म नगरी है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कांवड़िए वहां से गंगाजल लाते हैं और भिन्न-भिन्न मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं। मुरादनगर से हरिद्वार की जो दूरी है, वहां पर 15 दिन तक जी०टी० रोड बंद रहती है और पूरी जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हरिद्वार और मुरादनगर के बीच में जो गंग नहर की पटरी है, उस पटरी पर 30

[श्री सोहनवीर सिंह]

फीट चौड़ी रोड बनाई जाए, ताकि कांवड़ियों के लिए एक विशेष रास्ता बन जाए और वे लोग हरिद्वार से डायरेक्ट मुरादनगर तक आ सकें। दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि हरिद्वार और दिल्ली के बीच में 15 दिन के लिए तीन विशेष रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

डॉ० सी० पी० ठाकुर (पटना) : सभापति जी, बिहार के समस्तीपुर जिले में दो बच्चों के अपहरण का प्रश्न है। इसमें एक व्यवसायी पुत्र का अपहरण हुआ और एक वकील के बच्चे का अपहरण हुआ। वह एक महीने से नहीं मिला और उस वजह से वहां सारे वकील हड़ताल पर हैं। वहां एक महीने तक कोर्ट बंद रही। बिहार की सरकार तो कुछ नहीं कर सकी, अब यहां केंद्रीय सरकार से यह निवेदन है कि ये दोनों बच्चे कैसे मिलेंगे और बिहार में जो अपहरण का व्यापार चल रहा है, यह कब बंद होगा, यह केंद्रीय सरकार सुनिश्चित करे।

[अनुवाद]

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, मैं सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश के उन लाखों मछुआरों की दशा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल जैसे कई राज्यों में मछुआरों को यह अवसर दिया गया है। किंतु गत 40 वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए उनके संघर्ष के बावजूद उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया है। वे आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं। विभिन्न समितियों और आयोगों ने सिफारिश की है कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इसकी सिफारिश की है मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों के साथ न्याय करें। जब हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो किसी एक राज्य के गरीब मछुआरों को इस अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे उन्होंने देश के अन्य राज्यों के मछुआरों के साथ न्याय किया था, वैसे ही यहां भी न्याय करें।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के वनाधिकारियों द्वारा वन अधिनियम एवं उच्चतम न्यायालय के फैसले की आड़ लेकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमारेखा पांच किलोमीटर और अधिक बढ़ाकर वहां के किसानों की खेती को नष्ट कर दिया गया है। उनके घरों और गांवों को उजाड़ दिया गया है। इस कारण वहां पर जो हीरे और पत्थरों की खदानें थीं, वह भी बंद हो गई हैं। जिसकी वजह से 50 हजार मजदूर, जो वहां काम करते थे, बेरोजगार हो गए हैं। वहां पर लोगों के पलायन की स्थिति बन रही है। हीरे और पत्थरों की खदानों से जो शासकीय राजस्व प्राप्त होता था, वह भी बंद हो गया है। किसानों के खेत उजड़ गए हैं, चारों ओर आक्रोश फैला हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि वहां के वनाधिकारियों के अत्याचार को रोककर किसानों की खेती को बहाल किया जाए। जो वास्तविक सीमारेखा है, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि को भी वन विभाग के खातों में दर्ज कर लिया गया है। अत: असली सीमारेखा को मानकर किसानों को राहत दिलाई जाए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कानून और व्यवस्था के गंभीर और महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र उग्रवाद से बुरी तरह से प्रभावित है। इसी साल की 29 अप्रैल को औरंगाबाद जिले के आरक्षी अधीक्षक ने शांति समिति के नाम पर एक आम सभा औरंगाबाद जिले में बुलाई। उसमें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने उग्रवादी संगठनों को बुलाकर कहा कि आपस में मत लड़ो। आप लोग तथाकथित सामंतवादियों की हत्या करो। यदि थाने वाले तुम्हारा विरोध करें तो थाने पर हमला करो, दरोगा पर हमला करो। यह बहुत गंभीर मामला है। औरंगाबाद जिले में जहां दर्जनों सामूहिक हत्याएं हो चुकी हैं, वहां दलेलचक बघौरा जैसा हत्याकांड भी हुआ था, जो कि भारतवर्ष में एक रिकार्ड था। कुछ दिन पहले वहां बगल के जहानाबाद जिले में बाथे नरसंहार हुआ, जिससे दलेलचक बघौरा कांड का भी रिकार्ड टूट गया। मैं केंद्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कोई सामूहिक हत्याकांड हो जाता है तो वहां की सरकार के मुख्य मंत्री और मंत्री वहां जाते हैं, पर मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि वह इस ओर कदम उठाए और मामले की गंभीरता समझे तथा ऐसे अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : सभापति महोदय, यह वास्तव में गंभीर मामला है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, ए०वी०एस०एम० (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र का ध्यान अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा केंद्र की ओर दिलाना चाहता हूं। केंद्रीय सरकार और योजना आयोग ने स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पतालों को बनाने के लिए कुछ मानक और मापदंड बनाए हैं। ये मानक जनसंख्या के आधार पर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये मानक पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। कारण यह कि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उस क्षेत्र के अन्दर आबादी का आधार नहीं बल्कि कितना समय अस्पतालों में जाने में लगता है, उस आधार पर अस्पताल बनाने चाहिए। आज उत्तरांचल में यह हालत है कि बच्चे, बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाओं को आठ से बारह घंटे अस्पताल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलता है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उत्तरांचल में 95 प्राथमिक केंद्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, लेकिन केंद्रीय सरकार से इजाजत नहीं मिल रही है। मेरा केंद्रीय सरकार से आग्रह है कि उत्तरांचल के लिए अलग मापदंड के आधार पर *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए० सी० जोस (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हमने नोटिस दिया है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको अवसर मिलेगा। हम सूची के अनुसार चलेंगे।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस : महोदय, इस तरह सूची में से नाम बुलाने से तो विषय का महत्व समाप्त हो जाएगा।

विषय बहुत गंभीर है। अहमदाबाद में एक मिशनरी स्कूल में घुसकर कुछ बदमाशों ने शिक्षकों पर हमला किया, बाइबल फाड़ डाली और कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के स्कूल नहीं चलाए जा सकते। यह अल्पसंख्यकों के लिए एक धमकी है *(व्यवधान)* महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। बाइबल किसी भी वर्ग के ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। *(व्यवधान)* महोदय, यह किसी राज्य का मामला नहीं है। यह अल्पसंख्यकों का मामला है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोस, माननीय सदस्य खड़े हैं। उन्होंने अभी भाषण समाप्त नहीं किया है। पहले उन्हें पूरा करने दें। आपको उनके बाद अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०वी०एस०एम० : महोदय, मेरा केंद्रीय सरकार से आग्रह है कि उत्तरांचल में स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए अलग मापदंड बनाया जाए और वर्तमान मानक में शिथिलता दी जाए। दूसरे, 95 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किए हैं और केंद्र में योजना आयोग के मानक के आधार पर क्लीयर नहीं हो रहे हैं, इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए तुरंत क्लीयर किया जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोस द्वारा उठाए गए मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सूची पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, आप सूची के अनुसार चलिए। पहले उन्हें अवसर मिलना चाहिए जिन्होंने नोटिस दिया है। चिल्लाने वाले को पहले अवसर देना ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अम्बेडकर, मैंने उन्हें इसलिए अनुमति दी क्योंकि माननीय मंत्री जी उनकी बात पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते थे। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, अत: मैंने उन्हें इसे पहले उठाने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हां, कृपया आपमें से कोई भी बोल सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं कोई ऐसा मामला नहीं उठा रहा हूं जिसका संबंध केवल इस ओर के माननीय सदस्यों से है। मुझे विश्वास है कि यह मामला इस सभा के प्रत्येक सदस्य से संबंधित है और प्रत्येक सदस्य को इसकी चिंता है। इस देश में सभी धर्मों का आदर करने की बड़ी परंपरा रही है। मैं तो कहूंगा कि विश्व के सभी देशों में भारत देश धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रख्यात है। यह हमारी मर्यादा रही है। इसके अतिरिक्त *(व्यवधान)* कृपया मुझे सहयोग दें।

सभापति महोदय : श्री शास्त्री जी, उनकी बात सुनने दें। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसके अतिरिक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना भी आवश्यक समझा था। प्रेस ने पवित्र बाइबल को कुछ बदमाशों द्वारा फाड़े जाने की जो रिपोर्ट दी है वह देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसे विध्वंस और गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करेगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार अल्पसंख्यकों और बाइबल या कुरान या भगवत गीता या किसी भी धर्म के विरुद्ध ऐसी विध्वंसकारी गतिविधियों को रोके। *(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी कहते हैं कि यह बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत गंभीर मामला है। सत्ताधारी पार्टी, उनका विद्यार्थी संगठन और उनका अग्रणी संगठन इस तरह के घृणित अपराध कर रहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके नोटिस पर ध्यान दिया जा चुका है। आप सबने अनुरोध किया था इसलिए उन्हें अवसर दिया गया। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर तुरंत ध्यान दें और सबकी पवित्र पुस्तक बाइबल की प्रति जलाकर जिन लोगों ने देश का अपमान किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है। 35 सदस्य हैं। वे पहले ही बोल चुके हैं। अब उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, यह एक काफी गंभीर मामला है।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैंने उसी मसले के संबंध में नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया मुझे कहने दें। यह सूची में नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह तात्कालिक महत्व का मामला है इसलिए मैंने उन्हें बोलने दिया। अब मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो दूसरों का क्या होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अहमद, मंत्री प्रतिक्रया व्यक्त कर रहे हैं। सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं। लगभग तीन माह पूर्व, अहमदाबाद में उसी पार्टी द्वारा एक गिरिजाघर पूरी तरह से गिरा दिया गया। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यह पहले ही कहा गया है तथा 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह प्रकाशित हुआ है कि वे बजरंग दल तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमारे धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के लिए यह शर्म की बात है कि अल्पसंख्यकों की संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है तथा पवित्र ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैं प्रो० कुरियन ने जो कहा है उसके बारे में कुछ और कहना चाहता हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कृपया आप उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : यह बड़ा गंभीर मामला है। मेरी प्रधान मंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है, सरकार इसे डिसएप्रूव करती है। यह सेक्यूलर देश है, हमारी दृष्टि में सेक्यूलर का अर्थ केवल धर्मविहीन ही नहीं, बल्कि 'सर्व धर्म समभाव' है, अर्थात् हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी देशवासी आदर करते हैं। चाहे किसी भी रिलीजन को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो सरकार ऐसा नहीं होने देगी। 'बाइबल' दुनिया में पूरे देशवासियों के लिए एक धार्मिक और पवित्र पुस्तक है। सरकार इन तथ्यों की जानकारी एकत्रित करके इस संबंध में कार्यवाही करेगी और आपके सामने रखेगी।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : महोदय, यह एक आम बात है। यह वह उत्तर नहीं है जो दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री ए० सी० जोस : महोदय, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है? प्रत्येक चीज के लिए, एक सामन्य वक्तव्य दिया जाता है।

सभापति महोदय : उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं जानता कि आपने इसे सुना या नहीं। उन्होंने जो कहा वह यह है कि सरकार सूचना एकत्र करके सभा को देगी। कृपया उनके साथ उचित व्यवहार करें।

(व्यवधान)

डॉ० शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : हमने शून्य काल को पहले ही छोड़ दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, दिनांक 19-20 जुलाई की रात्रि को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ नगर में भीषण अग्निकांड में लगभग 150 मकान व दुकानें जलकर नष्ट हो गईं और करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सैकड़ों लोगों का सब कुछ जलकर नष्ट हो गया।

जिसके कारण उन्हें सड़क पर आ जाना पड़ा है। दर्जनों लोग इस आग में झुलस गए हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० शकील अहमद : इनका यह कहना कि हमारी सरकार सभी धर्मों का आदर करती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री बची सिंह रावत के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री बची सिंह रावत का नाम पुकारा है। कृपया चल-विवरण मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : दस करोड़ रुपये से ज्यादा की क्षति हुई है। पिथौरागढ़ के दो बाजार, धर्मशाला और रानीचौक बुरी तरह से नष्ट हो गए हैं। लगभग 150 परिवार जिनके आवास वहां थे, वे भी जल गए हैं, उनके नीचे जो दुकानें थीं वे भी जल गई हैं। उनके लिए पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि यह जो बड़ी भीषण दुर्घटना हुई है जिसमें 150 मकान और दुकानें जलकर नष्ट हो गई हैं उसकी जांच कराई जाए और उनको केंद्र से 50 लाख रुपये की अग्रिम विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : बिहार में 14 दिन की लगातार बारिश के कारण जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। वहां 16 जिले इससे प्रभावित हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : मुंगेर, खगड़िया, बांका इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। वहां पर हर हालत में केंद्र सरकार अपनी टीम भेजकर लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए पूरी कार्यवाही करे। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आज तो नियम 193 के अंतर्गत इस पर डिस्कशन है। इसलिए जीरो-ऑवर में आप इसे उठा नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय ने वक्तव्य के लिए अपराह्न 12.45 बजे का समय निर्धारित किया है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अपराह्न 2.48 बजे

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्रियों को हिंसा की धमकियों और कथित धमकी भरे फोन काल

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : 21 जुलाई, 1998 को 'शून्य काल' के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सुरेश नवले को दी गई हिंसा की धमकियों तथा भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री गुलाब राव गवंडी को तथाकथित धमकी भरे टेलीफोन काल के बारे में चिंता व्यक्त की थी। माननीय सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि मैं इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वक्तव्य दूंगा।

यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना इस प्रकार है–

19 जुलाई, 1998 को श्री गवंडी ने कफ परेड पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज की कि उन्हें धमकी भरे फोन काल मिल रहे हैं। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। श्री गवंडी की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए। 20 जुलाई, 1998 को डी०सी०पी० जोन-I श्री बिश्नोई को सूचना मिली कि कुछ लोग श्री गवंडी के बंगले के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। श्री बिश्नोई तत्काल बंगले पर गए तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। तब से श्री गवंडी एवं उनके परिवार के लोगों को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है।

20 जुलाई, 1998 को श्री नवले ने विधान सभा में बताया कि उस दिन 11.30 बजे उनके बंगले में लगभग 250 लोग घुस आए थे और उनमें से कुछ ने उनको गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जो लोग उनके बंगले में घुसे उनमें से कुछ के हाथ में हथियार थे। तथापि, श्री नवले द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15-20 व्यक्ति उनके बंगले के कार्यालय में घुस आए थे। श्री नवले की शिकायत पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3) एवं 135 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 143, 144, 147, 148, 149, 452, 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री नवले एवं उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में तथा उनके मूल निवास स्थान में भी 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : कल आजाद उम्मीदवारों के रूप में चुनाव जीतकर बने विधायकों को धमकाने की और घटनाएं हुईं। क्या माननीय गृह मंत्री ने इन घटनाओं की जांच की है? यह एक सतत प्रक्रिया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में गंभीर गिरावट है। विधायक महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं हैं। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आप इस बात को समझें कि यह एक ऐसा मामला है जो इस सभा में सतत रूप से नहीं चल सकता है। कल क्योंकि इसे उठाया गया था, इसलिए मैंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कल इस मामले को सभा में उठाने का इरादा था मंत्रियों की सुरक्षा सहित महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करना। लेकिन माननीय गृह मंत्री ने प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया तथा महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी। वे इस पर कुछ बोलें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राजेश पायलट, इस सभा में मंत्री द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की मांग नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : लेकिन माननीय गृह मंत्री को प्रश्न का उत्तर देना है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह इतना आसान नहीं है जितना कि आप इसे समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजित जोगी (रायगढ़) : मामला संवैधानिक तंत्र की विफलता का था। *(व्यवधान)*

श्री चैको (शिवकाशी) : माननीय मंत्री के वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश के उस मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य के रूप में देने का महत्ती निर्णय किया है। वहां के मुख्य मंत्री ने उस क्षेत्र की जनता को आपस में लड़ाने के लिए एक तरफ रायपुर को राजधानी बनाने

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

की घोषणा कर दी है और दूसरी तरफ बिलासपुर में जाकर कहते हैं कि यह मामला विचाराधीन है जबकि पूरा मामला केंद्र के अधीन है। इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत होना है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक शीघ्र लाया जाए जिससे क्षेत्र के अंचल की जनता की भावनाएं पूरी हो सकें। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, इस बारे में मुझे भी निवेदन करना है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छत्तीसगढ़ के बारे में और किसी ने अपनी बात नहीं कही है, आप कैसे इस मामले को उठाएंगे?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अजीत जोगी जी उठा रहे थे।

सभापति महोदय : उनका भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही हाउस चलेगा तो हम उसे कैसे कंडक्ट करेंगे?

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र कानपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कानपुर 40 लाख की आबादी का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यहां 1934 के आसपास हवाई अड्डा बना था। 1992 तक इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की रैगुलर फ्लाइट्स अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली के लिए थी लेकिन उनको किसी कारण से बंद कर दिया गया। मैं अनेक बार लोक सभा में यह प्रश्न उठा चुका हूं कि इन हवाई सेवाओं को बंद करने के बाद कानपुर का औद्योगिक स्वरूप नष्ट हो गया है। वहां रन-वे और रात्रिकालीन सेवाओं में सुधार किया जाए। मेरा केंद्रीय सरकार से आग्रह है कि कानपुर के बिगड़ रहे औद्योगिक स्वरूप की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार इस रूट पर एक दिन अहमदाबाद, एक दिन मुंबई और एक दिन के लिए कलकत्ता तक फ्लाइट्स नियमित कर दे तो यहां के यात्रियों को और उपलब्ध कार्गो को ले जाने से समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से औरंगाबाद जिला के नवीनगर में थर्मल पावर स्टेशन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने इस थर्मल पावर स्टेशन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि नवीनगर में थर्मल पावर स्टेशन का जल्द-से-जल्द निर्माण कराया जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और बिहार राज्य में विद्युत संकट की समस्या से निपटने में भी सहायता मिले।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले 4-5 महीने से हरियाणा प्रदेश में नर्सों की हड़ताल चली हुई है। प्रदेश के सारे अस्पताल बंद पड़े हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। अनेकों बार प्रदर्शन हो चुके हैं। हमारे दल के चारों एम. पीज. और नर्सों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय आडवाणी जी से मिल चुका है। आज स्थिति यह है कि चंडीगढ़ जेल में 950 नर्सें बंद हैं। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और तानाशाही का रुख अपना रखा है। इनमें से 100 नर्सें नौकरी से बरखास्त की जा चुकी हैं। महिला नर्सों को टार्चर किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस गंभीर समस्या का समाधान अतिशीघ्र किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, यह काफी गंभीर मामला है तथा मैं भी इसमें अपनी सहमति देता हूं। सिविल अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा पूरे हरियाणा के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत तीन हजार से अधिक नर्सें पिछले कई माह से बेहतर वेतनमानों, भत्तों तथा हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए आन्दोलन कर रही हैं। यह दु:ख की बात है कि राज्य सरकार ने नर्सों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया है तथा 19 जून, 1998 से हड़ताल पर चले जाने के लिए उन्हें बाध्य कर रही है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। सरकार हड़ताली नर्सों से वार्ता करने की बजाय उपेक्षा का रुख अपना रही है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह तुरंत मामले को निपटाए तथा नर्सों की मांग को पूरा करे। सरकार उन पर 'इस्मा' लगा रही है तथा उनकी सेवाएं समाप्त करने की धमकी दे रही है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह राज्य सरकार को वार्ता शुरू करने तथा मामले को तुरंत निपटाने के लिए कहे।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। मैं उनसे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय : वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें किस प्रकार मजबूर करूं।

डॉ० असीम बाला : महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उनसे अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय : यदि वे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें कैसे मजबूर कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। दिल्ली में पावर ग्रिड कारपोरेशन है जिसके महाप्रबंधक उत्तरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अधिकारियों का बहुत तेजी के साथ शोषण कर रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यह समस्या इस देश के अंदर विद्यमान है। मेरे पास आल इंडिया फेडरेशन ऑफ शैड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज, माइनरटीज एम्पलाईज वैलफेयर एसोसिएशंस का पत्र आया है जिसमें उन अधिकारियों की पूरी सूची दी हुई है जिनका शोषण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं कि इन अधिकारियों का शोषण होने से बचाया जाए।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मध्य बिहार का गया जिला आजादी के 50 वर्षों बाद भी घोर गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में है। विकास की गति नहीं के बराबर है। असंतोष के कारण पूरा क्षेत्र उग्रवाद की चपेट में आ गया है। इस क्षेत्र के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में मोहनपुर बाराचट्टी प्रखंड में मुहाने जलाशय परियोजना को स्वीकृत किया गया था और इसी आठवीं योजना के अंतर्गत ही पूरा कर लिया जाना था। इससे क्षेत्र की करीब 95,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती तथा 30 मेगावट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रहता। लेकिन उस पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है जबकि गौतम बुद्ध वन्य प्राणी स्थली का भू-भाग इस परियोजना से प्रभावित नहीं होता है, न ही इससे वन्य प्राणियों को कोई नुकसान होता है। बल्कि जो वन्य प्राणी पानी की तलाश में गांवों की तरफ जाते हैं, वह मारे जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस योजना पर अविलंब रोक हटाने का कष्ट कराया जाए ताकि इस योजना को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामजीदास ऋषिदेव (अररिया) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अररिया जिला किशनगंज और कटिहार की ओर दिलाना चाहता हूं। इस जिला में जूट की खेती बड़े पैमान पर होती है लेकिन जूट का उचित समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिलता है। वहां अभी जूट कार्पोरेशन भी बंद कर दिया गया है। जब किसान की जूट की खेती होती है और जूट उपलब्ध होता है तो उसका उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जूट का समर्थन मूल्य 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एम० सी० दामोदरन (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर में दूषित पेयजल पीने से लोगों की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न गंभीर परिस्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कुड्डालोर जिला मुख्यालय तथा नगरपालिका शहर है। परंतु प्राधिकारियों की उपेक्षा के कारण, नगरपालिका द्वारा की गई आपूर्ति पेयजल हाल में प्रदूषित हो गई। युदुपलायम क्षेत्र के निर्दोष लोग जिन्होंने इसका उपयोग किया उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ लोग मर चुके हैं।

श्री टी० आर० बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

श्री एम० सी० दामोदरन : 500 से अधिक लोग अस्पताल में पड़े हैं। कुछ लोगों की गंभीर स्थिति है। लोग भय से उपलब्ध पानी को नहीं पी रहे हैं।

श्री टी० आर० बालू : क्या आप सहमत होंगे? मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

सभापति महोदय : हां, आप व्यवस्था के प्रश्न पर हैं। क्या मैं आपको कहूं *(व्यवधान)*

श्री टी० आर० बालू : उन्होंने वे जो मुद्दा उठाए हैं उस पर कुड्डालोर की नगरपालिका द्वारा पहले ही ध्यान दिया जा रहा है। श्री के० सी० मणि, माननीय ग्रामीण विकास तथा स्थानीय प्रशासन मंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया है। *(व्यवधान)*

श्री एम० सी० दामोदरन : महोदय, मैं वह मामला उठा रहा हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्या है।

श्री टी० आर० बालू : यह कुड्डालोर नगरपालिका से संबंधित समस्या है तथा इस पर ध्यान दिया जा चुका है *(व्यवधान)* यह काफी निंदनीय है कि नगरपालिका से संबंधित मामला यहां उठाया जा रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मुझे यह कहने दें कि ये मामले माननीय अध्यक्ष के सामने रखे गए थे। उन्होंने स्वविवेक से इस पर अपनी सहमति दी तथा इसे यहां सूचीबद्ध किया। मेरे विचार में श्री बालू, आप अध्यक्ष के अधिकार पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप ऐसा करें।

(व्यवधान)

श्री टी० आर० बालू : मैं अध्यक्ष के अधिकार पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने इसे यहां सूचीबद्ध किया है।

श्री एम० सी० दामोदरन : समूचा कुड्डालोर तनाव में है मानो एक महामारी-सी फूट पड़ी है *(व्यवधान)*

श्री टी० आर० बालू : यह राज्य का विषय है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसे कार्य मंत्रणा समिति में उठा सकते हैं। 'कानून और व्यवस्था' भी राज्य का विषय है, लेकिन हम इस पर यहां चर्चा करते हैं। कई राज्य के विषयों पर यहां चर्चा होती है। श्री बालू, यह कोई अपवाद नहीं है। अतएव, कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले को आप उठाएं, सभा को केंद्रीय विषयों तक ही सीमित रहने दें।

श्री एम० सी० दामोदरन : समूचा कुड्डालोर इतना तनावग्रस्त है मानो एक महामारी फैल गई हो। यह रिपोर्ट किया गया है कि गंदा पानी पेयजल प्रणाली से मिश्रित हो गया। लोग काफी स्तब्ध हैं तथा नहीं जानते कि क्या करें।

वे स्थानीय प्राधिकरण में अपना विश्वास खो चुके हैं। अतएव, मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों युक्त केंद्रीय दल कुड्डालोर जल प्रदूषण के कारणों का पता लगाने तथा इससे बचाव सुझाने के लिए भेजे। मैं जल प्रदूषण के कारण मारे गए लोगों के परिवारों तथा अन्य पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए भी सरकार से अपील करता हूं।

सभापति महोदय : कुमारी किम गंगटे।

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मुझे रोक रहे हैं। मैंने किसी को विचलित नहीं किया। *(व्यवधान)*

[कुमारी किम गंगटे]

मैं नहीं सोचती कि मैं इस सभा को चला रही हूं। सभापति महोदय ने मुझे समय दिया है। अतएव, मुझे बोलने दें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, आप अगली पंक्ति में क्यों नहीं आ जातीं। कृपया अगली पंक्ति में आ जाएं।

कुमारी किम गंगटे : सभापति महोदय, सभा तथा सभी माननीय सदस्य पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा मणिपुर राज्य द्वारा अनुभव की जा रही आर्थिक समस्याओं से परिचित हैं।

मैं आपके ध्यान में मणिपुर में पर्यटन उद्योग की स्थिति लाना चाहती हूं। महोदय, वहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लागू होने के कारण पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य कुछ हद तक आर्थिक समस्या तथा बेरोजगारी की समस्या का अनुभव कर रहा है। अतएव, मैं सरकार से इस मामले को देखने तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट समाप्त करने का आग्रह करती हूं ताकि और रोजगार उत्पन्न किया जा सके तथा राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरे।

महोदय, इन लोगों को पिंजरे में रखना गलत है। प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लागू होने के कारण हमें बाहरी दुनिया के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं मिलती है तथा संचार समस्या तथा अन्य प्रतिबंधों के कारण हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि हम वास्तव में इस महान देश भारत के हिस्से हैं तो यह गलत है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए ताकि देश के बाहर से भी लोग यहां आ सकें तथा हमें भी देश के बाहर जाने की अनुमति हो। विदेशियों को भी यहां आने की अनुमति होनी चाहिए ताकि मेल-जोल हो। यदि हम वास्तव में भारतीय हैं, तो यह प्रतिबंध तुरंत हटना चाहिए। *(व्यवधान)* महोदय, मैंने इस प्रतिबंध तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के कारण कहा था जो 1958 से लागू किया गया है तथा हम पीड़ित हैं।

श्री पी० शिवशंकर (तेनाली) : सभापति महोदय, प्रतिबंध हो सकते हैं। यह एक अलग मामला है। लेकिन वे भारतीय हैं। उनके भारतीय होने के संदेह का प्रश्न नहीं उठता है।

कुमारी किम गंगटे : ठीक है। कृपया बताएं कि मैंने ऐसा क्यों कहा।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उपयोग किए गए अभिव्यक्ति 'यदि हम भारतीय हैं' आपत्तिजनक है तथा उस अभिव्यक्ति को कार्यवाही वृत्तांत से बाहर किया जाए।

सभापति महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक अभिव्यक्ति है, तो मैं उसे देखूंगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह काफी आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय : मैंने इसे नहीं सुना। जो भी हो, यदि कोई आपत्तिजनक मामला आता है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, उन्हें उतना ही अधिकार है जितना अन्य किसी को है।

कुमारी किम गंगटे : ठीक है। इसलिए मैंने 'अगर' कहा। अतएव, एक बार जब यह प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम हटता है, तब हम संतुष्ट हो सकते हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की है।

श्री बी० एम० मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, रेल विभाग ने कर्नाटक रेनेबेनूर तथा हावेरी नगरों के कुछ नागरिकों के खिलाफ हाल में उनके स्टेशन पर रेलगाड़ियां रोकने की हड़ताल में भाग लेने के लिए मुकदमा दायर किया है। हड़ताल रेलगाड़ी संख्या 1017 जो कुर्ला एक्सप्रेस कहलाती है, को रेनेबेनूर तथा हावेरी में रोकने के लिए की गई थी।

हावेरी एक जिला स्थान है तथा रेनेबेनूर हावेरी जिले में तेजी से विकसित होता जा रहा व्यावसायिक केंद्र है।

[हिन्दी]

डॉ० रामलखन सिंह (भिण्ड) : सभापति महोदय, मुझको भी बोलने का समय दिया जाए।

सभापति महोदय : क्या आपने बोलने के लिए अपना नाम दिया है?

डॉ० रामलखन सिंह : जी, हां।

सभापति महोदय : यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। मैं किसी का नंबर आगे-पीछे नहीं कर रहा हूं। स्पीकर साहब ने जो एप्रूव्ड लिस्ट मुझे दी है मैं उस हिसाब से बुलवा रहा हूं। यदि आपका नाम है तो आपका नाम जरूर आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए।

[अनुवाद]

श्री बी० एम० मेनसिंकाई : व्यापार, शैक्षणिक तथा सामाजिक संबंधों की दृष्टि से उनकी मांग औचित्यपूर्ण तथा युक्तिसंगत है।

इसके अलावा यह क्षेत्र पुराने बंबई राज्य का हिस्सा था तथा यह ट्रेन मुंबई तथा गुजरात के बीच महत्वपूर्ण संपर्क माध्यम है। पहले किन्नूर-चेन्नमा एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती थी जिसके स्थान पर अब कुर्ला एक्सप्रेस चल रही है। वह रेलगाड़ी इन दो स्थानों पर ठहर रही थी।

दूसरा मुद्दा इन दोनों नगरों में टिकट आरक्षण की सुविधा का है। यह सुविधा हुबली स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई है और इसलिए नागरिकों का दावा न्यायसंगत है। अतएव, हड़ताली लोगों के विरुद्ध मामले समाप्त कर देने चाहिए क्योंकि उनकी हड़ताल औचित्यपूर्ण थी तथा उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। लगभग तीन वर्ष पहले केंद्र सरकार ने इसके लिए अत्यंत उदारतापूर्वक तीन करोड़ रुपया मंजूर

किया था। अब, समाचार पत्रों के रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। किंतु कर्नाटक सरकार ने इस सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इस काम को मूर्त रूप देने के लिए साधन राज्य सरकार के पास हैं जबकि इसके वित्त पोषण का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यह सड़क अत्यंत ही संकरी है। नेल्लमंगला तथा तुमकुर के बीच अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मार्ग पर हर रोज लगभग तीन-चार दुर्घटनाएं होती हैं। हम लोग इस सड़क के दोहरीकरण के लिए कार्य शुरू करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध करते रहे हैं किंतु अब तक इसने हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है।

इसलिए मैं नेल्लमंगला तथा तुमकुर के बीच सड़क के दोहरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निदेश जारी करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के जनपद मिरजापुर के जिलाधिकारी का जनप्रतिनिधियों के साथ जो रवैया है और उनके द्वारा जैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है वह असहनीय है। जिले के विकास के संबंध में, सूखा राहत एवं बाढ़ राहत संबंधी जितनी बैठकें हैं, लोक सभा सदन के चलते, हम यहां व्यस्त रहे हैं और वहां वे हमसे बिना पूछे, हमारी गैरहाजिरी में तुरत-फुरत बैठकें कर लेती हैं। अभी मैं 6 जून को जब बैठक में भाग लेने पहुंचा, तो हमें रिसीव करने के लिए खराब जीप भेज दी गई। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, श्री शकल जी की बात से हम भी अपने आपको संबद्ध करते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। ऐसे खड़े होने से तो काम नहीं चलेगा।

डॉ० विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, इस बात को गंभीरता से लिया जाए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अगर बीच में इस तरह से खड़े होंगे, तो फिर गंभीरता से कैसे लिया जाएगा। आप कृपया बैठिए।

श्री रामशकल : सभापति महोदय, में 18 जून को मिरजापुर में था। मैं जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे अपने बंगले पर मिलने का समय नहीं दिया और वहां उपस्थित होते हुए भी उन्होंने मुझे कहलवा दिया कि वे किसान सेवा केंद्र के दौरे पर गई हैं। जब मैंने अपने कार्यकर्ता वहां भेजे, तो जिलाधिकारी महोदय वहां उपस्थिति थीं। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिलाधिकारी महोदय ने मिरजापुर में उपस्थित होते हुए भी मुझे प्रवास पर जाने की गलत बात कहकर मिलने का समय नहीं दिया, इस घटना की जांच होनी चाहिए और उनको वहां से तत्काल हटाना चाहिए।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, इन दिनों दिल्ली में यमुना के अंदर लाखों क्यूसिक्स पानी हरियाणा द्वारा ताजेवाला से छोड़ा जा रहा है। इस कारण वहां सारे गांव और कालोनियों में पानी भर गया है। हर साल जब यहां पानी भरता है तो लाखों रुपये का नुकसान होता है।

सभापति महोदय : तिवारी जी, यह विषय नियम 193 में डिस्कशन के लिए आज आएगा। आप उस वक्त उसमें पार्टीसिपेट कीजिए।

श्री लाल बिहारी तिवारी : मैं दो मिनट ही बोलूंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके दोनों पुश्तों को मजबूत करके पूरा इंतजाम किया जाए और जो गांव और कालोनियां वहां डूब रही हैं, उनको वहां से हटाया जाए ताकि उनकी जान-माल का खतरा न हो।

डॉ० शकील अहमद : सभापति जी, शून्यकाल की सूचना के पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं पिछले दो-तीन दिनों से देख रहा हूं कि श्री बालू जी और मुत्तैया जी की पार्टी के लोग बहुत नजदीक बैठने लग गए हैं। इस कारण किसी दिन कोई भी घटना हो सकती है। आप उन दोनों की सीटें अलग-अलग करवा दीजिए। मैं यह दो-तीन दिन से देख रहा हूं। यह बात अच्छी नहीं है और सदन के लिए भी अच्छी नहीं होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के गया जिले में काटन और जूट मिल के कर्मचारी 10 जुलाई से हड़ताल पर हैं। 1990-91 में कर्मचारी संघ और कलकत्ता में जो हैडक्वार्टर है, उसके सी०एम०डी० के बीच समझौता हुआ था। उनका 10 महीने का एरीयर बाकी है। इसका बार-बार नोटिस देने पर जब प्रबंधन ने कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया तो पिछली 10 जुलाई को वे हड़ताल पर चले गए। उस मिल का काम बंद है। नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की बिहार के गया जिले में काटन और जूट की एक ही मिल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसका काम शीघ्र शुरू करवाएं। इस तरफ टेक्सटाइल मंत्री जी ध्यान दें और नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के चेयरमैन से बात करके वहां के कर्मचारियों की जो मांगें हैं, उसकी पूर्ति कराकर काटन और जूट मिल को तुरंत खुलवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी सीटें जरूर अलग करवा दीजिए।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति जी, बिहार में 14 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 16 जिले पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और हजारों मकान गिर गए हैं। सबसे दुखद है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सब्जैक्ट नियम 193 में डिस्कशन के लिए लिया जाएगा। मैंने तिवारी जी को अभी बोला है।

श्री शकुनी चौधरी : मैं एक मिनट बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप एक ही वाक्य में अपनी बात खत्म कीजिए। आप भाषण मत दीजिए, नहीं तो आपको डिस्कशन में बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री शकुनी चौधरी : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भारत सरकार की एक टीम भेजी

[श्री शकुनी चौधरी]

जाए। वहां पूरे 16 जिले जिसमें खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका वगैरह पूरी तरह से बरबाद हो गए हैं। आप उसकी जांच कराकर तुरंत राहत कार्य शुरू कराएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होने जा रही है तथा आप उसमें भाग ले सकते हैं। नियम 193 के अंतर्गत हम देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तथा आप उस समय केरल में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : सभापति जी, यह भी बाढ़ से संबंधित विषय है।

सभापति महोदय : यह भी फ्लड सिचुएशन पर है।

श्री राजनारायण पासी : मैं दो मिनट ही बोलूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव के चार विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से जल-प्लावित हो चुके हैं। वहां इतनी भीषण बाढ़ आई है कि राप्ती के दोनों तटों पर जो बंध लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी कहीं-कहीं पानी आ गया है।

सभापति महोदय : फ्लड के बारे में जब डिस्कशन होगी तब आप अपनी पार्टी की तरफ से अपना नाम दे दीजिए। आपको उसमें पार्टीसिपेट करने का न्योता मिल जाएगा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैंने केरल में कृषि उत्पादकों से संबंधित मामले के बारे में सूचना दी है।

महोदय, नारियल के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है तथा सरकार ने जो मूल्य घोषित किए हैं वे मौजूदा मूल्य से काफी कम हैं। यह वास्तविक तथ्यों या उत्पादन लागत पर आधारित नहीं हैं। रबड़ के मामले में भी यह कहा जा रहा है कि आधार मूल्य घोषित किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आधार मूल्य के स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जानी चाहिए। भारत सरकार की यह गलत धारणा है कि आधार मूल्य की घोषणा करनी है। यदि आधार मूल्य की घोषणा की जाती है तो यह दिक्कत की बात है। यदि यह आधार मूल्य से ऊपर चला जाता है तो वे खरीदे गए जिंसों को निकालेंगे जो कि किसानों के हित के विरुद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आधार मूल्य के स्थान पर वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं? संसद में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उत्पादन लागत क्रमश: 31.8 तथा 34.5 रुपया थी। इसलिए यदि उसे आधार माना गया तो 40 रुपये से नीचे कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए तथा यह नारियल के मामले की तरह भी नहीं हो सकता, जहां चालू मूल्य से काफी नीचे का मूल्य घोषित किया गया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं इस विशेष मामले पर श्री पी० सी० थामस द्वारा व्यक्त भावनाओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। कृषक कांग्रेस के अनेक किसान दिल्ली आए हैं तथा वे इस खास मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है तथा माननीय कृषि मंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं एक गंभीर सवाल इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल बंद हैं। हम सभी को ऐनैक्सी के अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हमारे क्षेत्र के दर्जनों मरीज आज बाहर कर दिए गए। राममनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। ग्रुप 3 और 4 के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई है। भारत सरकार इस पर बिल्कुल खामोश है, उसका समाधान नहीं निकाल रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पूरे हिन्दुस्तान से मरीज आते हैं। आज अस्पताल के अधिकारियों ने मरीजों को बाहर कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल कदम उठाए और हड़ताल को खत्म कराए। *(व्यवधान)* इतने गंभीर सवाल पर भारत सरकार मौन है, हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और मरीजों का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार इस पर अविलंब कदम उठाए और कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करवाकर अस्पताल की व्यवस्था को तत्काल नॉर्मल करे। *(व्यवधान)*

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जैसी पहले कभी नहीं हुई। हमारे चम्बा डिस्ट्रिक्ट के साथ सलूनी तहसील है। वहां के चार आदमी डोडा, जो जम्मू-कश्मीर का भाग है, में जड़ी-बूटी इकट्ठी करने गए थे। उनमें से तीन आदमियों को उग्रवादियों ने मार दिया। उनके परिवारजनों को राज्य सरकार ने कुछ मदद दी है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो उग्रवादिता बढ़ रही है, उसे रोकने का प्रयत्न करें।

एक और मामला दलित महिला के साथ हुआ है। पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसे पेड़ पर बांधकर उस पर तेल छिड़ककर मार दिया गया। हिमाचल प्रदेश में यह पहला हादसा हुआ है। जब यह सरकार बनी है तो इसे चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के वाक्यात न होने दे। वहां बाहर के लोग जा रहे हैं जिससे उग्रवादिता बढ़ रही है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में 18 महीने की एक लड़की को तहसील कसौली से उठाकर ले गए हैं और आज तक उसका कोई पता नहीं है। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को दो बटालियन भर्ती करने के लिए मदद दे और प्रधान मंत्री जी इस पर खासतौर से तवज्जह दें। वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए ताकि लॉ एंड आर्डर ठीक हो सके। वहां थाने पुरानी प्रथा के हिसाब से बने हुए हैं। अब आबादी बढ़ गई है और उग्रवादिता फैल गई है, इसलिए उसे रोकने का प्रयत्न करें। *(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, इन्होंने अभी एक ईशू पर बोला है, अब फिर से इनका नाम आ गया है। ये दूसरा इश्यू फिर रेज करेंगे? हम भी हर रोज नोटिस देते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त : पहले उन्हें मामला उठाने को कहा गया था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुप्त, वह मुद्दा सूची में भी सम्मिलित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गुप्त, वह पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। काम करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि श्री खुराना हमारा दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो वे इस पर आपत्ति नहीं कर सकते कि *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गुप्त, उनका नाम उसमें है। श्री येरननायडू का भी नाम उसमें है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : यह क्या बात हुई? *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ये इस बार अपने नोटिस पर बोल रहे हैं, यह क्या है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप इस तरह से मुझे नहीं दबा सकते। आप सभा नहीं चला रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? अपने-आप में रहिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : हम लोग कब बोलेंगे? सभापति महोदय, हमारा इतना गंभीर मामला है। हमने आपको नोटिस दिया है, हमें तो मौका ही नहीं मिलेगा। *(व्यवधान)* आप कहने वाले कौन होते हैं? आप उनसे कहिए, आप हमसे नहीं कह सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप बैठिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : आप कौन होते हैं? सभापति महोदय, ये सीधे कैसे बोलेंगे। *(व्यवधान)* नहीं, आप चेयर को बोलिए, आप हमसे नहीं कह सकते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री मदन लाल खुराना, आप अपने सदस्यों को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने उनको फ्लोर दिया है, इसलिए आप बैठिए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : जो नये सदस्य हैं, वे इस हाउस में 60 परसेंट हैं और 10 परसेंट समय नहीं पाते हैं और जो सीनियर मैंबर है, वे ज्यादा समय लेते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनका नाम इसलिए यहां आता है, क्योंकि 10 बजे के पहले नोटिस देते हैं, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो अतिशय है। मैं सूची का अनुसरण कर रहा हूं। पीठ पर आरोप लगाकर श्री चमन लाल गुप्त गलत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत ही बुरा है। यह क्या है?

(व्यवधान)

डॉ० रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, बोलना हमारा अधिकार है। मुझे भा०ज०पा० के सदस्यों की कृपा पर अवसर नहीं मिल रहा है। हम यहां अपने अधिकार का प्रयोग कर बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने व्यर्थ ही सभा का समय बर्बाद किया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : ये सभी टिप्पणियां ठीक नहीं हैं। *(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपके हस्तक्षेप की विनती करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं, इसे स्पष्ट करता हूं। पहले मैंने हस्तक्षेप किया था। सभा की यह परम्परा रही है कि जब भी शून्य काल में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, पार्टी के प्रतिनिधियों को बोलने की अनुमति दी जाती है। मैं आज, उस समय राष्ट्रीय महत्व के एक मामले पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण व्यक्त करने को खड़ा हुआ था। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो० कुरियन, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते थे। इसी कारण, जब श्री जोस खड़े थे तो हम शांत थे। किंतु श्री चमन लाल गुप्त ने पीठ पर आरोप लगाया है। यह उनकी ओर से घोर अन्याय है कि दो-दो दफा बुलाते हैं, यह क्या है?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : इस विषय का महत्व समझते हुए माननीय मंत्री श्री खुराना ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सभा की यह परम्परा रही है कि इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाती है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : यह कन्वेंशन सबको पता है, आप अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० कुरियन, अब आप विषय पर आइए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह अनुचित है। यह कहते हुए आरोप लगाने के बाद कि मैं अनावश्यक ही हस्तक्षेप कर रहा हूं, जब मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी तो उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया विषय पर आइए।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अब इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैंने शून्य काल के दौरान एक विषय उठाने की सूचना दी है और सभापति जी ने मुझे बुलाया है।

यह बताने के उपरांत मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगा जो इस सभा में पहले उठाया जा चुका है। सरकार की ओर से खुराना जी ने कहा है कि श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री होने के साथ-साथ लाखों लोगों के नेता भी थे। आज भी और सदैव लोग उनका हृदय से आदर करते रहेंगे। उनकी हत्या के पीछे एक साजिश थी। जैन आयोग ने इस मामले में साजिश संबंधी पहलू की जांच की है। यह बताया जाता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। हम चाहते हैं कि साजिश करने वाले सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसा दंड दिया जाए जिससे दूसरों को सबक मिले। यह तभी संभव है जब रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ सभा पटल पर रखी जाए। श्री खुराना ने रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का वचन दिया है, मेरा कहना है कि यदि वे सत्र के अंतिम दिन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे तो हमें उसे पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलेगा। हमारा अनुरोध है कि वे रिपोर्ट को की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ यदि संभव हो तो कल, वरना कम-से-कम शुक्रवार को तो प्रस्तुत कर दें ताकि हमें उसे पढ़ने और हत्या के षड्यंत्रकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें दंडित करने हेतु उस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके। मैं इस पर मंत्री जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह इश्यू पहले भी उठाया था और कहा था कि ऐसा न हो कि रिपोर्ट सत्र के आखिरी दिन आए। मैंने पहले भी कहा था कि आखिरी दिन के दो-तीन दिन पहले आएगी। मैंने इस बारे में कल ही गृह मंत्री जी से बात की है। इस संबंध में हमारा जो कमिटमेंट है, हम उस पर कायम हैं। जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट कल या शुक्रवार को आ जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र के आखिरी दिन से दो-तीन दिन पहले आएगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में जो हमने आश्वासन दिया है, गृह मंत्री जी से बात हुई है हम उस पर कायम हैं।

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। देश के लाखों विकलांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन और नौकरियों में भी तीन-तीन प्रतिशत का आरक्षण का कोटा निर्धारित है। नागपुर में मेडिकल कॉलेज में इन विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कर दिया कि चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, इनको तीन प्रतिशत आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। इसी तरह से सर्विसेज में भी विकलांगों को कोटा मिलना चाहिए। आज देश के लाखों विकलांग सर्विस के लिए तरस रहे हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को सूचना दी जाए कि इनके लिए जो कोटा निर्धारित है, उसके अनुसार इनका एडमिशन होना चाहिए। मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार आपके माध्यम से उचित कार्यवाही करेगी।

[अनुवाद]

डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला (पेद्दापल्ली) : सभापति महोदय, मैं माननीय सभा का ध्यान श्री अरुण शौरी जी द्वारा 3 जुलाई के समाचार पत्र में लिखे गए एक लेख में दिए गए वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी जिसे मैं यहां उद्धृत नहीं कर सकती। वह अशिष्ट था और महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। खबर उनकी मां, उनकी पत्नी, बहन, बेटी भी पढ़ती हैं। जब यह माननीय सभा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग हेतु संघर्ष कर रही है तो इस तरह के वक्तव्य अत्यंत घृणास्पद हैं और महिलाओं के प्रति अपमानजनक हैं।

यह भारत माता का—मां, बहन, पत्नी और पुत्री का अपमान है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आवश्यक कदम तत्काल उठाएं। श्री शौरी से कहा जाए कि भारत माता और महिला समाज से क्षमा मांगें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक लोकमहत्व प्रश्न की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरे देश में चाहे बाढ़ हो या बिजली का सवाल हो या खरीफ की फसल के समय बिजली का सवाल हो, इसी परिवेश में उत्तर प्रदेश के अभियंताओं ने हड़ताल कर दी है। ये लोग 19 जुलाई से हड़ताल पर हैं। इस वजह से समूचे उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन घट गया है और अंधेरे की स्थिति पैदा हो गई है। इससे उद्योग धंधों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता कराकर इस हड़ताल को जनहित में समाप्त कराने का प्रयास करे।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन की घोर उपेक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां शिक्षा कर्मियों का

चयन हो रहा है, लेकिन संस्कृत विषय का कोई विज्ञापन नहीं है। वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 326 संस्कृत के पद स्वीकृत हैं और इनमें से 286 पद रिक्त पड़े हुए हैं और वहां के संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय को तोड़ने की साजिश की जा रही है। साथ ही आचार्य, शास्त्री, प्रथमा व मध्यमा अध्यापकों को भर्ती न करके बी०एस-सी० और एम०ए० पास लोगों को भर्ती किया जा रहा है और उन्हें ही आचार्य बनाया जा रहा है। मैं भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि संस्कृत के जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरा जाए और संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन की उपेक्षा न की जाए।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं जो अलमट्टी बांध के बारे में है। यह लाखों किसानों से संबद्ध है। केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय ने 512.2 मीटर ऊंचा बांध बनाने की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय को विधिवत् यह आश्वासन दिया था कि अलमट्टी बांध के शीर्ष द्वारों को अक्टूबर, 1998 तक नहीं बनाया जाएगा। यह आश्वासन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र पर प्रस्तुत किया गया था। परंतु अब वे बांध को 524.25 मीटर ऊंचा बनाना चाहते हैं जो अनुमत्त स्तर से अधिक है।

अलमट्टी बांध पर अधिक जल संग्रह के कारण आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सरकार को बांध का निर्माण 524 25 मीटर की ऊंचाई तक करने की अनुमति देनी पड़ी. केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि कर्नाटक सरकार को अलमट्टी बांध का 512.2 मीटर की अनुमोदित ऊंचाई से अधिक निर्माण करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसे केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुमोदन और कर्नाटक सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए शपथपत्र के अनुसार होना चाहिए।

डॉ० रवि मल्लू : सभापति महोदय, हमारी पार्टी भी इस पर विचार कर रही है। इस संबंध में हमने कल माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज से लगभग नौ वर्ष पहले कश्मीर से चार लाख हिन्दू निकाले गए थे, जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग एक जगह नहीं बल्कि कई कैंपस में सड़ रहे हैं। इस समय सरकार एक परिवार में 1500 रुपए महीना दे रही है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि 1500 रुपए में ये कैसे गुजारा कर सकते हैं। ये जितने भी शरणार्थी या विस्थापित थे उन्होंने यह आशा लगाई हुई थी कि जिस समय यह सरकार बदलेगी तो वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मान के साथ वापस जाएंगे। यही योजनाएं, घोषणाएं न सिर्फ केंद्रीय सरकार ने की हुई हैं बल्कि मैं समझता हूं कि जो वहां हमारी स्थानीय सरकार है, फारूख अब्दुल्ला की सरकार है उसने भी यही घोषणाएं की हुई हैं। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि पहले कश्मीर से लोग विस्थापित हुए थे और अब जम्मू से भी विस्थापित होने शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रणकोट में 26 लोगों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद देसा में 13 लोग मार दिए गए, चपनाड़ी में 25 लोगों का कत्लेआम हुआ। नतीजा यह हो रहा है कि अब ऊधमपुर और डोडा जिले से भी इसी तरह लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए हैं।

महोदय, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि जो शरणार्थी या विस्थातिप लोग आए हुए हैं उनके लिए एक जामा प्लान बनाएं और उन सबको सुरक्षित सम्मान के साथ अपने घरों में भेजें। महोदय, आप भी समझ सकते हैं कि कश्मीर बिना हिन्दुओं के कश्मीर नहीं कहा जा सकेगा बल्कि वह कुछ और ही होगा। इसलिए इन कश्मीरी पंडितों का वापस जाना निहायत जरूरी है। अगर हमने देश के सेक्यूलरिज्म को जिंदा रखना है तो सबसे पहले हमें यह कोशिश करनी होगी, उसके लिए भारत सरकार चिंतित हो, उनके लिए योजना बनाए, उनको अपने घरों के अंदर वापस भेजे। *(व्यवधान)* उनकी जो संपत्ति नष्ट होने जा रही है उसको बकायदा रजिस्टर्ड करे, इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र हरदोई की विधान सभा अहरोरी के थाना बगोली, टंडियावां में सपा नेता महेन्द्रपाल, शराफत अली, नरेश पंडित को पुलिस ने निर्दोष गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कारण पूछने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने गलत मुकदमा दायर करके आम जनता, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। गरीब लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। घरों का सामान फेंका गया और हैंड पंप तोड़ डाले गए। महिलाओं को अपमानित किया गया। थाना बगोली के सिकंदरपुर, पहाड़पुर, आम्रताली, तैरवा, बगोली गांव के सैकड़ों ग्रामीण पलायन कर गए। आम जनता में स्थानीय पुलिस ने आपात से ज्यादा बदतर स्थिति कर दी है, केवल बगोली, टंडियावां में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जनपद हरदोई में पुलिस ने भय का शासन कायम कर रखा है। ये सारा प्रकरण सपा विधायकों द्वारा उत्तर प्रदेश, विधान सभा में उठाया गया परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। *(व्यवधान)* इस पूरे प्रकरण पर गृह मंत्री जी वक्तव्य देने का कष्ट करें।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का निर्णय लिया था। *(व्यवधान)* उससे हमारे देश में कम-से-कम दो लाख लोग बेरोजगार होंगे। देश के बेरोजगारों के वोटों पर ही लोग सत्ता पर बैठे हैं मगर सत्ता मिलते ही बेरोजगारों पर अन्याय करने का प्रयत्न हुआ है। मेरी मांग है कि यह जो रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की है उसको कम करके 55 साल करनी चाहिए और देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध

[श्री रामदास आठवले]

में सरकार को विचार करना चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो सरकार के खिलाफ हमें बहुत बड़ा हंगामा करना पड़ेगा। *(व्यवधान)* यह जो बेरोजगारों पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। *(व्यवधान)* महोदय, दूरदर्शन पर जीरो ऑवर भी आना चाहिए।

सभापति महोदय : यह नोटिस में नहीं है, अब आप बैठ जाइए।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में चंदौली और वाराणसी जिला आता है। दोनों जिलों में बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर एम०ए०आर०आर० का ग्रामीण पी०सी०ओ० लगाने का कार्यक्रम बनाया गया। बहुत से पी०सी०ओज० लगे हैं और बहुत से और लगाए जा रहे हैं। लेकिन मानक के अनुसार एम०ए०आर०आर० का एक भी पी०सी०ओ० नहीं लगा है। जो भी लगाए जा रहे हैं वे मानक के अनुसार नहीं हैं। अधिकारियों के जो मन में आता है, जैसे मन में आता है, वैसे ही लगा देते हैं। इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत बड़े पैमाने पर है और ग्रामीण जनता इससे त्रस्त भी है। एक ही गांव में चार-चार आदमियों को पी०सी०ओ० दे दिया जाता है, जिससे परेशानी खड़ी हो जाती है।

दूसरा, जितने भी एम०ए०आर०आर० के पी०सी०ओ० लगाए गए हैं उनका रखरखाव का इंतजाम भी नहीं है और 80 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जो ग्रामीण पी०सी०ओज० लगाए गए हैं उनके रखरखाव का भी समुचित प्रबंध किया जाए।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में गौ-तस्करी और गौकशी हो रही है जिसकी ओर में आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गौवंश भारत की धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार है, लेकिन पिछले कुछ समय से लोभ-लालच और दुर्भावनावश जिस तरह से गौवंश की तस्करी हो रही है और जगह-जगह गौकशी की जा रही है उससे हमारे राष्ट्र की संपदा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं इस विषय में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष 1951 में गौवंश की 1000 व्यक्तियों पर आनुपातिक दर 426 थी जो 1982 में 278, 1991 में 216 और 1993 में घटकर मात्र 176 रह गई है। एनीमल वैलफेयर बोर्ड ने इस बारे में एक सर्वेक्षण कराया था, जिसके अनुसार अगर इसी तरह से गौवंश पर अत्याचार होता रहा और गौकशी होती रही तो सन् 2010 तक गौवंश इस देश से समाप्त हो जाएगा। अब तक गौवंश की 6 भारतीय नस्लें समाप्त हो चुकी हैं और तीन नस्लें समाप्त होने के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गौकशी और गौवंश की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिससे इस राष्ट्र की संपदा को बचाया जा सके।

डॉ० रामलखन सिंह (भिण्ड) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन सब बातों का उल्लेख न करें। ये कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस की सूची बनाई जानी है और सदस्यों को उसके अनुसार बुलाया जाना है। आपका नोटिस सूची में 52वें स्थान पर है, अर्थात् आपसे पहले 51 माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। उन्हें तदनुसार बुलाया गया है। अत: आपको न तो सचिवालय पर और न ही यहां बैठे लोगों पर दोषारोपण करना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० रामलखन सिंह : सभापति जी, आपसे संरक्षण की मांग का तो हमें अधिकार है। *(व्यवधान)* आप एक मिनट मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। *(व्यवधान)* आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आप तो बात भी नहीं कहने देते हैं। सीनियर मेम्बर को यह अधिकार तो नहीं है कि वह सीधे कहे कि आप बैठ जाइए। सभापति जी, अगर किसी को कुछ कहना है तो वह आपसे कहेगा।

सभापति महोदय : ठीक है, किसी मेम्बर को यह अधिकार नहीं है। आप बोलिए।

डॉ० रामलखन सिंह : सभापति जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। मैं जिस भिण्ड क्षेत्र से आता हूं उसे चाहे-अनचाहे इस देश के मीडिया ने बहुत बदनाम किया है। कांग्रेस सरकार जब भी वहां कोई चुनाव आता है तो डाकुओं को प्रश्रय देती है। पिछले एक माह से वहां पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का, जाटवों का, ब्राह्मणों का लगातार अपहरण और कत्ल हो रहा है और लगातार डकैती पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि वहां न जिला प्रशासन है और न उस प्रदेश में सरकार नाम की चीज है। जहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं?

डॉ० रामलखन सिंह : अभी हमारे एक साथी मित्र हिमाचल प्रदेश के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का हिमाचल प्रदेश में पहला मामला है लेकिन मध्य प्रदेश में रोज ऐसे मामले होते हैं। वहां की सरकार उन पर जरा भी चिंता व्यक्त नहीं करती। यह कहते हैं कि हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने वाले हम ही हैं। अभी पिछले दिनों एक साथ अकाहा गांव में उमरी थाने के अंतर्गत जाटवों का अपहरण किया गया। नवलपुरा में छ: बघेलों का अपहरण हुआ। इसके बाद दीनपुरा में तीन ब्राह्मणों के घर में रात को डकैती डाली गई और उसमें तीन लोगों की नृशंस हत्या हो गई। परसों पांडरी गांव में तीन ब्राह्मणों का अपहरण हुआ। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं?

डॉ० रामलखन सिंह : सगरा गांव के अंतर्गत गुलालपुरा के थाना नया गांव में 6 बघेलों का अपहरण हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वह पिछड़ों, हरिजनों और जाटवों के संरक्षण की बात करती है। हमारी सरकार को बने तीन महीने हुए हैं लेकिन हम पर कानून

और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के आरोप लगाए जाते हैं। मैं आदरणीय खुराना जी के माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और मध्य प्रदेश सरकार को हिदायत दें कि वह कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सुधारे वहां की सरकार के खिलाफ कार्यवाही भी की जाए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के राजनांदगांव जिले की शिवनाथ नदी पर 9000 हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता निर्मित करने वाली मोगरा सिंचाई परियोजना केंद्रीय जल आयोग एवं पर्यावरण विभाग में पिछले दस वर्षों से लंबित है। मध्य प्रदेश शासन के इस परियोजना को स्वीकृत कराने के सारे प्रयास विफल रहे हैं। यह परियोजना आदिवासी बाहुल्य अम्बागढ़ चौकी तहसील से दस किलोमीटर पश्चिम की ओर प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 92 करोड़ 24 लाख रुपए है। इससे राजनांदगांव को जल आपूर्ति के अतिरिक्त चौकी एवं डोंगर गांव के 95 गांवों को सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। मोगरा परियोजना सिंचाई के सिवाय राजनांदगांव भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्ग शहर और यूरेनियम संयंत्र को जल आपूर्ति कर सकेगी। बताया गया है कि केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के सात संचालनालयों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा पांच संचालनालयों से अपेक्षित है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु 238.53 लाख के प्राकलन पुन: प्रशासकीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। मोगरा सिंचाई परियोजना के अनेक वर्षों से लंबित रहने के कारण क्षेत्र में सिंचाई की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसको लेकर किसानों में गहरा असंतोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश की अनेक सिंचाई परियोजनाएं वन एवं पर्यावरण विभाग में लंबित हैं जिन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

श्री श्याम बिहार मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति जी, मैं रेल मत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कानपुर महानगर उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक नगर है। वहां की आबादी 40 लाख के लगभग है और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 30 लाख है। कानपुर से निर्यात व्यापार बड़ी मात्रा में होता है लेकिन कानपुर से कोई ट्रेन दिल्ली और मुंबई के लिए नहीं चलती है। सभी गाड़ियां पीछे के स्टेशन से आती हैं जिनमें आवश्यकता से केवल 25 परसेंट आरक्षण उपलब्ध होता है। अधिकांश यात्री बसों से दिल्ली आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अत: केंद्र सरकार और रेल मंत्री से मेरा आग्रह है कि कानपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस या मेल गाड़ी तथा एक ट्रेन कानपुर से मुंबई के लिए चलाई जाए। जब तक इस नई ट्रेन की व्यवस्था नहीं होती तब तक प्रयागराज एक्सप्रेस में दो बोगी तथा ऊंचाहार एक्सप्रेस में दो बोगी 3-टीयर स्लीपर, एक बोगी 3-ए०सी० और दो बोगी साधारण श्रेणी की लगाए जाने की व्यवस्था की जाए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस गाड़ियों में पीछे के स्टेशनों से जो कोटा है उसे कानपुर से दिल्ली तक कर दिया जाए। कानपुर महानगर की बढ़ती मांग के अनुसार कानपुर से लोकल ट्रेन प्रारंभ किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए पनकी से उन्नाव तक लोकल ट्रेन चलाई जाए जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहता हूं। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बाकी सारे सरकारी अस्पतालों में करप्शन और घूस चल रही है। मुझे परसों ही पता चला है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट घूस लेते हुए पकड़े गए। इसके पहले मैंने जी०बी० पंत अस्पताल में एक मरीज को भेजा था जिससे डॉक्टर ने हार्ट का आपरेशन करने के लिए दो लाख रुपए मांगे। मरीज के आने पर मैंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर से बात की और तहकीकात कराई तो 20 हजार रुपए लेकर उसका आपरेशन कर दिया गया। इसी तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सर्जिकल इक्विपमेंट्स की खरीदारी में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है और डॉक्टरों द्वारा उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी इन अस्पतालों में मरीजों से पैसा ले रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो मरीजों को इस उत्पीड़न से बचाए। इसका कारण यह है कि देशभर से मरीज अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं तो उनको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, देश की 50 वर्ष की आजादी के बाद अभी भी यह देखने में आया है कि असंगठित मजदूरों के केसों का निपटान करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। इस संदर्भ में जिला बिलासपुर के धौराभाग ग्राम में गत 6 महीने से असंगठित मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। उन मजदूरों को न्याय न देकर उन पर गोलियां चलाई गईं जिसमें दो लोग मारे गए। इन असंगठित श्रमिकों में एक गर्भवती महिला और बाकी सारे लोगों को बेवजह जेल में ठूंस दिया गया है। गोलियां चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि असंगठित मजदूरों की समस्या का हल करने के लिए नियम बनाए जाएं तथा स्वच्छ पद्धति अपनायी जाए ताकि उन मजदूरों को न्याय मिल सके। मेरी यह भी मांग है कि गोली चलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य करे।

[अनुवाद]

डॉ० रवि मल्लू : सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में हुए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले को उठाने का मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आपको विदित है कि कमजोर वर्ग, विशेषतया अनुसूचित जाति की महिलाओं को काफी संरक्षण दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अनुसूचित जाति की सात महिलाएं तीन पुरुषों के साथ अपनी जीविका हेतु पत्तियां इकट्ठा करने निकट के जंगल में गईं। अचानक करीब 20 आदमियों ने उन सात महिलाओं पर आक्रमण किया और उनसे सामूहिक बलात्कार किया; उन्होंने उन तीनों पुरुषों को भी पीटा जो उन महिलाओं से बलात्कार का विरोध कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में हुई वह घटना निकृष्टतम है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तथ्यों का पता लगाने के लिए एक दल भेजें और दोषियों को पकड़ें। आंध्र प्रदेश

[डॉ० रवि मल्लू]

की महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं, में भय व्याप्त है कि क्योंकि उनमें यह आत्मविश्वास नहीं है कि वे स्वच्छंदतापूर्वक रह सकती हैं। पुलिस वाले भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं। करीब दो या

अपराह्न 2.00 बजे

तीन महिलाओं से बलात्कार पुलिस वालों ने किया था। उसे हम प्रशासन और पुलिस विभाग के ध्यान में लाए थे।

सभापति महोदय : आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

डॉ० रवि मल्लू : मैं इस खराब स्थिति को उनके ध्यान में ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का एक विशेष दल भेजे और सुनिश्चित करे कि आंध्र प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं में विश्वास पैदा हो।

[हिन्दी]

श्री रामानंद सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं इस शून्यकाल की सूचना के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विशेषकर आदिवासियों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में 1977 से 1980 के बीच जनता शासन में जब केंद्र में मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे, इन भूमिहीनों को मध्य प्रदेश की वन भूमि में जहां वह वर्षों से खेती कर रहे थे, एकड़ दो एकड़ में उन्हें पट्टे दिए गए थे। लेकिन खेद की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से सतना जिले के मझखौना उप-तहसील में जहां आदिवासी निवास करते हैं, यहां प्रभावशाली लोगों को जमीन के पट्टे दे दिए और पटनाकला, पटनाखुर्द, नयागांव (चित्रकूट), ग्राम पंचायत बांका में ग्राम कजरा गांव के आदिवासियों को उनके कब्जे की जमीन से वंचित किया गया है और उनकी जमीन को प्रभावशाली लोगों को दे दिया गया है। मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि वे आदिवासियों को कब्जे की भूमि जो वन विस्थापन में उन्हें दिलाई गई थी उस भूमि का कब्जा मध्य प्रदेश के आदिवासियों को दिलाएं तथा उन्हें पुन: स्थापित करें और प्रभावशाली लोगों ने जो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उन्हें बेदखल करें और हटाएं।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पूरा सदन खाली है। कोरम भी नहीं है। इसलिए मैं बहस बंद करने का प्रस्ताव ला रहा हूं कि बहस को बंद किया जाए।

श्री रामानंद सिंह : सभापति जी, मैं लालू जी की बात का समर्थन करता हूं। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं अपनी बात कहकर चले जाते हैं और 60 प्रतिशत जो नये सदस्य हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। कृपया व्यवस्था करें कि नये सदस्यों को 60 परसेंट मौका मिले और जो 10-15 लोग ही सदन में बोलने पर कब्जा किए हैं, इसको रोकिए नहीं तो हम भी नये सदस्यों का एक संगठन बनाकर इसके लिए लड़ेंगे। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : देश की जनता ने सबको इसलिए भेजा है कि सदन में बैठिए और सुनिए। आप अभी घण्टी बजवाइए तो चारों तरफ से सदस्य भागकर आ जाएंगे। कम-से-कम वार्निंग की घंटी तो बजाइए।

सभापति महोदय : लालू जी, आप भी अभी पहुंचे हैं, मैंने देखा है।

सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.05 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर पांच मिनट पर पुन: समवेत हुई

[श्री खगपति प्रधानी *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरंभ करेगी।

अपराह्न 3.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में एक भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां कोई भी भारी उद्योग नहीं है और न ही केंद्र स्तर पर वहां कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं जिसके कारण मेरा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है और लोगों को जीविका के रूप में खेती-बाड़ी पर निर्भर रहना पड़ता है और नवयुवक काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। अगर उद्योगपतियों को करों में राहत दी जाए और अन्य सुविधाएं दी जाएं, तो वहां पर कई उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

महोदय, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में कोई एक भारी उद्योग स्थापित किया जाए और उद्योगपतियों द्वारा वहां उद्योग स्थापित करने हेतु केंद्र स्तर पर प्रयास किए जाएं।

(दो) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : मान्यवर, मध्य प्रदेश के विशेषकर मंडला आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र में राशन का चावल,

चीनी, गेहूं एवं मिट्टी का तेल आदि अभी तक नहीं भेजा गया है जिसके कारण आदिवासी लोग बिना उपभोक्ता वस्तुओं के जीवन काट रहे हैं। इन क्षेत्रों का राशन कहीं और किसी क्षेत्र में बेच दिया गया है। मैं इस संबंध में सरकार को पहले भी अवगत करा चुका हूं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अत: मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि सरकार इन क्षेत्रों के आदिवासियों की इस गंभीर समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे।

(तीन) कुछ देशों द्वारा प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को वीसा देने से इंकार किए जाने के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, अभी कई समाचारों के माध्यम से पता चला है कि कुछ देशों ने हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को वीजा देने से इसलिए इंकार कर दिया है कि ये वैज्ञानिक हमारे पोखरन परमाणु विस्फोट से जुड़े हुए हैं और इस प्रकरण से हमारे देश के स्वाभिमान तथा सम्मान को बहुत चोट पहुंची है। मेरे इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से दो अनुरोध हैं—

1. इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करके हमारे समस्त वैज्ञानिकों को जो अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, को विदेश जाने के लिए तत्काल वीजा दिलाने का प्रबंध करे।
2. यदि इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ये देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हेतु तत्कांल इन देशों से राजनैतिक संबंध समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इन देशों से अपने राजदूत वापस बुला लेने चाहिए तथा इन देशों के राजदूत तत्काल वापस भेज देने चाहिए।

(चार) भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल और बीरगंज के बीच किए जाने वाले टेलीफोन कॉलों को स्थानीय कॉल माने जाने की आवश्यकता

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र रक्सौल के टेलीफोन उपभोक्ताओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। बीरगंज जो भारत-नेपाल की सीमा पर स्थित है और मात्र एक किलोमीटर पर है। परंतु रक्सौल से बीरगंज तक टेलीफोन का चार्ज अंतर्राष्ट्रीय काल के रूप में लिया जाता है। दोनों शहरों को छोटी नदी सरीसवां बांटती है और दोनों शहरों के बीच में रहने वालों के बीच शादी-ब्याह भी होता है। पहले लोकल चार्ज ही लिया जाता था।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि रक्सौल और बीरगंज के बीच टेलीफोन काल को लोकल काल के रूप में चार्ज किया जाए जिससे भारत और नेपाल के निवासियों के बीच भाईचारे की भावना बनी रहे।

(पांच) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए पर्याप्त नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विशेषकर दक्षिणी द्वीप समूह में अंत:द्वीपसमूह यात्री सेवाओं की खराब स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वार्षिक सर्वेक्षण कार्य, जिसमें नौवहन विभाग ड्राई डॉक में लगभग 5-6 महीने का समय लगता है, में अत्यधिक विलंब होने के कारण पोर्ट ब्लेयर से कैंपबैल खाड़ी तक केवल एक ही पोत चलता है जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी तथा अन्य लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पोत या नौका में चढ़ने-उतरने में होने वाली कठिनाई की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम पिछले कुछ वर्षों से पोर्ट ब्लेयर से ग्रेट निकोबार तक एक अन्य पोत चलाए जाने के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं, चाहे यह पोत किराए पर लिया जाए या कोई पुराना पोत खरीदकर चलाया जाए, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस बीच लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। कारनिकोबार, चावरा, टेरेसा, कुंडोल तथा पिलो-मिलो कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनमें लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। जिम्मेदारियों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्याप्त नौवहन सेवाएं उपलब्ध करना केंद्र सरकार और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का कर्तव्य है। यह मामला अनेक मंचों पर बार-बार उठाया गया लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया।

अत: मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं उनके लिए या तो किराए पर पोत लेकर या पुराना पोत खरीदकर नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए।

(छ:) पूरे देश में बीड़ी-सिगार कामगारों के लिए एकसमान मजदूरी तथा भत्तों की आवश्यकता

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव) : देश में बीड़ी मजदूर इन दिनों गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में उनका वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाएं भिन्न-भिन्न हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक तथा पुणे जिलों में इन सुविधाओं में काफी भिन्नता है तथा वहां बीड़ी मजदूरों को अन्य राज्यों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। अत: इन मजदूरों के लिए समूचे देश में एक समान वेतन तथा नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में बीड़ी मजदूरों की मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें उनकी भविष्य निधि तथा पेंशन की राशि उनके बैंकों के माध्यम से नहीं मिलती है। उन्हें इस काम के लिए दूसरे बैंकों में जाना पड़ता है जो एक कठिन कार्य है। अपने भविष्य निधि की राशि और मासिक पेंशन अपने बैंक से लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी, गर्भावस्था अवकाश तथा बीड़ी-सिगार मजदूरों से संबंधित अन्य कानूनों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस परिणामस्वरूप बीड़ी मजदूर इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन नियमों को तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

बीड़ी मजदूरों को गृह निर्माण ऋण, कैंसर के इलाज तथा अन्य आपातकालीन कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बीड़ी मजदूर कल्याण निधि का गठन किया जाना चाहिए। सरकार को देश के लाखों बीड़ी मजदूरों की सहायता के लिए तुरंत उचित कदम उठाने चाहिए।

(सात) कर्नाटक में रायचूर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने/मार्ग परिवर्तित किए जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० वेंकटेश नायक (रायचूर) : रायचूर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली दस से अधिक बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने/दूसरे मार्गों से भेजने के कारण कर्नाटक के रायचूर तथा गुलबर्गा जिलों के लोगों को मुंबई, चेन्नई तथा बंगलौर पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन विशेष रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है या जिन्हें रद्द करके दूसरे मार्गों से चलाए जाने का निर्णय लिया गया है उनमें 6635/6636 (कुरला-मंगलौर-कुरला), 7685/7686 (काचेगुडा-बंगलौर-काचेगुडा), 6333/6334 (राजकोट-थिरुअनन्तापुरम-राजकोट), 6337/6338 (राजकोट-कोचीन-राजकोट), 6335/6336 (गांधीधाम-त्रिवेन्द्रम-गांधीधाम) तथा 7429/7430 (रायलसीमा-हैदराबाद-तिरुपति) शामिल हैं। अधिकतर रेलगाड़ियों को कोंकण रेलवे के रास्ते चलाया गया है। इस मार्ग परिवर्तन का परिणाम यह है कि रायचूर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं।

रायचूर, चेन्नई और मुंबई के बीच पड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है तथा यह पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ता है। कर्नाटक में अत्यंत पिछड़े जिले के रूप में पता लगाए गए रायचूर जिले के लिए एक औद्योगिक विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है। रायचूर कपास का बहुत बड़ा बाजार है और यहां से दक्षिण भारत की कपड़ा मिलों को बहुत बड़ी मात्रा में कपास भेजी जाती है। उपरोक्त सभी रेलगाड़ियां इस क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थीं। रेलगाड़ियों को अचानक रद्द करने या रायचूर को छोड़कर उन्हें दूसरे मार्ग से चलाए जाने के कारण इस क्षेत्र के रेलगाड़ियों से सफर करने वाले लोगों को काफी असुविधा हुई है।

(आठ) बी०ओ०जी०एल० को पुनः चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, बी०ओ०जी०एल० को बचाने के लिए केंद्र सरकार को इसे कामगारों के साथ-साथ देश के व्यापक हित में इसका पुनरुद्धार करना चाहिए। फ्लिंट बटन आयात पर प्रतिबंध की सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। यह संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित था। तदनन्तर, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीच्यूट, कलकत्ता से निरंतर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्राप्त करके पुरानी प्रौद्योगिकी हटाने के प्रयास भी विफल रहे। इस कारण बी०ओ०जी०एल० का मामला समीक्षा हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया था। इस समय बी०ओ०जी०एल० ऑपथेलमिक फ्लिंट बटन्स का विनिर्माण कर रहा है जो इस संयंत्र के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत है जिसका उपयोग बाइफोकल लेंस, ऑप्टीकल ग्लास (प्रिज्म) इत्यादि, रक्षा सेनाओं की आवश्यकता की पूर्ति (टेलीस्कोपिक टैंकों में उपयोग हेतु), रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले रेडिएशन शील्डिंग विंडो ग्लास तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फ्राइट ग्लास में उपयोग हेतु होता है।

बी०ओ०जी०एल० देश में अपनी तरह का एकमात्र संयंत्र है और इसका विशेष रूप हमारी रक्षा तैयारियों और ऑप्टीकल (प्रिज्म) और रेडिएशन शील्डिंग विंडो ग्लास की अनेक परियोजनाओं की प्रगति में उस समय राष्ट्रीय महत्व है जबकि भारत व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है।

पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद उत्पन्न स्थिति के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव का सामना करने के लिए बी०ओ०जी०एल० का पुनरुद्धार करना अत्यंत प्रासंगिक हो गया है ताकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और रक्षा आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए और हमारे देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस संयंत्र की विशेषज्ञता और क्षमता का उपयोग करना आवश्यक हो गया है।

वेबकॉम जो एक प्रतिष्ठित परमार्शदात्री कंपनी है और इस प्लांट में कार्यरत मैनेजमेंट यूनियन्स और एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई 15 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना जिसे मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है, में यह दर्शाया गया है कि यह कंपनी तीन वर्ष में अर्थक्षम और लाभ अर्जित करने वाली हो सकती है।

अतः मैं केंद्र सरकार से बी०ओ०जी०एल० के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर करने का आग्रह करता हूं।

(नौ) ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त अधिनियम 23/97 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डॉ० सरोजा वी० (रासीपुरम) : सभापति महोदय, भारत सरकार और वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वित्त अधिनियम 23/97 पर पुनर्विचार किया जाए।

छोटे व्यापार से जुड़े लोग, मध्यवर्गीय व्यापारी, किसान, छोटे ट्रांसपोर्ट ओपरेटर निजी कंपनियों से ऋण लेते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं न तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से पूरी होती हैं और न ही अनुसूचित बैंकों से। ऐसे लोगों की आवश्यकताएं वित्तीय कंपनियां पूरी करती हैं तथा ये वित्तीय कंपनियां ऐसे लोगों से धन जमा करती हैं जिनका इन कंपनियों में विश्वास है।

लेकिन अब अध्यादेश 2/97 जारी किया गया जो बाद में 23/97 अधिनियम बना तो इन कंपनियों पर मानो अचानक बिजली गिरी हो। इसके परिणामस्वरूप इन वित्तीय कंपनियों को एक बड़ा आघात पहुंचा है क्योंकि इससे जमाकर्ता तथा ऋण लेने वाले दोनों को नुकसान पहुंचा है। वस्तुतः इन लोगों की पूरी अर्थ-व्यवस्था को आघात पहुंचा है और इससे अनेक लोग दिवालिया हो गए हैं अथवा उन्होंने आत्म-हत्या कर ली है। अनेक लोगों का रोजगार छिन गया है।

यदि कानूनी पहलू से भी देखा जाए तो यह अधिनियम न्यायालय में समीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा क्योंकि इससे भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है।

(दस) एक भारतीय, स्वर्गीय मौहम्मद मोहसिन द्वारा 1923 में जनरल बैंक ऑफ नीदरलैंड्स में जमा कराई गई धन-राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : सभापति महोदय, भारत का, अलजीमीन बैंक नीदरलैंड एन०वी० (जनरल बैंक ऑफ नीदरलैंड) के यहां 210 मिलियन डच मार्क (21 करोड़ डच मार्क) सूद के साथ जमा की गई राशि को, भारत को लौटाने के संदर्भ में कहना है कि एक भारतीय मौ० मोहसिन ने 21 अगस्त, 1923 को अलजीमीन बैंक की कलकत्ता शाखा में 210 मिलियन डच मार्क (21 करोड़ डच मार्क) एम्सटर्डम हैड ऑफिस के लिए, एक साल के वास्ते सावधि जमा किया था। जिसका ब्याज 4.5 प्रतिशत सालाना तय था, जिसका रसीद नं० 275 दिनांक 21-8-1923 है। मौ० मोहसिन ने अपनी मृत्यु के पहले भारत सरकार की संपत्ति समझकर श्री वैद्यनाथ मिश्र को 7-1-1953 को डॉक्यूमेंटरी हकदार बनाया, बाद में श्री मिश्र ने अपने बहनोई डॉ० मुनीन्द भट्ट को रजिस्टर्ड डीड बनाकर इस संपत्ति का बराबर का हकदार 25-2-1980 को बना दिया। डॉ० भट्ट एवं श्री मिश्र दोनों मिलकर बैंक से भारत सरकार की उक्त रकम की उगाही का प्रयास करते आ रहे हैं। श्री मिश्र का देहान्त अप्रैल, 1996 में हो चुका है। उक्त बैंक अपने दलालों के मार्फत कुछ ले-देकर बात को समाप्त करने का प्रयास करता आ रहा है। डॉ० भट्ट ने कहा है कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है और जो भी फैसला हो, भारत सरकार के समक्ष हो।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चौदह हजार करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय धनराशि उक्त नीदरलैंड बैंक से वसूलने के लिए भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री इस संदर्भ में पहल करने की कृपा करें।

(ग्यारह) संसद के चालू सत्र में अलग बोडोलैंड राज्य के लिए विधेयक लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैं भारत सरकार के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसमें उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने का निश्चय किया गया है। जो अन्य क्षेत्र इसके पात्र हैं वहां भी 'छोटे राज्यों की अवधारणा' के क्रियान्वयन का मैं हमेशा समर्थन करूंगा। तथापि मंत्रिमंडल के निर्णय में 'उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़' के नये राज्यों के निर्णय की घोषणा करते समय पृथक बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की लंबे समय से चली आ रही बहुत उचित तथा जायज मांग को दरकिनार कर दिया गया है।

वर्तमान भारत सरकार को एक ठोस नीति निर्णय करके लंबे समय से चली आ रही पृथक् बोडोलैंड राज्य की मांग को 'उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़' की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि सर्वाधिक गंभीर बोडोलैंड समस्या का स्थायी राजनीतिक हल निकल सके।

अत: बोडो जनता के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान पृथक् बोडोलैंड राज्य का तत्काल निर्माण ही है और इससे उनका जीवन और उनके बोडोलैंड राज्य के अंदर सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी।

अत: मैं केंद्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि विशेषकर प्रस्तावित बोडोलैंड क्षेत्र में और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उभरती स्थिति की गंभीरता पर ध्यान देते हुए तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के व्यापक हित में संसद के चालू सत्र में ही उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ की भांति पृथक् बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए आवश्यक संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया जाए।

अपराह्न 3.25 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्तियां

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सदैव ही शक्तिशाली उपकरण माना जाता रहा है। यह संपूर्ण विश्व में मान्य है कि सिर्फ उच्च स्तरीय आधारभूत अनुसंधान की सुदृढ़ स्थापना द्वारा ही दीर्घावधि प्रौद्योगिकीय क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता आ सकती है। इसकी प्रस्वीकृति में भारत सरकार ने हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति' शुरू की है ताकि वे विज्ञान में विश्व स्तर को प्राप्त कर सकें।

अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई सीमाओं के अन्वेषण से संबंधित असाधारण शोधकार्य में प्रमाणित योग्यता वाले 30-40 वर्ष की उम्र सीमा के भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां खुली हुई हैं। ये अध्येतावृत्तियां वैज्ञानिक विशिष्ट हैं। इन अध्येतावृत्तियों में 25,000/- रुपए प्रतिमाह की आकर्षक शोधवृत्ति राशि के अतिरिक्त यंत्र, जनशक्ति, आपूर्तियां तथा उपभोज्यों के लिए अनुसंधान अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय दौरों सहित यात्रा तथा उच्चतम स्तर पर कार्य निष्पादन के लिए अन्य आवश्यक जरूरतें शामिल हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष तक की होगी।

अच्छे भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार देश के अंदर तथा विदेशों में किया गया है। स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्तियों के उम्मीदवारों के चयन के लिए एक 3-स्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें 6 विषय क्षेत्रों में उप-समितियां, एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति जिसमें अन्य विशेषज्ञों के अलावा अध्यक्ष के रूप में एक प्रख्यात वैज्ञानिक होगा तथा सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में सचिवों की एक शक्तिशाली समिति शामिल है। अपनायी गई प्रक्रिया काफी जटिल थी क्योंकि इसमें

[डॉ० मुरली मनोहर जोशी]

उप-समितियों द्वारा आरंभिक छंटाई की जानी थी तथा इसके बाद उप-समितियों तथा राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति में तकनीकी प्रतिनिधित्व दिया जाना था।

स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियों के लिए चयन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मुझे सदन पटल पर स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियों के लिए चयन किए गए 11 युवा वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वे हैं :

1.	डॉ० एम० भट्टाचार्य	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंगलौर
2.	डॉ० पी०पी० चक्रवर्ती	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	खड़गपुर
3.	डॉ० ए० चोकसी	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंगलौर
4.	डॉ० डी०वी० खक्खड	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	मुंबई
5.	डॉ० टी०पी० राधाकृष्ण	हैदराबाद विश्वविद्यालय	हैदराबाद
6.	डॉ० मोहित रनदेरिया	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च	मुंबई
7.	डॉ० मदन राव	गणितीय विज्ञान संस्थान	चेन्नई
8.	डॉ० वी०के० सिंह	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	कानपुर
9.	डॉ० सुब्रतो सिन्हा	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	नई दिल्ली
10.	डॉ० वी० श्रीनिवास	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च	मुंबई
11.	डॉ० जयन्त उडगांवकर	नेशनल सेंटर फार बायोलोजीकल साइंसिज (टी आई एफ आर)	बंगलौर

मैं इन सभी युवा वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां प्राप्त करने पर बधाई देना चाहता हूं तथा आने वाले वर्षों में युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां शुरू करने के प्रयास का समर्थन करने में अपने साथ सदन को शामिल करना चाहता हूं ताकि और अधिक युवा वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भाग ले सकें तथा भारतीय विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में योगदान कर सकें।

मेरे पास एक अन्य जानकारी है जिससे मैं सभा को अवगत कराना चाहूंगा। आज प्रात: मैंने भारत के छ: युवा बालकों को सम्मानित किया जो मैथमेटिक्स ओलम्पियाड में भाग लेने गए थे। इनमें सभी छ: बालकों को पुरस्कार मिले हैं; तीन बालकों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं और तीन बालकों को रजत पदक प्राप्त हुए हैं। जब गणित के क्षेत्र में ओलम्पियाड आरंभ किया गया था तो उस समय भारत 25वें स्थान पर था; आज भारत सातवें स्थान पर है। हमारे युवा बालक इस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। मैं इस पूरी सभा मे इन युवा बालकों को सम्मानित करने और उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : यह कदम स्वागत योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन रहा था। मुझे यह नहीं मालूम है कि इसमें कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है अथवा नहीं। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है परंतु इस पर अधिक बल नहीं दिया गया है। कृषि क्षेत्र के भी किन्हीं वैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया जाए तथा हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में काफी उत्कृष्ट कार्य भी किया गया है। हमारे देश के लिए कृषि क्षेत्र भी समान रूप से महत्वपूर्ण *है और मेरे विचार से कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत किसी वैज्ञानिक* को शामिल करके इस क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाए।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : यह मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में अन्यतम है और दूसरी बात यह है कि इसे छ: अथवा सात शाखाओं में बांटा गया है जैसे भू-विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान और अभियांत्रिकी विज्ञान। इसलिए यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कृषि अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा रसायन क्षेत्र में कार्य करता है जिसका कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग होता है तो वह इसमें शामिल हो जाएगा। परंतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विशुद्ध अनुसंधान इन सात शाखाओं में शामिल नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हमारे देश में आई०आई०टी० और विश्वविद्यालय हैं। परंतु कृषि विज्ञान दूसरे स्तर पर आता है। यह एक अच्छा कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अस्सी प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। अतएव कृपया कृषि क्षेत्र के लिए कुछ छात्रवृत्तियों अथवा पुरस्कारों की घोषणा की जाए। इन वृत्तियों को स्वर्ण जयंती फैलोशिप से अलग रखा जाए। यह उचित रहेगा।

श्री मुरली मनोहर जोशी : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और मैं कृषि विज्ञान के लिए प्रयासों को बढ़ाने के लिए पूर्णतया प्रयासरत हूं। परंतु यह विभाग न तो मानव संसाधन विकास अथवा न विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है अपितु यह मेरे सहयोगी श्री सोमपाल के मंत्रालय के अधीन है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : हाल ही में गत सप्ताह में हमने विभिन्न वैज्ञानिकों और संस्थाओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया है।

श्री राजेश पायलट : जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है हम चाहते हैं कि आप ऐसी ही समान छात्रवृत्तियों के बारे में विचार करें।

श्री सोमपाल : मैं यह पता लगाऊंगा कि क्या ऐसी कोई प्रणाली पहले से मौजूद है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कुछ अच्छा करके दिखाएं। हम आपको भी बधाई देंगे।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : मैं योजना को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए जहां तक संभव हो सकेगा हर संभव सहायता प्रदान करूंगा।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998

सभापति महोदय : हम श्री पी० आर० कुमारमंगलम द्वारा पेश किए प्रस्ताव पर अब आगे विचार करेंगे। डॉ० वी० सरोजा बोलने के लिए खड़ी हैं। वे अपनी बात आगे जारी रख सकती हैं।

डॉ० सरोजा वी० (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर अपने भाषण को जारी रखने के लिए अनुमति देने के वास्ते आपका आभार प्रकट करती हूं।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : हम इस विधेयक पर सायं 3 बजे तक चर्चा जारी रखेंगे।

सभापति महोदय : हम सायं 4 बजे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : तब तक हम भूल जाएंगे कि हमने क्या कहा है।

सभापति महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी करेंगे और तत्पश्चात् नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करेंगे।

डॉ० सरोजा वी० : सभापति महोदय, मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर अपने भाषण को जारी रखने के लिए अनुमति देने के वास्ते आपका आभार प्रकट करती हूं।

मैं यह जानती हूं कि विद्युत प्रणाली का संबंध ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति संबंधी सभी पहलुओं से है।

मैं विद्युत मंत्रालय को शुल्क दर प्रणाली में अत्यधिक सुधार करने के लिए बधाई देती हूं। उन्होंने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग गठित करने का भी निर्णय किया है।

इस संबंध में, मैं इस सम्माननीय सभा के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूं।

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना करने और उनका परिचालन करने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और आर-पार विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययता संबंधी सशक्त वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर विद्युत का अंतरण आसानी से करना है।

मैं यह मानती हूं कि भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड ने अंत:क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने और अपनी डाटा-बेस प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए विश्व बैंक से 450 मिलियन डालर के दूसरे ऋण को लेने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की है।

इस संबंध में, मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की पूर्ति और मांग समान है। तथापि, पूर्वी क्षेत्र के मामले में 3440 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसकी मांग केवल 1800 मेगावाट की है। इस तरह उस क्षेत्र में 1000 मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होता है। संयंत्र उपलब्धता गुणक 85 प्रतिशत है और संयंत्र परिचालन क्षमता भी अधिक है। इसके अतिरिक्त वहां पन विद्युत का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र के राज्य विद्युत बोर्ड क्षेत्रीय मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन को इस बात का डर है कि पूर्वी क्षेत्र के राज्य विद्युत बोर्डों को अपने उत्पादन को घटाना पड़ेगा।

जहां तक दक्षिणी क्षेत्र का संबंध है, विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है और वहां केवल 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और इससे बढ़कर 3000 मेगावाट होने की आशा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि विद्युत मंत्रालय ने दक्षिणी राज्यों में विद्युत के उत्पादन में हुई कमी को विनियमित करने के लिए क्या कार्य प्रक्रिया तैयार की है।

महोदय, विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था। अब यह विधेयक इस सम्माननीय सभा में विचार-विमर्श करने के लिए पेश किया गया है। तथापि, मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछेक मुद्दे रखना चाहती हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अतिरिक्त विद्युत दक्षिणी क्षेत्र के उन क्षेत्रों जिनमें विद्युत का कम उत्पादन होता है, को उपलब्ध कराई जाए।

दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

सरकार ही सिर्फ विद्युत की आपूर्ति करे। इस तरह से, उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में विद्युत मिल पाएगी।

मुझे इस बात का अंदेशा है कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी व्यक्तियों द्वारा भूमि की कीमत में वृद्धि करने की वजह से निश्चित तौर पर रुकेगा। अत: उक्त योजना को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्णरूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।

फिर प्रेषण प्रणाली में लाइन की कमी एक बड़ी कमी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि विद्युत की आपूर्ति में कमी को रोकने के लिए क्या कार्य-प्रणाली तैयार की गई है।

इस विधेयक में कृषक समुदाय और अनुसूचित जाती व दलित लोगों को विद्युत की मुफ्त सप्लाई करने के लिए सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई कार्य-प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इन शंकाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें लेकिन मैं फिर भी इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

अंत में, तमिलनाडु के लोगों की ओर से और आदि देवम पूराची थालीवी की ओर से मैं सरकार से और माननीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि 12 अगस्त, 1998 को कावेरी जल विवाद का स्थायी हल निकाला जाए।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री महोदय ने विद्युत के पारेषण में हो रही चोरी को रोकने के लिए रुचि दिखाई है। हम सब यह जानते हैं कि आज समूचे देश में विद्युत की भारी कमी है। यह सर्वविदित है और मुझे यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण औद्योगिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण आदि सब कुछ विद्युत उत्पादन पर नियंत्रण करता है। यदि विद्युत उपलब्ध नहीं होगी तो समूचे देश की प्रगति रुक जाएगी। यह सर्वविदित है।

पिछले कई दशकों से हम विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं और दिन-प्रतिदिन विद्युत के उत्पादन में कमी हो रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए, हमें उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणालियों को कारगर बनाने की आवश्यकता है। वस्तुत: आठवीं योजना में हम बुरी तरह से असफल रहे हैं। हालांकि हमें 30,000 मेगावाट क्षमता से अधिक विद्युत का उत्पादन करना था लेकिन हम केवल 14,522 मेगावाट विद्युत का उत्पादन ही कर पाए। नौवीं योजना के दौरान हम 40,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की कल्पना कर रहे हैं, जो एक स्वागतपूर्ण कदम है लेकिन इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। इस बीच, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वे सार्वजनिक अथवा निजी उद्यम के माध्यम से पारेषण प्रणाली को उपयुक्त बनाना चाहते हैं। दो दिन पहले, कई सदस्य निजीकरण के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। यह सही नहीं है। मेरा यह कहना है कि यह सार्वजनिक अथवा निजी उद्यम का मामला नहीं है, हम देश में विद्युत का अधिक उत्पादन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए और एक उपयुक्त प्रणाली को क्रियान्वित किया जाए। आज, जबकि विश्व भर में विकास हो रहा है, यदि हम केवल यह कहें कि निजी क्षेत्र अच्छा नहीं है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो वास्तव में बहुत दु:ख की बात है। हमारा लक्ष्य देश के लिए अति सौहार्दपूर्ण, उपयोगी और अच्छे परिणाम देने वाली प्रणाली को लागू करना है। इस विधेयक को पेश करने का एक कारण यह है कि वे पारेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना चाहते हैं। यदि हम पारेषण के क्षेत्र में अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी जिसे सरकार वहन नहीं कर सकती है। इसलिए यदि विश्व की कुछ अच्छी पार्टियां विश्व स्तर की प्रणाली के साथ इस क्षेत्र में आगे आएं तो यह एक स्वागतपूर्ण कदम होगा। उन्हें देश के विभिन्न भागों में इस प्रणाली को निडर होकर लागू करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे पारेषण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विश्व भर से विभिन्न एजेंसियों को आमंत्रित और प्रोत्साहित करें।

यह बड़ा ही दुखद समाचार है कि भारत में 21-22 प्रतिशत विद्युत पारेषण प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाती है जबकि विश्व के अन्य देशों में इस प्रक्रिया में केवल 6-7 प्रतिशत विद्युत ही नष्ट हो पाती है। वास्तव में पिछले 12-13 वर्षों के दौरान नुकसान कम होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं श्री रंगराजन जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस पर कैसे नियंत्रण करेंगे और पारेषण हानि को कम से कम करने के लिए उनका आशावादी दार्शनिक स्वप्न क्या है।

पारेषण के अलावा संवितरण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि संवितरण प्रणाली का निजीकरण करना पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से लाभकारी है तो इसमें बुरा ही क्या है, क्योंकि अनेक लोग हैं जो आज की तुलना में संवितरण प्रणाली को और अधिक सस्ता बना सकते हैं।

इस उपलब्धि के लिए विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटक है। हम आठवीं योजना में इतनी बुरी तरह क्यों असफल हुए हैं? लगभग 30,000 मेगावाट के रखे गए लक्ष्य के स्थान पर हम केवल 14,000 मेगावाट का लक्ष्य ही प्राप्त कर पाए। नौवीं योजना के दौरान हमने 40,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। लालफीताशाही के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। समन्वय का पूर्ण रूप से अभाव है। विभिन्न मामलों में भूमि अधिग्रहण और निर्णय लेने संबंधी विलंब होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण और विभिन्न एजेंसियों को कार्य सौंपने संबंधी समस्याएं और विभिन्न संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की भी समस्याएं हैं। समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। आज भी कोई भी कार्य आसानी से नहीं होता है।

प्रधान मंत्री महोदय ने अप्रैल माह के दौरान वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई थी। इसके बारे में जानकर मुझे काफी प्रसन्नतता हुई जिसका हवाला यहां दिया गया है।

कुछेक दिन पहले श्री कुमारमंगलम ने आश्वासन दिया था कि वे अधिकांश परियोजनाओं को मंजूरी दे देंगे और उन्हें चालू करवाएंगे। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना को भी तत्काल आरंभ करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने इस सभा में इस बात का भी पक्का आश्वासन दिया था कि इस महीने के अंत तक वे इस बात की गारंटी भी दे सकेंगे तथा सभी समस्याओं पर काबू पा लेंगे और परियोजनाओं को भी चालू करा सकेंगे। मुझे आशा है कि वे ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे। मुश्किल से दसेक दिन ही बाकी रह गए हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि वे अपने उत्तर में एक बार पुन: इस सभा को आश्वासन दें और यह भी बताएं कि ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त और अन्य संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से क्या प्रगति की है। यह एक प्रशंसनीय बात होगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री रंगराजन जी से विद्युत के सर्वोत्तम उत्पादन, पारेषण और संवितरण प्रणालियों के बारे में भारत की जनता के स्वप्न को शीघ्र साकार करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली अधिनियम, 1910 और बिजली अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का जो बिल लाया गया है, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। बिजली अधिनियम, 1910 अंग्रेजों के जमाने का है। उस समय विद्युत उत्पादन की, पारेषण की और वितरण की

सारी व्यवस्था एक जगह केंद्रित रहती थी। उस समय सारा काम निजी क्षेत्र में होता था। 1948 में जब इस बिल का संशोधन हुआ, उस समय पारेषण, वितरण और उत्पादन अलग-अलग व्यवस्थित किए गए।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह लगा कि बहुत दिनों से हर कार्पोरेशन को या तो निजी व्यवस्था में लाने की अथवा नेशनलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तो देश में राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था बड़ी धूमधाम से मनायी गई। उनके समय में बैंकों, कोयले और बिजली का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया। उस समय सारे उद्योग, कार्पोरेशन और बाकी दूसरी व्यवस्था राष्ट्रीयकृत न होकर सरकारीकृत हुई। अब यह भी इसके रोगी हो गए हैं। अब पारेषण की व्यवस्था अलग से करने की चर्चा चली है। *(व्यवधान)* इसकी उस समय जरूरत पड़ती है, जब मल्टी नेशनल्स का प्रवेश होता है।

राजीव गांधी जी और नरसिंह राव जी का 21वीं शताब्दी में कूदने का बहुत बड़ा सपना था। उनका कहना था कि विदेशी कंपनियों को यहां आना चाहिए। उन्हें अमेरिका का सुनहरा सपना दिखायी देता था। हम भी भूले-भटके अमेरिका का सुनहरा सपना देखते थे। नरसिंह राव जी के समय उदारीकरण की व्यवस्था चली। उस समय ऐसा लगा कि सारी सरकारी और पारिवारिक व्यवस्था उदार हो जाएगी। अब निजीकरण की व्यवस्था हो रही है। इसके बाद निजी व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत करने की चर्चा होगी।

सभापति महोदय, मैं निजी व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं लेकिन कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो हमारे लोक जीवन को सुविधासंपन्न बना सके। हमारे हिन्दुस्तान के गांवों में किसानों को बिजली प्राप्त करने में कहां कठिनाई आ रही है, इसी चिंता को सामने रखकर हमारे ऊर्जा मंत्री यह बिल लाए हैं ताकि किसानों को बिजली मिल सके, वे खेती कर सकें, उद्योग-धंधे ठीक से चल सकें लेकिन इस देश में व्यापार करने वाले तथा औद्योगिक घरानों के लिए बिजली देने की दूसरी तरह व्यवस्था है, किसान के लिए कोई और तरह की व्यवस्था की जाती है।

सभापति महोदय, यह बिल तो पास हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा लेकिन ऊर्जा मंत्री जी को किसानों की चिंता करनी चाहिए। आज यदि एक किसान पर बिजली का 500 रुपया भी बकाया रह जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े साहूकारों का बिजली का पैसा माफ हो जाता है। आज भी बड़े उद्योगपतियों पर 20-20 करोड़ रुपया बिजली का बाकी है। अभी यहां पर बिजली पारेषण में चोरी की बात हो रही थी जिससे विभाग की हानि होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह हानि नहीं बल्कि बिजली की चोरी होती है। एक टैक्नीकल शब्द—प्लांट लोड फैक्टर होता है जिससे विद्युत उत्पादन की क्षमता मापते हैं। मेरा कहना है कि वह प्लांट लोड फैक्टर इसलिए कम होता है कि अधिकारी कारखाने के मालिकों से मिलकर बिजली की चोरी करते हैं और कहते हैं कि संप्रेषण में विद्युत कम हो गई, इलैक्ट्रिसिटी लॉस हो गया। मेरा ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि कानून बनाने से पहले थोड़ा इस बारे में चिंता कर लें। यदि कानून में यह व्यवस्था शामिल हो जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा।

हम लोग इस बिल का समर्थन करेंगे, सारा सदन इसका समर्थन करेगा और फिर यह कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद आप वितरण की व्यवस्था करेंगे और देखेंगे कि राजस्व की वसूली कैसे करनी है। आप संप्रेषण और पारेषण लाइन बनाने की व्यवस्था निजी हाथों में दे रहे हैं, यह कब बनेगी? जब तक ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बनेंगी, काम चलने वाला नहीं है। सार्वजनिक पैसे से बना हुआ ट्रांसमिशन उनके हाथों में न चला जाए क्योंकि हमने कोयला क्षेत्र के अंदर एन०टी०पी०सी० में देखा है कि वहां सार्वजनिक पैसे से बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि ट्रांसमिशन निजी क्षेत्र में जाता है तो निजी क्षेत्र का पैसा लगना चाहिए। निजी क्षेत्र जो ट्रांसमिशन लाइन बनाए, उसी का प्रयोग करे। यदि वे सार्वजनिक पैसे से बनी हुई ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं तो कानून में प्रावधान होना चाहिए कि अगर वे इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसके लिए अपराधी होंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में जिस किसी भी दल की सरकार आती है जैसे आज बी०जे०पी० के नेतृत्व वाली सरकार है, इसके पहले श्री गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार थी या उसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। जिस किसी क्षेत्र का बिजली मंत्री आता है, उसके क्षेत्र में ज्यादा बिजलीघर लगते हैं। अब साउथ में बिजलीघर ज्यादा लगेंगे।

श्री मुलायम सिंह (सम्भल) : और रेल मंत्री

श्री वीरेन्द्र सिंह : रेल मंत्री बिहार के हुए हैं—जैसे श्री रामविलास पासवान आपके साथ थे। *(व्यवधान)* साउथ से मेरी घृणा नहीं है लेकिन सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए। मेरा विरोध और चिंता इसलिए है।

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : इसका मतलब है दक्षिण के मंत्री को देना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि बिजली उत्पादन करने की क्षमता उत्तरी क्षेत्र में कितनी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंगरौली थर्मल पॉवर स्टेशन है, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, अनपारा थर्मल पावर है, ओबरा है, फिर रायबरेली का ऊंचाहार है, ये सब थर्मल पॉवर स्टेशन हैं। यहां जितनी बिजली पैदा होती है, उसके ट्रांसमिशन के लिए मजबूत लाइनें नहीं हैं जिससे बिजली ठीक से ट्रांसमिट हो। मैंने टैक्निकल पढ़ाई नहीं की है लेकिन अनुभव की पढ़ाई मैंने जरूर की है। मुझे जो जानकारी है वह यह है कि ट्रांसमिशन लाइंस दक्षिणी भारत में ज्यादा इसलिए बनाई गईं कि यहां जो बिजली पैदा हो, उसे ले जाने की व्यवस्था दक्षिणी भारत में हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप तुलनात्मक आंकड़े पुस्तकालय में देख लीजिए तो पाएंगे कि बिजली का उपभोग और उपलब्धता जितनी दक्षिणी भारत में है, उतनी उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत का किसान चाहे वह बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, बिजली की अनुपलब्धता के कारण उसका उत्पादन गिरता हुआ दिखता है। सिंचाई के अभाव में उसकी खेती मारी जाती है।

[अनुवाद]

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी (कुरनूल) : यह दक्षिण अथवा उत्तर का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह अंतर है और यह अंतर रेकार्ड पर है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं रेकार्ड देखकर प्रामाणिकता से कह रहा हूं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : साउथ में बुरा हाल है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह व्यवस्था के कारण है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइनें वहां ज्यादा हैं। जितनी बिजली पैदा नहीं होती, उससे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस हैं। मेरे पास इसके रेकार्ड हैं। आप भी बिजली मंत्री रहे हैं, आप भी जानते हैं।

मैं एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह कानून बनने से पहले आप इस कानून में एक लाइन मेरी तरफ से जरूर जोड़ दीजिएगा, मैं समझता हूं कि पूरे सदन की उस पर एक राय होगी कि इस देश में किसानों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा और आप भी ऐतिहासिक ऊर्जा मंत्री बन जाएंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा का बहुत महत्व है और हमारे लोकतंत्र के संस्थापकों ने इसका ध्यान रखा था। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि देश को प्रचुर ऊर्जा मिले जिससे देश का उत्थान हो सके परंतु ऐसा लगता है कि समय-समय पर आने वाली सरकारों ने इसको अपने स्थायित्व से जोड़ लिया। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 40 साल तक उनकी सरकार चलती रही, तब ऐसी परियोजनाओं की कल्पना की जाती थी जो 10-15 साल में पूरी हो सकें जैसे पन-बिजली योजनाएं। बाद में सरकारें पांच साल तक चलीं तो ऐसी परियोजनाओं की कल्पना की गई जो पांच साल में पूरी हो जाएं। ताप बिजली की परिकल्पना उसी समय में की गई और अब जब सरकार एक-डेढ़ साल चलती है तो इतने ही समय में परियोजना पूरी होने की कल्पना की जाती है और तभी नैप्था आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने की बात होती है।

अपराह्न 4.00 बजे

मेरा कहना है कि देश के विकास के लिए एडहॉकिज्म नहीं चलता है। समग्र विकास के लिए सब परिस्थितियों और सब समस्याओं को ध्यान में रखकर ही सोचा जाना चाहिए। जिस समय हम ऊर्जा की बात सोचते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि जितना हम जनरेट करेंगे उसका पारेषण, ट्रांसमीशन और वितरण हो और उसी हिसाब से इलैक्ट्रिफिकेशन हो जिससे कि ऊर्जा कहीं भी बेकार न जाए। इसको देश के बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से भी जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम पनबिजली योजना की बात सोचेंगे तो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई उसमें अपने आप आ जाएंगे। मान्य सिद्धांत के अनुसार जनरेशन, ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलैक्ट्रिफिकेशन 4 : 2 : 1 : 1 के अनुपात में होना चाहिए और इसी हिसाब से हमें अपनी योजना बनानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन की सेवा की सुविधा आपको उपलब्ध है। प्लानिंग कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पारेषण के लिए यह विधेयक लाया गया है। बिहार शरीफ से मऊ तक एक पारेषण लाइन अभी निर्माणाधीन है। मेरा सुझाव है कि इसको बिहार शरीफ से मऊ तक डायरेक्ट न करके मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार होते हुए लिया जाए, जिससे कि उत्तर बिहार को भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उत्तर बिहार की मांग 400 के०वी०ए० है और मैं समझता हूं कि अगर यह ट्रांसमीशन लाइन मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार होते हुए जाए तो वहां की तात्कालिक मांग पूरी हो सकती है। परंतु जब हम पारेषण की बात करते हैं उसमें जो हानि होती है, मेरा मतलब ट्रांसमीशन लॉस से है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं राज्य सभा के एक प्रश्न का उत्तर देख रहा था।

[अनुवाद]

"मांग तथा खराब पारेषण लाइनों के कारण हुई हानि के संबंध में प्रश्न संख्या 2382 का राज्य सभा में 7-7-1998 को दिया जाने वाला उत्तर।"

[हिन्दी]

जब मैं इसकी सूची को देख रहा था तो मुझे 'डेसू' में जो बिजली का ट्रांसमीशन लॉस होता है, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं—वर्ष 1991-92 में 24.35 प्रतिशत, 1992-93 से 23.56 प्रतिशत, 1993-94 में 31.79 प्रतिशत, 1994-95 में 34.56 प्रतिशत, 1995-96 में 48.57 प्रतिशत हो गया, जबकि और राज्यों में ट्रांसमीशन लॉस करीब-करीब यथावत है, दो-चार प्वाइंट इधर-उधर हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह लॉस नहीं है। प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया था "चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित"। पिलफरेज को हम लॉस कैसे मान लें दिल्ली में जबकि साधारण लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, बिजली की कमी को सभी लोग अनुभव करते हैं। दिल्ली के फार्म हाउसेज में देखिए कितनी अधिक बिजली चोरी होती है। जब हम पारेषण में लॉसेज की बात सोचेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं अपने राज्य की व्यथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश के 85 प्रतिशत गांवों में बिजलीकरण हो गया है। बिहार में रिकार्ड पर केवल 46 प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण हुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि सिर्फ 32 प्रतिशत गांवों में बिजली दी जा चुकी है—यानी रिकार्ड पर 46 और वास्तव में 32 प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण हुआ है। अब बिहार के गांवों में बिजलीकरण नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि गांवों का बिजलीकरण किया जा सके। कुछ दिन पहले 1979 में बिहार बिजली बोर्ड ने *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : इसके पश्चात् हम 4 बजे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : कार्यमंत्रणा समिति के अनुसार नियम 193 के अंतर्गत उठाए जाने वाले मामलों के लिए 4 बजे अपराह्न का समय निश्चित किया गया है। परंतु माननीय विद्युत मंत्री जी ने विद्युत विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि विद्युत विधेयक के निपटान के पश्चात् नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, करोड़ों की संख्या में देश की जनता बाढ़ से प्रभावित हो रही है, लोग मर रहे हैं और लोग परेशान हैं। इस बिल को बाद में पास कर लिया जाए। पहले बाढ़ पर चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार ही चलती है।

श्री मोहन सिंह : हमें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने दी जाए।

सभापति महोदय : क्या सभा इसी समय नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराना चाहती है?

श्री भुवनेश्वर कालिता : हमें इस चर्चा को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय और चाहिए *(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : कल इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी। आज इसे पूरा हो जाने दें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराना चाहते हैं अथवा इसी विधेयक पर चर्चा जारी रखना रखना चाहते हैं?

श्री भुवनेश्वर कालिता : आप कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार चलिए। कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कोई भी किसी निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता। केवल सभा ही कोई निर्णय ले सकती है। यह कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश थी कि इस पर 4 बजे अपराह्न चर्चा की जाए। मैंने अनुरोध किया है और सभा ने मान लिया। इस समय यदि सभा चर्चा करना नहीं चाहती तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाए तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। परंतु मैं यह अनुरोध करता हूं कि कम से कम कल तो इस विधेयक को पारित करने पर विचार किया जाए। क्योंकि यह विधेयक स्थायी समिति की सहमति से लाया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हमें इसे बेकार नहीं समझना चाहिए। बस मुझे यही कहना है।

श्री भुवनेश्वर कालिता : इस विधेयक पर नियम 193 के पश्चात् चर्चा की जा सकती है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या माननीय सदस्य देर तक बैठने के लिए राजी हैं? *(व्यवधान)*

इस विधेयक पर सोमवार को चर्चा हुई थी। हमने कल अपराह्न तीन बजे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की थी। इसलिए इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी। आज हम नियम 193 के अंतर्गत अपराह्न 4 बजे चर्चा करने जा रहे हैं। इस विधेयक पर चर्चा अब स्थगित की जा रही है।

कल एक बार फिर हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसका सीधा-सा अर्थ यह निकलता है कि हमें विधेयकों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री मोती लाल वोरा (राजनांदगांव) : हम चाहते हैं कि आप विधेयक पर कल चर्चा करें। आज आप हमें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने दें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, करोड़ों लोग बाढ़ से मर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति जी, पहले आप इस बिल को पास करा दीजिए *(व्यवधान)* उसके बाद आप नियम 193 ले लीजिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभा में मतभेद हो गया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को विधेयक के पारित होने में शंका करने की जरूरत नहीं है। हम आश्वासन देते हैं कि विधेयक को पारित करने में हम उनका समर्थन करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं *(व्यवधान)* श्री कुमारमंगलम, हम आपको आश्वासन देते हैं कि विधेयक को पारित करते समय हम आपका समर्थन करेंगे। परंतु हमारे कुछ सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपने नाम भेजे हैं। बस उन्हें समय देने की बात *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आज समय दिया जा सकता है तो हम विधेयक को पारित कर सकते हैं अथवा अध्यक्षपीठ यदि यह चाहते हैं कि कल समय दिया जाए तो हम विधेयक को कल भी पारित करा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह पारित हो जाएगा *(व्यवधान)* श्री कुमारमंगलम, आज और कल में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं इसके बारे में जानता हूं। आप तो मेरे अच्छे मित्र हैं। आप आशंका क्यों कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री वी० वी० राघवन (त्रिचूर) : प्राकृतिक आपदा एक ऐसा मामला है जिस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता *(व्यवधान)*

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम इसे कल पारित कर सकते हैं। हमें सबकी बात सुननी है क्योंकि मेरे विचार से प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द बहुत काम का होता है। सत्ता के लिए यह बुनियादी तत्व है। इसलिए मैं किसी भी सदस्य को न तो बोलने से रोकना चाहता हूं और न ही उनकी किसी बात को काटना चाहता हूं। बस मुझे एक ही चिंता है कि हम प्रतिदिन नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करते रहेंगे और विधेयक कभी भी पारित नहीं हो पाएगा। *(व्यवधान)* कम से कम कल तो इस विधेयक को नियम 193 की तुलना में अधिक प्राथमिकता दें। कल तो यह विधेयक पारित कर ही दिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मेरे बारे में आपका क्या विचार है? मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है।

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

अपराह्न 4.14 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़

सभापति महोदय : अब, श्री मोहन सिंह और श्री रामनगीना मिश्र जी देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के बारे में चर्चा उठाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री मोहन सिंह जी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं आज भारी मन से बाढ़ की विषम परिस्थिति के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जिससे इस देश के करोड़ों लोग परेशान और तबाह हुए हैं। जब मैं इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं तो उस वक्त हमारे इलाके के लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त होकर अपने घर और परिवार को छोड़कर पेड़ों, छतों और बांधों के ऊपर शरण लिए हुए हैं। हमको इस बात का अफसोस है कि हम हर मानसून सत्र में इस सदन में बाढ़ की विभीषिका के ऊपर चर्चा करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार को सुझाव दिए जाते हैं, एक के बाद एक सरकारें आती और जाती हैं, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए दूरगामी प्रस्ताव पास होते हैं, विशेषज्ञों की समिति नियुक्त होती है। उसकी संस्तुति आती है और उस सारी संस्तुति के ऊपर गर्द जम जाती है। उसके स्थायी समाधान के लिए जिस तरह के संकल्प की सरकारों में आवश्यकता है, उस तरह का संकल्प हमको दिखाई नहीं देता। हर साल हम इस बात से परेशान है कि आने वाले दस वर्षों में हमारे देश में पीने के पानी का सर्वथा अभाव हो जाएगा। आज प्रात:काल प्रश्न काल के दौरान, भूगर्भीय जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है, इस पर सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन के सत्र के शुरुआत में ही घोषणा की थी कि दुनिया में अब किसी तीसरी चीज को लेकर कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला है लेकिन संभवत: दुनिया के पैमाने पर अगली शताब्दी आने के बाद तीसरा विश्व युद्ध पानी के प्रश्न को लेकर होगा। हमारे देश का सौभाग्य है कि हम ऐसे जल स्रोतों से घिरे हुए हैं जो बहुत बड़ी आबादी के पेयजल के संकट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं, हमारे देश की सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम उनका नियोजन इस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं कि उन जल स्रोतों के जरिए जिस तरह की जल विद्युत का उत्पादन, जल का नियमन, सिंचन में उसका प्रयोग और पेयजल के लिए उसका इस्तेमाल हो, इन सारी चीजों में हम पिछड़ रहे हैं और हर साल वह सारा जल विभीषिका के रूप में हमारे देश के सामने आता है जिसमें करोड़ों की आबादी तबाह, बर्बाद और परेशान होती है और हम इस सदन में उसकी चर्चा करके, परेशान लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करके, मौखिक संवेदना प्रकट करके अपने कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर सभी दलों में एक आम सहमति बने और कम-से-कम जल संकट के निवारण, बाढ़ की विभीषिका के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक ऐसी शाश्वत राष्ट्रीय नीति बने जिस पर अपने सारे राष्ट्रीय संसाधनों को लगाकर हम उसे एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा कर सकें तो मैं समझता हूं कि आज की इस बहस को हम चरितार्थ और सही साबित कर सकेंगे। शासन से, माननीय मंत्री जी, सरकार और इस सदन से ऐसी मेरी अपेक्षा है।

उसके साथ हम कहना चाहते हैं कि संभवत: यह पहला वर्ष है जब हमारे इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के इलाके में समय से पहले बाढ़ आ गई, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी, सरकार की मशीनरी तैयार नहीं थी। आसाम से लेकर केरल तक संपूर्ण भारत की आबादी, हरियाणा से लेकर बिहार तक उत्तर भारत की आबादी बाढ़ की विभीषिका से आज पूरी तरह तबाह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 14 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार बाढ़ की विभीषिका से जल भराव के चलते वहां 72 लाख हैक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हुई। उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जुलाई के प्रथम हफ्ते में जो बाढ़ आई, उसमें करीब साढ़े सात सौ गांव घिर गए। उत्तर प्रदेश के अपने आंकड़ों के अनुसार लगभग साढ़े आठ लाख आबादी बाढ़ की इस विभीषिका के चलते तबाही के दौर में प्रवेश कर गई। मैं निजी अनुभव से कह सकता हूं, 17-18 तारीख को मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में था, उसके चार दिन पहले ही बांधों की मरम्मत न होने की वजह से नारायणी नदी के ऊपर जो पिपरासी बांध है, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें मिलकर पहले से मर्यादित करती हैं, उसकी ठीक से सुरक्षा न होने के कारण सरकार के अनुसार 90 मीटर लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार 500 मीटर भाग टूट गया, बह गया। उसके चलते सैकड़ों गांव बहने की स्थिति में हो गए और वहां खाने और पेयजल की बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। उसी तरह रुद्रपुर के क्षेत्र में जो तियारा मराठी बांध था, उसमें 20 तारीख को बीच हुआ और वह करीब 500 मीटर तक टूट गया जिसके चलते करीब 55 गांव बाढ़ क्षेत्र में आ गए और सारे गांवों में तबाही हुई। उसी तरह

कुशी नगर जिले में पिपरा बांध, जो बिहार से मिला हुआ है, में बीच आ गया और उसके करीब 50 मीटर टूट जाने से वहां के करीब 50 गांव तबाही के दौर में हो गए। आजमगढ़, प्रतापगढ़, पडरौना, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, ये सारे करीब नौ जिले उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बाढ़ की विभीषिका से आज की तारीख में त्रस्त हैं। लेकिन यह तो शुरुआत है, यह अंत नहीं है। जिस तरह की तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, बांधों के रखरखाव की, पानी के नियमन की, जून महीने में, मई महीने में जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह तैयारी प्रशासन की नहीं थी। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस समय बाढ़ से लोग तबाह थे, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी जिले में मौजूद नहीं थे। सब अपनी जुगत में, जुगाड़ में प्रदेश की राजधानी में मौजूद थे, कोई तबादले के लिए, कोई अच्छी पोस्टिंग के लिए और कोई किसी अन्य कारण से। उन सारे जिलों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वे जिले में मौजूद नहीं थे।

मुझे यह भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कोई एक हफ्ते से अधिक हो गया, बाढ़ के अन्दर धंसे हुए गांवों को गोरखपुर के अंदर, कुशीनगर के अंदर, कबीरनगर जिले के अंदर, सिद्धार्थनगर जिले के अंदर, देवरिया जिले के अंदर न तो लंगर चला, न लोगों के खाने-पीने का इंतजाम किया गया, न खाने-पीने की व्यवस्था करने के लिए शासन की ओर से कोई राशन मुहैया करने की व्यवस्था की गई। ऊपर से जो सरकार की वसूलयाबी है, उसे भी स्थगित करने की जो एक सामान्य बात है, बाढ़ आने के साथ ही सरकारें जितनी तरह की किसानों की वसूली होती है, उसके स्थगन की एक मामूली घोषणा होती है, उस घोषणा को भी सरकार ने नहीं किया। सरकार के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, मुख्य मंत्री स्तर के लोग थे, उन्होंने बाढ़ को केवल ऊपर से आसमान से देखा और उनकी लिप सिम्पैथी, जिसको हम मौखिक सहानुभूति कहते हैं, उन लोगों के साथ होकर अखबारबाजी तक और राजधानी में आकर विधान सभा में अपने वक्तव्यों तक उन सारी चीजों को उन्होंने सीमित रखा। क्या कार्रवाई प्रदेश की सरकार कर रही है, जो जिम्मेदारी मुख्यत: प्रदेश सरकार की है? उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में प्रदेश सरकार विफल रही है, यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं।

जब प्रदेश सरकार विफल हो जाए तो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। भारत सरकार ने क्या सहायता की? इस सदन के भीतर हम लोगों ने तीन बार पिछले हफ्ते में इस सवाल को उठाया। पिछले साल हिन्दुस्तान की सरकार ने जब आंध्र प्रदेश के अंदर भीषण तूफान आया, इसी साल जब गुजरात और राजस्थान में पिछले महीने के अंतिम पखवाड़े में भीषण तूफान आया था, तबाही हुई थी, तब भारत सरकार ने अपने दायित्व को समझते हुए यहां से अधिकारियों की टीम भेजी और जो भी तात्कालिक सहायता राहत कार्य के लिए संभव थी, भारत सरकार ने उनको मुहैया की। लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में टीम भेजकर उसका सही आकलन सही समय से करके

अपराह्न 4.23 बजे

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

जो तबाह लोग हैं, जो जन-जीवन तबाह है, उसकी तमाम जिस तरह की सुविधा और राहत कार्य के लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, भारत सरकार भी अपने उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं, आलोचना करना चाहता हूं।

मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी राज्यों को, जब ओले का सवाल आया तो इसी सदन में हम लोगों ने उस सवाल को उठाया। मिदनापुर में भयंकर तूफान आया था और मिदनापुर के साथ उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण, चक्रवात के कारण तीन-तीन बार भयंकर तबाही उत्तर प्रदेश की जनता की हुई थी। उस प्रकरण को हमने इस सदन के भीतर उठाया था। दूसरे राज्यों की सहायता के नाम पर भारत सरकार ने सुविधा भेज दी, लेकिन चक्रवात और ओलावृष्टि से पीड़ित उत्तर प्रदेश की जो लाखों-लाख जनता थी, उसकी सुविधा के लिए भारत सरकार ने कोई सहूलियत नहीं भेजी। मैं इस बात को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं और भारत सरकार की वह संवदेनशीलता जो ओलावृष्टि के समय और चक्रवात के समय थी, बाढ़ के मौके पर भी उसी तरह की संवदेनहीनता का परिचय अभी तक भारत सरकार ने दिया है, इस बात को मैं इस सदन के भीतर कहना चाहता हूं।

मैं आपकी आज्ञा से, क्योंकि भारत सरकार राहत कार्य करती है, अपनी तरफ से मदद करती है, लेकिन कब करती है? बाढ़ बिहार में पिछले साल अगस्त महीने में, सितंबर महीने में आती है और भारत सरकार सहायता कब भेजती है, जनवरी और फरवरी, 1998 में। भारत सरकार का काम करने का यदि यही तरीका रहेगा तो राज्य की सरकारें अपने संसाधनों से गरीब जनता की कोई मदद नहीं कर सकतीं।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी द्वारा राज्य सभा में दिए गए एक वक्तव्य को मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। 9 जुलाई, 1998 को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 1997 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से अलग-अलग ढंग से पीड़ित हुए। इन सभी राज्य सरकारों ने भारत सरकार से अपनी जनता की मदद के लिए कुछ चीजें और पैसे की सहायता की मांग की। मंत्री जी साफतौर पर जवाब देते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने 168 करोड़ रुपये मांगे, बिहार की सरकार ने 428 करोड़ रुपये मांगे। उसके एवज में इन्होंने बिहार सरकार को सिर्फ दस करोड़ रुपये की सहायता दी। वह भी कब दी, 14-1-1998 को दी। हम इस बात की आलोचना करते हैं। बिहार में जो पिपरासी बांध टूटा, उससे बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो गई। बिहार सरकार कहती है कि उसकी हिफाजत के लिए उसने केन्द्र से 428 करोड़ रुपये सितंबर के महीने में मांगे थे और केन्द्र सरकार ने उसके एवज में छ: महीने के बाद केवल दस करोड़ रुपये भेज दिए। इसी तरह अन्य राज्यों के बारे में भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 242 करोड़ और 323 करोड़ रुपये की दो बार सहायता मांगी। किंतु उसे कितनी राशि दी गई, उसका कोई आंकड़ा इनके उत्तर में नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अभी अपना वित्त आयोग नियुक्त किया है। माननीय वित्त मंत्री जी के अनुसार इस वित्त आयोग

[श्री मोहन सिंह]

की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, आज तक किसी वित्त आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस उतनी अच्छी नहीं रही। इसलिए कि सबसे प्रगतिशील टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस बार के वित्त आयोग की है। मुझे अफसोस है कि पानी, वर्षा और बाढ़ की समस्या जिसके चलते हमारा देश तबाह हो रहा है, आने वाली शताब्दी में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, उसका इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उद्धरण नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस वित्त आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में वृद्धि की जाए और पानी की समस्या के समाधान को भी इसमें महत्व दिया जाए।

मैं मंत्री जी को कुछ दूरगामी सुझाव इस बार की बाढ़ से हुई विभीषिका और उससे उत्पन्न हुई तबाही के निवारण के लिए देना चाहता हूं। इसी सदन में मंत्री जी ने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की जितनी नदियां हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियां, विंध्य क्षेत्र की नदियां और समुद्र क्षेत्र की नदियां, इनको थ्री टियर बनाकर तीनों के जल को भूभाग में रहने दिया जाए, समुद्र में जाने से रोका जाए। इसके बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है और सदन में आपने उत्तर दिया था जिसके लिए करोड़ों नहीं अरबों-खरबों रुपये की आवश्यकता भारत सरकार को है। भारत सरकार यह पैसा कहां से लाए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन हम उस कार्यक्रम को, उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए बिना इस काम को नहीं कर सकते और बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाल सकते। भारत की जितनी नदियां हैं, इनके बहाव को सीधा किया जाए, क्योंकि वे टेढ़ी-मेढ़ी चलकर लाखों हैक्टेयर जमीन को काटकर उसको बर्बाद करती हैं। उनका कैचमेंट एरिया बढ़ता जा रहा है और हमारी फसल बर्बाद होती है। कैचमेंट एरिया के बढ़ने से जितनी हमारे देश की कृषि योग्य और रिहाइश योग्य भूमि है, वह बर्बाद हो रही है। इसलिए नदियों को सीधा किया जाए। सीधा करने के साथ-साथ उनको गहरा भी किया जाए। उसी के साथ-साथ एक बड़ी पुरानी योजना जलकुंडी की है। नदियों के जल को रोककर, तालाब बनाकर बाढ़ से बचा जा सकता है। उसके बाद उस पानी का सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया जाए। जितनी नदियां हिमालय से उत्तर प्रदेश में गिरती हैं, वे भूमि पर उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार ने बार बार भारत सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि नेपाल की ओर से आने वाली जो नदियां हैं, उन पर करनाली, पंचेश्वर और बालूबांध बनाकर हम पनबिजली पैदा करके विद्युत की समस्या का समाधान कर सकते हैं और बाढ़ की समस्या का निवारण कर सकते हैं तथा सिंचन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को चला सकते हैं। इस बारे में भारत सरकार ने नेपाल सरकार से अनेक बार बात की है और तीन बार 1995, 1996 और 1997—भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई और इन नदियों को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रयास हुए। लेकिन भारत सरकार उन पर अमल नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि करनाली, पंचेश्वर और बालूबांध की योजना को भारत सरकार पूरा करे।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ में एक प्रमुख समस्या, जो असम राज्य से संबंधित है, की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी वहां के लोगों के लिए अमृत भी है और अभिशाप भी है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस नदी के द्वारा हमारे देश के ऊपर संकट आने वाला है। हमारा पड़ोसी देश आणविक प्रयोग के कारण उस नदी की जलधारा को बदलकर चीन के रेगिस्तानी इलाके में ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह खबर मैंने अखबारों में पढ़ी है। इस बारे में टीवी पर एक स्पेशल आइटम के द्वारा दिखलाया भी गया है। इसमें कहां तक सच्चाई है या कहां तक यह बात गलत है—इस बारे में भारत सरकार सावधान रहे। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं, उनको नियमित करने की योजना भारत सरकार बनाए *(व्यवधान)* इसी के साथ टेहरी परियोजना के पूर्ण होने की आशा पिछले तीस सालों से इस क्षेत्र के लोग लगाए हुए हैं। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या है, बाढ़ की समस्या है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद समस्या हल होगी, यह आशा वहां के लोग 1974 से लगाए हुए हैं। हर साल इसी सदन में यही सवाल खड़ा होता है और भारत सरकार कहती है कि हम इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे, लेकिन कुछ बातों को लेकर इसमें परेशानियां पैदा होती रहती हैं और समस्या वहीं-की-वहीं बनी हुई है। सच्चाई यह है कि नेपाल से और हिमालय से आने वाली नदियों पर छोटे-छोटे झरने और छोटे-छोटे जल स्रोत बनाकर, जल का दोहन करके हम पनबिजली का निर्माण कर सकते हैं और वहां के क्षेत्रों को हरा-भरा कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए पहल करे। बांध निर्माण करने से बाढ़ की समस्या हल नहीं हो सकती है। नदियों के पेट को गहरा करके बाढ़ की समस्या का एक हल हो सकता है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गायदास एक गांव है, जो पिछले बीस वर्षों से मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं, जब मैं विधान सभा का सदस्य था, तब मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी था। जब मैं 1977 में पहली बार विधान सभा का सदस्य बना, तब से लेकर आज तक जबकि मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं, इस एक गांव की हिफाजत के लिए 20 लाख रुपए झगड़ा करके बार-बार प्रदेश सरकार से दिलवाता रहा। लेकिन अभी जब मैं उस गांव में गया, तो वह पूरा-का-पूरा गांव नदी की धारा में विलीन हो गया है। उस गांव का अस्तित्व आज की तारीख में समाप्त हो गया है। उस एक गांव की हिफाजत हम 20 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाए हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि आज जो बांध बनाने की योजनाएं हैं या बोल्डर गिराकर गांवों के हिफाजत करने की योजना है, ये सारी योजनाएं नाकाफी हैं, अवैज्ञानिक हैं, बेमतलब हैं और पैसे की बरबादी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी योजनाएं बनायी जानी चाहिए और यही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। क्षणिक समाधान से इस गंभीर और स्थायी समस्या का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बहस की शुरुआत करते हुए, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति महोदय, आपने बाढ़ पर सदन में बहस करने की इजाजत दी, इससे कम-से-कम

लाखों-करोड़ों बाढ़ के पानी में डूबे हुए किसानों की आह को सदन में कहने का अवसर मिला है। अभी मोहन सिंह जी ने जो बातें कही हैं मैं उन बातों की नहीं दोहराऊंगा। यह सही है कि आए दिन हर साल बाढ़ पर बहस होती है लेकिन इससे समस्या का कुछ भी समाधान नहीं होता है। आज हालत बड़ी नाजुक है। यह कहने में हमें भी संकोच नहीं है कि 13 तारीख को बाढ़ की विभीषिका आई और 14 तारीख को हम लोग सदन में दो-तीन दिन तक शोरगुल करते रहे। हमने यह भी सुना कि मंत्री जी बयान देंगे लेकिन आज तक उनका बयान नहीं आ सका।

महोदय, मेरे पास अखबारों की कुछ कटिंग्स हैं। नेपाल ने गंडक नदी में काफी पानी छोड़ दिया, जिससे काफी तेज बाढ़ आ गई है। कुशीनगर में पिपरासी बांध टूट गया है इस कारण वहां बहुत लोग पानी में डूबे हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग पानी में डूबे हुए हैं। सारी अखबारों की कटिंग्स मेरे पास हैं। यह सही है कि सारे देश में बाढ़ आई है और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सबसे भयंकर स्थिति गोरखपुर मंडल की है। आप वहां अगर हवाई जहाज से सर्वे करें तो मालूम होगा कि गोरखपुर एक समुद्र-सा बना हुआ है, वहां बहुत सारा जल जमा हुआ है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। सत्ता पक्ष का होते हुए भी मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर बांध की मरम्मत का काम पहले हुआ होता तो यह हालत न होती। जहां तक हमारे यहां पिपरासी बांध टूटने का सवाल है, गतवर्ष भी वह बांध टूट रहा था, मैंने मंत्री जी को ले जाकर दिखाया। दुर्भाग्य है कि वह 51 किलोमीटर बंधा है, जिसमें दस किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश का है और 40 किलोमीटर बिहार का है। जो बांध टूटा है वह बिहार के हिस्से में आता है। गतवर्ष भी हम लोग गए थे, बिहार सरकार के लोग भी आए थे लेकिन उसकी रिपेयर नहीं हुई। 13 तारीख के पहले आगाह किया गया था कि बांध में दरार पड़ गई है। हम मौके पर खुद गए थे। बिहार की एक अच्छी महिला ऑफिसर ने योगदान दिया लेकिन नीचे के अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बांध टूटा हुआ है, पानी की धार बह रही है लेकिन वहां बिहार के केवल 23 मजदूर थे। जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गतवर्ष की मजदूरी नहीं दी गई इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। मैडम से कहा गया, वहां जो इंजीनियर्स थे वे मजदूरों को पर्चे दे रहे थे कि जनवरी में मजदूरी ले लेना। मानव की गलती की वजह से आज लाखों लोग पानी में डूबे हुए सफर कर रहे हैं। यह असाधारण भयंकर बाढ़ है। इसके पहले भी बहुत बाढ़ आई थी, अन्य जगह जो बाढ़ आई है वहां भी कुछ बांध टूटे हैं, कहीं पानी के जमाव से बाढ़ आई है किंतु कुशीनगर में पिपरासी बांध टूटने की वजह से यहां बाढ़ आई है। मैं पहले के आंकड़े दे रहा हूं, इस समय क्या हालत है यह कहना मुश्किल है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 18-7-98 को चार बजे पानी का डिस्जार्च एक लाख 86 हजार क्यूसेक था, जो दिनांक 19-7-98 को आठ बजे बढ़कर दो लाख 12 हजार क्यूसेक हो गया और दिनांक 19-7-98 को चार बजे दो लाख 30 हजार 500 हो गया, यानी 17,300 क्यूसेक पानी की वृद्धि हो गई। इससे जलस्तर छः इंच बढ़ गया, 76 हजार गांव पानी में डूब गए और 40 हजार लोग पानी में निवास कर रहे हैं।

अभी तीन-चार दिन पहले की सरकारी रिपोर्ट के बारे में मैं यह कह रहा हूं, अपनी रिपोर्ट की बात नहीं कह रहा हूं। हालांकि सरकारी रिपोर्ट बड़ी नपी-तुली होती है। वहां की हालत बड़ी दयनीय है, हजारों लोग पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर भी पानी है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं भी वहां गया था, लोगों ने मुझे घेर लिया कि बांध तो मानव बचा नहीं सकता है, प्रकृति का यह प्रकोप है लेकिन हमारी जान तो बचा दो। वहां पर चीवड़ा और चना के लिए लगता है कि लोग जान दे देंगे। सारी फसल, गल्ला और लोग वहां डूबे हुए हैं। बांसी में मैंने खुद देखा कि वहां गांव डूबे हुए हैं और सांप लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ एस०पी० भी थे। लोगों को वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है और लोग खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं। सारे स्कूलों को खाली करा लिया गया है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, खाना बनाने के लिए साधन नहीं है। वहां की कल्पना करते ही रूह सिहर उठती है।

वहां सेना बुलाई गई है। सेना के जवानों की मैं प्रशंसा करता हूं। सेना के जवान वहां न होते तो न जाने कितने लोगों की जानें वहां गई होतीं। वहां बिहार सरकार ने भी सेना भेजी है, हमारे यहां से भी सेना गई है। पी०ए०सी० के जवान लोगों को लाकर बांध पर रख देते हैं लेकिन वहां पर खाने का सामान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं को रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसका कारण क्या है यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां जब बाढ़ आती है तो कुछ लोगों के घरों में खुशी होती है कि उनके घरों में लाखों रुपया आ जाएगा, इसलिए उनको बाढ़ आने पर कोई हर्ज नहीं होता। अगर हिसाब जोड़ा जाए तो इस पर अरबों-खरबों रुपया खर्च हुआ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री और अधिकारी भी थे। हमने वहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पूछा कि अगर पहले इस पर काम किया होता तो कितना खर्च आ जाता। उन्होंने कहा कि पांच लाख में काम चल जाता। अब 26 लाख में बहुत छोटा-सा रिंग बनाया जा रहा है और वह भी बन नहीं पाया है। यह केवल विभागीय लापरवाही का नमूना है। हमारी बिहार सरकार भी गजब की है। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहां तक उत्तर प्रदेश है और उसके बाद बिहार है। कुल 51 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर बिहार के जिम्मे है। संयोग से वह बिहार और यू०पी० का बार्डर है। प्रकृति की बनावट ऐसी है कि जो नारायणी नदी है उसके काफी फुट नीचे बांसी नदी है और ठीक वहीं पर यह बांध कटा है और सीधे धार दक्षिण को गई है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि दोनों सरकारों का यह संयुक्त मामला है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं इसलिए या तो इस बांध को भारत सरकार अपने विभाग के अंतर्गत ले ले या जो गंगा फ्लड बोर्ड बना हुआ है इसको उसके अंदर दे। अगर इन दोनों में यह नहीं आता है तो वहां के लोग कभी जी नहीं सकेंगे, हमेशा बाढ़ से तबाह होते रहेंगे। इसलिए सरकार को इस पर विशेष गौर करना होगा। अगर यह नहीं हो सकता तो बांध को उत्तर प्रदेश को सारे फंड सहित ट्रांसफर कर दें जिससे वह बांध तो मजबूत बन जाए।

[श्री राम नगीना मिश्र]

यह एक साल का मसला नहीं है यह हर साल का मसला है। इस मसले को या तो केंद्रीय जल आयोग संभाल ले या गंगा फ्लड बोर्ड संभाल ले, तो इस बांध की हिफाजत हो सकती है। आए दिन जो नारायणी नदी की धार दक्षिण की ओर मुड़ रही है और मुड़ ही गई है, मैं तो कहता हूं कि जब मानव बांध को बचा नहीं सकता है तो जो लाखों लोग पानी में डूबे हुए हैं उनकी जान तो बचाई जाए। वे मरने न पाएं। अफसोस की बात यह है कि मैं खुद काश्तकार हूं। मैंने गोरखपुर, बनारस हर जगह टेलीफोन किया तो मुझे लोगों ने कहा कि हमें नाव चाहिए, खाना चाहिए लेकिन उन्हें ये सब नहीं मिल रहा है। औरतें और मासूम बच्चे पानी में से कैसे बाहर आएं? वे बिलख रहे हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा जो लोग पानी में फंसे हैं, उनको पानी से बाहर निकालकर ऊंची जगह में लाया जाए, आपका बहुत बड़ा भला होगा। हमें अभी सूचना मिली है कि नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया है। उससे और घर प्रभावित हुए हैं। कम-से-कम भारत सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए। ऐसे समय में इतना पानी छोड़ देना कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा। जिनका गल्ला पानी में डूब गया, उनके पास कोई साधन नहीं, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। वे कम-से-कम जीवन निर्वाह करने के लिए खिचड़ी बनाकर खा लें, इसके लिए मिट्टी का तेल और स्टोव मुहैया कराएं। इससे उन लोगों की जीवन रक्षा हो जाएगी।

मान्यवर, सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि एक तरफ भगवान कुपित होकर लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे मित्र कहेंगे कि मैं केवल गन्ने के लिए चिल्लाता हूं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कठकुइयां, पडरौना के 18 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह वह इलाका है जहां बाढ़ आई है। हमें वहां के लोगों ने घेर लिया और कहने लगे कि हमें गन्ने का दाम दिलवा देते तो हम जीवित रह पाते। हम किसके दरबार में फरियाद करें? किसानों ने कौन-सा गुनाह किया है? भगवान बाढ़ से लोगों को पानी में डुबो रहा है। वहां के लोगों की खून-पसीने की 1800 करोड़ रुपए की राशि एक जगह बाकी है। आप कल्पना कीजिए उनकी क्या दशा होगी? इसका कौन प्रबंध करेगा? उनका कौन माई-बाप है? हम किसके दरबार में रोना रोएं? क्या इससे भी बड़ी कोई अदालत होगी? मैं इस तरफ सारे सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

मान्यवर, दूसरे लोग तो हवाई जहाज से इसकी दशा देख रहे हैं लेकिन हमने वहां खुद जाकर देखा है। हम गांव-गांव गए हैं। अगर हम विपत्ति के समय उनके साथ नहीं होते तो लोग हमें पानी में फेंक देते। लोग सोचते हैं कि बाबा क्या करे? वह तो हाथ-पैर जोड़ रहा है। सही बात यह है कि मिल मालिक वाले मजदूरी नहीं दे रहे हैं और न किसानों को अपनी उपज के उचित दाम मिल रहे हैं। मैं भारत सरकार और केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कानून तो होगा। हमने 18 करोड़ रुपए का वहां सामान दिया लेकिन हम दो साल से भूखे मर रहे हैं। हम बाढ़ में डूबे हैं, हमारा रुपया बाकी है, एक किलो चना मिलता है, इससे क्या होगा? हमने 500 रुपए प्रति परिवार देने की बात कही। हमने उसे बंटवाना शुरू किया। शासन की तरफ से प्रयास तो हुआ लेकिन वही बात कि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या होगा। इस मामले की जांच होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती, चाहे बिहार के हों, या उत्तर प्रदेश के हों, जिनकी गलती से लाखों-लाख लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को भी यातना मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में वे गलतियां न कर सकें।

वहां सबसे कठिन समस्या नाव और रहने की है। जो इलाका पानी में डूबा हुआ है, वहां कोई ऊंची जगह नहीं है। केवल एक छोटी जगह है लेकिन रहने की कोई जगह नहीं है। बारिश में लोग भीग रहे हैं। कम-से-कम जो बाढ़ में डूबे लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर लाया जाए और बरसात से बचाने के लिए टैंट लगवा दिए जाएं जो कि अभी तक नहीं लगे हैं। यह बात सही है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक करोड़ रुपया दिया गया है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। उन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं किसान को केवल 150 रुपया देने से क्या काम होगा? अभी श्री मोहन सिंह जी ने भी यही कहा और मैं भी मधुर शब्दों में कह रहा हूं। जब कहीं बाढ़ आती है और विपत्ति पड़ती है तो सरकार सहायता करती है लेकिन पूर्वांचल में बाढ़ से डूबे लोग कराह रहे हैं। मैं एक हफ्ते से इस सदन में गुहार कर रहा हूं। जब मंत्रीगण बाढ़ का दृश्य देखने जाते हैं तो अधिकारियों में सक्रियता बढ़ जाती है। क्या मंत्री जी किसानों पर दया करके तुरंत भारत सरकार से सहायता दिलवाएंगे? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्या इसके लिए कोई प्रबंध करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, हमारे बिहार के भाई नाराज न हों

सभापति महोदय : आपको समाप्त करना है, आपने 17 मिनट ले लिए हैं, अभी बहुत से लोगों ने पार्टीसिपेट करना है।

श्री राम नगीना मिश्र : वहां बहुत सारे लोग डूबकर मर रहे हैं, क्या हम यह भी नहीं बता सकते हैं। हमें दो मिनट का समय और दीजिए। हम वहां के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा विपत्ति हमारे ऊपर है

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह आपके जिले के हैं, उन्होंने बीस मिनट लिए हैं, आपने भी 17 मिनट ले लिए हैं। मैंने आपको इशारा किया था, अब आपको समाप्त करना है। अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं। इसके लिए हमने दो घंटे का समय रखा है।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके आदेश का पालन करते हुए टू द प्वाइंट तीन-चार बातें फिर दोहराना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पानी में डूबे हुए लाखों लोगों को बचाने के लिए अविलंब नावों की व्यवस्था की जाए, यह व्यवस्था चाहे राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे। पानी में डूबे हुए लोगों को खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल और स्टोव दिए जाएं। लोगों का सारा गल्ला डूब गया है, उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए। जो लोग पानी में डूबे हैं, उनको वहां से निकालने की व्यवस्था की जाए तथा स्कूल और कॉलेज खाली कराकर वहां टैंटों की व्यवस्था की जाए। वहां बीमारी फैल गई है, पशुओं को रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए जगह की व्यवस्था की जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार के बगल के लोग हमारे यहां से हैंडपंप पाइप्स चुराकर ले जाते हैं।

पीने के लिए पानी नहीं है। यह सही है कि पुलिस से भी कहा क्या कि हमें बचा लो। लोग मजबूर होकर नदी का पानी पी रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस विपत्ति में

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज) : सभापति महोदय, इन्होंने बिहार की बात की है

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपको पार्टीसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। वे अभी खत्म करने वाले हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इन्होंने बिहार के लोगों के बारे में कहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, यह हमारे बार्डर के माननीय सदस्य हैं कि हमारे यहां के लोग रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपराधी इस बाढ़ के समय में भी हमारे यहां आकर चोरी करके भाग जाते हैं

सभापति महोदय : आपने यहां भी बार्डर का डिस्प्यूट बना दिया।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदय, रिंग बांध के अन्दर हमारे गांव पड़ते हैं, जहां से बिहार के लोग हैंडपंप और पाइप्स उठाकर ले गए हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है और दूसरे 50 करोड़ रुपये गन्ने का दाम बकाया है, जिसमें से 20 करोड़ रुपया कठकुइयां, पडरौना तथा 16 करोड़ रुपया कप्तानगंज व 22 करोड़ रुपया सरदार नगर का है। मान्यवर, कम-से-कम आप इतना तो कीजिए कि वहां के किसानों को गन्ने का दाम दिलवा देते तो वे जिंदा हो जाते। मैं पुन: मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तुरंत भारत सरकार से वहां रिलीफ दिलवाइए और नावों की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, हमारे देश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा शुरू करने के लिए मैं माननीय सदस्यों श्री राम नगीना मिश्र और श्री मोहन का आभारी हूं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, बाढ़ की स्थिति विशेषकर असम में और सामान्यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा किए बिना बाढ़ की स्थिति पर कोई भी चर्चा पूरी नहीं होगी।

महोदय, जैसा कि आपको जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत बड़े जल संसाधन हैं लेकिन इन जल संसाधनों का उचित उपयोग न किए जाने के कारण महानदी ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असम के लागों की किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा अधिक जिम्मेवारी बन जाती है।

महोदय, जब हम स्कूल जाते थे तो हम अपनी पाठ्य-पुस्तकों में यह पढ़ते थे कि 'ह्वांग-हो नदी' को 'चीन का शोक' के नाम से जानते थे। लेकिन आज वही 'ह्वांग-हो नदी' चीन की खुशहाली का मुख्य साधन बन गई है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी असम के लोगों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की दुर्दशा का मुख्य कारण बनी हुई है।

महोदय, बाढ़ की समस्या पर आने से पहले मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान हाल की विनाशकारी बाढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे लगभग आधा असम राज्य प्रभावित हुआ है, इसके परिणामस्वरूप 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मैं समझता हूं कि 50 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है और इस बाढ़ से 100 से भी अधिक लोगों की जानें गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप भू-स्खलन भी हुआ है।

महोदय, मैं कुछ उन जिलों के नाम बताना चाहता हूं जहां यह स्थिति बहुत गंभीर है। धीमाजी, मालवारी, लखीमपुर, मोरीगांव, जोरहाट, सोनितपुर, दरांग, धुबरी, गोलपाडा और कछार जिलों में यह स्थिति इतनी खराब है कि नागरिक प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे बिना किसी पर्याप्त राहत के अपने दिन गुजार रहे हैं।

महोदय, इन लोगों की मुख्य समस्या, आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा सुविधाओं और पेयजल की कमी है। हाल की बाढ़ ने सड़कों और पुलों को बहा दिया है और अनेक लोगों की जान ले ली है, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो गए हैं जिससे सड़क संपर्क टूट गया है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के लोगों के जीवन का मुख्य आधार है इसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत ऊंचे हो गए हैं क्योंकि अधिकांश आवश्यक वस्तुएं देश के इन्हीं हिस्सों से लाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर रेल लाइनें भी पानी में डूबी हुई हैं। असम में कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयंकर है।

महोदय, एक अनुमान के अनुसार 1956 से 1996 तक असम को बाढ़ के कारण लगभग 4500 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के कारण लाखों एकड़ भूमि का भू-क्षरण हो जाता है। इन दोनों नदियों की 52 सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में तबाही पैदा कर रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

भूमि कटाव असम के लोगों द्वारा सामना की जा रही एक मुख्य समस्या है। भारत सरकार को इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अन्य समस्याओं के अलावा, बाढ़ और भूमि कटाव दो मुख्य समस्याएं हैं जो असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हैं।

मैं सरकार का ध्यान कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच० डी० देवगौड़ा ने 27 अक्तूबर 1996 को गुवाहाटी में "पूर्वोत्तर राज्य के लिए नई पहल" की घोषणा की थी और पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतर की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 करोड़ रुपए सहित दसवीं पंचवर्षीय योजना तक बाढ़ प्रबंधन उपायों के लिए 1194 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी।

अपराह्न 5.01 बजे

[श्री वी० सत्यमूर्ति पीठासीन हुए]

वर्ष 1996 के दौरान भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय कृत्यक बल 'ख' का गठन किया था जिसने इस क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के विभिन्न आयामों की समीक्षा की थी और दीर्घ अवधि तथा लंबी अवधि दोनों के उपायों सहित उचित नीति अपनाने की सिफारिश की थी। कृत्यक बल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर में बाढ़ नियंत्रण के लिए लंबी अवधि के उपायों को लागू करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 680 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इसने असम में मजूली द्वीप समूह को बचाने सहित अल्पकालिक उपाय शुरू करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 करोड़ रुपये की भी सिफारिश की थी।

ये केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस आयोग और कृत्यक बल द्वारा की गई सिफारिशों को केवल कागजों तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को आयोग और केंद्र सरकार द्वारा गठित कृत्यक बल द्वारा की गई इन सिफारिशों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

अब, मैं केंद्रीय ऋण सहायता योजना के बारे में कहना चाहूंगा। केंद्रीय ऋण सहायता योजना के लिए असम के लोगों की काफी लंबे समय से मांग है। इस समय, केंद्रीय ऋण सहायता योजना शत-प्रतिशत ऋण योजना है और यहां इसकी मांग की जाती रही है कि इस योजना को असम के मामले में शत-प्रतिशत अनुदान योजना में परिवर्तित किया जाना चाहिए। वर्तमान समय राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई धनराशि ऋण के रूप में है जो कि ब्याज सहित वापस किया जाएगा। केंद्रीय सरकार पहले के ऋण, इस पर लगे ब्याज और शेष धनराशि की कटौती करने के पश्चात् ही राज्य को धनराशि जारी करती है। यदि आप आंकड़े देखें तो वर्ष 1992-93 में इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी और मूलधन तथा ब्याज की कटौती करने के पश्चात् राज्य सरकार को जारी की गई वास्तविक धनराशि 8.96 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार से 1993-94 में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि में से राज्य सरकार को वास्तविक रूप से 4.10 करोड़ रुपए ही मिले थे। मैं नहीं समझता कि इस तरह केंद्र सरकार असम के पीड़ित लोगों को कोई सहायता दे सकती है। उपलब्ध कराई गई इतनी कम धनराशि से राज्य सरकार कोई उचित कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। प्रतिवर्ष असम में बाढ़ आती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां संकीर्ण घाटियों से बहती हैं तथा हिमालय पर बर्फ के पिघलने से इनमें हमेशा अधिक जल रहता है। केंद्र सरकार को इस समस्या का हल करने हेतु दीर्घावधि नीति बनानी चाहिए अन्यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग बाढ़ के कारण हमेशा बुरी तरह प्रभावित होते रहेंगे। बाढ़ के कारण उन्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ेगा।

भारत सरकार द्वारा "2245 राहत तथा प्राकृतिक आपदाओं" शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर धनराशि का आवंटन बाढ़ के कारण निरंतर होने वाली क्षति और परिणाम के मुकाबले अत्यंत कम है। व्यापक राहत और पुनर्वास कार्यों को पूरा करने के पश्चात् क्षतिग्रस्त सड़कों, बांधों इत्यादि के मरम्मत कार्य हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं रहती है।

मैं केंद्र सरकार को कतिपय सुझाव देना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि बाढ़ और कटाव की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या माना जाए जिसकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं हैं। यह हमारी आशा और इच्छा है कि भारत सरकार बाढ़ के कारण होने वाली तबाही को कम करने हेतु गंभीरता से कार्यवाही करेगी। उक्त पृष्ठभूमि तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों श्री एच० डी० देवगौड़ा और श्री आई० के० गुजराल की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के स्वरूप भारत सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान ऋण सहायता को शत-प्रतिशत केंद्रीय अनुदान में परिवर्तित करने की नीति में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए।

विभिन्न बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय ऋण सहायता के बकाया ऋण भार के संबंध में हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 31-3-1995 की स्थिति तक 237 करोड़ रुपए की बकाया ऋण धनराशि के पुनर्भुगतान को माफ किया जाए। मैं केंद्र सरकार से बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

विशेषज्ञ समिति द्वारा केंद्र सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है। मैं सरकार का ध्यान बाढ़ नियंत्रण संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त शुक्ला समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा द्वारा स्वीकार की गई 500 करोड़ की अतिरिक्त बजटीय सहायता नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य को दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कई अन्य सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैंने सिर्फ पांच मिनट लिए हैं। अन्य सदस्यों द्वारा 30 से 35 मिनट तक लिए गए हैं।

सभापति महोदय : आपने 10 मिनट से अधिक समय लिया है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं कुछ मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

पगलडिया बांध परियोजना, तिपईमुख बांध परियोजना, सुबनसिरी बांध परियोजना, देहंग बांध परियोजना इत्यादि विभिन्न परियोजनाएं केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। यदि ये परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं तब हमारे देश में विद्युत का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा। विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुदानों के अनुसार पूर्वोत्तर में जल विद्युत शक्ति की 50000 मेगावाट क्षमता है। ये सभी परियोजनाएं फाइलों में ही दबी प्रतीत होती हैं। भारत सरकार को इन फाइलों पर कार्यवाही करके इन्हें क्रियान्वित करना है।

असम में प्रतिवर्ष बाढ़ आने का एक कारण यह है कि 1950 में आए भूकंप के पश्चात् जल स्तर शहर जिस स्तर पर बसा है उससे ऊपर हो गया है। इसके साथ ऊंचे स्थानों पर वनों की कटाई के कारण ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों में गाद का जमाव हो रहा है। नदी तल ऊपर आ रहा है और प्रतिवर्ष बहने वाला जल समान रहता है, बाढ़ की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार को ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में बाढ़ की समस्या पर ध्यान देना चाहिए तथा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस विनाशकारी बाढ़ से बचाने हेतु कतिपय ठोस कदम उठाने चाहिए।

अंतत: हम माननीय सभापति महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे असम राज्य, इसके पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों में विनाशकारी बाढ़ रोकने तथा भारी गाद के जमाव के कारण नदी स्तर में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए समेकित जलधारा प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक रणनीति तैयार करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को सलाह दें। जल प्रबंधन तथा जल ग्रहण की समस्या हेतु वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी जिससे पर्वतीय और बहाव वाली नदियों में स्थिरता आएगी और असम में आने वाली बाढ़ में कमी आएगी।

जब हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति देखते हैं तो इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक होना चाहिए। बाढ़ के कारण रेल लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में डूब जाते हैं। इस तरफ से सारी वस्तुएं कठिनाई से जाती हैं। एक संकीर्ण सड़क के माध्यम से उस क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुएं जाती हैं। कई माननीय सदस्यगण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर के कई व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि जब हम घर जाते हैं तो हमें किसी अन्य देश के ऊपर से उड़ान भरनी होती है। भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों के नाम पता नहीं हैं। जब मैं यहां आया तो कई लोगों ने पूछा कि क्या डिब्रूगढ़ नागालैंड की राजधानी है? यह सत्ता में रहने वाले लोगों का रवैया है। मैं समझता हूं कि ऐसा जानकारी के अभाव के कारण है। इससे असम के बारे में गलत संकेत मिलेगा। इन सभी बातों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियों को सहायता मिल रही है। हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस दल हमेशा से ही अलगाववाद से मुकाबला करता रहा है। असम को राष्ट्रीय मुख्यधारा में रखने हेतु 600 से भी अधिक व्यक्ति आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होकर प्राण खो बैठे। केंद्र सरकार को निष्ठापूर्वक इन सभी समस्याओं पर विचार करना चाहिए तथा इनका समाधान करना चाहिए ताकि देश के उस भाग के लोगों में भी इसी देश का नागरिक होने की भावना जग सके।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : सभापति जी, मैं श्री राम नगीना मिश्र के साथ अपने को जोड़ते हुए सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल अपने क्षेत्र के विषय में ही चर्चा करूंगा। मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव करीब आठ नदियों के संगम में बसा हुआ है। जो मुख्य रूप से राप्ति, चुर्रा, आमी, रोहिम, तरैना और फरेद नाले से प्रभावित रहता है। आज जो भयंकर बाढ़ की स्थिति है, उसके कारण राप्ती और घाघरा को छोड़कर बाकी सभी नदियों के किनारे लगे तटबंध टूट गए हैं। उनके टूट जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र के चार विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से जल प्लावित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से राहत कार्य में जुटी हुई है लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राहत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से चार मांगें हैं। प्रथम मांग है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान देकर राहत कार्यों की युद्ध स्तर पर व्यवस्था कराए, दूसरी मांग है कि यदि संभव हो सके तो जैसा पेपरों में आया है और हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे जिलाधिकारी ने टेलीफोन पर मुझे बताया कि नेपाल सरकार ने बैराज को खोल दिया है जिससे बाढ़ की विभीषिका और बढ़ती जा रही है। नदियों का बहाव निरंतर जारी है, ऐसी हालत में यदि नदियों का बहाव जारी रहा तो राप्ती के किनारे जो तटबंध लगे हुए हैं, वे भी टूट जाएंगे और उनके टूट जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र के कम-से-कम 200 गांवों में घरों के ऊपर तक पानी बहने लगेगा जिससे धन-जन की बहुत बड़ी क्षति होगी।

इसलिए भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस बैराज को बंद कराने की व्यवस्था करे। जब तक नदियों का जल स्तर न घटे तब तक उस बैराज को बंद करके वहां जल रोकने की व्यवस्था कराए।

तीसरी मांग है बाढ़ हमेशा अगस्त के अंत में अथवा सितंबर के पहले हफ्ते में आती थी, तब तक तमाम मोटी फसलें तैयार हो जाती थीं। आज जब खेत में बीज पड़ा, उसी समय बाढ़ आ गई जिससे धान, बाजरा, मकई, सारी फसलें समाप्त हो गईं, पशुओं के चारे के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र का निरीक्षण करें और विशेष सहायता और बल के साथ, राप्ती नदी के किनारे जो तटबंध लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा कराएं, वह टूटने न पाए क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र का संपर्क गोरखपुर से पूर्णतया कट चुका है और जो मुख्य सड़क गोरखपुर से इलाहाबाद की तरफ, आजमगढ़ की तरफ जाती है, उसमें पांच फुट पानी बह रहा है और वह आवागमन के लिए बंद हो चुकी है। उसी तरह से देवरिया, आजमगढ़, बस्ती सभी जिलों से संपर्क समाप्त है, कोई संपर्क सूत्र नहीं रह गया क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई रेलवे लाइन नहीं है, केवल सड़क मार्ग से आवागमन की सुविधा थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं इसका निरीक्षण करे और निरीक्षण करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ कराएं, विद्यार्थियों के लिए कापी-किताबों की व्यवस्था कराएं, जो लाखों मकान ध्वस्त हो चुके हैं, बाढ़ के हटने के बाद उन्हें भी विशेष अनुदान देकर बनवाने का काम करें ताकि वहां के लोगों में आशा का नया संचार हो और इस विभीषिका से उन्हें कुछ राहत मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ के बारे में श्री मोहन सिंह ने जो चर्चा शुरू की थी, लगता है कि जिस तरह से हमारा देश कई तरह के सीजन से गुजरता है, उसी तरह हम संसद में हर साल कभी बाढ़ के बारे में और कभी सूखे के बारे

[श्री सुव्रत मुखर्जी]

में चर्चा करते हैं। *यह हमारा रूटीन काम हो गया है। इससे देश को* क्या फायदा हो सकता है, मुझे नहीं पता। आप इसे नैचुरल कैलेमिटी भले ही कहें लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि नैचुरल कैलेमिटी अचानक आती है। जैसे यदि बंगाल की खाड़ी में तूफान आ जाए तो उससे जो क्षति होगी, उसे हम नैचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं। अभी दार्जिलिंग जिले में काफी पानी आने की वजह से मिट्टी टूटकर लोगों पर गिरी, घरों में गिरी, रास्तों में गिरी जिससे घर टूटे, रास्ते टूटे और जान-माल की हानि हुई। इसे हम नैचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं लेकिन बाढ़ को, सूखे को नैचुरल कैलेमिटी कहकर हम देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह नहीं चल सकता। यदि किसी मलेरिया की बीमारी के रोगी के शरीर में दर्द है, बुखार है, वह डॉक्टर के पास गया और उसे पैरासीटामोल या क्रोसीन दी गई तो उससे उसका बुखार जरूर उतर जाएगा लेकिन मलेरिया रोग का ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ जो हमारे देश का मलेरिया है, उसे हटाने के लिए कुनैन की जरूरत है, जिससे सही मायने में मलेरिया हट सकता है, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा।

आज सुबह पानी पर चर्चा हो रही थी। श्री सैफुद्दीन सोज साहब अभी नहीं हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया था। हमारे माननीय मंत्री सोमपाल जी ने इसको किसी तरह टालकर, घसीटकर जैसे मालूम होता है पानी का सवाल सिर्फ पीने के पानी का, ड्रिंकिंग वाटर के साथ संबंध रखने वाला है। मुझे लगता है कि ड्रिंकिंग वाटर तीन से चार परसेंट ड्रिंकिंग वाटर है, जितना पानी है, उस पानी का तीन से चार प्रतिशत पानी हम पीने के लिए खर्च करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का जो सामान है, तरीका है, उस तरीके को हम अपना नहीं पाते हैं, उसको हम पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, वगैरह-वगैरह, इन सब बातों से हम उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सही तौर पर ड्रिंकिंग वाटर की कोई कमी हमारे देश में नहीं है, लेकिन पानी की कमी जरूर हो रही है। यह पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हम ड्रिंकिंग वाटर में तीन-चार परसेंट पानी खर्च करते हैं, 85 प्रतिशत पानी हम इरीगेशन में खर्च करते हैं, हमारे उद्योगों में पानी खर्च होता है, इन सबको एक साथ मिलाकर अगर पानी के मामले में सोचा जाए, उस अवस्था में पानी जरूर घट रहा है, कैसे हम उसके बचाव के बारे में सोचेंगे? इसमें सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को खींचकर लाकर हम सही माने में पानी की समस्या को टालने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह हम कहना चाहते हैं, इसको अलग से देखने से नहीं चलेगा, पानी समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पावर की समस्या, सबको एक साथ मिलाकर हमको एक नेशनल प्रोग्राम बनाना है, जिसके जरिए हम इससे आइंदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं।

अभी इसको नैचुरल कैलेमिटी कहकर हमने एक फंड बनाया है, उस फंड के जरिए मैचिंग ग्रांट, जिसमें राज्य सरकार भी कुछ पैसा देती है, केंद्र सरकार भी कुछ पैसा देती है, अभी-अभी मोहन सिंह जी मंत्री जी का जवाब पढ़ रहे थे, उसी की मिसाल देते हुए मैं कहता हूं, क्या यही मैचिंग ग्रांट है? 2.5 परसेंट जो उन्होंने बताया, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट में 2.5 परसेंट हमें सैंटर से असिस्टेंस मिले, यह कोई मैचिंग ग्रांट है, यह कोई सहायता है? क्यों हम इस सहायता के बारे में बातचीत करें? क्या हम बाढ़ से, क्या हम सूखे से मुकाबला नहीं कर सकते हैं? हम अगर हमारी जो बांध की परियोजनाएं हैं, उनको अगर सफल करें, उनको *अगर कामयाब बनाएं और हम नदी के प्रदूषण को अगर दूर करने का बंदोबस्त करें;* नदी के बहाव को अगर हम बनाए रखने का बंदोबस्त करें तो हमारा वेस्टेज ऑफ पानी रोक सकते हैं और हमारी पानी की जो कमी है, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं, बाढ़ का मुकाबला कर सकते हैं, सूखे का मुकाबला हम कर सकते हैं। हम उधर क्यों नहीं जाते? हम करोड़ों रुपया वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं, हम करोड़ों रुपया आई०एम०एफ० से उधार लेते हैं और किन कामों में इसको खर्च करते हैं? इन परियोजनाओं पर खर्च नहीं किया गया तो ये परियोजनाएं अधूरी रह जाएंगी। मैं सभी को फ्री सर्विस होने की बात नहीं बोल रहा हूं। पानी का, सूखे का मुकाबला करना, इरीगेशन का बंदोबस्त करना, बाढ़ से मुकाबला करना, सब कुछ आप फ्री कर दीजिए, हम यह बात नहीं कह रहा हूं। वर्ल्ड बैंक से रुपया ले रहे हैं, आई०एम०एफ० से रुपया ले रहे हैं, इसके जरिए हमारा जिन बांधों पर अभी काम चल रहा है, उन बांधों का काम जल्दी-से-जल्दी, जितनी जल्दी हम खत्म कर सकें, उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। हम नदी की गहराई को सही तौर पर सही जगह पर लाने का बंदोबस्त करके बाढ़ और सूखे का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें हमारा जो खर्च होगा, उस खर्च को इरीगेशन से, मार्जिनल फार्मर्स को छोड़कर बाकी जितने फार्मर्स हैं, उन पर सरचार्ज लगाकर हम उस खर्चे को उठा सकते हैं, उसमें 10 साल लग सकते हैं, पांच साल लग सकते हैं, लेकिन हमारा रुपया वसूल हो सकता है। अपनी नजर को हमें उठाना पड़ेगा, कुछ आदमियों को ही फायदा हो, इस दृष्टिकोण से अगर हम काम करें तो कभी भी इन समस्याओं का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। आम आदमी की समस्या को ध्यान में रखकर काम करना चाहेंगे तो जरूर इन समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान वहां पर वर्तमान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी दौरा किया था। अभी हमारे साथी असम के बारे में बोल रहे थे। असम के बारे में हम रोज सुनते हैं। हमारे भी कई रिश्तेदार वहां रहते हैं इसलिए हम वहां की हालत जानते हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी आता है, जलपाईगुड़ी, माल्दा, कूच बिहार, दक्षिण नागपुर और मुर्शिदाबाद जिले भी बाढ़ से पीड़ित हैं। वहां गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है, लेकिन मेरे इलाके को उसमें नहीं शामिल किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रतुआ थाना के अंतर्गत बिलाईमाड़ी, महानंदा टोला आदि ग्राम पंचायतों में एक के बाद एक गांव पानी के नीचे जा रहे हैं। एक तरफ तो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ नदी का कटाव हो रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक कई गांव पानी के अंदर जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए अलग से कोई बंदोबस्त गंगा एक्शन प्लान के तहत करना चाहिए, अगर वह नहीं हो सकता तो कोई अलग उपाय इरीगेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए। मैं इस विषय पर भी सरकार की दृष्टि खींचना चाहता हूं।

आखिरी में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अभी तक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। आपने इसमें

मैचिंग ग्रांट का सवाल रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार को 200 या 400 करोड़ रुपये की जरूरत है, तो कोई भी राज्य सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकती, इसलिए वह मैचिंग ग्रांट के रूप में आपसे मदद मांगती है। अगर उसके बदले में केंद्र सरकार उसे 20-50 करोड़ रुपये ही दे, तो उससे स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता। मेरा कहना है कि अगर मैंचिंग ग्रांट की आधी राशि तुरंत वक्त पर जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो इन आपदाओं का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा। केन्द्र और राज्य के बीच बातचीत में तय होता है कि कितनी राशि की जरूरत है, तो उसे देने के लिए केंद्र सरकार मजबूर होती है, लेकिन वह देती नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मैचिंग ग्रांट को सही वक्त पर और पूरा दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम सूखे और बाढ़ का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी नई सरकार जरूर इस पर गौर करेगी और बाढ़ तथा सूखे से देश की रक्षा कैसे की जाए, इस पर सोचेगी।

श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वांचल में हुई बाढ़ से क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र खलीलाबाद, संतकबीर नगर, कुछ ऐसे स्थान पर बसा हुआ है, जहां एक तरफ राप्ती नदी है, बीच में आमी, कठनइया तथा दक्षिण में घाघरा नदी है। लगातार वर्षा से इस क्षेत्र में तीन दिन में ही 967 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, जबकि वहां का रिकार्ड है कि पूरे बरसात में 900 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि आमी नदी, बुद्धा नदी और दसिया ताल सब एक हो गए। उधर नेपाल से भी कहीं पानी छोड़ा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा क्षेत्र रामनगर से लेकर खसरहा तक, मेदावर से खलीलाबाद तक पानी में भर गया। दसिया से चांदचौरा, डिड़ई से वेलहर, पडिया से बाघनगर, नौगो से भगवानपुरा, फेउसी से रसूलाबाद तक का क्षेत्र बारिश के पानी से भर गया। इसी बीच वेलौली से घूरापाती तक राप्ती नदी के किनारे 15 किलोमीटर तक बांध है, उसमें स्थान-स्थान पर दरार पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि वहां के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। प्रशासन ने व्यवस्था की और लोगों को वहां से निकालकर पास के स्कूलों और कॉलेजों में ठहराया। उस क्षेत्र के जानवरों को वहां से निकालकर सड़क पर लाया गया। अभी बोआई हुई ही थी कि बाढ़ के कारण पूरी-की-पूरी फसल साफ हो गई। वहां के लोग बारिश के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि 2500 लोगों की जानें चली गईं और सैकड़ों मवेशी मर गए। इस स्थिति से निपटे भी नहीं थे कि बांसगांव और गोरखपुर में राप्ती नदी में उफान आया और वहां के लोगों ने बांध को काटना शुरू किया। बांध को काटने से पानी फैल गया और वहां के गांवों में बुरी तरह से पानी भर गया। अभी जब मैं वहां गया था, तो एक गांव में 40-40 घरों में बुरी तरह से पानी भरा हुआ था। मेरे सामने दलहौली गांव में बांध में दरार के कारण पानी आ रहा था। जब मैंने बाढ़ खंड के लोगों से वहां के लोगों को बचाने के लिए कहा, तो कहने लगे कि हमारी जिम्मेदारी केवल बांध की है, रिंग बांध की नहीं है। लोगों ने कहा कि आप हमें सहयोग दीजिए, तो हम लोगों को बचा लेंगे। मेरे साथ एस०डी०एम० थे, मैंने बालू बोरी भेजने का प्रयास किया। मेरे सामने ही सामने एक घर पुरी तरह से पानी में विलीन हो गया। मेरे गांव की यह स्थिति है। लोग अपने को बचाने के लिए मेदावल से बस्ती, दलहर से रुधौली मार्ग, मेदावल से खलीलाबाद मार्ग प्रयास कर रहे थे। ये स्थान नदी के पानी के बहाव के कारण कट गए थे और आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने निरीक्षण किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों से बाढ़ की विभीषिका से निपटने की स्थिति में नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उस क्षेत्र की बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कम-से-कम डेढ़ अरब रुपए की सहायता करे।

महोदय, माननीय सदस्य राम नगीना मिश्र जी ने बताया कि इस क्षेत्र की चार-चार, पांच-पांच चीनी मिलों द्वारा इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का भुगतान नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति यह है कि उनके पास जो गेहूं है, वह सड़ रहा है और भूसा भी सड़ रहा है। एक तरफ आदेश है कि वसूली की जाए, लेकिन मिलें चाहें खलीलाबाद, बस्ती, भुंडखा या गौर की हों, किसानों द्वारा वसूली नहीं हो पा रही है। यदि इस समय किसानों को वसूली हो जाए, तो उनको कुछ राहत मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में व्यवस्था करे। यह व्यवस्था चाहे राज्य सरकार द्वारा की जाए या केंद्रीय सरकार द्वारा की जाए, लेकिन व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वहां का जनजीवन विनाश की इस विभीषिका से लड़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत देश में बाढ़ की चर्चा पर माननीय मोहन सिंह जी एवं राम नगीना मिश्र जी द्वारा उठाई गई चर्चा में बोलने का अवसर दिया। *(व्यवधान)*

महोदय, बाढ़ के बारे में हमारे पूर्वांचल के कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की है लेकिन आज जैसे माननीय सदस्यों के विचार आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि सही तरीके से जो सहायता करनी चाहिए, उनमें सरकार अक्षम है और उसमें बाढ़ पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आज पूरे पूर्वांचल में, बाढ़ में घिरे हुए सैकड़ों गांव, जो बाढ़ की चपेट में हैं वहां राहत के नाम पर कोई ऐसा कारगर कदम सरकार नहीं उठा पाई है। अभी मोहन सिंह जी जब अपने विचार रख रहे थे तो उस समय मैंने देखा, हमारे मंत्री महोदय का भी उत्तर आया है लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं है। जब बाढ़ आती है तो माननीय मंत्रीगण हैलीकाप्टर से या हवाई जहाज से सर्वेक्षण करते हैं, जब कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों के बीच में उनको जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। उनकी क्या समस्याएं हैं उन पर मंत्री जी को ध्यान से विचार करना चाहिए। अब तक सूचना मिली है, रोज टैलीविजन, समाचारपत्रों में और रेडियो में सुनने को मिलता है कि सैकड़ों लोग बाढ़ की चपेट में आकर मर चुके हैं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र चैल, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, जिसे दोआबा भी कहते हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र दोआबा इसलिए कहलाता है, क्योंकि एक तरफ यमुना नदी है और दूसरी तरफ गंगा नदी है तथा मेरा जो बीच का हिस्सा है, इलाहाबाद से लेकर फतेहपुर तक बसा हुआ है। जबकि आज भी बाढ़ की चपेट में पूरा पूर्वांचल जकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में किनारे पर बसे हुए सैकड़ों गांव आज भी बाढ़ की चपेट में हैं। इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर के सैकड़ों गांव, जो नदियों के बीच में हैं, हम लोग बराबर वहां के जिलाधिकारियों को समय-समय पर आगाह करते रहे हैं, सचेत करते रहे हैं लेकिन अभी तक वहां पहले से कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाहाबाद, फतेहपुर और कौशांबी, ये तीनों जनपद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं।

अपराह्न 5.30 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो किसानों की हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसलें चौपट हुई हैं, खासकर हमारे यहां मुख्यत: गंगा और यमुना के किनारे-किनारे खेती होती है, जो बाढ़ प्रभावी क्षेत्र है वहां लगान माफ करे, फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाए और आसान किश्तों पर ऋण मिले। वहां जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी फीस माफ हो और उनको उचित सहायता मिले। वहीं पर हमारे कुछ थोक और फुटकर बालू का व्यवसाय करने वाले लोग हैं वे भी इससे प्रभावित होते हैं, कुछ गांवों में छोटी-छोटी नदियां भी हैं, वहां जो नाले हैं उनसे होकर पानी जब गांव में आता है तो पूरे गांव के लोगों का आवागमन रुक जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पोंटून का पुल बनाकर वहां आवागमन के लिए कोई उचित व्यवस्था करे। मेरी एक मांग और है कि इन तमाम नदियों के किनारे पर कुछ गांव बसे हुए हैं, वहां घाट बने हुए हैं और वे बड़े महत्वपूर्ण घाट हैं, जहां लोगों के नहाने का, आने-जाने का तथा खेती आदि करने का एक रास्ता होता है, वहां बाढ़ चौकियां स्थापित हों और साथ ही साथ सरकारी नाव की भी व्यवस्था हो ताकि वे बाढ़ चौकियां कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटने पर उचित कदम उठा सकें।

पशुओं के लिए बाढ़ में चारे की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आवश्यक वस्तुएं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मेरी मांग है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं सरकार मुहैया कराए। हमारे पूरे प्रदेश में बिजली इंजीनियरों की हड़ताल चल रही है, वहां पर बिजली नहीं है, अस्पतालों में पैयजल की समस्या है। बरसात के दिनों में कुओं का पानी प्रदूषित हो जाता है, उनमें दवा डाली जानी चाहिए।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमारी सेना के जवान जो मदद कर रहे हैं, मैं सदन के माध्यम से उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा तथा साथ ही कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं भी सहायता कर रही हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरी इन बातों का ध्यान रखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

दैवी आपदा के नाम पर हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे गांव में आग लग जाए या नाव डूब जाए तो हम लोग प्रधान मंत्री जी से या मुख्य मंत्री से जब निवेदन करते हैं तो वहां से लिखित उत्तर आ जाता है कि यह मामला दैवी आपदा में नहीं आता है। मैंने इस सदन के माध्यम से निवेदन किया था कि प्रधान मंत्री राहत कोष से उन मृतक परिवारों को सहायता मिले। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हर राज्य के हर जिले में एक फ्लड डिवीजन स्थापित हो। जब बाढ़ आई तो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। नेपाल के पानी के बारे में भी हामरी सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए। कुछ नदियों पर कपाट की व्यवस्था है और हमारा निचला इलाका उन नदियों के कपाट खुलने के कारण पानी से भर जाता है और बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मोहन सिंह जी ने बाढ़ की स्थिति पर जो चर्चा शुरू की है उसमें शामिल होकर मैं कहना चाहता हूं कि हर वर्ष बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होती है और सुझाव भी आते हैं और सरकार की ओर से विश्वास भी दिलाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्थिति यही है जैसे "पंचायत का कहना सही मगर रास्ता वही का वही"। देश के लोगों को बाढ़ से स्थाई रूप से बचाया जा सके, ऐसा कोई उपाय नहीं सोचा गया है। हर वर्ष एक लाख के करीब तो बाढ़ से पशु मर जाते हैं, 1500 लोग मर जाते हैं और देश की चार मिलियन हैक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो जाती है। लोगों के घर ढह जाते हैं और इस प्रकार धन, जन और बल की बहुत हानि होती है। इसके लिए एक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाकर 700 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया। वह रुपया कैसे दिया जाता है यह भी जानने की जरूरत है। इसके लिए जो उपाय सोचे गए हैं वे केवल बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ही सोचे गए हैं, देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए कभी नहीं सोचा गया है और अगर इस तरफ सोचा गया है तो उस पर अमल नहीं किया गया है। इस देश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देश को बाढ़ से नहीं बचाया गया तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जहां तक कंपनसेशन की बात है तो वह रास्ते में ही बंट जाता है। आजादी के 50 वर्षों के बाद भी यह देश बाढ़ मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि सरकारों की राजनीतिक इच्छा-शक्ति इस ओर नहीं हुई। इस सरकार से हमारी आशा है कि वह इस दिशा में काम करेगी। इस सरकार के नेशनल एजेंडे में भी राष्ट्रीय जल नीति बनाने की घोषणा की गई है। प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि हमारे देश की बारिश का 75 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है, उसको संभालने की जरूरत है।

मेरा पहला सुझाव है और कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस पर चर्चा की है और अपने सुझाव दिए हैं। जिस इलाके में एक हजार मिलीमीटर वर्षा होती है, वहां की भूमि को पांच मीटर गहरा खोदा जाए। वहां तालाब, झीलें बनाई जाएंगी तो 750 टी०एम०सी० पानी संभाला जा सकता है। इससे कई एरियाज हमेशा के लिए फ्लड से बच सकते हैं। नदियों की गहराई बढ़ानी चाहिए। बहुत-सी नदियां टेढ़ी-मेढ़ी होती

है। उन्हें कैनाल की शेप दी जाए। इससे वे कम एरिया लेंगी, गहरी होने से प्रदूषण मे बचाव हो सकता है, उनकी क्षमता बढ़ सकती है और उनका बहाव तेज हो सकता है। नदियों में बांध बनाए जाते हैं लेकिन वे कच्चे होते हैं। बारिश के समय बांध में काम शुरू होता है। वे बांध कागजों में दिखाए जाते हैं। बाद में कह दिया जाता है कि बाढ़ से बांध बह गए। नदियों को गहरा किया जाए। इससे करप्शन भी रुकेगा। छोटी-छोटी नदियां मिलने से बड़ी नदियां बनती हैं। अगर बड़ी नदियों को डाइवर्ट किया जाए तो अच्छा होगा। छोटी नदियों में लगातार पानी चलने की व्यवस्था की जाए। इससे काफी बचाव होगा। पहाड़ी क्षेत्र का बारिश का पानी प्लेन एरियाज को नुकसान पहुंचाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे डैम बना दिए जाएं तो पानी रुक सकता है। इससे वह पानी सिंचाई के काम भी आ सकता है। मैंने पहले भी इस तरफ कृषि मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। मेरे क्षेत्र में इस बार बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी वहां बाढ़ आ गई। बारिश हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई थी। वह पानी हमारे यहां आ गया। इससे 300-400 गांवों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारे यहां हर वर्ष बाढ़ से नुकसान होता है। वहां पहाड़ों का पानी आ जाता है। हरियाणा वालों ने पहाड़ी पानी को मुस्तफाबाद और सरस्वती झील में रोका हुआ है। वहां जब पानी आता है तो वे इसके गेट खोल देते हैं। वह इकट्ठा पानी पंजाब को नुकसान पहुंचाता है। पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों में इससे बहुत नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में डैम बनाए जाएं। हरियाणा सरकार ने 365 करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट टांगरी, मारकंडा, बग्घर का भेजा है। डेराबाजी के नजदीक बैराज बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाए। जिन प्रदेशों में बाढ़ आती है, वहां के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलायी जाए। उनसे इस बारे में सुझाव लिए जाएं। प्रदेशों को लंबे समय तक बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार पैसे मुहैया करे। इससे देश बच सकता है। मेरे क्षेत्र में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए पैसे का इंतजाम केंद्र सरकार करे। यह राष्ट्रीय हित की बात है। पाकिस्तान ने रावी नदी पर बांध बना दिया है। रावी के पानी का रास्ता बदल रहा है। इससे पंजाब तबाह हो जाएगा। राजस्थान की तरफ भी उसने बांध बना दिया। सूरतगढ़ जो राजस्थान का इलाका है, वहां झील बन गई है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अंतर्गत श्री मोहन सिंह और माननीय श्री राम नगीना मिश्र ने चर्चा प्रारंभ की है। मैं बाढ़ के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंदर अनेक प्रांतों में बाढ़ हर वर्ष आती है। हम लोग हर वर्ष उस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद उसके क्या परिणाम निकलते हैं, इस पर अगले साल फिर चर्चा में बोलते हैं। इस प्रकार हर साल यह चर्चा चलती रहती है। जब से प्रकृति का निर्णाण हुआ है, बाढ़ आती-जाती रहती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की चपेट में मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग, बिहार और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। गत वर्ष 1997 में जिस प्रकार से बाढ़ आई, उसमें 222 लाख एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गई। केंद्र सरकार से इस बात की लगातार मांग की जाती रही कि बाढ़ आपदा के लिए सहायता दी जाए। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपया मांगा गया था। मंत्री जी का कहना है कि आपदा कोष में केवल 45 करोड़ रुपया इस वर्ष रखा गया है, इसलिए आपको 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। माननीय कृषि मंत्री किसानों के दुख-दर्द से पूरी तरह वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि इस वर्ष कितना नुकसान हुआ है। हर वर्ष हमारी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। हम हवाई जहाज से जाकर बाढ़ की विभीषिका देख लेते हैं। माननीय मंत्री जी खुद एक किसान हैं और वे खुद जानते हैं कि किसान की इस स्थिति में क्या हालत होती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में आई बाढ़ के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त नुकसान हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिला की त्योथर तहसील पूरी तरह बाढ़ में बह गई। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से बांध का पानी छोड़ दिया गया। नेपाल से पानी छूटता है जो उत्तर प्रदेश से होकर आता है। मेरा कहना है कि सरकार हमेशा के लिए तो इस मसले को हल नहीं कर सकती लेकिन यह मालूम है कि वर्षा 15 जून से प्रारंभ हो जाती है और बाढ़ जुलाई महीने में आने लगती है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि 15 जून को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि बाढ़ से बचने के लिए पूरी तैयारियां की जाएं। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से असम में 100 लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तबाही हुई है जहां 170 लोग मारे जा चुके हैं। लोगों के घर डूब में आ गए हैं, उनका अनाज डूब गया है, जानवर बिना चारे के रह गए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग यहां पर इन सारे प्रांतों में आई बाढ़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन ये लोग किस प्रकार टैंटों में रह रहे हैं, वे सड़कों पर आ गए हैं, यह एक दुखदायी स्थिति होती है। प्रधान मंत्री आपदा कोष से केवल 10 करोड़ दिया गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस धनराशि से कितनी सहायता की जा सकती है, बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए हमारा केंद्रीय अध्ययन दल देरी से पहुंचता है और भी बरसात के बाद जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है और बहुत से लोगों को बोलना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मानवीय प्रधान मंत्री एक साथ बैठकर हर प्रदेश के मुख्य मंत्री से चर्चा करके यह फैसला करें कि बाढ़ विभीषिका का सामना करने के लिए खुले हाथों से धनराशि सहायता के रूप में दी जाए। खुले हाथ से आप दीजिए। पांच-दस करोड़ रुपया देने से काम नहीं चलेगा। मेरा केवल यही सुझाव है कि जितने प्रदेशों में बाढ़ आई है, वहां तत्काल सर्वेक्षण दल भेजें और स्थिति का जायजा लेकर उन राज्यों की पूरी तरह से मदद करेंगे तभी वहां के किसानों को लाभ मिलेगा।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी और राम नगीना मिश्र जी ने जिस लोक महत्व के सवाल को छेड़ा है, उससे अपने को संबद्ध करते हुए एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि यह बाढ़ दैवी प्रकोप है, मैं इसे दैवी प्रकोप की बाढ़ नहीं मानता। चक्रवात एक दैवी प्रकोप है जो देश के अनेक हिस्सों में आया और जहां चक्रवात आया वहां भारत सरकार के कृषि मंत्री से लेकर केंद्र की टीम भी गई, वहां की दर्दनाक स्थिति को देखा और राहत भी दी। यह चक्रवात एक दैवी प्रकोप था। मैं मानता हूं कि यह अधिकारियों की और नेपाल सरकार की भेजी हुई बाढ़ है—वह इसलिए कि अगर समय से बांध ठीक हुए होते, नदियों को गहरा करने की योजना बनी होती तो यह बाढ़ न आती।

मैं जब विधान सभा में था, हमारे राजनीतिक गुरु उग्रसेन जी थे जो इस सदन के सदस्य थे, उस समय पंचमेश्वरी बांध, बालू बांध, जलकुंडी बांध और नेपाल सरकार से भारत सरकार की वार्ता की चर्चा चली थी। भारत सरकार की वार्ता होने के बाद अगर नेपाल पानी न छोड़े तो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का हिस्सा जिसमें घाघरा, नारायणी, छोटी गंडक, राप्ती, इन तमाम नदियों में जो पानी जाता है, उससे लोगों को राहत मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से जो केंद्र में सरकार थी, उसने वार्ता नहीं की। उसका नतीजा यह हुआ कि हम जिस सरकार में हैं, उस सरकार के प्रधान मंत्री से इसी सदन में, आज से कई दिन पहले हमने चिल्लाकर कहा कि हमें बचाओ, हम डूबने जा रहे हैं और उसके दूसरे ही दिन नेपाल ने पानी छोड़ दिया। बिहार सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिपरासी बांध टूट गया और जब वह टूटा तो उससे 50 गांव डूब गए। उसके बाद कुशीनगर रिंग बांध टूटा और नेपाल ने पानी छोड़ा तो पूर्वांचल के नौ जिले पानी के अन्दर समा गए। हम लोग इस सदन में बैठे हैं, आप यकीन मानिए कि वहां छतों पर लोग, पेड़ों पर लोग, बांधों पर लोग और ऊपर से बारिश हो रही है। जब तेज धारा बह रही है तो उसमें कितने लोग बह गए, कितने जानवर बह गए, इसका आंकड़ा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज से सर्वेक्षण कर लिया लेकिन जो डूबे हुए लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए? उसके लिए सेना के जवान गए हैं। सेना के जवान सिद्धार्थनगर में, सेना के जवान बस्ती में और कुशीनगर तथा पिपरासी में पड़े हैं। उन लोगों को कहां ले जाकर बैठाएं। आज हमें टेलीफोन से खबर मिली कि नेपाल ने जो पानी छोड़ा था, उसके कारण सलेमपुर का इलाका पूरे का पूरा पानी में डूब गया। अभी मिश्रा जी ने कहा कि गन्ने का बकाया दाम किसानों को दिला दें—वह तो भारत सरकार को दिलाना था, मगर वह बात अलग है। हमको इस समय सदन में विचार करना चाहिए कि जो लोग पानी में फंसे हैं, उनको कैसे निकाला जाए।

अपराह्न 6.00 बजे

उनको कैसे ले आएं। इस बीच में वसूली का मामला है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम-से-कम जब लोग डूब रहे हैं तो वसूली स्थगित होनी चाहिए। उनके बचाव का रास्ता होना चाहिए। नाव के लिए दुहाई हो रही है कि नाव आए, इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद तक नाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन नाव कहीं नहीं मिल रही है। नाव इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो जो नावें काम में लगी थीं, उनको मजदूरी ही नहीं दी गई। ये इंजीनियर्स सोचते हैं कि जब बाढ़ आ जाएगी तो हमारा घर बन जाएगा। इस सदन के माननीय सदस्य श्री वोरा जी अभी बैठे थे, वे जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो एक गांव को उन्होंने 65 लाख रुपये दिए थे। घाघरा नदी के एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नहीं है। गांव के गांव नदी में बह गए हैं। इस समय वहां कटाव है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि नेपाल सरकार के कारण जो यह बाढ़ आई है, भारत सरकार उनसे तत्काल आज ही वार्ता करके बाढ़ को रोकने की व्यवस्था करे और जिन लोगों ने पानी छोड़ा है, उन पर कार्यवाही की जाए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि बिहार सरकार के अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी, जिनकी लापरवाही के कारण यह बाढ़ आई है, उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और वहां वसूली रोकी जाए। छात्रों की फीस रोकी जाए *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : पिपरासी का बांध टूट गया, आप बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का नाम लेते हैं। बाढ़ का जिम्मा भारत सरकार ले, ऐसी मांग क्यों नहीं करते हैं? *(व्यवधान)*

श्री हरिकेवल प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं, उनके मकानों को बनवाने का जिम्मा भारत सरकार ले और वहां भोजनालय की व्यवस्था की जाए *(व्यवधान)* आप क्यों परेशान हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपके यहां तो चारा खाने का दायित्व है *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप केंद्र सरकार को कहिए। *(व्यवधान)*

श्री हरिकेवल प्रसाद : मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वहां भोजनालय की विशेष व्यवस्था की जाए, बचाव की व्यवस्था की जाए, छात्रों की फीस माफ की जाए और विशेष तौर पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी या माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में यहां से एक दल जाए जो अपने तरीके से जांच करे और क्षति का आकलन लगाए। क्योंकि वहां पानी लंबे अरसे तक रहेगा, वहां से पानी जल्दी नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अंत में मांग करता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए यहां से एक टीम जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। सभा की कार्यवाही इस चर्चा के समाप्त होने तक एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाएगी। आज हम इस विषय पर चर्चा पूरी करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा चल रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैं यह कहना चाहूंगा कि कल के लिए राज्य सभा में मेरे नाम से दस प्रश्नों की सूची है और यदि मैं यहां देर रात तक बैठूंगा तो मेरे पास इसके लिए समय नहीं बचेगा। मेरी परेशानी यही है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा केवल एक घंटे विलंब तक 7.00 बजे सायं तक चलेगी।

(व्यवधान)

श्री सोमपाल : क्या आप चाहते हैं कि मैं इन दस प्रश्नों को छोड़ दूं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : कल के लिए एडजर्न कर दें, आज हमें जाना है। *(व्यवधान)*

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है, इस पर पूरी चर्चा कराइए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : मैं बैठने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : सर, लगता है कि मंत्री जी इस मामले में गंभीर नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : कृपया ऐसा आरोप मत लगाइए। यह सही नहीं है। गंभीरता आपकी संपत्ति नहीं है। यह उचित नहीं है। गंभीरता पर आपका एकाधिकार नहीं है। *(व्यवधान)* आप यह नहीं कह सकते कि मैं गंभीर नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी : मंत्री जी आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : आप यह नहीं कह सकते कि मैं गंभीर नहीं हूं। आप ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। यह बोलने का तरीका नहीं है। मेरा यह कहना है कि सभी महत्वपूर्ण भाषण जिसे आपने और मैंने भी सुना है जिस पर यहां ज्यादातर सदस्य भाषण दे रहे हैं राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। यदि उनके भाषण संक्षिप्त हों और इनमें से कुछ सुझाव दिए जाएं तो इस मामले को हम थोड़े ही समय में निपटा सकेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, इसके लिए दो घंटे की अवधि पहले ही पूरी हो गई है। यदि आप इसके लिए एक घंटे की और अवधि नियत कर देंगे तो इस पर चर्चा पूरी हो जाएगी। अतएव मैं आपसे सभा की कार्यवाही को एक घंटे तक बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जा सकता है। *(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, आप देर तक बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमें एक आवश्यक बैठक में जाना है। कृपया सभा की कार्यवाही को अभी स्थगित कीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक केवल एक घंटे के लिए बढ़ायी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के कई राज्यों में बाढ़ की छाया है और सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए सदन की कार्यवाही को केवल एक घंटे तक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चर्चा 9.00 बजे से पहले समाप्त नहीं हो पाएगी।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार : अब मैं आपसे सभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। इस चर्चा को कल भी जारी रखा जा सकता है ताकि प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिल सके। इस समय भा०ज०पा० के सभी सदस्यों को एक बैठक में जाना है *(व्यवधान)*

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, यदि आप सभा की कार्यवाही की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसकी सूचना अग्रिम रूप से मिल जानी चाहिए ताकि हम अपने कार्यक्रमों को तदनुसार समायोजित कर सकें। परन्तु यदि आप एकाएक सभा की कार्यवाही की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सभा की कार्यवाही चलाने में आपका सहयोग करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने आपसे कार्यवाही को एक घंटे के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि हमें इस पर चर्चा आज ही पूरी करनी है। अन्यथा विद्युत विधेयक पर चर्चा आज शुरू नहीं हो पाएगी। यह पिछले तीन दिनों से लंबित है।

[हिन्दी]

हमें विद्युत विधि (संशोधन), 1998 को यहां से पारित करके राज्य सभा में भी भेजना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री वी० धनंजय कुमार : हमें एक अत्यावश्यक बैठक में भाग लेना है। कृपया सभा अब स्थगित करें। आप चर्चा कल भी करा सकते हैं। इस बैठक में भा०ज०पा० के लगभग सभी सदस्यों द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल हमें बहुत सारे कार्य निपटाने हैं, श्री धनंजय कुमार जी कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है। हम इसे एक घंटे में निपटा सकते हैं। श्री धनंजय कुमार कृपया इसके लिए एक घंटे का समय निकालिए।

अब श्री एस० पी० यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ से प्रति वर्ष जितनी बरबादी होती है उसकी 40 प्रतिशत बरबादी अकेले बिहार में होती है जिसके कारण बड़ी भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। हमारे माननीय हरि केवल बाबू बता रहे थे कि जो पिपरासी बांध टूटा वह बिहार के अधिकारियों की लापरवाही से टूटा। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। बिहार के अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। बिहार के अधिकारियों के वश की बात होती, तो अधिकारी मिट्टी लेकर बांध बचा सकते थे, लेकिन जब बड़ा जबरदस्त पानी आए, तो अधिकारियों और राज्य सरकार के वश के बाहर की बात हो जाती है। बाढ़ को आने से रोकने का सही इलाज नहीं हो रहा है। यहां केवल मात्र चर्चा हो रही है कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, बिहार सरकार की लापरवाही है, जो ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जहां मेरे घर से कोसी नदी केवल दो किलोमीटर दूर है और जिस कोसी नदी का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। जब कोसी में विकराल बाढ़ आती है, तो बांध की बात कौन कहे, बांध से पांच-पांच फीट ऊपर पानी बहने लगता है। 1987 की बाढ़ की जब याद आती है, तो आज भी लोग भय से कांप उठते हैं। यह जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उसका कारण क्या है, उसके पीछे कोई नहीं जाता है। इसलिए हमें बाढ़ आने के कारणों के पीछे जाना है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से जो बरबादी होती है, उसमें लोग ही नहीं मरते, पशु भी मरते हैं। बाढ़ की धारा में बच्चे बह जाते हैं। जब बाढ़ गांव में घुसती है तो लोग घरों में सोये हुए होते हैं, अचेत अवस्था में होते हैं। बाद में यह सुनने में आता है कि सारा गांव बह गया, बच्चे बह गए, लोग मर गए, तो पशुओं को कौन पूछता है, कौन देखता है। फसल की बर्बादी के बारे में तो कहना ही मुश्किल है। बाढ़ के कारण फसल की बहुत भारी बर्बादी होती है। इसी तरह सड़क जो कि यातायात का साधन है, वह तहस-नहस हो जाती है। बाढ़ के कारण सड़कों की स्थिति, स्कूल भवनों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। स्कूल भवनों में बालू छाई रहती है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले। यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। राज्य सरकार को जो राशि मिलती है, वह बहुत कम है। उस पैसे से राज्य सरकार बाढ़ से मुकाबला नहीं कर सकती है, बाढ़ की विभीषिका से लोगों को नहीं बचा सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए बाढ़ नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार अपने हाथ में ले।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। यदि इस नदी से उस नदी और उस नदी से इस नदी में हो जाएगा तो जिस नदी में कम पानी है उसमें ज्यादा नदी का पानी आ जाएगा। *(व्यवधान)* तीसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर केंद्र सरकार बाढ़ की समस्या का निदान कराना चाहती है तो नेपाल की नदियों का जो उद्गम स्थल है जैसे कांसी का उद्गम स्थल बराह क्षेत्र है। *(व्यवधान)* कमला का उद्गम स्थल सीसा पानी है और बागमती का उद्गम स्थल नूनथड़ है। *(व्यवधान)* यह जो तीन उद्गम स्थल हैं वहां से पानी निकल रहा है। *(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसका समाधान निकाले। उसका असली निदान यही है कि कोसी, कमला और बागमती, इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है, उस पर हाई डैम बनाया जाए। *(व्यवधान)* पानी का तो प्रश्न ही नहीं है। जब सुखाड़ आएगा तब आप उस डैम को खोलकर पानी ले सकते हैं। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, उनका इससे कल्याण होगा। उससे जो बिजली पैदा होगी, वह बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को दी जा सकती है। एक कहावत है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा। *(व्यवधान)* बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 28 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 10 करोड़ रुपये ही दिए। *(व्यवधान)* यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि बिहार सरकार को जितनी राशि की जरूरत है, उतनी राशि दी जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा अंतिम निवेदन यह है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बातचीत करे जिससे बाढ़ की समस्या का सही निदान किया जा सकता है। अगर समय रहते केंद्र सरकार इसको नहीं करेगी तो लोगों को तबाह करने वाली, मारने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। *(व्यवधान)* और यदि सारे देश, सारे बिहार और उत्तर प्रदेश को बचाना है *(व्यवधान)* केन्द्र सरकार के कारण लोग आज परेशान हो रहे हैं। *(व्यवधान)* मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इसकी समुचित व्यवस्था कराए। *(व्यवधान)*

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी तथा राम नगीना मिश्र जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज सदन के सामने रखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे बस्ती,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिद्धार्थनगर, कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, पडरीना, कुशी नगर भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इन जिलों का संपर्क कई जिलों से टूट गया है। हमारे जनपद सिद्धार्थनगर का संपर्क मुख्यालय से, सड़क रास्ते से, बांसी से, डुमरियागंज और कई तहसीलों से टूटा हुआ है। वहां सेना बुलाई गई है और पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है। यह जिला हर साल बाढ़ की चपेट में आता है क्योंकि यहां पर राप्ती नदी, कुड़ा नदी तमाम नदियों का जाल है और यह जनपद नेपाल सीमा से 50 मिलोमीटर लगा हुआ है जिससे नेपाल में जब भी अधिक पानी आता है तो वह इन नदियों में आ जाता है। इस जनपद में इस साल लगातार 4-5 दिनों तक जो भयंकर बारिश होती रही, उससे तमाम गांवों में मकान गिरते जा रहे हैं, हालत बड़ी खतरनाक है।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि यहां से एक टीम भेजकर उसका जायजा लिया जाए और उनको राहत पहुंचाई जाए। बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए, नदियों की जो सतह ऊपर हो गई है, उसकी डेजिंग (गहरा) की जाए जिससे वह नीचे हो जाए, बांधें मजबूत की जाएं जिससे आगे के लिए उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। वहां पर पशुओं की महामारी या आदमियों की जो बीमारी फैल रही है, उसके लिए दवा की व्यवस्था की जाए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार तो कर रही है लेकिन मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को धन आवंटित किया जाए जिससे राहत का काम पूरा हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० वी० राघवन (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण-पश्चिम मानसून के बहुत आक्रामक होने के कारण इस वर्ष केरल में भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा और आंधी के कारण भारी भूस्खलन और व्यापक समुद्री कटाव हुआ। इन सभी आपदाओं के कारण 81 जानें गईं और 3015 मकान क्षतिग्रस्त हुए और नष्ट हुए। लोक निर्माण विभाग की सड़कें आवागमन योग्य नहीं रहीं। इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: 1,545 करोड़ रुपये की न्यूनतम हानि हुई।

महोदय, केरल में भारी वर्षा और आंधी के कारण रबड़, नारियल, धान जैसी फसलों और सब्जियों की भारी क्षति हुई। पाथानमथिट्टा, इडुक्की और कण्णूर में भूस्खलन की घटनाएं हुईं। कोल्लम, अलापुजा, एर्नाकुलम, त्रिचूर, मालापुरम, कोझीकोड और कासरगोड में समुद्री कटाव हुआ।

इन सभी आपदाओं के कारण हमारे सामने बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। महोदय, आप केरल के भौगोलिक स्वरूप से तो परिचित ही हैं। हमारा राज्य पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है। भूस्खलन और समुद्री कटाव के दौरान राज्य का अस्तित्व संकटपूर्ण स्थिति से गुजरता है।

महोदय, हमारा राज्य रबड़, नारियल और मसालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण पहले ही कठिनाई के दौर से गुजर रहा था और अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी क्षति हुई है।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस छोटे से राज्य के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को समझने की कोशिश करें। दसवें वित्त आयोग के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवंटन का सामान्य हिस्सा पर्याप्त नहीं होगा। 500 करोड़ रुपये मूल्य की फसल नष्ट हो गयी। राज्य में गरीब लोगों के मकान नष्ट हो गए। यदि प्रत्यक्ष रूप से सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं है तो कम-से-कम वहां एक दल भेजा जाए और दसवें वित्त आयोग के मानदंडों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिए धनराशि के आवंटन के अलावा हमें 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जाए।

इस राज्य को बचाने के लिए स्थायी उपायों पर विचार किया जाए। 700 किलोमीटर दूरी का पूरा समुद्री तट प्रतिवर्ष समुद्री कटाव के चपेट में आ जाता है। राज्य समुद्रीतट पर बनी दीवार की सुरक्षा का पूरा अकेले खर्च उठा नहीं सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा सहायता 1982 तक उपलब्ध कारयी जाती रही। परंतु, मैं यह नहीं जानता कि इसे क्यों रोक दिया गया। 1982 के बाद हमें समुद्री आपदा से सुरक्षा के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। कृपया इसे पुन: बहाल करें और हमारे राज्य की सहायता करें।

मैं अपनी बात दोहराता हूं कि मेरा राज्य पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। समुद्री कटाव और पहाड़ों से होने वाले भू-स्खलन के कारण केरल राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। मैं माननीय मंत्री से इस पूरे मामले पर गौर करने और हमारी सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में बाढ़ की विभीषिका को लेकर मोहन सिंह जी और श्री राम नगीना मिश्र जी ने जो यह चर्चा प्रारंभ करवाई है, यह काफी सम-सामयिक है। इस समय जो सारी चिंता का विषय बना है, उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए विशेष रूप से उत्तरांचल क्षेत्र में बाढ़ से जो क्षति हुई है, उसके बारे में सदन का और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

अक्सर यह कल्पना की जाती है कि बाढ़ से जो क्षति होती है, वह केवल मैदानी क्षेत्र में होती है, जैसा अभी राघवन जी ने उल्लेख किया है। पर्वतीय क्षेत्र में इसकी विभीषिका और इसकी हानि किसी भी मायने में कम नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां तेज बहाव से नदी और नाले आते हैं, जैसे ही वे घाटी की ओर पहुंचते हैं तो घाटी में आते-आते जितने संपर्क मार्ग और रास्ते में पड़ने वाली उपजाऊ भूमि है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

जो दो-तीन प्रमुख घटनाएं घटी हैं, वे मैं बताना चाहता हूं। अभी वर्ष 1993 में बाढ़ और अतिवृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र के घाटी क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। 11-12 दिसंबर, 1993 को लगभग 20 करोड़ रुपये की क्षति पूरे उत्तरांचल क्षेत्र के घाटी क्षेत्र में हुई थी, उसकी भरपाई भी नहीं हुई थी कि पांच सितंबर, 1995 को गौरी नदी की बाढ़ से जितने उस मार्ग पर मोटर पुल थे और जो अन्य खेत, मकान वगैरह थे, उनकी बहुत बड़ी हानि हुई है। अभी इसी वर्ष कैलास मानसरोवर

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

यात्रा को जोड़ने वाला जो मार्ग है, गुंजी के पास में डुंगडुंग नामक एक ग्राम है, उसमें पांच व्यक्ति मारे गए और 22 खच्चर, जो यात्रियों का सामान लेकर जाने वाले थे, उनकी भी तेज प्रवाह में बहकर जान गई है। इतना ही नहीं, अभी कुंजगड़ नदी में तेज वर्षा के बाद अतिवृष्टि हुई, उसको क्लाउड बर्स्ट नाम दिया गया। इसमें निरीक्षण, सर्वेक्षण सारे कुछ हुए, लेकिन वहां बाढ़ राहत का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इसमें दुर्भाग्य का विषय यह है कि अभी तक पर्वतीय क्षेत्र में जो नुकसान बरसात के मौसम में अतिवृष्टि या क्लाउड बर्स्ट के द्वारा होता है व भूस्खलन के द्वारा तेज बहाव से घाटी क्षेत्र में जो सीमित उपजाऊ भूमि है, उसके तेजी से कटाव के कारण होता है तो उसके नियंत्रण के लिए यह कहा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण से बाहर है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मिल पाती। केवल उसके अगले वर्ष के लिए भूमि संरक्षण विभाग, जो कि कृषि मंत्रालय और वन मंत्रालय के अंतर्गत अलग-अलग विभाग हैं, उनके हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और काश्तकार को या जिनको हानि हुई है, उनको कोई राहत सहायता के रूप में नहीं मिल पाती और न ही पुनर्वास का कार्य हो पाता है। पर्वतीय क्षेत्र का विषय चूंकि अछूता रहा है इसलिए वहां की हानि को देखते हुए, उसके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो भी बाढ़ से क्षति हुई है और तमाम लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, ब्यास घाटी, चौखटिया घाटी, सरयू घाटी और पुंगर घाटी तथा उत्तरांचल क्षेत्र में अलकनंदा और गंगा के आसपास के इलाके में पानी का स्तर बढ़ने से बहुत क्षति हुई है। मेरा आग्रह होगा कि इस सारी हानि का अलग से सर्वेक्षण पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, क्योंकि संरक्षण अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 1996 को फैसला दिया था, अभी उस पर बहस चल रही है, उसके बाद नदी क्षेत्र में रेत और पत्थर के उठान पर रोक लगा दी गई है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में सिल्ट जमा हो रही है। उसको न उठाने से पानी का वेग, फ्लो और करंट कम नहीं होने से मैदानी क्षेत्र में सिल्ट बहकर आ रही है। इसलिए इस पर भी पुनर्विचार किया जाए और कृषि मंत्रालय के साथ-साथ वन मंत्रालय को भी इसके लिए प्रावधान करना होगा, अन्यथा जो पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से पानी और सिल्ट मैदानी क्षेत्र में आकर वहां के जल स्तर को ऊपर उठा रहा है, उससे बाढ़ में डूब का क्षेत्र काफी फैल गया है। इसलिए इस पर विचार किया जाए और मंत्रालयों को आपस में बैठकर कोआर्डिनेशन करना चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्र में हुई हानि के लिए विशेष सर्वेक्षण कराकर राहत का उपाय किया जाना चाहिए।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, तुलसीदास की इस लाइन से मैं चर्चा में शरीक होना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है—परिहित चरिथ धर्म नही दूजा। इसका मतलब है कि दूसरे की मदद करना इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। यह बात भारत सरकार पर भी चरितार्थ होती है। भारत सरकार का कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन बना हुआ है। लेकिन यह मृतप्राय है। यदि यह अपना काम करता तो आज हमारे सांसद साथी जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं और मोहन सिंह जी तथा मिश्र जी जो प्रस्ताव लाए हैं, संभवत: उसकी आवश्यकता नहीं होती।

मंत्री जी एक किसान परिवार से आते हैं। बाढ़ में क्या कठिनाई होती है उसकी जानकारी आपको स्वयं भी है। आज बिहार की जनसंख्या नौ करोड़ है और लगभग तीन करोड़ की आबादी फ्लड में फंसी हुई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय में हाल ही में 18 तारीख को जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां आठ आदमी खेती करके और घास काटकर नाव में आ रहे थे कि बीच में ही नाव डूब गई और वे सारे लोग मारे गए। हमारे साथियों ने कहा कि हमारी तरफ जो पानी आता है वह नेपाल की तरफ से आता है। बिहार में दोनों तरफ से पानी आता है। नेपाल की तरफ से जो नदियां हैं, बागमती, कोसी, गंगा और दूसरी तरफ जो पहाड़ी नदियां हैं, छोटा नागपुर और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों की, उनसे भी पानी आता है। यह बात सही है कि नदियां काफी उथली हो गई हैं, नदियों की जो गहराई होनी चाहिए, वह भी कम हो गई है, जिसके चलते थोड़ा बहुत ही पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। हमारी तरफ एक कहावत है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में भी यही कहावत होगी—अदरा गए तो तीनों गए, सन, साठी और धन। अदरा में बाढ़ आ गई। हम किसान जो खेती करने वाले लोग थे, मोरीपारे और मकै लगाया, पांच-छ: फीट पानी आ गया। आज किसान की खेती बाढ़ में चली गई है। अध्यक्ष महोदय, आप हैदराबाद से आते हैं और आपको अखबारों के द्वारा या लोगों के द्वारा जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको अपने क्षेत्र के दर्द के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आपके क्षेत्र में पानी आया होता, आपके क्षेत्र के मतदाता भूखे मर रहे होते, उनको तीन दिन तक रोटी नहीं मिल रही होती, उनको रोशनी नहीं मिल रही होती, औरतों को पखाना जाने के लिए नाव का सहारा नहीं मिल रहा होता, तो आपको अंदाज होता कि बाढ़ क्या चीज होती है। मोहन सिंह जी ने बाढ़ की समस्या पर चर्चा उठाकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब वे मंत्री जी को बझाकर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और माननीय सदस्य भी उत्तर प्रदेश के एक तेजस्वी वक्ता हैं। मंत्री जी भी अपने जमाने में, जब वे मंत्री नहीं थे, राज्य सभा के सदस्य थे, तो दल के प्रवक्ता थे और बड़े तेजस्वी थे। आज हमारे एक साथी ने कुछ कहा तो वे नाराज हो गए, मंत्री जी उनको क्षमा कर दीजिए। वे साथी भी हमारे बिहार से आते हैं, खगरिया उनका क्षेत्र है। यह इलाका भी डूबा हुआ है। हम 18-19 तारीख को अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे। नाव से जाकर लौट आना पड़ा, हम नहीं जा सके, क्योंकि लोगों ने कहा कि पानी की धार बहुत तेज है, नाव डूब जाएगी। आप लौटकर वापिस चलिए। मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर कोई बीमार है, तो दवा देने के लिए डॉक्टर नहीं जा रहा है। उनके साथ जानवर हैं, तो उन जानवरों को बांधने के लिए जगह नहीं है, चारा तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को कोई दवा देने वाला नहीं है। चापाकल जो लगे हैं, वे छ: फीट पानी के नीचे हैं। ये लोग वहीं पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हो सकता है कि एक सप्ताह के बाद पानी का स्तर घट जाए, तो हैजा की बीमारी जबरदस्त फैल जाए। इस बीमारी से और भी अधिक नुकसान हो जाएगा। इन लोगों का जीवन खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे इस दल के सदस्य हों या उस दल के सदस्य हों, हम उत्तर प्रदेश या बिहार के बारे में शिकायत करके इस समस्या का

समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बिल भेज रहे हैं कि इस बिल में संशोधन करेंगे और उस बिल में संशोधन करेंगे, लेकिन रिलीफ कोड में संशोधन नहीं कर रहे हैं। आप साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से बिहार के किसी कोने में, फ्लड के इलाके में गए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि सरकार क्या रिलीफ दे रही है। सात दिन का सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार दे भी क्या सकती है। रोशनी करने के लिए उनके पास कैरोसिन तेल भी नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मैं इस घर को मंदिर के समान पूजता हूं। मैं 20 वर्ष विधान सभा में रह चुका हूं। वहां मैं सुबह दस बजे आता था और अंत में विधान सभा को छोड़ता था। यहां पर भी मैं पौने ग्यारह बजे आता हूं और जब ताला खुलता है, तो मैं पहला व्यक्ति होता हूं, जो इस मंदिर में प्रवेश करता हूं। मेरी आस्था है कि मैं इस सदन को मंदिर की तरह मानता हूं। आप जब मुझे अवसर देते हैं, तो मैं बोलता हूं। कई बार मैंने बोलने का प्रयास किया और मेरा नाम दूसरे नंबर पर था, लेकिन हमारे दल में भी एक से एक बड़े लोग हैं, एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक गवर्नर रहे हैं और हम गवर्नर नहीं रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है। हमारी तरफ आपकी नजर नहीं जाती है। मेरी सीट उधर दूसरी या तीसरी पंक्ति में होनी चाहिए, लेकिन मुझे स्थान यहां दिया गया है। मैं बीस बरस तक विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं, एपैक्ट का चेयरमैन भी था, मिनिस्टर भी रहा हूं, लेकिन स्थान यहां दिया गया है। मैं आज तक कभी हारा नहीं हूं, शुरू से जीतता आया हूं। हारने का सवाल नहीं है, लेकिन मेरा स्थान आपने यहां दिया है। मैं एक विद्यार्थी की तरह यहां बैठा हुआ हूं और जैसा आपका आदेश होगा, वह मुझे शिरोधार्य होगा।

महोदय, जब बाढ़ आती है, तो मंत्री जी हवाई जहाज से दौरा करते हैं, इसलिए मंत्री जी बाढ़ को कैसे देखें। नाव पर जाएंगे तो नाव डूब जाएगी इसलिए हवाई जहाज से एक बार बिहार का भी सर्वेक्षण कर लीजिए। *(व्यवधान)* पूरे लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय आदि एरियाज को भी एक बार आप देख लीजिए और जो वहां के लिए मदद करना चाहते हैं वह करिए। दरभंगा और मधुबनी एरिया तो शुरू से ही फ्लड एरिया घोषित है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अगर आप बिहार की मदद करना चाहते हैं तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी का जो बाढ़ से संबंधित प्रस्ताव आया है यह निश्चित रूप से चिंताजनक है और जब भी यह सदन शुरू होता है, बरसात शुरू होती है तो बाढ़ की चर्चा इस सदन में होती रही है। हम लोग भी इस सदन में रहे हैं और हमेशा इस सदन में बाढ़ की समस्याओं के बारे में चर्चा होती रही है। इस देश के किसी-न-किसी कोने में नदियां हैं और हम संसद सदस्य जहां से चुनकर आते हैं वहां बाढ़ की समस्या होती है। हर साल इसकी चर्चा होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब यह व्यवस्था हमारे देश की आजादी के बाद लागू हुई तो मैं समझता हूं कि उसमें यह पहला प्रस्ताव था कि इस देश में बाढ़ की समस्या का निराकरण किया जाए और उसको सिंचाई की तरफ मोड़ा जाए। *(व्यवधान)* उसकी व्यवस्था सिंचाई की तरफ की जाएगी तो कृषि प्रधान देश में खेती की उपज बढ़ेगी और किसानों में खुशहाली आएगी। मैं पिछले दिनों की सदन की कार्यवाही पढ़ रहा था तो जहां से ओमप्रकाश जी, जो गाजीपुर के संसद सदस्य हैं वहां से पहले विश्वनाथ गहमरी जी संसद सदस्य होते थे।

महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में, गरीबी के बारे में उन्होंने एक बार यहां एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य को सुनकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उस समय नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, वह रो पड़े थे। वह समस्या बाढ़ की भी थी, सूखे की, गरीबी की भी थी और वहां की बदहाली की भी थी। उसी से संबंधित और उसी से मिलता-जुलता सवाल उत्तर प्रदेश का है। उस समय एक पटेल कमीशन बना था, उसने रिपोर्ट दी थी कि किस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का विकास हो सकता है और पंडित नेहरू जी ने आश्वासन दिया था कि पटेल कमीशन ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसको लागू किया जाएगा। उस समय 14 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के होते थे और बिहार के भी जिले होते थे। आज उसमें लगभग 23-24 जिले हो गए हैं और बिहार के कई जिले बढ़ गए हैं। पटेल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि बाढ़ की समस्या कैसे हल हो सकती है। बिहार के, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र हैं। पटेल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उस पर नेहरू जी ने कहा था कि अक्षरश: पटेल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से इस सवाल को सदन में उठाया, चाहे हमारी सरकार रही हो या दूसरी पार्टी की रही हो, इस देश का प्रधान मंत्री पटेल कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरश: लागू करने का आश्वासन सदन में दे चुका है लेकिन आज तक पटेल कमीशन को लागू नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि आप इस सदन के पीठासीन अधिकारी हैं, हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की तीसरी लोक सभा के कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू कहवा दीजिए, उसका एक अध्ययन दल बनवा दीजिए तो तीन प्रदेश की बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और वहां के लागों की सिंचाई की समस्या भी हल हो जाएगी। उत्तर भारत के कई प्रदेशों की स्थिति कुछ इस तरह की है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र और कुछ मैदानी क्षेत्र हैं--पहाड़ी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या अलग तरह की है और मैदानी क्षेत्र की बाढ़ की समस्या अलग तरह की है। पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या ऐसी है कि वहां जो नाले हैं, अगर वहां पांच घंटे के लिए बरसात होती है तो वे उसी में तबाही मचाकर चले जाते हैं।

मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोई है। दो साल पहले वहां भीषण बरसात हुई थी। उसमें हमारी विधान सभा के 25 गांव बह गए थे, सड़कें बह गई थीं और नाले के किनारे रहने वाले कोल जाति के लोगों के मकान और सामान बह गया था। वहां केवल पांच घंटे के लिए बाढ़ आई थी। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह की बाढ़ की समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या किस तरह की होती है, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या किस तरह की होती है, अगर इसके लिए एक अध्ययन दल आप बनवा दें तो समस्या की समझ आने पर उसका हल हो जाएगा।

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

डा० लोहिया कहते थे कि गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा की तलहटी को अगर गहरा कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और उनके मुहाने को बांध दिया जाएगा तो सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसी क्षमता नहीं दिखाई जिससे इस समस्या का उस तरह से हल हो पाता।

हामरे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर हम में एकता होनी चाहिए और इस तरह की विपदा की स्थिति में तो हमें एक होकर सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए और उस ओर सरकार को कदम उठाने चाहिए। दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के हम अनुयायी रहे हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि इस देश की नदियों और नालों को अगर हम बांध देंगे तो 85 प्रतिशत असिंचित भूमि सिंचित हो जाएगी। अभी तो नदियों का पानी समुद्र में बह जाता है।

दूसरे देशों के लोग जब भारत में प्रकृति द्वारा दी गई नदियों और नालों को देखते हैं तो कहते हैं कि इस देश में गरीबी क्यों है? मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी सरकार नदियों और नालों को बांधने का संकल्प कर ले तो दुनिया के सारे देशों को अनाज देने की स्थिति में हिंदुस्तान हो जाएगा और हमारे देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी। मैं यह बात आंकड़े देकर और प्रमाण देकर बता सकता हूं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गंगा का मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन दुर्भाग्य से वहां सबसे कम उपज होती है। कारण यह है कि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको सिंचाई करने के निमित्त हम बना नहीं पाते हैं। गर्मी के दिनों में पीने के पानी की तबाही मच जाती है। हमने कई बार संकल्प किया है कि पेयजल की व्यवस्था हम सारे देश में कराएंगे। इसको हम आंदोलन की तरह लेते हैं लेकिन जब पानी आता है तो वह बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको बांधकर हम नहीं रख पाते हैं, सिंचाई के लिए बांध नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभीषिका आती रहेगी, चाहे हमारी सरकार हो, रघुवंश प्रसाद की सरकार हो, मोहन सिंह की सरकार हो, ओमप्रकाश की सरकार हो, सोमनाथ जी की सरकार हो, बोडोलैंड की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। किसी की भी सरकार हो, हम एक बिंदु पर तो इकट्ठा हो जाएं। एक बार यह सदन संकल्प कर ले कि जितना पानी बेकार जाता है वह पेयजल के लिए होगा, किसानों के खेत की सिंचाई के लिए होगा तो हमेशा के लिए बाढ़ की चर्चा इस सदन में हम बन्द कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, हमारे देश में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में अपना विचार प्रकट करने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे देश में दो प्राकृतिक आपदाएं नामत: बाढ़ और सूखा बहुत आम हो गई हैं और इन मौसमों के दौरान इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करना सभा का एक हिस्सा बन गया है। यह नोट करना बिलकुल द्वन्द्वात्मक तर्क है कि मानसून के दौरान पानी की बहुतायत होती है और सूखा के दौरान हमें पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जल संसाधन का समुचित प्रबंधन नहीं है।

इसमें योजना का अभाव भी है। लोकहित का मामला होने के नाते सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जल प्रबंधन के लिए समुचित और बेहतर नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। जहां तक केरल राज्य का संबंध है, मेरे राज्य में 44 नदियां हैं। हमारे देश में अपार जल संसाधन हैं। सूखे के मौसम के दौरान हमें पेयजल की समस्या के कारण भी परेशानी हो रही है। सारे देश में कोई समुचित जल प्रबंधन नहीं है। इसमें सुधार करना होगा। समुचित नीति और तंत्र विकसित करना होगा ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके।

योजना के अभाव के संबंध में मैं कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे राज्य में कई सिंचाई परियोजनाएं हैं। कलाडा सिंचाई परियोजना का मामला लीजिए। इसे एक दशक पहले शुरू कर दिया गया था। योजना में कुल अनुमानित लागत 2.5 करोड़ रुपये की थी। एक दशक के बाद इसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। इस पर 550 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि व्यय की गई। परंतु यह अभी तक पूरी नहीं हुई और इसे अब तक चालू नहीं किया गया। हम उसी योजना पर आश्रित हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है। अत: योजना का अभाव है। इसका मतलब है कि परियोजना को आरंभ करने और इसे चालू करने के बीच परियोजना की लागत में करोड़ों रुपये का अंतर है। हम निर्धारित अवधि में परियोजना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें 44 नदियों से संबंधित परियोजनाएं पूरी करनी हैं और कलाडा सिंचाई परियोजना, मुवत्तुपुजा सिंचाई परियोजना और कारापुजा सिंचाई परियोजना के लिए हम केंद्रीय सहायता की अपेक्षा करते हैं। मेरे विचार से राज्य सरकार कलाडा सिंचाई परियोजना के लिए अब 550 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। परंतु आपने केवल पांच करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इन सिंचाई परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। ऐसा होने पर ही इन समस्याओं से बचा जा सकता है।

अब मैं हाल की बाढ़ के कारण हुई क्षति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे राज्य के श्री वी० वी० राघवन राज्य में हाल की बाढ़ के दौरान मारे गए 81 व्यक्तियों और गंभीर रूप से घायल हुए 206 व्यक्तियों, 1,232 घरों के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बारे में पहले ही बता चुके हैं। कई लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। बड़े पैमाने पर फसल, रबड़ की खेती, धान, नारियल के पेड़ आदि अत्यधिक गंभीर रूप से नष्ट हुए हैं। अतएव हम 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करते हैं और केरल राज्य सरकार ने भी यही मांग रखी है। हम कृषि मंत्री से अनुकूल उत्तर की आशा करते हैं।

अब मैं समुद्री कटाव के बारे में बोलना चाहूंगा। केरल राज्य में 750 मिलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र है। जहां तक मेरे

राज्य का संबंध है, वहां अत्यधिक गंभीर समस्या है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 तक समुद्री कटाव रोधी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और सहायता की जाती थी। मेरे विचार से केरल राज्य का समुद्री तट इस देश की राष्ट्रीय सीमा है। इसलिए इस राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है। समुद्री कटाव के कारण राष्ट्रीय सीमा हट गई है। मैं क्विलोन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। चारवोर से अजीक्काल तक एक छोर से दूसरी छोर तक तटवर्ती क्षेत्र है। हाल की बाढ़ के दौरान अत्यधिक समुद्री कटाव हो गया था। राज्य सरकार समुद्र तट पर दीवार के निर्माण और रख-रखाव के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है। परंतु हम इस कार्य को अपेक्षित लक्ष्य तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अतएव समुद्री कटाव रोधी कार्य के लिए वित्तीय सहायता की मांग करता हूं। इसे 1993 में विद्यमान स्थिति तक बहाल रखना होगा क्योंकि सीमा की सुरक्षा करने में राज्य सरकार की सहायता करना केंद्र सरकार का दायित्व है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में अलापाड पंचायत का उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें 15,000 लोग रहते हैं। यह गांव किसी भी समय समुद्री कटाव की चपेट में आ सकता है। एक छोर से दूसरी छोर तक इसकी लंबाई 18 मिलोमीटर तक है और यहां 15,000 से भी अधिक लोग बसते हैं। इन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? इन लोगों की सुरक्षा करने के मामले में राज्य सरकार की सीमा है क्योंकि उसके समक्ष आर्थिक कमी की समस्या है। इसलिए मैं भारत सरकार से इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करने और राज्य सरकार की सहायता करने का आग्रह करता हूं।

मैं एक बार पुन: आपसे राज्य को आपदा राहत कोष में से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। मैं यह पहले ही बता चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र बाढ़ वाला है, कोसी नदी में बाढ़ आई है। हमें भी बोलना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, हम सोचते थे कि हमें बुलाया जाएगा ताकि हम यहां पर बोलने के बाद फोन पर बाढ़ में डूबे लोगों से बात कर सकते। इसलिए हम जल्दबाजी में थे।

श्री अनूप लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भी यही हालत है, इसलिए बार-बार आग्रह है कि हमें चांस दिया जाए।

श्री रामदास आठवले (मुंबई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अचानक बाढ़ आती है, लोगों की जान चली जाती है, फसलों को पूरा बर्बाद कर देती है और जमीन पूरी खराब हो जाती है। यह चर्चा हमारे साथी श्री मोहन सिंह जी ने नियम 193 में प्रारंभ की है।

अध्यक्ष जी, बाढ़ हर साल आती है जिसको रोकने के लिए यहां खाली चर्चा होती है। फसलों और जानें बचाने के लिए हम असफल हुए हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि इसके लिए एक फ्लड स्टडी कंट्रोल कारपोरेशन बनाना चाहिए। जहां भी बाढ़ आती है, वहां स्टडी होनी चाहिए। जैसा कि श्री मोहन सिंह ने बताया कि नदियां टेढ़ी चलती हैं। जैसे इस सरकार को सीधा करना मुश्किल है, उसी प्रकार नदियों को सीधा करना मुश्किल है। इसके लिए नदियों की खुदाई होनी चाहिए। नदियों की खुदाई करने से उसमें ज्यादा पानी आ सकता है। उन नदियों पर डैम बनाए जा सकते हैं। इस तरह का प्रयोग फायदे में रहेगा। जहां-जहां बाढ़ आने का अंदेशा हो, वहां इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस द्वारा लोगों को बताया जाना चाहिए कि यहां बाढ़ आने वाली है। जहां बाढ़ आती हो, वहां पर मजबूत वाल बनाई जानी चाहिए। नदियों के किनारे जहां-जहां गांव हैं, गांव वालों को उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कृष्णा, गोदावरी, भीमा, चन्द्रभागा और तापी नदियों में कभी-कभी बाढ़ आती है। चूंकि यह नई सरकार है, नई होने पर कुछ काम करना चाहती है, इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जब यह सरकार विरोध पक्ष में थी तो बड़ी बातें किया करते थे। अब देखना है इस सरकार में कितना दम है? बाढ़ आने पर जिन लोगों को हानि उठानी पड़ रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए यह सरकार क्या करने वाली है? आपको इस संबंध में स्टडी करने की आवश्यकता है। कभी-कभी सदन में सूखे पर चर्चा होती है। यदि हम बाढ़ के पानी को रोककर सूखे वाले स्थान पर ले जाएं तो कुछ हल निकल सकता है। इससे सूखा खत्म हो जाएगा। इसी तरह इर्रीगेशन के लिए भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। आप विश्व बैंक से पैसा लें या कहीं ओर से लें लेकिन इर्रीगेशन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। रिलीफ के लिए भी, रूल्स और रेगुलेशंस को बदलकर ज्यादा-से-ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। इसलिए मोहन सिंह जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, भारत सरकार के कृषि मंत्री सोमपाल जी जरूर इस पर विचार करें। वह किसान भी हैं और उनको अनुभव भी है। इसलिए सोमपाल जी से निवेदन है कि आप अच्छा उत्तर दें और जो ट्रेडीशनल प्लान है, वह हमें नहीं चाहिए। इसमें कुछ-न-कुछ सुधार होना चाहिए। उसके लिए आप अच्छा रिप्लाइ दीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी और मिश्रा जी ने जो चर्चा प्रारंभ की है, वह बड़े महत्व की है। आज सारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो बाढ़ से तबाह हो रहे हैं लेकिन देश के कुछ भू-भाग ऐसे भी हैं जो वर्ष के लगभग सात महीने पानी के अभाव में संकटग्रस्त रहते हैं। वर्षा का सारा पानी नदी-नालों से और खेतों से बहकर नदियों के सहारे अन्य क्षेत्रों में चला जाता है और वहां बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। उत्तर प्रदेश के सात और मध्य प्रदेश के 11 जनपद मिलाकर कुल 17 जनपद ऐसे हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। वहां की स्थिति बड़ी भयंकर बन चुकी है। बरसात का पानी न रुकने के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है और उसका सारा पानी आज बिहार और उत्तर प्रदेश का जो प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ के रूप में वहां समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर एक बैठक करके यह योजना बनाई थी कि गांवों का पानी गांवों में ही बांधा जाए भूमि संरक्षण द्वारा और गंगा कमांड के द्वारा, लेकिन योजना सफल न होने के कारण

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

आज हम गांव के पानी को गांव में नहीं बांध सके। इसका नतीजा यह निकला कि आज कुओं का पानी प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है। बरसात में जो पानी इकट्ठा होना चाहिए जिससे कि उपजाऊ जमीन बहकर न जाए, लेकिन सारी भूमि बंजर होती जा रही है क्योंकि पानी के ठहराव की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वीरेन्द्र सिंह जी का जो सुझाव आया है, सदन को उसे मानना चाहिए। सारा सदन एक अध्ययन दल बनाने की घोषणा करे और वह रिपोर्ट दे कि एक जगह तो हम बाढ़ से तबाह हैं और दूसरी जगह पानी न होने के कारण हम सूखे से ग्रस्त हैं, हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं, हमारे खेतों में सिंचाई का पानी नहीं है। आज 17 जिलों में 13 प्रतिशत सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। कुओं में पानी नहीं है, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है और यही पानी बहकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जाता है और वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। अजीब-सी स्थिति बनी हुई है। भूमि संरक्षण विभाग और गंगा कमांड को करोड़ों रुपया इतने वर्षों से दिया गया लेकिन गांव के पानी को हम गांवों में नहीं रोक सके, खेत के पानी को खेतों में नहीं रोक सके और सारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली गई। जो नदियां गहरी थीं, उपजाऊ मिट्टी बहकर आने से उनका भराव हो गया है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के जो मुख्य कारण हैं, बाढ़ का कारण तभी पैदा होता है जब नदियों द्वारा पानी बहकर दूसरे स्थानों में पहुंच जाता है।

सायं 7.00 बजे

नदियों में वह पानी बेकार न जाए, उस पानी को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक अध्ययन दल की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां वर्ष के आठ मीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमारे कुओं का पानी सूख जाता है। हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाती है और बिहार में जाकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं आपसे एक अध्ययन दल गठित करने की मांग करता हूं और वह अध्ययन दल छः महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गांवों में बरसात का पानी कैसे रोका जाए, ताकि वह बाढ़ का रूप न ले सके और वही पानी हम खेतों में सिंचाई के लिए कैसे दे सकते हैं, वही पानी हमारी प्यास बुझा सके, इसकी व्यवस्था की जाए। हम लोग अपने क्षेत्र में गंदे नालों के पानी और सड़े हुए पानी से सात महीने गुजारते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों का पानी छानने के बाद भी बदबूदार रहता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। हमारे यहां से बरसात का सारा पानी बहकर गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पानी को बांधा जाए तो गंगाजी में बाढ़ कभी नहीं आ सकती है। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि बुंदेलखंड क्षेत्र के 18 जनपदों का पानी बुंदेलखंड में ही रोक दिया जाए तो गंगाजी के पानी से कहीं भी बाढ़ नहीं आ सकती है। गंगाजी में आज जो बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण यह है कि बुंदेलखंड के 18 जनपदों का संपूर्ण पानी बहकर बेतवा आदि नदियों में जाता है और वह पानी बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज बुंदेलखंड के 18 जनपदों के पानी को बांधने की आप योजना बनाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बाढ़ों को रोका जा सके और बुंदेलखंड में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और सदन के सभी सम्मानित सदस्य सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करें कि एक अध्ययन दल गठित किया जाए जो बाढ़ों को भी रोके और बाढ़ के पानी को हम लोगों के उपयोग के लिए दे सके, खेतों में सिंचाई के लिए दे सके, इसकी व्यवस्था कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल छः सदस्यों को अभी और बोलना है। यदि प्रत्येक सदस्य दो मिनट लेता है, तो हम कार्यसूची को आज समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, बाढ़ का बहुत गंभीर सवाल है, हमारे मंत्री जी संवेदनशील हैं, आधा घंटे का समय बढ़ाने में नहीं हिचकेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : महोदय, या तो आप बैठक का समय एक घंटे बढ़ाइए या फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दीजिए। आधे घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, हम कल इसे जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आधा घंटा बढ़ा दीजिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। क्या सभा इस बात पर राजी है कि बैठक का समय आधे घंटे बढ़ा दिया जाए?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : बैठक का समय बढ़कर 7.30 बजे तक किया जाता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन के विद्वान सदस्य। मैं आप सभी का ध्यान असम, विशेषकर बोडोलैंड भू-भाग में बाढ़ से उत्पन्न अति संवेदनशील और भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बोडोलैंड भू-भाग में कुल दस जिले और दो उप-मंडल आते हैं। इन दस जिलों और दो उप-मंडलों में अनेक छोटी-बड़ी तथा सहायक नदियां हैं। ये नदियां

और उनकी सहायक नदियां बोडोलैंड भू-भाग में बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का मुख्य कारण हैं। इनमें से अधिकांश नदियां और सहायक नदियां भूटान साम्राज्य और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में जाती हैं।

हालांकि एक ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है परंतु क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि नगण्य है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं खर्च की जा रही है। इसीलिए मैं भारत सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से अपील करना चाहूंगा कि वह इन नदियों पर कुछ बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं और कुछ बहु-उद्देशीय पन-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करे। बोडोलैंड भू-भाग के भीतर बाढ़ नियंत्रण और भूक्षरण को रोकने के लिए प्रत्यक्ष केंद्रीय अनुदान के रूप में कम-से-कम 1000 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की जानी चाहिए।

मैं भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से एक पृथक् बोडोलैंड भू-भाग बाढ़ नियंत्रण बोर्ड गठित करने की अपील करना चाहूंगा अन्यथा हमें मौजूदा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से न्याय मिलने वाला नहीं है। यहां तक कि पूर्वोत्तर परिषद कोष का पैसा भी इस क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अत: मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि वह पूर्वोत्तर के सभी संसद सदस्यों को पूर्वोत्तर परिषद में शामिल करे।

इसके अलावा मैं भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से अपील करूंगा कि वे प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए कम-से-कम 500 करोड़ रुपए की धनराशि और आवंटित करें।

हाल में विशेषकर दो क्षेत्रों, अर्थात् बिजनी उप-मंडल और सिडली विधान सभा क्षेत्र में बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी। बिजनी उप-मंडल में 75 गांवों से भी अधिक और सिडली राजस्व मंडल में लगभग 50 गांव प्रभावित हुए हैं।

मैं समझता हूं कि आप गाई नदी में आई खतरनाक बाढ़ के कारण तत्कालीन अविभक्त लखीमपुर जिले की भयावह त्रासदी से विदित होंगे। इसने सभी रेलवे पुलों, रेलवे उपरिपुलों, रेल लाइनों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। रेल मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज तक उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमने रिक्वैस्ट करके डेढ़ घंटा बढ़वाया है और आप हमको ही दो मिनट का समय दे रहे हैं। हमें तो कम-से-कम 10 मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष जी, आज इस सदन में माननीय श्री मोहन सिंह जी द्वारा नियम 193 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, वह काफी महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज पूरा सदन चिंतित है। हम लोग आज इस सदन में बाढ़ के ऊपर चिंता जता रहे हैं। जहां बाढ़ आई है वहां के लोग आज इस बाढ़ की विभीषिका से परेशान हैं और ये वे लोग हैं जिनके खून और पसीने की कमाई से पूरा देश भोजन करता है और चैन से सोता है। आज बाढ़ से प्रभावित दिल्ली, चेन्नई या पटना शहर नहीं हैं। बाढ़ से प्रभावित वह गांव है जिसमें किसान और मजदूर रहते हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जो प्रतिवर्ष इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जो प्रतिवर्ष प्रभावित होता है, उसे हम प्राकृतिक विपदा का नाम नहीं दे सकते हैं। कहीं अचानक बाढ़ का प्रभाव आए तो हम समझ सकते हैं कि यह प्राकृतिक विपदा है लेकिन हमारे बिहार में एक जाति है जो अपने ईष्ट से प्रार्थना करता है, उस जाति का नाम महापात्र है, जब लोग मर जाते हैं तो दस कर्म के दिन उसे दान मिलता है। उसी तरह सिंचाई विभाग के पदाधिकारी अपने ईष्ट, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बांध कैसे टूटे ताकि फिर कम-से-कम बोल्डर गिराने के नाम पर, जाली बिछाने के नाम पर और बिना दिखाए बोरियों में बालू भर-भरकर फेंकने के नाम पर हमारी अटारी बढ़ सके। इसलिए कुछ जगह बाढ़ मानव की गलती से आती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बांध के रख-रखाव के अभाव में कहीं-कहीं बांध टूट जाता है। चूहा कभी बांध के भीतर छेद कर देता है जिसके कारण पानी रिसता रहता है और पानी के रिसने के कारण कहीं-न-कहीं बांध टूटता है। इस तरह की घटना गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने में घटी है जहां बांध टूटा था लेकिन नारायणी नदी की कृपा से मात्र चार घंटे के बाद डेढ़ फुट पानी कम हो गया, नहीं तो छपरा और सिवान जिले की स्थिति भयंकर होती। हमारे गांव में पड़ने वाले मसरक विधान सभा क्षेत्र का पानापुर प्रखंड फिर जलमग्न हो चुका है, हमारा एक ऐसा भी क्षेत्र है जो बाढ़ और बरसात के दिनों में बराबर जलमग्न रहता है। जिस स्थान पर श्री जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, उस गांव का नाम शताब्दिघर है। श्री जय प्रकाश नारायण के नाम पर बहुत से राजनीतिक दल अपनी रोजी-रोटी चलाने का काम करते हैं।

हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज उस गांव को स्थिति देखें तो वह अजीब दिखाई देगी। वह गंगा और गुहारी के संगम पर बसा हुआ 22 टोलों का गांव है। 22 टोलों में से 6 टोले पानी के कटाव में विलीन हो चुके हैं और अब 16 टोले बचे हुए हैं। बिहार सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि वह दरियाव के उस पार पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसे कोई सुविधा नहीं देती। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि वे लोग बिहार के निवासी हैं। लेकिन श्री जय प्रकाश नारायण के जन्म के विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार यह जरूर कहती है कि श्री जय प्रकाश नारायण उत्तर पदेश के बलिया जिले में पैदा हुए थे। बिहार सरकार कहती है कि श्री जय प्रकाश नारायण शताब्दिघर, जो कि बिहार के छपरा जिले में पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार इस विवाद से राजनीतिक लाभ उठाने का काम करती है लेकिन शताब्दिघर गांव की सुधि लेने के लिए कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां न तो बांध से उतरने के लिए जगह है और न ही बिजली की कोई सुविधा है। बाढ़ के दिनों में 22 टोलों का गांव जलमग्न हो जाता है। वहां स्थायी व्यवस्था करने की जरूरत है।

सभापति जी, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप श्री जय प्रकाश नारायण के उस गांव को देखिए। वहां

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

आप एक सर्वेक्षण दल को भेजिए। उसके 6 टोले जलमग्न हो चुके हैं। अभी 16 टोले बचे हुए हैं। अगर यह 16 टोले भी विलीन हो जाएंगे तो श्री जय प्रकाश नारायण बाबू की धरती भी विलीन हो जाएगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप वहां देखिए। वहां आपका खर्चा तो लगेगा लेकिन उस गांव को बचाने का काम आप कीजिए। आप तार की जाली और बोल्डर बिछवाकर 16 टोले के गांव को बचाने का काम कीजिए। इसके लिए केंद्र सरकार की बड़ी कृपा होगी क्योंकि यह बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वश की बात नहीं है।

दूसरी बात हम विषय से कुछ अलग हटकर कहना चाहते हैं क्योंकि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आपकी सरकार है और हम भी आपके गठबंधन के सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि चूंकि बिहार सरकार की तरफ से वहां कोई राहत कार्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहिए कि वहां राहत कार्य उपलब्ध कराए। बिजली का एक भी पोल वहां गड़ा हुआ नहीं है, जबकि बॉर्डर के बीच में बांध है। इस पार भी शताब्दिघर है और उस पार भी शताब्दिघर है। इस पार और उस पार के बांध पर पोल गड़ा हुआ है लेकिन बांध के नीचे कोई लाइन नहीं है। वहां लोग पैसा जमा कराने को भी तैयार हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहिए कि श्री जय प्रकाश नारायण की जन्म धरती में बिजली की लाइन दे। इसके लिए आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके लिए जो खर्चा होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि आपका हुक्म है और एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह हम आपका हुक्म मानते रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें श्री जय प्रकाश नारायण के विषय में मंत्री जी से कहने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ आज देश की गंभीर समस्या है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश की आजादी के पचास साल बाद भी इस समस्या को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। जैसा हमारे पूर्व साथियों ने कहा, यदि संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो उस कार्य को ईमानदारी से किया जा सकता है। लेकिन ईमानदारी न होने की वजह से यह समस्या आज भी विकराल रूप में है। इसलिए कह सकते हैं कि यह देश की राष्ट्रीय समस्या के रूप में विद्यमान है। हमारे पूर्व साथियों ने इस बात को ठीक से बताया कि बाढ़ के नाम पर, अन्य जगह तो भ्रष्टाचार है, लेकिन दैविक आपदा के नाम पर भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा जो राहत कार्य किया जाता है, बाढ़ डिवीजन, सिंचाई विभाग में जो फ्लड डिवीजन है, कमाऊ पूत के रूप में प्रदेश सरकारों में उनकी पोस्टिंग होती है। वहां पर काम करने वाले लोग लाखों रुपये देकर अपनी नियुक्ति कराते हैं। यह कार्य उस समय शुरू होता है जब वहां बाढ़ आ जाती है। हम गाजीपुर जनपद से आते हैं। वहां 80 प्रतिशत विधान सभा क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित था। जैसा भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया, पटेल आयोग के साथ-साथ ईमानदारी से बाढ़ के बारे में प्लानिंग बना ली जाए और एक-एक सैक्टर चुनकर पैकेज के रूप में इस समस्या के समाधान का तरीका खोजा जाए। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक जनपद में ऐसी कई नदियां हैं जिनमें एक समय बाढ़ नहीं आती। अभी भाई मोहन सिंह जी के यहां जो बाढ़ आई है, हमें लगता है कि जुलाई में जल्दी आ गई है, असली बाढ़ तो सितंबर में आएगी। वह बाढ़ तांडव का रूप धारण कर लेती है। उन गांवों में जाने के बाद लगता ही नहीं कि हम इस देश के वासी हैं। बाढ़ से सबसे अधिक तंगी गांव के गरीब आदमी और किसान, जो इस देश की आत्मा हैं, देश की पंचायत में 80-85 प्रतिशत लोग वहीं से जीत कर आते हैं, काफी मर्माहत हैं। उनके लिए लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, खाने, पीने और सोने की व्यवस्था नहीं है, वे एक पैर पर खड़े होकर किसी तरह रात बिताते हैं। वहां सांप और बिच्छू का प्रकोप भी होता है वे गरीब लोग, जिनकी मासिक आय, सरकार 600-700 रुपये कहती है, लेकिन हमको लगता है कि 100-200 रुपये भी नहीं है। वे कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, रात को भूखे रह जाएंगे।

माननीय मंत्री जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि आप राज्य सरकारों को जो पैसा देते हैं, देश की पंचायत में सौ प्रतिशत न मानें लेकिन 10-20 भले लोग जरूर होंगे, उनकी कमेटी बनाएं जिससे दैवी आपदा के रूप में लूटने और खसोटने का जो धंधा इस देश में चल चुका है, उसकी कोई-न-कोई रेखा तय की जा सके *(व्यवधान)* आज बाढ़ का प्रकोप है, यह सितंबर में फिर आने वाला है। हम प्रदेश में रहे हैं, कोई ऐसा समय नहीं रहा जिस साल बाढ़ न आई हो और दो-चार लोग न मरे हों। मेरे कहने का मतलब है कि इसको गंभीरता से लेकर सदन की एक कमेटी बनाकर और एक टैक्नीकल कमेटी बनाकर हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि गांव को और जिसे इस देश की आत्मा कहते हैं, माननीय मंत्री जी भी कहीं-न-कहीं किसान परिवार से ही आते हैं, किसानों की जो माली हालत है, आजादी के 50 सालों के बाद आज किसान कहां पहुंच गया है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी जमीन हैं, जिनके ऊपर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं, जिनके पास दो बीघा जमीन है, जिससे वे साल भर की पूरी जीविका पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह मे बेचारे उस कगार पर हैं, जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम आपसे जरूर इस बात का निवेदन करेंगे कि यह बहुत गंभीर समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या को हमें मिल-बैठकर जरूर चिंतन-मंथन करने की जरूरत है।

श्री अनूप लाल यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, चूंकि आपने मुझे आखिरी वक्त में पुकारा है। बाढ़ पर चर्चा हो रही है, माननीय मोहन सिंह जी ने इस प्रस्ताव को लाकर और आपने उसकी स्वीकृति देकर चर्चा करने का मौका दिया।

मेरी चिंता को आप तभी से देखते होंगे, मैं भी बिल्कुल एक संयमित सदस्य हूं। मैं राजो बाबू की तरह ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 30 साल से था, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की आधी आबादी कोसी में पड़ती है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोसी कंट्रोल के लिए नेपाल से जो बाढ़ आती थी, वह बाढ़ की विभीषिका ऐसी थी, जिसका अगर मैं वर्णन करूं तो शायद आपका हृदय भी बिल्कुल पिघल जाएगा और

बिल्कुल दर्दनाक हालत हो जाएगी। वहां पूरब से लेकर बंगाल के नजदीक तक बहा करती थी, अभी दरभंगा और सहरसा की सीमा में भी अभी बह रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश को आजादी मिली और जब उन्होंने भारत सरकार की बागडोर संभाली तो पहला काम उन्होंने यह किया कि कोसी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दोनों तरफ तटबंध बनाया। नेपाल की सीमा में ही जब सर्वेक्षण हुआ तो उसका एक बैराज बनाया गया और बैराज बनाकर दोनों तरफ 13 किलोमीटर की दूरी में पूरब और पश्चिम में यह 13 किलोमीटर की दूरी है, उसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, उस तटबंध का निर्माण कराया गया और कोसी को उसके बीचों-बीच निकाला गया। वह फ्लड कंट्रोल कहलाया। उसकी स्कीम भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार का पूरा खर्चा उस नियंत्रण में लगा, कोसी को कंट्रोल करने में लगा। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि करीब 4.5 लाख आबादी उस कोसी तटबंध के दोनों तरफ रहती है, आधी आबादी सहरसा क्षेत्र की है। उसकी दशा के बारे में मैं चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि उस तटबंध के अंदर आदमी कैसे रहते हैं, उनकी हालत क्या हो रही है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू अब नहीं हैं, लेकिन उनका भाषण है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, उन्होंने कहा था कि हमेशा भारत सरकार इस तटबंध को बचाने के लिए और बीच के गांवों को बसाने के लिए इंतजाम करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी, लेकिन आज कोसी तटबंध का जो बैंड है, उसका जो पेट है, वह बालू से बिल्कुल भर गया है। उसमें सिल्टेशन की, बालू की बहुत बड़ी प्राब्लम है। *(व्यवधान)* हमको थोड़ा समय दीजिए। चूंकि वहां की जनता क्या करेगी, माननीय सोमपाल जी, मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं अखबार वाले कुछ छाप देंगे तो हमारी जनता तो जरूर कहेगी कि हमारे लिए कुछ तो बोल दिया है, इसीलिए मुझे समय दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से, सोमपाल जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि भारत सरकार की यह स्कीम है और जब बालू से उसकी तलहटी बिल्कुल भर गई है, इसलिए आज जब कोसी आती है तो छितराकर दूसरी जगह दोनों तरफ बहती है और हम लोगों को भी जो कोसी के एम्बैकमेंट के बाहर आते हैं, उसको भी बिल्कुल इफैक्ट कर जाता है, बहुत नुकसान करती है। अभी वहां बहुत बड़ी बाढ़ आई है, मैं इसी 18 तारीख को अपने यहां गया था। वहां तीन गांव बिल्कुल कटकर बांध के ऊपर चले गए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसे पोलीथीन देने वाला नहीं है, कोई दियासलाई देने वाला नहीं है। राशन का जहां तक सवाल है, जो बिहार सरकार देती है, अभी राजो बाबू ने ठीक ही कहा कि सड़ा हुआ गेहूं दिया जाता है, जिसे जनता खा नहीं सकती। मैं सोमपाल जी से बार-बार आग्रह करता हूं कि आप उसको देखिए, उसके दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम से कैनाल निकाली गई है, जिससे बहुत ज्यादा इरीगेशन होता है, लेकिन बालू से वह इतनी भर गई है कि दोनों कैनाल टूट गई हैं। इससे वहां की जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि हानि हो रही है। भारत सरकार के मंत्री वहां जाकर तीन-चार लाख की आबादी को देखें। भारत सरकार और नेपाल सरकार में बालू को छानने के लिए एक कोठार डैम बनाने का समझौता हुआ है, जो कि तीन वर्ष में बनना है। वहां की जनता की मांग है कि इसको पूरा किया जाए। अगर यह डैम बन जाता है तो निश्चित रूप से सिल्टिंग की प्राब्लम दूर हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए, आपके पास हवाई जहाज है, वहां जाएं और देखें कि लोगों की हालत क्या है। आप कहते हैं कि बिहार सरकार से प्रपोजल भिजवा दें कि बालू को साफ करके तटबंध बनाया जाए, वह कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार को देखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

असम में पिछली बार बाढ़ से आई तबाही हमारी याददाश्त में सर्वाधिक विनाशकारी रही है। कामरूप, नालबारी, लखीमपुर, सोनितपुर और बाराक घाटी जैसे सभी जिले सर्वाधिक प्रभावित थे। कामरूप और नालबारी जिलों के मेरे क्षेत्र में पूर्थामारी नदी के पुश्तों में सोनापुर के पास दरार पड़ गई है जिससे दस से बारह गांव प्रभावित हुए हैं और पगलाडिया नदी के पुश्तों में हवलखा और हानापारा के पास दरार आ गई है। नालबारी जिले का समूचा बाढ़ भाग और मुकालमुआ क्षेत्र और कामरूप जिले का हाजो क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कम-से-कम 69 व्यक्ति मरे हैं और 2,650 गांव जलमग्न हो गए हैं तथा 12,000 से भी अधिक लोग बेघरबार हो गए हैं। असम का लगभग समूचा क्षेत्र और असम की लगभग समूची आबादी बाढ़ से ग्रस्त है और वे बड़ी दु:खद स्थिति में हैं। असम में बाढ़ हर वर्ष आती है लेकिन इस वर्ष आई बाढ़ से जितनी हानि हुई है उतनी हानि पहले कभी नहीं हुई। लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और जैसा कि मैंने कहा है, प्रभावित गांवों की संख्या 3,000 के आसपास हो गई है। अपनी याददाश्त में ऐसी संकट की स्थिति का सामना हमने कभी नहीं किया। तथापि, अभी तक, प्रभावित लोगों के लिए बहुत थोड़ा किया गया है। पुनर्वास कार्य की बात तो दूर अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है। लोग खुले आकाश में रह रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। वे विभिन्न रोगों का शिकार हो रहे हैं।

मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार असम को एक दल भेजने पर विचार कर रही है जो कि एक अल्पकालिक उपाय हो सकता है। एक केंद्रीय दल को शीघ्र ही असम का दौरा करके हानि का जायजा लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां राहत सामग्री पहुंचे तथा पुनर्वास उपाय शीघ्रातिशीघ्र शुरू हों।

एक दूसरा अल्प-कालिक उपाय जिसे केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार को फौरन निधियां जारी करनी चाहिए ताकि यह प्रभावित लोगों को पहुंचे और उनको मदद मिल सके।

स्थायी और दीर्घकालीन उपायों के रूप में अनेक आयों के सुझाव दिए जा चुके हैं। श्री मोहन सिंह ने माननीय मंत्री का ध्यान ब्रह्मपुत्र नदी की ओर आकर्षित किया है। हालांकि यह बहुत खूबसूरत नदी है

[श्री भुवनेश्वर कालिता]

फिर भी यह असम के लोगों के लिए शोक नदी है। यह चीन से निकलती है जहां उसे त्सांग पो के नाम से जाना जाता है। चीन में शोक की नदी के रूप में जानी जाने वाली ह्वांग हो नदी की तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी असम के लोगों के लिए शोक की नदी बन गई है। जब तक ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित नहीं किया जाता, जब तक इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती तब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या का समाधान कभी नहीं किया जा सकता। उसके लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था लेकिन इससे लोगों को वह वांछित परिणाम नहीं मिले हैं जिसकी उन्होंने आशा की थी। जब तक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर काबू नहीं पाया जाता, ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री और केंद्र सरकार से इस संबंध में शीघ्र उपाय करने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। उसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की आवश्यकता है लेकिन यदि हम अन्य परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इस परियोजना पर भी हम हजारों करोड़ रुपये की दूसरी धनराशि क्यों नहीं खर्च कर सकते चाहे हमें विश्व बैंक से ऋण क्यों न लेना पड़े? आखिर उससे हम देश के उस हिस्से को बचा सकेंगे, इस प्राकृतिक आपदा से देश के उस हिस्से के लोगों की रक्षा कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में लें तथा इसका समाधान करें। धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई समय नहीं बचा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में उसके लिए दो घंटे नियत किए गए थे और हम पहले ही साढ़े तीन घंटे ले चुके हैं। कृपा समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री को उत्तर देना होगा। आप किसी अन्य विषय पर बोल सकते हैं। साढ़े सात बज चुके हैं। ठीक है, सबको एक-एक मिनट मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सदन में बाढ़ की विभीषिका पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। हर साल बाढ़ें आती हैं और इस सदन में उस पर गंभीरता से चर्चा होती है। जब भी बाढ़ आती है, उस समय चर्चा होती है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब बाढ़ नहीं भी आए, उस समय भी जो उसके लिए आयोग बने हुए हैं, वे इस पर गंभीरता से विचार करें कि कैसे बाढ़ को न आने दिया जाए। सदन में नदियों की गहराई को बढ़ाने के लिए भी चर्चा हो रही है। मैं सरकार का ध्यान बिहार राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं, बिहार राज्य में बालू की कीमत बढ़ा दी गई है और बालू आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। नदियों से बालू निकालना आम आदमी के लिए मुश्किल है। मैं सरकार से मांग करता हूं, आज प्रति ट्रक 200 रुपए बिहार में नदी के बालू की कीमत है, जिसे आम आदमी नहीं ले सकता। *(व्यवधान)* अधिकारी कभी नहीं चाहते कि बाढ़ न आए, क्योंकि बाढ़ कहीं आम आदमी के लिए अभिशाप है तो अधिकारियों के लिए वह वरदान के रूप में भी आती है। आम आदमी तबाह होता है और अधिकारियों की इमारतें बाढ़ के जरिए बनती हैं। धन्यवाद।

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं कि इस ज्वलंत समस्या पर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा रखी गई जो बाढ़ की समस्या है उस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हिन्दुस्तान तीन ऋतुओं का देश है—जाड़ा, बरसता और गर्मी। जब बरसात आती है तो जो पहाड़ और नदियां हिन्दुस्तान की हैं उन पहाड़ों की झीलों से और नदियों में पानी आ जाने से मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से पानी बढ़ता है उससे हमारे किसान, गरीब और हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं और हम इस 50 साल की आजादी में कोई ऐसी योजना नहीं बना सके कि हम इस बाढ़ के पानी को रोककर सिंचाई की व्यवस्था करें या बाढ़ से लोगों को बचा सकें, यही इस देश का दुर्भाग्य है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं।

महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने आपके सामने अपनी बातों को रखा है। हम जिस जनपद जौनपुर-से चुनकर आते हैं उस नगर को गोमती नदी दो भागों में बांटती है और उस गोमती नदी की बाढ़ से शहर के दोनों हिस्से जिस तरीके से प्रभावित होते हैं और लोग जिस तरीके से तबाही के कगार पर जाते हैं, इसके लिए प्रत्येक वर्ष योजनाएं बनती हैं। मई और जून में हमारे अधिकारीगण राज्य सरकारों से, देश की सरकारों से मिले और बात की कि बाढ़ को रोका जाए। फ्लड की मीटिंगें होती हैं, हम जनप्रतिनिधि भी उस मीटिंग में जाया करते हैं लेकिन आज तक कोई स्थायी योजना नहीं बन सकी और हम उसी चपेट में फंसते हैं। 50 साल की आजादी के बाद भी बाढ़ और सूखे की चपेट से किसानों की दुर्गति हो रही है, गरीब की हो रही है। यह सही है कि ये बड़े लोग कुछ इस तरीके से जीवनयापन कर रहे हैं जो वहां लौटकर देखते नहीं हैं।

महोदय, हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि गोमती नदी, जो जौनपुर को दो भागों में बांटती है और बाढ़ के कारण शहर का आवागमन कट जाता है, वहां प्रदूषण के नाम पर गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा प्रदूषण योजना के तहत आठ करोड़ रुपए दिया गया लेकिन आज तक उस प्रदूषण के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक योजना के लिए पूर्व की सरकार ने कहा था कि नगर के संपर्क बाढ़ में न कटें, इसके लिए एक पुल का निर्माण कराया जाए लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर की गोमती नदी के ऊपर जो पुल के निर्माण की योजना थी उसका निर्माण कराया जाए और बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाए। हमारा क्षेत्र गोमती, सई, बरूड़ा

और बसुही नदी से बाढ़ की चपेट में है तथा हजारों एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है, किसान प्रभावित होता है। मेरा अनुरोध है कि वहां कोई स्थाई व्यवस्था दी जाए, जिससे बाढ़ से बचाया जा सके। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र खगड़िया है और यह मध्य बिहार में पड़ता है। बिहार में बाढ़ आने के क्या कारण हैं, इस पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में पानी की दिक्कत होती है तो यह दूसरी जगहों से सिंचाई के लिए पानी ले लेते हैं और जब बाढ़ का समय आता है तो ये पूरा पानी छोड़ देते हैं, चूंकि बिहार से होकर सारी नदियां गुजरती हैं तो ये सारे बिहार को बरबाद करते हुए समुद्र में चली जाती हैं।

उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप जानते हैं कि अभी जो समुद्री तूफान में बर्बादी हुई तो भारत सरकार ने उसका डटकर मुकाबला किया और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। जहां उत्तरी हिस्से में हिमालय इस देश की रक्षा करता है, वहां उससे नुकसान भी होता है। वहां पानी काफी पड़ता है और वहां से पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आता है और वहां से फिर बाढ़ का रूप लेकर उत्तरी बिहार के भाग को बर्बाद करता है। यह एक साल की स्थिति नहीं है बल्कि हर साल की स्थिति है। चाहे कांग्रेस ने 40 साल तक शासन किया या फिर संयुक्त मोर्चा ने शासन किया या किसी और ने और वहां के सिंचाई मंत्री होते हुए भी उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नेपाल की तरफ से जो पानी आता है उसको कैसे रोका जाए? *(व्यवधान)* नतीजा यह है कि सातों नदियां चाहे गंगा हो, घाघरा हो, कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो, ये हमारे ही क्षेत्र में होकर जाती हैं और हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट करके चली जाती हैं। जो कोसी नदी है इसको ऊपर भी गंगा में मिला सकते हैं जो ये नीचे जाकर मिलाते हैं। अगर ऊपर ही खगड़िया के पास मिला दें तो नीचे के इलाके को यह बर्बाद न करे। इन नदियों को ऊपरी हिस्से में मिला सकते हैं। लेकिन अभी वे अपने-अपने इलाके में वेग से जाती हैं और कहीं भी आप फ्लड को रोक नहीं सकते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जहां दक्षिण बिहार में कभी बाढ़ नहीं आती थी इस बार 14 दिन की भारी वर्षा के कारण भगलपुर, मुंगेर, बांका जिला पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। वहां हजारों घर बाढ़ के कारण डूबे हुए हैं। *(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से केवल इतना चाहते हैं कि जो 100 लोग बांका और मुंगेर में मरे हैं उनको राहत दिलाई जाए। हजारों मकान जो ध्वस्त हुए हैं उनके निर्माण के लिए भारत सरकार अलग से मुआवजा दे।

डॉ० शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, हर वर्ष बाढ़ आती है और इस सदन में और विधान सभा में भी बाढ़ के बारे में चर्चा होती है लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाता। बाढ़ के बारे में दो-तीन मोटी-मोटी समस्याएं हैं। पहली तो यह है कि बाढ़ को कैसे रोका जाए? जहां इम्बैकमेंट है उनको कैसे प्रौटेक्ट किया जाए। जहां तटबंध नहीं हैं वहां नये तटबंधों का निर्माण किया जाए और अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के बाद रिलीफ के काम को सुचारु रूप से चलाया जाए।

मैं उत्तर बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आता हूं। वहां मुख्य रूप से बूथी-बालान, कमला-बालान और अधवारा समूह की नदियों से बाढ़ आती है। मंत्री जी मैं अपनी बात को और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह जल संसाधन मंत्रालय की बात है। अधवारा समूह की नदियों के दोनों तरफ तटबंध बनाने की योजना काफी दिनों से यहां लंबित है। वर्ष 1989 में इसका शिलान्यास भी हुआ था। अधवारा समूह की नदियां नेपाल से निकलकर बिहार में आती हैं। उन पर तटबंध बनाने के लिए शिलान्यास भी 1989 में हुआ था लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ सका। सेंट्रल वाटर कमीशन में वह काम रुका हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल संसाधन विभाग से कहकर रुके हुए काम को शुरू कराएं। भारत सरकार ने नेपाल में बैराज बनाए हैं लेकिन बाढ़ के समय नेपाल सरकार का व्यवहार भारत सरकार के अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार नेपाल सरकार से इस पर बात करे कि बाढ़ के समय जो सहूलियतें होनी चाहिए वह मुहैया कराई जाएं।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आप रिलीफ कोड बदलिए। रिलीफ कोड में यह बात है कि अगर किसी के घर में पानी आ गया, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। जो विस्थापित होंगे, उनको रिलीफ मिलेगा। यह बात नहीं होनी चाहिए। जिसके घर में पानी आ गया, वह भी विस्थापित के समान होता है। उसे भी रिलीफ मिलना चाहिए। आप बाढ़ से प्रभावित लोगों की पीड़ा को समझिए। हमारे यहां के लोग बाढ़ के समय कई पीड़ाएं सहते हैं। जो पिछड़े हैं, किसी वजह से दबे हैं, उनकी मदद की जाए। जो यहां से सामान जाता है, वह सामान ठीक हो और वह उन तक पहुंचना चाहिए। जहां एम्बैकमैंट नहीं बने हैं, वहां एम्बैकमैंट बनें। जो बने हुए एम्बैकमैंट हैं, उनकी मजबूती हो। आप रिलीफ कोड को बदलें और नेपाल से बात करें। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एच० पी० सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदय, केवरिया, बलुआ, नरकदा, पिपरपाती, सलेमपुर गांवों में कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। मैंने भोजपुर के डी० एम० से कहा था कि विगत वर्ष जिस तरह से गंगा में बांस-बल्ली आदि बांधकर इन गांवों को कटाव से बचाया था, उसी तरह से इस वर्ष भी इन गांवों को गंगा में विलीन होने से बचाया जाए। इस काम पर 30 से 50 लाख रुपए खर्च होंगे। मेरी अपील है कि इसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। नहीं तो 15 दिन में ये गांव जलमग्न हो जाएंगे। उनके लिए दवा और खाने की व्यवस्था की जाए। स्कूली बच्चों को बाढ़ से बचाया जाए। उनके लिए नौका की व्यवस्था की जाए। एक-एक विधान सभा क्षेत्र के लिए 150 से 200 नौकाओं की मांग की गई है। इनकी मांग को पूरा किया जाए। दूसरी जगहों से नौकाएं मंगा कर इसकी व्यवस्था की जाए। इसकी कोई परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए। गंगा के दोनों तरफ का इलाका बड़े-बड़े महापुरुषों की जन्म स्थली रहा है। प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, जगजीवन बाबू, जयप्रकाश बाबू, श्री ए० पी० शर्मा, बिन्देश्वरी दुबे जी, रामानन्द तिवारी जी का वह जन्म-स्थल है। फिरंगियों ने वीर कुंवर सिंह का दाहिना हाथ काटकर गंगा में फेंक दिया था।

जिस इलाके का प्रभुनाथ सिंह जी और वीरेन्द्र जी जिक्र कर रहे थे, वह मेरे क्षेत्र ख्वासपुर में पड़ता है। इसके 22 गांव कटाव में

[श्री एच०पी० सिंह]

बह गए। केवल 16 गांव बचे हैं। उसके एक तरफ गंगा है और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण बांध है। बांध के नजदीक गड्ढा हो गया है। खासपुर के लोग बाढ़ के आने से न किसी ऊंची जगह पर चढ़ पाते हैं और न ही सुरक्षित इलाके में आ पाते हैं। वहां के लोगों का जीवन मछली के समान हो गया है। मेरी अपील है कि वहां तत्काल राहत कार्य की व्यवस्था की जाए। लालू जी ने पीपा पुल बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए जल्द-से-जल्द पैसे की व्यवस्था कर पुल बनाया जाए। इससे वहां के लोग बच जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० बापीराजू (नरसापुर) : अध्यक्ष महोदय, चक्रवात और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों द्वारा झेली जा रही कुछ समस्याओं के बारे में बोलने का अवसर देकर आपने मुझ पर अनुकंपा की है। वर्ष 1997 में कृष्णा जिले का मछलीपट्टनम, भीषण चक्रवात एवं समुद्री लहरों के प्रभाव का हमने सामना किया है। यह एक बहुत ही दुखद अनुभव था, जिसमें हजारों जानें गईं और ऐसा पिछले सौ सालों में नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय इसी तरह वर्ष 1996 में आपके तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में हजारों जानें गई थीं। यह भी हमारे लिए एक दु:खद अनुभव था।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा।

ऐसा नहीं है कि मैं यह उम्मीद करूं कि भारत सरकार किसी राज्य में हुई हानि की शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति करेगी। जब भगवान ही मदद नहीं करेगा तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भारत सरकार हानि की शत-प्रतिशत क्षति पूर्ति करे? रोग की रोकथाम करना इलाज से बेहतर है। आप बाढ़ से होने वाले उत्तरवर्ती प्रभाव की रोकथाम हेतु कौन से कदम उठा रहे हैं? मैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसदों की एक समिति बनाएं जिसकी सहायता के लिए ऐसे अधिकारी हों जिन्हें चक्रवात एवं बाढ़ से संबंधित समस्याओं मे निपटने का अनुभव हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप अन्य सदस्यों को भी परेशान कर रहे हैं।

श्री के० बापीराजू : राज्यों के साथ समन्वय करने हेतु कृपया एक समिति गठित करें और एक बड़ा कार्यक्रम बनाने का प्रयास करें। मंत्री के नाते आपसे या आपकी सरकार से मुझे यह उम्मीद नहीं है कि आप या आपकी सरकार समस्त प्रयास कर सकेगी। आप पहल करें अच्छी योजना बनाएं, समस्या को पूरी तरह समझें और यह समिति कोई कार्यक्रम तैयार करे जिससे कि एक या दो दशक में कुछ किया जा सके। इस तरह की बाढ़ संबंधी समस्याओं को रोकने हेतु हमें प्रयास करने चाहिए।

महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि वहां कटाव की समस्या है। कटाव के कारण कई किलोमीटर भूमि बर्बाद हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आप पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं और मैं पश्चिम गोदावरी क्षेत्र से। दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर कटाव की समस्या है। अनुमान लगाया गया था कि हमें 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। मगर मैं यह उम्मीद नहीं करता कि सरकार एकदम से 300 करोड़ रुपए दे देगी। यद्यपि आपको दस वर्षों के लिए योजना बनानी होगी और कुछ करने के लिए प्रयास करना होगा। आज, असम में लोग भूख से मर रहे हैं।

मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राज्य सरकार में एक मंत्री के रूप में 1986 में मैंने दस किलो चावल देने की योजना शुरू की थी। जो पहले न तो भारत सरकार ने और न किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। मैंने इसकी शुरूआत की थी और आज यह योजना देशभर में कार्यान्वित की जा रही है। मुझे बताते हुए गर्व है कि मैंने यह योजना आरम्भ की और इसे जारी रखा जा रहा है।

महोदय, मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण से हमें संतुष्ट करें और कहें कि स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कृपया भविष्य के लिए योजना बनाएं। हमें विश्वास में लें और किए जाने जाने वाले स्थाई उपायों के बारे में बताएं। अपने अनुभव के बारे में और भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में हमे बताएं क्योंकि बाढ़ और चक्रवात संबंधी समस्याओं से लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन इस समय आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, यहां उपस्थित सदस्यों में मैं अंतिम वक्ता हूं लेकिन मैं अभी तक नहीं बोला हूं। माननीय मंत्री सारे वक्त यहां बैठे रहे और सारे वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुना। उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है। इन परिस्थिति में यह उचित होगा कि अधिकारियों का एक केंद्रीय दल केरल भेजा जाए जो दक्षिण-पश्चिम मानसून से राज्य को हुई क्षति का आकलन करके अपनी रिपोर्ट देगा। प्राकृतिक आपदा राहत कोष के प्रावधानों के तहत मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राहत कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि प्रदान करें। अन्यथा बाढ़ के कारण राज्य के लोगों को बहुत परेशानी होगी।

हमने स्कूलों में पहले से ही राहत शिविर आरंभ कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं और क्षेत्र के लोगों को उन स्कूलों में ठहराया गया है और गांव वालों की सहायता से तलुक तहसीलदार राहत शिविरों का संचालन कर रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है।

मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि वहां केंद्रीय दल तुरंत भेजें और कृपा करके आरंभ में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएं, यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस

प्राकृतिक विभीषिका जिसको बाढ़ कहा जाता है, उससे हुई विनाशलीला के संबंध में उन्होंने अपने अनुभव और उनके अपने-अपने क्षेत्रों में जो उससे जन-धन की हानि हुई है और प्रतिवर्ष होती रहती है, उसकी वास्तविक जानकारी सदन को और सरकार को देने का कष्ट किया।

भारत सरकार के पास अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों की सरकारों से प्रतिवेदन आए हैं और उन्होंने सूचित किया है कि वर्षा, बाढ़, चक्रवात और भू-स्खलन के द्वारा काफी जन-धन की हानि इन प्रदेशों में हुई है। ऐसी स्थिति अधिकतर 1 जून, 1998 के बाद, जबकि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद हुई। इस क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

इसमें 92.2 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है; 2.33 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुई है; 2.95 लाख मकान या झोंपड़ियां नष्ट हुई हैं; 1519 मनुष्यों की जानें गई हैं और 64,397 पशु काल-कवलित हुए हैं। इससे पूर्व भी जब मानसून नहीं आया था—असम, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के व्यापक क्षेत्र अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए थे जिसमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और समुद्री तूफान सम्मिलित थे।

जहां तक इन आपदाओं से निपटने का संबंध है, बार-बार इस सदन में कहा जा चुका है, पुन: मैं उसे कहना चाहता हूं कि मूलत: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बार-बार ये कठिनाइयां पैदा होती रहीं, प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, इन्हीं अनुभवों के आधार पर 1995 में दसवें वित्त आयोग ने, इन राज्यों की बार-बार केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजने, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने और उसके आधार पर केंद्रीय दल को राज्य में क्षति का आकलन करने हेतु भेजने के संबंध में जो निर्णय में विलंब होता था, उसको दृष्टि में रखते हुए एक नयी व्यवस्था स्थापित की थी। उसमें एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया गया जिसमें 1995 से लेकर 2000 तक के वर्ष में 6300 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की राशि निर्धारित की गई थी। उसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि 75 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होगा।

रात्रि 8.00 बजे

राज्य सरकारों को बार-बार केंद्र सरकार के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस राशि में से वे उस आपत्ति से निपटने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार और वित्त आयोग ने यह व्यवस्था की और इन दोनों व्यवस्थाओं के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद, माननीय प्रधान मंत्री जी, केंद्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सभी मुख्य मंत्री जिसके सदस्य होते हैं। उन्होंने यह व्यवस्था स्वीकार भी की कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया जाए। उसके लिए सात सौ करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। वर्ष 1996-97 में उसमें 120 करोड़ रुपये की राशि और जोड़ दी गई। उसमें यह व्यवस्था थी कि यदि राज्य सरकार आपदा राहत कोष में नियत और आवंटित राशि से और दूसरी योजनाओं के तहत मिलने वाले संसाधनों से उस आपदा से होने वाली क्षति की पूर्ति करने और उससे निपटने और उसमें राहत का काम करने में सक्षम नहीं रहती है तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केंद्र सरकार उसमें सहायता कर सकती है। परंतु उसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि जो प्रभावित राज्य है, उसकी सरकार केंद सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और जैसे ही वह प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जैसे ही वह स्मरण पत्र मिलता है, केंद्र सरकार अपना एक अध्ययन दल उस क्षति का आकलन करने के लिए भेजती है। उसमें यह बात भी निर्धारित की गई कि यदि वह बहुत असाधारण प्रकार की आपदा हो, अंग्रेजी में उसको रेयर सीवियरटी कहा गया, जब तक वह रेयर सीवियरटी नहीं होगी, तक तक इस केंद्रीय आपदा राहत कोष से राशि नहीं दी जाएगी। केंद्रीय अध्ययन दल को इस बात का निर्धारण करने के लिए कि वास्तव में वह असाधारण आपदा है या नहीं, उसके लिए भी कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए। उनके आधार पर केंद्रीय दल वहां जाता है, उसका अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और जो भी उसका क्षति के संबंध में आकलन होता है, उस आकलन को फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप समिति है, जिसे नेशनल कैलामिटी रिलीफ कमेटी कहते हैं, केंद्र के कृषि मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्र के दो मंत्री, जिनमें वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस बार लिया गया है और पांच राज्यों के मुख्य मंत्री उसके सदस्य होते हैं। इस वर्ष के लिए जो समिति गठित हुई है उसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश इन पांच राज्यों के मुख्य मंत्री उस समिति में हैं। अध्ययन दल का वह क्षति प्रतिवेदन उस समिति के समक्ष रख दिया जाता है और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वह राहत राशि उस राज्य सरकार को दे दी जाती है। बार-बार सदस्य जब यह मांग करते हैं कि केंद्र पैसा दे, केंद्र पैसा दे, केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का कोई विभाग, उपक्रम अथवा मंत्रालय हो, वह किसी निश्चित व्यवस्था के तहत चलता है। वह किसी बजट प्रावधानों के आय-व्यय अनुमानों के जो पूर्व से निर्धारित होते हैं, उनके अनुसार कार्य करता है। उसके पास मनमाने ढंग से किसी भी मद में किसी भी कार्य के लिए धन आवंटित करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। जहां तक इस वर्ष और उसके पूर्व वर्षों का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 1995-96 में इस राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता मांगने के लिए 19 स्मरण पत्र 17 राज्य सरकारों ने प्रस्तुत किए थे। 1996-97 में 18 राज्यों ने 23 प्रतिवेदन भेजे। 1997-98 में 25 पत्र 16 राज्यों के द्वारा भेजे गए। 1997-98 में 20 केंद्रीय दल गठित किए गए और विभिन्न राज्यों में अध्ययन करने के लिए भेजे गए। इन्हीं तीन वर्षों में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जो राशियां अवमुक्त की गई हैं, वे इस प्रकार हैं 1995-96 में 225.69 करोड़, 1996-97 में 268.08 करोड़ और 1997-98 में 273.37 करोड़। इस प्रकार 767.14 करोड़ रुपये की कुल राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी गई जिसमें मूलत: केवल 700 करोड़ की राशि उपलब्ध थी।

[श्री सोमपाल]

रात्रि 8.04 बजे

[श्री पी० एम० सईद *पीठासीन* हुए]

यह पूर्ति तब हो पाई जब 1997-98 में 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया।

सभापति महोदय, जहां तक इस वर्ष का संबंध है, 1998-99 में केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सहायता के लिए स्मरण पत्र भेजे हैं जो सूखा, अतिवृष्टि और चक्रवात से होने वाली हानि के संबंध में हैं। पश्चिमी बंगाल में जो टौरनेडो आया था, सांसदों को याद होगा, उसे देखने के लिए प्रधान मंत्री जी ने मुझे भेजा था। उसे देखने के लिए हम गए थे। उस अध्ययन दल ने यह पाया कि इसे असाधारण प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता क्योंकि जो मानदंड उपलब्ध हैं, उनके अनुसार इसे रेयर सीवियरिटी की संज्ञा देना कठिन पाया गया। जहां तक केरल सरकार के स्मरण पत्र का संबंध है वह अभी भी विचाराधीन है। गुजरात और सिक्किम राज्यों ने भी, इन दो राज्यों के अतिरिक्त सहायता की मांग की है। गुजरात ने 610.65 करोड़ रुपए की राशि और सिक्किम ने 103.07 करोड़ रुपए की राशि मांगी है। गुजरात में केंद्रीय दल 25 से 27 जून तक गया था। जो अंतर मंत्रालय समिति बनाई जाती है जिसे अधिकारियों का इंटर मिनिस्टीरियल ग्रूप कहा जाता है, उसने 14 जुलाई को इसके ऊपर विचार किया। केंद्रीय दल 13 से 16 जुलाई तक सिक्किम गया था। उनका प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है, किसी भी समय आ सकता है।

सभापति महोदय, असम और पश्चिमी बंगाल ने हाल ही में अपने मैमोरेंडम प्रस्तुत किए हैं जिनमें असम ने 287.75 करोड़ रुपए और पश्चिमी बंगाल ने 78.23 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा कि कब वहां टीम भेजी जाए और फिर उसका आकलन होगा।

सभापति महोदय, जहां तक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का संबंध है, उसमें करीब 63,427 करोड़ रुपए की कुल राशि का प्रावधान था। किस-किस राज्य का कितना हिस्सा है, यह ब्यौरा बहुत लंबा है, आप कहें, तो मैं पढ़ सकता हूं या अगर आप चाहें तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। किस-किस राज्य को कितना-कितना दिया गया, वह भी इसमें है। मैं आपकी अनुमति से इस विवरण को सदन के पटल पर रखता हूं। इसमें केंद्र का कितना हिस्सा था और राज्यों का कितना था वह सब दिया हुआ है। जहां तक आपदा राहत कोष का संबंध है उसमें जब कभी इस प्रकार की आपदा आती है और राज्य सरकार की तरफ से मांग आती है तो उसे धनराशि दी जाती है। इसके अलावा इसमें एक और कदम उठाया गया है कि अग्रिम किस्तें अवमुक्त कर दी जाती हैं—यानी एडवांस इंस्टालमेंट दे दी जाती हैं। इस मद से गुजरात को 10 जून को अग्रिम राशि दे दी गई थी जिसे पहली जुलाई को दिया जाना था। इसी प्रकार से उड़ीसा को 26 मार्च को दे दी गई, जो पहली अप्रैल को जानी चाहिए, सिक्किम को 24 जून को दे दे गई जो पहली जुलाई को जानी थी और पश्चिमी बंगाल को 26 मार्च को दे दी गई जो पहली जुलाई, 1998 को जानी चाहिए थी। आप चिंता मत करिए, मैं सभी के बारे में जिक्र करूंगा। अभी आप बैठे रहिए। सभापति महोदय, अब सवाल इस बात का आता है कि जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है इससे राशियां कैसे और किसको कितनी दी जाएं, उसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं। जहां तक एक्सग्रेशिया रिलीफ का संबंध है उसमें जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है उसके आश्रितों को 20,000/- रुपए सहायता राशि दी जाती है, जिसका कोई अंग चला जाता है, उसको 10,000/- रुपए की राशि दी जाती है और जो उनके आश्रित रह जाते हैं, उनको प्रतिदिन रु० 5/- प्रति वयस्क और रु० 3/- प्रति शिशु को दैनिक आधार पर राहत दी जाती है। जहां तक वस्त्र और बर्तनों का सवाल है उनके लिए ढाई-ढाई सौ रुपए, इस प्रकार से रु० 500/- की राशि दी जाती है। 250-250 रुपए के हिसाब से 500 रुपए की राशि दी जाती है। उनको पोषक आहार के लिए 1 रुपए 5 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। छोटे और सीमांत कृषकों को उनके खेत में से मिट्टी निकालने के लिए 25 प्रतिशत से सवा 33 प्रतिशत की लागत प्रतिदिन की होती है। 500 रुपए प्रति हैक्टेयर उनको निवेश का खर्चा करने के लिए, जो आगामी फसल है, उसमें उनका जो खर्चा होगा, उसके लिए दिया जाएगा। यदि उनकी भूमि बाढ़ में समाप्त हो गई है या कट गई है तो 5 हजार रुपए प्रति परिवार दिया जाता है। इसके अलावा जो रोजगार योजनाएं हैं, उनके तहत उनको कुछ राशि दी जाती है। पशुओं के मरने या क्षतिग्रस्त होने पर कुछ पैसा दिया जाता है। उनके चारे के लिए 8 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। इस प्रकार मछुआरों के परिवार को कुछ दिया जाता है। *(व्यवधान)* यह सब जाता है तो सब दिया जाता है। *(व्यवधान)* चैक तो राज्य सरकार लगाती है। *(व्यवधान)* चैक की बात भी मैं बताऊंगा। इस प्रकार यह बहुत सारी चीजें हैं। यह सारा विवरण मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। मैं पुन: यह बात कहना चाहता हूं कि मूलत: यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। 1989-90 तक पहले मार्जिन मनी देने की व्यवस्था थी जिसको बदलकर 10वें वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे नवीनतम व्यवस्था में परिवर्तित किया। जो अभी तक विद्यमान है और चालू है। अब मैं राज्यवार ब्यौरा देना चाहूंगा। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, तो वहां इस वर्ष वर्षा और भूस्खलन के कारण कुछ क्षति हुई। ज्यादातर 23 और 24 मई 1998 को भूस्खलन हुआ व 9 जुलाई 1998 को बाढ़ आई। जहां तक क्षति का ब्यौरा है तो लोहित दरांग, वेस्ट सियांग और ईस्ट सियांग, इन जनपदों में ज्यादा नुकसान हुआ। इसमें 52 ग्राम प्रभावित हुए और 19 लोग भूस्खलन में मारे गए। 26 हजार लोग इसमें प्रभावित हुए और 330 मकान क्षतिग्रस्त हुए। 16 पशुओं की जान गई। जहां तक केलेमिटी रिलीफ का सवाल है तो अरुणाचल प्रदेश को 7.81 करोड़ रुपए दिए गए जिसमें से 5.84 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के थे और 1.95 करोड़ रुपए राज्य सरकार के थे। *(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : क्या आप बाकी राज्यों का भी ब्यौरा देंगे?

श्री सोमपाल : मैं सभी का दूंगा। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कोई भी मेमोरेंडम केंद्र सरकार को नहीं दिया गया इसलिए राष्ट्रीय आपदा कोष से कोई राशि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी तरह

असम में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से नुकसान हुआ। जहां तक भूस्खलन की बात है तो वह घटनाएं 3 जून को हुई और बाढ़ 10 जून और उसके बाद आई। मुझे अभी तक जो रिपोर्ट मिली है, उसमें 20 जिले प्रभावित हुए हैं जिसमें भीमाजी, नार्थ लखीमपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर, गोलाघाट, नौगांव, मोरीगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, दरांग, बरपेटा, कामरूप, कछार, करीमगंज, बोगांईगांव, नार्थ कछार हिल्स, धुबरी, ग्वालपाड़ा हैं। इसमें 3443 गांव प्रभावित हुए हैं। 77 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 75.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें फसल क्षेत्र 1.51 लाख हैक्टेयर है। कुल जनसंख्या 25.46 लाख प्रभावित हुए। 3466 मकान गिरे। वहां के सरकार ने 135 शिविर इस आपदा से निपटने के लिए खोले। जहां तक आपदा राहत कोष का सवाल है तो उसमें से 55.47 करोड़ रुपए की राशि असम को 1998-99 के लिए आवंटित की गई जिसमें 41.6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का भाग है और 13.87 करोड़ रुपए राज्य का भाग है। सैंट्रल शेयर 20.8 करोड़ रुपए का दो-तिमाही किश्तों में पहले से दिया जा चुका है। जहां तब राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता का सवाल है, 15 जुलाई को असम सरकार की ओर से यहां स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 287.75 करोड़ रुपए की मांग की है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह विचाराधीन है। *(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता : आपने जो राहत की बात की है, जो रिलीफ कैंप खोला है, हम उससे सहमत नहीं हैं। रिलीफ कैंप सिर्फ एक दिन के लिए खोला गया था। यह तो सिर्फ नंबर है।

श्री सोमपाल : इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो भी रिपोर्ट आती है, वह राज्य सरकार की है और हमें उसी के ऊपर निर्भर करना होता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : हम उससे सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप भले ही सहमत न हों मगर सरकार को सहमत होना होगा।

श्री के० बापीराजू : मैंने आपसे संपूर्ण स्थिति के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन करने का अनुरोध किया था।

श्री सोमपाल : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय : उत्तर देने के बाद यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो स्पष्टीकरण दिया जाएगा। बीच में ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, बिहार में केवल बाढ़ से जो क्षति हुई है, 9 जुलाई के बाद से ये सूचनाएं आनी शुरू हुईं, उसमें 15 जनपद मुजफ्फरपुर, शोहर, सीतामढ़ी, पूर्व चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, सुपोल, बांका, मधेपुरा और भागलपुर प्रभावित हुए हैं। *(व्यवधान)* हमारे बस की बात नहीं है, यह राज्य सरकार से रिपोर्ट आती है। *(व्यवधान)* कभी-कभी ऐसा हो जाता है। *(व्यवधान)*

श्री एच० पी० सिंह : वहां पर चारों—दो भाजपा और दो समता के *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हरपाल सिंह जी, पूरा रिप्लाई होने के बाद यदि आपको कोई क्लैरीफिकेशन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बीच में बोलेंगे तो अधूरा रहेगा। *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सभापति जी, इन्होंने जो जानकारी दी है, उसकी रिपोर्ट तो मंगा सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, इनकी कचहरी का कलैक्टर डूब गया। कलैक्टर बह गया था तो मछली वाले जाल से उसे छानना पड़ा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय का रिप्लाई पूरा होने के बाद यदि कोई क्लैरीफिकेशन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बीच में बोलेंगे तो मुश्किल होगा। *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : उसमें 44 विकास खंड प्रभावित हुए हैं, 270 पंचायत क्षेत्र और 617 गांव, तीन व्यक्ति बाढ़ में मारे गए हैं, करीब 25,000 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है जिसमें से 4,000 हैक्टेयर कृषि भूमि जो फसल के अंतर्गत थी, वह प्रभावित हुई है। उसमें फसल का जो नुकसान हुआ है, अभी तक राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसका मूल्य तीन लाख रुपए है, नौ लाख जनसंख्या *(व्यवधान)*

श्री एच० पी० सिंह : नौ लाख जनसंख्या और तीन लाख रुपए, आप अपने आप हिसाब लग सकते हैं कि कैसे होगा। *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : आप बार-बार क्यों हस्तक्षेप करते हैं। यह राज्य सरकार का काम है, इसे एक बार समझ लीजिए या पचास बार समझ लीजिए, वही उत्तर दिया जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहां पर जो भी आंकड़े बताए जाते हैं, राज्य सरकार से जो रिपोर्ट आती है, वे उसी के आधार पर हैं। आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसी बात है तो मंत्री जी को लिखकर दे सकते हैं।

श्री सोमपाल : 1008 घर नष्ट हुए हैं और पांच लाख रुपए की सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। बिहार सरकार ने 39 शिविर खोले हैं और 1158 नावें सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज, मधेपुरा और पश्चिमी चंपारन जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगाई हैं, 29 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और पशु चिकित्सा के लिए 35 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 55.73 क्विंटल खाद्य का वितरण किया गया। सिहोर और गोपालगंज जनपदों में जहां तक

(व्यवधान)

श्री एच० पी० सिंह : वह हमारे यहां पानी की मेन जगह है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हरपाल सिंह जी, जो भी आप उठ खड़े होकर कुछ बोलेंगे, अगर मिनिस्टर साहब बैठेंगे तो इसको ईल्ड बोलते हैं और ऐसा होगा तो आपको पूछने का अवसर मिल जाता है। जब मिनिस्टर ईल्ड नहीं करते हैं तो मैं आपको मौका नहीं दे सकता, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पूरा जवाब सुनने के बाद अगर कुछ पूछना है तो फिर पूछिए।

श्री सोमपाल : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे कल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, मैं फिर भी तसल्ली से उत्तर दे रहा हूं। इसका उत्तर फिर भी यही रहेगा कि राज्य सरकार देगी, आप कितनी ही बार कह लीजिए, उससे उसकी गुणवत्ता पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप पूरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगर कोई क्वश्चन करना हो तो पूछेंगे। *(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : जहां तक राहत कोष का प्रश्न है, बिहार को 57.63 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें 43.22 करोड़ रुपए केंद्र का अंशदान है, वह दे दिया गया है और जो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, उसमें बिहार सरकार की ओर से कोई भी चिट्ठी अभी तक केंद्र को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उस पर विचार करने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है।

इसी तरह गुजरात के संबंध में पूरा विवरण है, आप कहें तो मैं सभा पटल पर रख देता हूं।

सभापति महोदय : आप सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री सोमपाल : आप केरल के विषय में सुनना चाहेंगे? *(व्यवधान)* मैं वह टेबिल पर रख देता हूं। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल *(व्यवधान)*

उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण क्षति हुई है। दो प्रकार की घटनाओं की सूचना है। भारी वर्षा और भूस्खलन की इन घटनाओं की सूचना 15 जुलाई से लेकर अब तक की है। प्रभावित जनपदों की कुल संख्या 16 है, इसमें गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, टिहरी-गढ़वाल, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बागेश्वर, खीरी, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, पिथौरागढ़ और फैजाबाद। 1610 गांव प्रभावित हुए हैं, 57 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 1.48 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसमें से फसल 67 हजार हैक्टेयर की है। 9.97 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है, 221 मकान गिरे हैं और 257 पशुओं की जानें गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 154 चौकसी की चौकियां स्थापित की हैं, 35 राहत शिविर स्थापित किए हैं, 545 नावें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगाई हैं और 16,700 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर बाढ़ क्षेत्र से हटाकर पहुंचाया गया है, 900 पशुओं को भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हटाया गया है। 110.76 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से 1998-99 में दी गई है, जिसमें 104.07 करोड़ केंद्र सरकार का इसमें अंशदान है, जो इस साल का है। उसमें से दो किश्तें 52.04 करोड़ की उनको अवमुक्त कर दी गई हैं। उनकी तरफ से अभी कोई स्मरण पत्र नहीं आया है। *(व्यवधान)* वह दूसरे उसमें जाएगा, पर आवश्यकता पड़ती है तो अग्रिम राशि दे दी जाती है। कोई स्मरण पत्र उनकी तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनके संबंध में भी जानकारी है। *(व्यवधान)* जी नहीं।

[अनुवाद]

केरल के कुछ माननीय सदस्यों ने तटीय सुरक्षा जोन के सृजन से संबंधित मामले उठाए हैं। यह योजना अब तक तैयार नहीं की गई है। नौ समुद्र तटीय राज्यों में और एक संघ राज्य क्षेत्र में से केवल तीन राज्य नामत: केरल, कर्नाटक और गुजरात की योजनाएं मंजूर की गई हैं; महाराष्ट्र और पांडिचेरी द्वारा अपनी योजनाएं अब तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं; तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्यों को केंद्रीय जल आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अपनी योजनाओं में संशोधन करना पड़ा और ये अभी भी प्रतीक्षित हैं।

इन राज्यों ने अब तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। इन योजनाओं के प्राप्त होने के तुरंत बाद ही इनकी समुचित कार्यवाही की जाएगी और तत्पश्चात् इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के बारे में एक सुझाव था। यह सुझाव दो अथवा तीन माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं।

[हिन्दी]

यह संगठन 1972 में स्थापित किया गया था। उसने 23 मास्टर प्लान बाढ़ से दीर्घकालीन रूप से निपटने के लिए बनाए थे। गंगा के बेसिन में जितने भी राज्य हैं, उनके पास उसे स्वीकार करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए भेज दिया गया है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के पास इन योजनाओं को लागू करने के आदेश नहीं हैं। यह राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारें जब भी उनको स्वीकार करके सरकार को कहेंगी, उसके लिए उनको धन का आवंटन कर दिया जाएगा। जहां तक बाढ़ की पूर्व सूचना के संबंध में कुछ सदस्यों ने कहा तो लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सरकार ने 157 संगठन स्थापित किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ताजेवाला के पास है, पंजाब में भाखड़ा नांगल के पास है। जब पानी ऊपर के क्षेत्रों से कैचमेंट एरिया से आता है, उसकी सूचना आगे भेज दी जाती है और राज्य सरकारों को यह भी कहा जाता है कि लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहले से पहुंचा दें। जो संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए।

एक योजना, जो मोहन सिंह जी ने भी कही, फ्लड प्लान जोनिंग की बनाई गई है। जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्र हैं, उनको चिह्नित करके राज्य सरकारों से कहा गया था कि वहां लोगों की बस्तियां बनाने के लिए चाहे ग्रामीण बस्ती हो, चाहे शहरी बस्ती हो या औद्योगिक बस्ती हो, कानूनन रूप से उस पर प्रतिबंध लगाएं और अपने-अपने राज्यों में फ्लड प्लान जोनिंग कानून बनाकर उसे लागू करें। परंतु किसी भी राजय सरकार की तरफ से इसकी क्रियान्विति की बात अभी तक नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में जो बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना की बात थी, वह आठवीं पंचवर्षीय योजना से लागू

है। बिहार सरकार को इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिए गए थे। आज तक भी उसका उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र बिहार सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आगे राशि देना संभव नहीं है। यही योजना गंगा के बेसिन के दूसरे राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं, उनको भी सुलभ कराए जाने का प्रस्ताव है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को भी इस योजना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक भारत-नेपाल के बीच साझी नदियों के नियंत्रण का प्रश्न है, जिसके बारे में मोहन सिंह जी ने और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सभी साथियों ने एक स्वर में इसकी आवश्यकता के बारे में बताया, उनके साथ चर्चा करके यह बात करने के लिए भारत सरकार से कहा है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि नेपाल के साथ पंडेश्वर योजना और महाकाली की संधि हुई थी। उसके तहत एक विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाने की बात की गई है। कर्नाली परियोजना के संबंध में भी विचार हुआ है और जहां तक उसमें कितनी प्रगति हुई, यह मैं नहीं कह सकता, पर यह चर्चा चल रही है, उसमें दो देशों का संबंध है। नेपाल सरकार कितनी दूरी तक हमसे सहमत होगी और कब यह योजना बनेगी, इसका निश्चित समय बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जहां तक यह बात कही गई है कि नेपाल में स्थित कुछ ऐसे जलाशय हैं, जिनसे अधिक मात्रा में जल छोड़ने की बात आई है, यह बात सही नहीं है, नेपाल में ऐसा कोई जलाशय नहीं है जहां से ऐसा पानी छोड़ा जा सके।

असम के संबंध में एक सूचना देना चाहता हूं। उनको बीस करोड़ रुपए की राशि लोन के रूप में दी गई थी।

[अनुवाद]

वे इसे एकमुश्त अनुदान के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। यह मामला योजना आयोग के समक्ष लंबित है और इस पर ज्यों ही वे विचार कर लेंगे, हम इसकी सूचना असम सरकार को दे देंगे।

[हिन्दी]

ब्रह्मपुर बोर्ड के द्वारा जो योजना बनाई गई है, जिसमें पगलदिया योजना की बात है, उसको नौवीं पंचवर्षीय योजना में पब्लिक इन्वैस्टमैंट बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। यदि उनकी स्वीकृति मिली, तो उसकी क्रियान्विति के लिए कदम उठाए जाएंगे। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो 500 करोड़ रुपए की राशि की बात कही थी, उसके वितरण के लिए सारे कार्यक्रम बना लिए गए हैं। यह योजना 1997 में योजना आयोग के पास आई थी, उनसे जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, यह राशि आवंटित कर दी जाएगी। चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले पानी को डाइवर्ट करने की बात से भारत सरकार अवगत है। यह बात वहां के समाचार पत्रों में निकली है और उसी के आधार पर भारत सरकार को जानकारी है। चीन से इसके संबंध में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यह योजना 25-30 वर्षों की है। योजना बहुत अधिक व्यवसाध्य है, इसलिए इसको करना इतना आसान नहीं है। इस संबंध में मैं इतना ही सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार इससे अवगत है और इसकी जानकारी भारत सरकार को है।

मोहन सिंह जी ने चर्चा को प्रारंभ करते हुए उन्होंने समयबद्ध, समग्र, समेकित राष्ट्रीय बाढ़ मुक्ति योजना की बात कही है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन जहां तक अन्य प्रकार की सहायता की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। जहां तक इससे ज्यादा राशि मुक्त करने की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी प्रक्रिया, मानदंड और जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित हैं, यह उसी रूप में दिया जा सकता है और उसमें बराबर दिया जा रहा है। उत्तर-दक्षिण नदियों के लिए आपने दो योजनाओं की बात कही है। इस बारे में मैं पहले ही प्रश्न काल में एक-दो बार कह चुका हूं कि उत्तर भारत की 14 नदियां, जिनमें गंगा-यमुना नदियां भी हैं, और दक्षिण की 17 नदियों की एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल स्थानांतरण की योजना बनाई गई है। उसका प्राथमिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार है, लेकिन इस संबंध में विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों ने तो प्राकृतिक प्रवाह को हटाकर दूसरी जगह ले जाने की बात कही है। इससे बहुत सारी समस्याएं, जैसे जो सड़कें बनी हैं, रेल लाइनें बनी हैं, नहरें बनी हैं, पैदा होंगी और इन्हीं के कारण बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हुए हैं। इतनी बड़ी जलराशि को जिसमें कभी भी प्राकृतिक दृष्टि से वर्षा कितने बड़े क्षेत्र में है और किन-किन नदियों से बाढ़ और कैसे नियंत्रण किया जाए, यह व्यवहार्य है या नहीं, इस संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है। इसकी टैक्नीकल और प्राइमरी फिजीबिलिटी रिपोर्ट, दोनों बन चुकी हैं और इस संबंध में निर्णय लेने में समय लगेगा। इसके ऊपर जो व्यय होना है, वह फिलहाल किसी भी साधन से बस की बात नहीं है।

आपने जलकुंडी योजना की बात भी कही है। यह महत्वपूर्ण बात है। जलकुंडी योजना के तहत, नदियों के प्रवाह के आसपास के क्षेत्रों में जलाशय का निर्माण करके लाभ उठाया जा सकता है। उसमें बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है। मत्स्य पालन किया जा सकता है। वर्षा के इतर के जो महीने हैं, उन महीनों में उसको भूमिगत जलस्रोतों का भरण किया जा सकता है। इस बारे में सरकार की वाटरशैड मैनेडमेंट स्कीम है। इसमें इसका समावेश है और इसको लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो 25 वर्ष की योजना है, यह उसी योजना का एक कम्पोनेंट है।

टिहरी परियोजना के संबंध में सरकार की नीति अदलती-बदलती रही है। आपको इस बारे में सारा इतिहास मालूम है। इस बारे में अद्यतन जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि एक परियोजना बनाई गई थी और इस संबंध में निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था, जिससे अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो।

चर्चा में श्री राम नगीना मिश्र, श्री पवन सिंह घाटोवार, श्री रामनारायण पासी, श्री सब्रत मुखर्जी, श्री इन्द्रजीत मिश्र (खलीलाबाद), श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल), प्रो० प्रेमसिंह चन्दू माजरा, श्री मोतीलाल वोहरा, श्री हरिकेवल प्रसाद सिंह--हमारे पूर्व अध्यक्ष जनता दल, श्री रामपाल सिंह, श्री वी० वी० राघवन केरल से, श्री बच्ची सिंह--जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में एक विशेष बात कही कि उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं माना जाता। मेरी समझ में इस बारे में नियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। माननीय राजो सिंह जी, बेगूसराय, वीरेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने सिंचाई

[श्री सोमपाल]

व्यवस्था के बारे में ज्यादा बात कही है, बाढ़ के विषय में कम बात कही है, परंतु उनके सुझाव उपयोगी अवश्य हैं। श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन, केरल, श्री रामदास आठवले, जो कि चले गए हैं, उनका कहना था कि हम परंपरागत उत्तर सुनना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी० एम० सईद) : श्री राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बारे में क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : मैं अब उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। उनको विस्तृत उत्तर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम परंपरागत उत्तर सुनना नहीं चाहते, परंतु बाढ़ भी परंपरागत रूप से आती है और सरकार की भी परंपरागत विरासत हमको मिली है तथा जो भाषण और चिंतन है वह भी परंपरागत है, इसलिए उत्तर भी स्वाभाविक रूप से परंपरागत ही होगा। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने बुंदेलखंड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो राष्ट्रीय पनधारा योजना है उसमें हमने बुंदेलखंड को विशेष रूप से चिह्नित किया है, क्योंकि यह कम वर्षा का और किसी भी बड़े जल स्रोत से अभाव वाला क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसमें जल संभरण और वर्षा जल ग्रहण तकनीक के माध्यम से न केवल बाढ़ को रोका जा सकता है बल्कि वहां की सिंचाई और पेयजल की समस्या का भी स्थायी निदान पाया जा सकता है। आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह उस राष्ट्रीय योजना के अंदर पहले से समाविष्ट है। श्री बैसीमुथियारी, श्री प्रभुनाथ सिंह ने प्रात: स्मरणीय लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्मभूमि के संबंध में कहा है। उसके संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक पत्र मुझे विस्तार से लिखें तो मैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को और बिहार सरकार को भी अपनी ओर से संस्तुति करके भेज दूंगा। *(व्यवधान)* जहां आपका आदेश होगा, जहां आप कहेंगे वहां भेज देंगे, आप केंद्र में कहेंगे तो वहां भी भेज देंगे। श्री ओमप्रकाश सिंह ने गाजीपुर में भ्रष्टाचार की बात कही। बाढ़ में पानी की बात तो आती है, भ्रष्टाचार की भी बाढ़ आती है, यह बड़ा दुखद अध्याय है, क्योंकि उस समय नागरिकों की विवशता होती है, कितनी क्रूरता से उनका शोषण करते हैं, परंतु इस संबंध में सारा दायित्व राज्य सरकार का है। श्री अनूप लाल यादव ने रेत निकालने की बात कही। ड्रेजिंग का काम दूसरे देशों में किया गया था परंतु किन्हीं कारणों से बाद में बंद कर दिया गया। उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन करना, इस बारे में पर्यावरणविदों की कई राय हैं इसलिए अभी निश्चित मत पर नहीं पहुंचा जा सकता।

श्री भुवनेश्वर कालिता, असम, इन्होंने ब्रह्मपुत्र सैंट्रल बोर्ड की बात कही, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। श्री पारसनाथ यादव, श्री शकुनी चौधरी, इनकी गंभीरता तो शायद इनको बाहर ले गई। यह हमें कहते थे कि हम नॉन सीरियस हैं। डॉ० शकील अहमद ने रिलीफ कोड में परिवर्तन की बात कही। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जिस प्रकार के मानदंड किए हैं उनसे क्या होता है, रोज एक रुपया, तीन रुपया, पांच रुपया या पांच सौ रुपया प्रति हैक्टेयर, पर वह संसाधन का प्रश्न है और आपकी यह बात सही है कि उसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिद्वार प्रसाद सिंह और बाद में पूर्व अध्यक्ष, केरल विधान सभा के श्री राधाकृष्णन ने एक केंद्रीय दल की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद ही केन्द्रीय दल भेजा जाता है। इसके प्राप्त होने के तुरंत बाद प्रथम दृष्टया गंभीर आपदा की स्थिति पाए जाने पर ही हम केन्द्रीय दल भेजते हैं।

[हिन्दी]

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अंत में मैं स्थायी समाधान के विषय में कहना चाहता हूं। इसमें किसी के दो मत नहीं हैं कि स्थायी समाधान होना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग और जो जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न विभाग हैं वे इस संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। उनके बारे में कोई समेकित योजना बननी चाहिए, केंद्र सरकार इस संबंध में पहले से संवेदनशील है और इस प्रकार की योजना निश्चित रूप से बनाई जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का तथा आपका भी धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने किसी भी बिंदु का कोई सुसंगत उत्तर नहीं दिया है। इनके उत्तर से लगता है कि सरकार बाढ़ के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए इनके उत्तर के विरोध में हम और हमारे साथी सदन से वाक-आउट करते हैं। *(व्यवधान)*

रात्रि 8.41 बजे

इस समय श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, बाढ़ से लोगों को बचाने में यह सरकार असफल रही है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

रात्रि 8.42 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

डॉ० शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति जी, बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सरकार ने इतने हल्केपन से लिया है, इसलिए हम कांग्रेस की ओर से सदन का बहिष्कार करते हैं।

रात्रि 8.42 बजे

इस समय डॉ० शकील अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं माननीय मंत्री से समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगा। क्या मंत्री जी समुद्री

कटाव रोधी कार्यों के बारे में राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रस्तुत की गई योजनाओं पर विचार करेंगे? वे अन्य राज्यों की योजनाओं के पहुंचने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इसी कारण से इस कार्य में विलंब हो रहा है।

श्री सोमपाल : मैं इसके बारे में पता लगाकर आपको उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री एच० पी० सिंह : सभापति जी, मेरी अपील है कि जैसे हॉस्पिटल में इमरजैंसी होती है उसी तरह से इस विषय पर इमरजैंसी मानकर हमारे क्षेत्र भोजपुर में जो बाढ़ से लोग तबाह हो गए हैं, 30 लाख से 50 लाख रुपया अभी डी० एम० के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या डायरैक्ट भेजकर उन बाढ़-पीड़ितों की सहायता की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर वहां के सब गांव गंगा के अंदर डूब जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी क्या आप उनके स्पष्टीकरण के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सोमपाल : महोदय, मैंने उनको बार-बार बता दिया है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। उनके आपदा राहत कोष में निधि पहले से ही विद्यमान है। वे इसी कोष से धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, जम्मू-कश्मीर में रावी और ऊज नदियां बहुत बड़ी तबाही कर रही हैं। वहां प्रग्वाल का एरिया है जिसकी आबादी 20 हजार से ज्यादा है। उसके तीन तरफ चिनाब दरिया और चौथी तरफ पाकिस्तान है। उस पूरे क्षेत्र का इरोजन हो रहा है। उसी तरह रावी और ऊज का क्षेत्र है। पूरा कठुआ जिला, हीरानगर के 20 गांव पूरी तरह पानी में हैं। मुझे राज्य सरकार की रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा कहना यह है कि कम-से-कम आप रिपोर्ट तो मंगवा लें और तुरंत उन क्षेत्रों को सहायता दें। वहां पर अगर बांध नहीं बांधे गए तो वह पूरा-का-पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपका पाइंट हो गया। मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सोमपाल : मैं तो दुबारा भी वही कहूंगा कि जब तक राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजेगी, केंद्र सरकार कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है।

श्री चमन लाल गुप्त : क्या राज्य सरकार इतनी कैलस हो जाएगी?

श्री सोमपाल : आपकी चुनी हुई सरकार है, हम उससे कैसे कहें?

[अनुवाद]

श्री के० वापीराजू : सभापति महोदय, मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री उत्तर देंगे परंतु वे मुझे समझाने में असफल रहे हैं। मैंने यह कहा कि न तो वह और न ही उनकी सरकार अकेले इसका कोई स्थायी समाधान दे पाएंगे। मैं यह उम्मीद करता था कि वे कोई ठोस कदम उठाएंगे। मैंने उनसे यह कहा कि वे राज्यों के समन्वयन से सदस्यों की एक समिति बनाएं जिसमें तूफान अथवा ऐसे अन्य समग्र मामलों के विशेषज्ञ शामिल हों ताकि समग्र देश की समस्याओं को समझा जा सके। क्या भविष्य में पूरे देश की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु ऐसी समिति का गठन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा? मुझे उनसे एक सरल उत्तर की अपेक्षा थी।

श्री सोमपाल : महोदय, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस योजना के बारे में बोल रहे हैं।

श्री के० वापीराजू : समग्र बाढ़ के बारे में।

श्री सोमपाल : सरकार अपने आप में एक विशेषज्ञता प्राप्त समिति है। सरकार क्या करेगी *(व्यवधान)* हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं परंतु इसके लिए हमें एक पृथक् समिति की भला क्या आवश्यकता है?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, वह यह कहना चाहते हैं कि हमारा देश प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है और इसके लिए हमारे यहां केवल अस्थायी व्यवस्था ही है। हम बाढ़ प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक नीति क्यों नहीं बना सकते हैं? विगत में इस संबंध में कुछ प्रस्ताव आए थे जिनमें यह कहा गया था कि कुछ नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ के विध्वंसकारी प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह यदि कोई दीर्घकालिक योजना होगी तो बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा। माननीय सदस्य यही बात पूछ रहे हैं।

श्री सोमपाल : महोदय, मैंने माननीय सभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि नदियों को आपस में मिलाने और एक तट से पानी को दूसरे तट पर स्थानांतरित करने के लिए दो योजनाएं हैं। उत्तरी भारत की 14 नदियों को और दक्षिण की 17 नदियों को साथ मिलाने की एक योजना है। इस संबंध में प्राथमिक आधार पर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराया गया है। परंतु इस पर अंतिम रूप से अब तक निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधन राशि, संभावित रूप से पड़ने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय और प्रक्रियात्मक प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे कार्य आनन-फानन में नहीं किए जा सकते हैं। अतएव इन बातों के मद्देनजर कि ये योजनाएं भारत सरकार के समक्ष हैं और इन पर विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री के० वापीराजू : परन्तु एक समिति का गठन किए जाने से इन मामलों में सहायता मिलेगी।

श्री सोमपाल : यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

श्री के० वापीराजू : ऐसी बात नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि मैं मंत्री जी की बात सही ढंग से समझ पाया हूं तो उन्होंने कहा कि यह समिति अपने-आप में एक विशेषज्ञ

[श्री के० बापीराजू]

समिति है और इसका अध्ययन जारी है। माननीय मंत्री अपने उत्तर में ये सभी बातें विस्तारपूर्वक पहले ही समझा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मान्यवर, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : महोदय, मुझे राज्य सभा में कल दस प्रश्नों का उत्तर देना है। इस बात को यहीं पूरा करने पर सहमति हो गई है। मैं नहीं समझता कि वे कोई महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सब कुछ पता है।

श्री राम नगीना मिश्र : कुशीनगर में बाढ़ आने से 51 किलोमीटर लंबा बांध टूट जाता है। वह बांध 10 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और 41 किलोमीटर बिहार में पड़ता है। बिहार सरकार वह बांध टूटने पर उसकी मरम्मत नहीं करवा सकती है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस बांध की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सारे फंड्स दिए जा सकें? इस बांध की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को जो फंड मिलते हैं, वे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर कर दिए जाएं।

सभापति महोदय : ये डिटेल्स मंत्री जी के पास नहीं हैं। उसका उत्तर वह कैसे दे सकते हैं?

श्री सोमपाल : मैंने यह बिंदु पहले भी अंकित किया था। माननीय सदस्य बहुत दिनों से सांसद हैं और राज्य सरकार में भी रहे हैं। मैं इस बारे में यही उत्तर दूंगा कि यह केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं है। इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : यह उत्तर प्रदेश और बिहार का मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस बारे में मंत्री जी को पत्र लिख देना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक कल दिनांक 23 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 23 जुलाई, 1998/1 श्रावण, 1920 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।